(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-6 नवम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का अड़तीसवां दिवस संख्या-25

बुधवार,

1 अप्रेल, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह ।

खेल स्टेडियम

728. **श्री सम्पतसिंह** (नगर) : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रान्त एवं केन्द्र द्वारा संचालित खेल स्टेडियम (लड़के एवं लड़की) राज्य में कहां-कहां हैं? जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) शहर के अनुपात में गांवों में ऐसे खेल स्टेडियम क्यों नहीं बनाये जाते ? कारणों का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें ।

खेल मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) केन्द्र द्वारा राज्य में कहीं भी खेल स्टेडियम संचालित नहीं किये जा रहे हैं । राज्य सरकार द्वारा भी किसी स्टेडियम का संचालन नहीं किया जाता है बल्कि संचालन कार्य उन स्टेडियमों को प्रायोजित करने वाली संस्थाओं द्वारा किया जाता है । ऐसे स्टेडियमों का जिलेवार ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट-क)

(2) खेल स्टेडियम बनाने हेतु शहर एवं गांवों का कोई अनुपात निर्धारित नहीं है । इच्छुक संस्थाओं (शहर या गांव की) द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर उस पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री सम्पतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मंत्री जी ने यह फरमाया है कि क्रीड़ा परिषदों के मार्फत स्टेडियमें का संचालन किया जाता है तो क्रीड़ा परिषदों में कौन कौन सदस्य होते हैं और इसका चेयरमैन कलक्टर ही क्यों होते हैं ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने गावों और शहरों के लिए कोई वर्गीकरण नहीं किया हैं और जयपुर जैसे शहर में ही सिर्फ इनडोर स्टेडियम है जब कि पिछला अनुभव यह बता रहा है कि गांव-देहात में और खास तौर से आदिवासियों में से अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के खिलाड़ी निकले हैं । जयपुर जब कि सबसे कमजोर शहर है इसमें

(श्री सम्पतसिंह)

आप रूपया लगा रहे हैं और जिन जिन खेलों के लिए जो–जो जिले प्रसिद्ध रहे हैं उदाहरण के तौर पर भरतपुर कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है वहां आपने कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की संस्था नहीं मुहैया कर रखी है। उदाहरण के लिए स्वयं मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर जहां बरसों पहले स्टेडियम के लिए धनराशि मन्जूर हो गयी थी। आज तक उसमें क्यों नहीं कार्यवाही हुई है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इसके संविधान का सवाल है वह तो मैं प्रति प्रेषित कर दूंगा कि इसमें कौन-कौन सदस्य होते हैं। जहां तक आपका यह प्रश्न है कि आप केवल जयपुर में ही सारा काम करते हैं, मैं समझता हूं कि यह सूचना सही नहीं है.....

श्री सम्पतसिंह : आप नहीं करते, सारे ही यही करते रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं बता रहा हूं। स्टेडियम के लिए वहां की स्थानीय संस्थायें इस बात के लिए निश्चित करती हैं कि हम यहां स्टेडियम बनायेंगे। उसके बाद भारत सरकार से उनको पैसा मिलता है और राज्य सरकार भी पैसा देती है। ऐसे जो प्रस्ताव आते हैं वह चाहे कहीं से भी आयें शहर या गांव से, उनकी हम जांच करके यदि उन शर्तों को पूरी करते हैं तो हम केन्द्र सरकार को भेज देते हैं। केन्द्र सरकार उनके गुणावगुण को देखकर स्वीकृत करती है और उसके आधार पर धनराशि आवंटित होती है। उसमें हम भी अनुदान देते हैं। इसलिए यह कोई पिक एण्ड चूज का प्रश्न नहीं है। यह तो जो भी संस्थायें आगे आयेंगी स्टेडियम बनाने के लिए उनको अनुदान देने की स्थिति में केन्द्र सरकार भी है और हम भी हैं। अगर कोई भी आपके ध्यान में ऐसा है या कोई स्टेडियम बनाना चाहते हैं और इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप उनका भी प्रस्ताव दे दीजिए। अब नया बजट आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : डीग और भरतपुर का प्रस्ताव भिजवाइये, मन्जूर करवा देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : भरतपुर का तो है साहब।

श्री सम्पतसिंह : इन्होंने बनवाया है। यह प्रस्ताव के माध्यम से ही थोड़े ही बनवाये हैं। प्रिफरेन्स सिस्टम इनके यहां है। शहर में जो बड़े-बड़े बिगड़ल लड़के बड़े लोगों के हैं वह इनके तरण तारण का दुरुपयोग करते हैं। हर खेल में फिसड्डी रहते हैं और स्टेडियम को एशोआराम की जगह उन्होंने बना रखा हैं। मैं पूछ रहा था कि देहात में आप क्यों नहीं बनाते ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने निवेदन किया कि देहात में बनाने के लिए मना नहीं है।

श्री सम्पतसिंह : मना नहीं है लेकिन बनाते क्यों नहीं हो ? हमने भी मना नहीं कर रखा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप उत्तेजित नहीं हों। खेलकूद का सवाल है।

श्री सम्पतसिंह : मैं उत्तेजित नहीं हो रहा हूं; मेरी तो भाषा ही ऐसी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के मार्फत जो माननीय सदस्य जानना चाहते है मैं उसका भी निवेदन करना चाहता हूं। आपने स्वयं ने अपने विधान सभा क्षेत्र में यह मांग की है कि हमारे क्षेत्र को भी स्टेडियम दिया जाये और इसलिए 25-9-91 को आपने एक पत्र लिखा था। उसके बाद हमने आपसे यह निवेदन किया कि आप इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो डाकुमेन्ट्स आवश्यक हैं, जो एप्लीकेशन आवश्यक है वह दे दें। अभी तक वह हमको प्राप्त नहीं हुई है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप उन सारी आवश्यकताओं को पूरा करें निश्चित रूप से आपके ग्राम में भी हम इसकी कोशिश करेंगे। पीछे नहीं रहेंगे।

श्री सम्पतसिंह : मैं इसमें यही निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैंने न सिर्फ पत्र लिखा बल्कि जिला कलक्टर को और दूसरी संस्थाओं को....

श्री अध्यक्ष : आप भेज दीजिए, आप का काम हो जायेगा। श्री फूलचन्द गुर्जर।

श्री सम्पतसिंह : मेरा तो काम ही नहीं होता है। मेरा सीधा-सीधा आरोप यह है कि नगर, डीग और भरतपुर जिले से आप सौतेला व्यवहार करते हैं। पता नहीं पूर्व जन्म में हमसे और हमारे पूर्वजों से क्या गलती हुई।

श्री अध्यक्ष : फूलचन्द गुर्जर।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री सम्पतसिंह : मैं गुर्जर नहीं हूं। मैं तो यहां सदस्य हूं....

श्री अध्यक्ष : आपने कहा गुर्जरों का इसलिए मैंने गुर्जर को अलाउ किया है।

श्री सम्पतसिंह : मैंने 'पूर्वजों' कहा था। यहां पिछड़ी जातियों के लोगों को हतोत्साहित ही उनकी जातियों का नाम लेकर किया जाता है। पिछले कई बरसों से हम यह अनुभव कर रहे हैं नाई को नाई कहते हैं जाट को जाट कहते हैं....

श्री किशनाराम नाई : नाई को नाई नहीं कहेंगे तो मैं बात ही नहीं करूंगा।

श्री सम्पतसिंह : यह तो पिटने के डर की वजह से कह रहे हैं। राजपूत और ब्राह्मणों से इनको तसल्ली दिला दो यह कभी अपना नहीं पुकारना चाहेंगे भाई। मैं अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाह रहा था कि केन्द्र का और राज्य सरकार का इतना रुपया लगाते हैं इसके तहत में आप देहात में क्यों नहीं लगाते और ट्रैक जैसी सुविधा एथेलीट्स को क्यों नहीं देते? हमारे यहां एक भी स्टेडियम जयपुर के अलावा और जयपुर भी आपका एक तरह से आउटडोर होता है तो उसमें ट्रैक सिस्टम खत्म हो जाता है तो तमाम एथलीट्स की सुविधा के हिसाब से आप प्रत्येक जिले में स्टेडियम क्यों नहीं बना रहे हैं। सिर्फ 5-6 जिलों तक महदूद रह

(श्री सम्पतसिंह)

गये हैं और इनडोर स्टेडियम खास तौर से गांव देहात में खेल के हिसाब से बनाये जाने चाहिए।

श्री फूलचन्द गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ?

श्री फूलचन्द गुर्जर : सवाल यही कर रहा हूं कि हमारे यहां सीकर जिले में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में....

श्री अध्यक्ष : आप सीकर में स्टेडियम चाहते हैं ना, यही सवाल है ? होना चाहिए वहां खिलाड़ी भी हैं ओलम्पिक स्तर के....

श्री फूलचन्द गुर्जर : स्टेडियम बनाने की वहां घोषणा की गयी थी वह कब तक बनायेंगे ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि जहां के प्रस्ताव आते हैं हम विचार करते हैं। और केन्द्र सरकार को लिखते हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या चौमूं और पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के आपके पास प्रस्ताव आये ? हमने वहां पर जमीन भी रिजर्व की है, हमारा प्रस्ताव भी राज्य सरकार के पास है और जिला प्रशासन के पास भी है। हमने यह भी कहा है कि चौमूं में अगर आप स्टेडियम बनाते हैं और जन सहयोग जितना पर्सेन्टेज आपको चाहिए वह हम देने के लिए तैयार हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय पूरे प्रदेश में जहां पर प्राथमिक पाठशालाओं को उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं वहां पर आप कलक्टर को लिखें कि समस्त जगह पर खेल के मैदान मुहैया कराने की व्यवस्था करें और जो भी डवलपमेंट के प्रोग्राम हैं उसमें खेल के मैदान विकसित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या कोई ऐसी योजना आपके विचाराधीन है जिसमें कुछ प्रतिशत गांव के लोग करे और शेष राशि आप दें। इस तरह के डाइरेक्शन्स क्या आप जिला अधिकारियों को भेजना ठीक समझेंगे ?

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : अभी वाला क्षेत्र में 6 महीने पहले ही स्टेडियम का हमने प्रस्ताव दिया था वह पास हो चुका है और कलक्टर के पास विचाराधीन है.....

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। बाली, जोधपुर, निम्बाहेड़ा क्षेत्र का....... बैठिये मैं समझ गया.... ....आप बैठिये ....आप बैठिये प्लीज ...आप एक मिनट बैठिये एक मिनट बैठिये आप.... (व्यवधान) मैं समझता हूं कि कुल-मिला कर सवाल यह आयेगा कि खेल के मामले में एक निश्चित नीति होनी चाहिए जिसमें सरकार अपनी ओर से गांवों में खेलने वाले जो लोग टैलेण्टेड हैं उनको प्रेरित करने के लिए वहां खेल के मैदान की, जहां स्टेडियम लोग कांट्रिब्यूट करते हैं से, वहां

(श्री अध्यक्ष)

स्टेडियम एक ड्राइंग के रूप में चले ताकि पूरे राजस्थान में यह लगे कि खेल-कूद की तरफ सरकार का ध्यान गया है। इस बारे में आप कुछ बताइये।

श्री फूलचन्द गुर्जर : सीकर में घोषणा कर रखी है। सीकर में घोषणा के बावजूद स्टेडियम नहीं बना रहे है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : कई वर्षों से विचाराधीन है विकसित करने के लिए उस विषय में पूछना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : भाई, उत्तर तो देने दो (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : जोधपुर शहर का पुराना स्टेडियम है जो वहां लावारिस पड़ा हुआ है....

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रश्न किया इसमें जोधपुर शहर भी आ गया, सीकर आ गया, निम्बाहेड़ा भी आ गया, चौमूं भी आ गया, बाली भी आ गया, इसमें सब बात आ गयी।

श्री राजेन्द्र गहलोत : पुराना स्टेडियम कई वर्षों से लावारिस पड़ा है। वहां से खेल की भावना समाप्त हो रही है और वहां पर अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनको विकसित करने की बात है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आ गयी आप की बात। इसमें सब बात आ गयी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि अगर हम मन्त्री जी को पैसा इकट्ठा कर के दे दें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह तो कह रहे हैं कि आप नार्म्स पूरा करिये। सेण्टर भी देता है, यह भी देंगे.... (व्यवधान)....

श्री श्रीचन्द कृपलानी : स्टेडियम बनायें। पैसा इकट्ठा करने के लिए हम तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं तो इससे एक कदम आगे जाकर कह रहा हूं कि सरकार अपनी ओर से इसमें कदम उठाये। लोगों को इन्वाइट करें।

श्री फूलचन्द गुर्जर : आदिवासी एरिये में यदि कोई संस्था तैयार नहीं हो, ऐसी हालत में सरकार स्टेडियम बनायेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या नीति, नियम बनाये जा रही है ? (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दे रहे हैं क्या, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो चिन्ता सदन ने व्यक्त की है, जो इच्छा जाहिर की है, मैं भी उसी पक्ष का हूं और इसी कार्यकाल में मैंने इस मामले में काफी कदम उठाये हैं ...

Page No. 6

(6)

श्री अध्यक्ष : अब आप कर रहे हैं तभी तो यह मांग कर रहे हैं। कोई नहीं करता था तो मांग ही नहीं होती थी यहां।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि स्टेडियम बनाने के लिए जन सहयोग से आप लोग आगे आयें। सरकार पूरी मदद करेगी। केन्द्र से मदद करायेंगे, हम मदद करेंगे।....(व्यवधान).... अब आप सुनिये, पहले सुनिये तो आप। बात नहीं सुनेंगे क्या ? मैं आपका ही जवाब दे रहा हूं। नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सीकर में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी एक करोड़...

श्री रामसिंह विश्नोई : प्रदेश की बात करो आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रदेश में सीकर भी है। 107 लाख रुपये की योजना थी उसमें साढ़े 7 लाख तो मिल गये आपको केन्द्र से और डेढ़ लाख हमने दे दिये। इसलिए वह काम चालू है। आप कैसे बताओगे, पता ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : इसीलिए सीकर स्टेडियम का काम रुका हुआ था।

श्री भंवरलाल शर्मा : जहां तक भरतपुर का सवाल है, भरतपुर में भी एक स्टेडियम के लिए 31 लाख रुपये का सेंक्शन है जिसमें 10 लाख रुपये आपको मिल चुका है....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : श्री पारीकजी, जब मंत्री जी बोल रहे हैं ...(व्यवधान)... आपको यदि शौक है बोलने का तो खड़े होकर अन्त तक बोलते रहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरा इसमें कोई विरोध नहीं है....मैं आपकी बात से....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको छूट देता हूं कि आप खड़े हो जाइये, जब तक प्रश्न काल चले आप बोलते ही जाइये।....(व्यवधान) ....हां, आप बोलते ही जाइये।

एक माननीय सदस्य : कौन-सी शर्तं पूरी नहीं होती....(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं तो आपके आदेश से यह संकल्प ले लेता हूं कि आज सायंकाल तक एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। एक भी शब्द नहीं बोलूंगा आज सायंकाल तक।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बोलते जाइये न। मंत्रीजी खड़े हैं, जवाब दे रहे हैं...

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके आदेश से आज मैं यह संकल्प लेता हूं कि मैं सायंकाल तक एक भी शब्द इस सदन में नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : सामान्यतया जब हाउस में किसी तरह की उत्तेजना नहीं हो तो सामान्य नियम है कि जब मंत्री जवाब दे रहे हैं तो उसको शांति से सुनें। कोई उत्तेजना हो और कोई दूसरी बात हो, वह तो मैं नहीं कह सकता बाकी यह सामान्य

(श्री अध्यक्ष)

नियम है। अब आप सामान्य अवस्था में भी शांति से नहीं बैठ सकते फिर आप मुझे ही ...

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं तब बोलने खड़ा होता हूं जब मेरा नाम पुकारा जाता है। मैं तो संकल्प लेता हूं आपके आदेश से कि सायंकाल तक एक भी शब्द नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा। फिर आप यह तीन बार तो कह चुके हैं उसके बाद तीन बार खड़े हो गये।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज तो माफ कर दीजिए। आज तो फर्स्ट अप्रेल है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसीलिए यह तीन बार कह चुके हैं और तीन बार ही बोल चुके हैं।... (व्यवधान)....

श्री नत्थी सिंह : आपके जवाबों को भी हम ऐसा ही समझें आज फर्स्ट अप्रेल का।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि खेलों के विकास की राजस्थान में बहुत गुंजाइश है और इसके लिए ग्रामीण इलाके में नहीं जायेंगे तो....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी मेरा एक निवेदन है....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं एक सैकण्ड में पूरा कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : मेरा एक निवेदन है, अभी अपने पास 5-6 दिन का समय है। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में आप एक डिटेल वक्तव्य दें, आपकी एक विस्तृत योजना जिससे सदस्यों को भी मालूम पड़ जाय कि आपकी यह योजना है। भविष्य में आप इसमें और क्या करना चाहते हैं, मुझे पता है कि आप कर रहे हैं लेकिन अनेक लोगों को पता नहीं है। उसकी प्रगति कैसे जल्दी हो सकती है ताकि जो-जो उत्सुक हैं वे उसमें भाग ले सकेंगे। मैं समझता हूं यह उचित होगा।

नेक्स्ट। आप बैठिये। श्री किशनाराम नाई।

श्री किशनाराम नाई : प्रश्न संख्या 729.

डूंगरगढ़ में जवाहर रोजगार योजना के तहत स्वीकृत कार्य

729. **श्री किशनाराम नाई** (श्री डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में जे. आर. वाई. के अन्तर्गत कौन-कौन से तथा कितनी धनराशि के कार्य स्वीकृत हैं ?

(2) क्या इन स्वीकृत कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण किया गया है ? यदि हां, तो कहां-कहां और कब-कब तथा निरीक्षण की क्या रिपोर्ट रही ?

(3) क्या जे. आर. वाई. के अन्तर्गत कार्य अधूरे भी हैं ? यदि हां, तो क्यों और उन्हें कब तक पूरा करा दिया जावेगा ?

(श्री किशनाराम नाई)

(4) क्या यह सही है कि सालासर पुनरासर (चूरू) के बीच मात्र ढाई किलोमीटर सड़क कच्ची बनी हुई है ? यदि हां, तो कब से तथा आज तक पिच क्यों नहीं डाला गया व कब तक डाल दिया जावेगा ?

(5) क्या ग्राम सडू जिला चूरू से कल्याणसर वाया इन्दिरा कालोनी का सड़क कार्य शुरू कराया गया था ? यदि हां, तो कितना पूरा हो चुका व कितना बाकी है ? उसे कब तक पूरा करा लिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में जे. आर. वाई. के अन्तर्गत कुल 9 कार्य स्वीकृत किये हैं। सड़कों की सूची "अ" मय लागत के संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग के अभियन्ताओं द्वारा किये गये निरीक्षण की सूची "ब" मय रिपोर्ट के संलग्न है।

(3) जी हां। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जो स्वीकृति की गयी है उनमें 4 कार्य अधूरे हैं। इनमें से 2 कार्य सम्पर्क सड़क कल्याणसर एवं सम्पर्क सड़क धनेरू को मिनिमम नीड्स प्रोग्राम योजना के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया गया। शेष 2 अपूर्ण कार्यों को वर्तमान प्राथमिकताओं में नहीं आने के कारण अभी किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) सालासर से पुनरासर (चूरू) तक 2.5 किलोमीटर मेटल सड़क 9 माह पूर्व जे.आर.वाई. के अन्तर्गत बनाई गई है। उपरोक्त योजना के अन्तर्गत डामर सड़क बनाने का प्रावधान न होने के कारण डामर का कार्य नहीं करवाया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मापदण्डों में न होने के कारण तथा राज्य की सीमित वित्तीय संसाधनों तथा प्राथमिकताओं के दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में डामर कराना सम्भव नहीं हो सकता।

(5) जी हां। 3.5 किलोमीटर का कार्य ग्रेवल श्रेणी की सड़क पूरी हो चुकी है। 2.5 किलोमीटर का कार्य शेष है। शेष लम्बाई को योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य की सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य वर्तमान में पूर्ण करवाना सम्भव नहीं है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा आपकी मार्फत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत ही रेतीला क्षेत्र है। करीब 40 लाख की लागत से यह सड़कें बनी हैं। यदि डामरीकरण नहीं होगा तो इन सड़कों का कोई महत्व नहीं होगा और सरकार ने जो 40 लाख रुपये लगाये हैं वह व्यर्थ जायेगा। इसलिए मैं मंत्रीजी से चाहता हूं कि वह आश्वासन देंगे, इसमें करीब दो-तीन सड़क तो ऐसी हैं जो एक साल में ही टूट-फूट जायेगी और लाखों रुपया व्यर्थ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं इसमें एक बीच का

Page No. 9

(9)

(श्री अध्यक्ष)

सुझाव देता हूं। जहां आपके पास डामर लगाने के लिए पैसा नहीं है, गिट्टी को अच्छी तरह मजबूती से कुटाई करें और उस पर आप बालू रेत डाल दीजिए तो मिट्टी बिखरेगी नहीं। सड़क चालू रहेगी और उस सड़क से आ-जा सकेंगे जब तक आप डामर नहीं करायें। यह अतिरिक्त योजना हो जाय, केवल बालू रेत वहां डाल दें तो भी काम चलेगा....(व्यवधान)....

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा निवेदन है कि....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : अध्यक्ष महोदय, यह निर्देश पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप अगर दे दें तो ठीक है। सब जगह यही स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : मेरा सुझाव तो उन सभी सड़कों के लिए है जहां गिट्टी की सड़क, मेटल रोड जहां बनती है। यदि उस पर आप बालू नहीं डालेंगे तो वह आने-जाने के साधनों से टूट कर सारा मेटल बिखर जाता है। बालू डाल दोगे तो मेटल बिखरेगा नहीं और आप जब भी चाहें तब उसमें डामर करा सकते हो। ठीक है।

नेक्स्ट। श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री किशनाराम नाई : जवाब दे रहे हैं। मुझे आश्वासन दे रहे हैं....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अच्छा, अब तक जो दे रहे हो उसमें कुछ एड कर रहे हो तब तो दो, आपके पास वित्तीय साधन नहीं हैं, यही कहना है तो कोई मतलब नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न स्पेशियल स्कीम का था, उनको ट्रांसफर करना चाहिए था क्योंकि हमने तो मजदूरी का काम किया है। स्पेशियल स्कीम की जो योजना रहती है उसकी गाइड लाइन्स भारत सरकार से निर्धारित है। उनका कहना है कि आर.एन.जी.पी. की जो सड़क अपूर्ण रही है उसे पूरा करेंगे....

श्री अध्यक्ष : नहीं, मगर उसमें डामर तो कभी भी कराओ, आप ही कराओगे... (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं बता रहा हूं श्रीमान्। और उसी प्रकार फेमिन का काम पूरा करें। अब यह जो सड़कें बनी, कुछ ग्रेवल की बन गयी हैं, कुछ अधिक मेल्टेड बन गयी हैं। अब प्रश्न है डामर होने का। डामर के लिए मेरा यह कहना है कि यह बात सच है, आपने कहा कि अब जो वर्तमान सरकार में जो मापदण्ड हैं उनको सभी डामर की बनाते हैं हम हमारी प्राथमिकताओं के आधार पर किन्तु जो 2 प्राथमिकताओं में आ रही थीं हमारी उनको तो हमने तुरन्त प्लान में ले लिया, स्वीकृत कर दिया बाकी भी हमारे मापदण्डों में नहीं आ रही हैं फिर भी आपने जो सुझाव दिया है कि मेल्टेड रोड पर बालू डाल कर के उसकी ठीक व्यवस्था करना, इसको निश्चित रूप से विभाग करेगा। जब पैसा उपलब्ध होगा उसको डामर कराने की प्रक्रिया हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल ।

जैतारण (पाली) के आयुर्वेद चिकित्सालय

730. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले के विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कितने आयुर्वेद चिकित्सालय किस-किस स्थान पर हैं तथा वहां पर किस-किस श्रेणी का स्टाफ कितना स्वीकृत एवं कितना कार्यरत है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन चिकित्सालयों में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में सरकार द्वारा मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु कितना-कितना बजट किस-किस केन्द्र को आवंटित किया गया ? केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) प्रत्येक औषधालय में मरीजों का प्रतिदिन आउट डोर औसत क्या था ? केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या आवंटित बजट के अनुसार दवाइयां खरीद ली गयी ? यदि हां, तो क्या-क्या दवाइयां खरीदी गयीं । यदि नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) 15 आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं । सूची (परिशिष्ट–1) सदन की मेज पर रख दी गयी है । इन औषधालयों में स्वीकृत एवं कार्यरत स्टाफ का विवरण (परिशिष्ट–1) में सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) इन औषधालयों को वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित औषधि हेतु राशि की अधिकतम सीमा का औषधालय-वार विवरण (परिशिष्ट-2) सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) विवरण (परिशिष्ट-3) सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(4) जी हां । विभाग को आवंटित बजट के अनुसार औषधि घटक की खरीद की जाती है । इस वर्ष आवंटित बजट के अनुसार औषधियों के घटक की खरीद कर ली गयी है जिसमें इन औषधालयों की भी शामिल है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने प्रश्न संख्या 730 के खण्ड दो के परिशिष्ट दो में केन्द्रवार औषधियां आवंटित करना बताया है और प्रश्न के भाग3 में आउट डोर का औसत बताया है, बिल्कुल गलत है । मेरा, अध्यक्ष महोदय, निवेदन है, वहां पर न तो वैद्य रहते हैं, न कम्पाउण्डर रहते हैं । दो-दो, तीन-तीन महीने तक बाहर रहते हैं और अपनी खेती करते हैं, दूसरी जगह काश्त करते हैं और औषधालय बिल्कुल खाली पड़े रहते हैं । इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप....

श्री अध्यक्ष : देखिये जब ऐसा सवाल

(श्री अध्यक्ष)

हो, माननीय सदस्य, जब आपको यह लगता हो, जो जवाब दिया है वह गलत है तो मेहरबानी करके बजाय यह कहने के आप सीधा पूछ लिया करो कि जो आपने सूचना दी है, मेरी सूचना से वह सूचना सही नहीं है, क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करायेंगे कि मेरी सूचना सही है कि आपकी सूचना सही है। इतने में ही आपका मामला तो हो जायगा।

श्री सुरेन्द्र गोयल : मैं यही पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। जो इन्होंने बताया है वह बिल्कुल गलत है और इसकी जांच कराना निहायत जरूरी है। पिछले दो वर्षों में क्या किसी अधिकारी ने आकर जांच की है? यदि कोई वैद्य या कम्पाउंडर अनुपस्थित पाया गया तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यह मुझे बताने की कृपा करें। दूसरा मेरा प्रश्न है,...

श्री अध्यक्ष : दूसरा दूसरे में पूछना। दूसरा आयेगा सप्लीमेंटरी। माननीय मंत्री जी।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि यह जो आउट डोर रोगी संख्या बतायी है, यह गलत है। मेरे पास यह सूचना विभाग ने उपलब्ध करवायी है, इससे अतिरिक्त कहीं अगर थोड़ी भी अलग सूचना है तो माननीय सदस्य बतायेंगे तो मैं इसकी जांच करवा लूंगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह कह रहे हैं कि जो सूचना दी है, सही नहीं है उसकी आप जांच करायेंगी क्या? वह अब और कुछ नहीं बतायेंगे, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य ने तो बता दिया कि यह सही नहीं है। इसलिए इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या इन दिनों में आपके जांच अधिकारी कभी गये?

श्रीमती विद्या पाठक : ऐसी हालत में, माननीय अध्यक्ष महोदय, रजिस्टर कलक्ट करके संख्या ली गयी है। इस बीच में कोई अधिकारी गये हैं कि नहीं, यह तो अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह पता नहीं है आपको। इसकी भी जांच करवा लीजिये।

श्रीमती विद्या पाठक : इसकी भी जांच करवा ली जायगी। आपने कहा कि वैद्य संख्या ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले उनका तो हो जाय।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सरकारी रजिस्टर के अनुसार जो आंकड़े उपलब्ध करवाये गये हैं वह आंकड़े यह हैं। इससे अन्यत्र अगर कोई और भी सूचना हो या अगर आप दुबारा चैक करवाना चाहें तो उसको भी चैक करवा लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : हां, गोयल साहब, पूछिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, खण्ड चार में मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

क्या-क्या, कौन-कौन सी दवाइयां खरीदी गयीं। इन्होंने कोई कुछ नहीं बताया कि कौन-कौन सी दवाइयां खरीदी गयीं। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि यह विभाग जैसे चूर्ण के मामले में हरीपसी और विलपसी चूर्ण खरीदता है जबकि यह बिल्कुल घटिया किस्म का है....

श्री अध्यक्ष : आपको जो दवाइयों की उन्होंने कीमत दी है अलग-अलग ...

श्री सुरेन्द्र गोयल : नहीं, दवाइयों की कीमत तो बता दी परन्तु मैंने पूछा, विभाग ने कौन-कौन सी दवाइयां खरीदीं और कौन-कौन सी डिस्ट्रिब्यूट हुई। उन्होंने जवाब में एक भी दवाई का नाम नहीं लिखा है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, उन्होंने दस दवाओं के नाम लिख दिये तो आप क्या समझोगे ?

श्री सुरेन्द्र गोयल : नहीं, मैं जानता हूं दवाइयां।

श्री अध्यक्ष : आप जानते हैं ? तो बता दीजिये दस पांच दवाओं के नाम।

श्री सुरेन्द्र गोयल : मैं यही तो पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, जैसे चूर्ण है, हरीपसी चूर्ण और विलपसी चूर्ण विभाग खरीदता है जबकि यह बिल्कुल घटिया किस्म का चूर्ण होता है। इसके बनिस्पत अग्निसंदीपन चूर्ण खरीदना चाहिये था और यह लोगों के काम आता है।

श्री अध्यक्ष : कौनसा चूर्ण बताया आपने ?

श्री सुरेन्द्र गोयल : हरीपसी चूर्ण और विलपसी चूर्ण। यह घटिया किस्म का चूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : आप इस चूर्ण के बारे में कुछ बतायें, क्या-क्या मिलता है इस चूर्ण में ? इस चूर्ण में क्या-क्या कम्पोजिशन, कौन-कौन सी दवाइयां मिलती हैं ?

श्री सुरेन्द्र गोयल : दवाइयां कौन-कौन सी मिलती है यह, अध्यक्ष महोदय, कोई जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तो फिर क्या सवाल पूछ रहे हो आप ?... (व्यवधान) आपको ये ही पता नहीं है कि इस चूर्ण में कौन-कौन सी औषधियां मिलती हैं तो घटिया और बढ़िया का कैसे पता चल गया आपको ?

श्री सुरेन्द्र गोयल : घटिया का तो जो दवाइयां उपयोग में लेते हैं वह काम की नहीं हैं और उससे कोई उपचार भी नहीं होता है, वह घटिया किस्म की है।

श्री अध्यक्ष : इसलिये जनरल सवाल पूछिये कि जो दवाइयां आप सप्लाई कर रहे हैं वह स्तर की नहीं हैं इसकी भी जांच होनी चाहिये। सीधी सी बात है। अब आप और हमारे जानने की बात है नहीं। बैठिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल : मंत्री महोदय बता दें, जांच करेंगे ? वह दवाइयां ऐसी घटिया किस्म की हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। मंत्रीजी, बताइये।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि कौन-कौन सी दवाइयां खरीदी गयी हैं। यह बताना तो सम्भव नहीं है कि कौन–कौनसी दवाइयां खरीदी गयी हैं क्योंकि इसके कच्चे घटक खरीदे जाते हैं जिनकी लिस्ट इतनी लम्बी है कि उसको बताना भी मुश्किल होगा। फिर आपने यह कहा है कि दवाइयां जो खरीदी हुई हैं वह सब स्टेण्डर्ड हैं या मिलती हैं तो वह ठीक नहीं मिलती हैं तो यह ऐसी टेक्नीकल बात हैं, अगर इसकी कोई डिटेल बतायी जाती है, अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत होती है तो फिर एनालाइज करवा कर जांच करवायी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : और बाकी है कुछ आपका ? आप पूछें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाह रहा हूं कि आपकी सरकारी औषध रसायन शालाएं हैं उनमें जो च्यवनप्राश बना है, राजस्थान भर में जो आपका डिस्ट्रिब्यूशन हुआ है उस पर 179 रुपये प्रति किलो की रेट पर आपने कीमत लगायी है जबकि बाजार में बैद्यनाथ, डाबर और दूसरी भारत में प्रसिद्ध औषध बनाने वाली कम्पनियां हैं उनका च्यवनप्राश, सामान्य च्यवनप्राश 60 रुपये और स्पेशल च्यवनप्राश 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। यह जो बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है आपके विभाग की रसायन शालाओं में यह क्यों इतना महंगा पड़ रहा है और महंगा पड़ने के पीछे क्या कारण है ? गुणवत्ता और श्रेष्ठता की बात और महंगाई, इन दोनों की क्या आप जांच कराने का विचार रखती हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है आप प्रश्न भी देखिये आप चाहे जो पूछेंगे ? प्रश्न उन्होंने केवल अपने जैतारण का पूछा है।

श्री हरिसिंह : (महुआ) यह जैतारण में भी गया था। यह जैतारण में भी गया है।

श्री अध्यक्ष : वह तो चूर्ण का नाम बता रहे थे, आप च्यवनप्राश कहां से ले आये ?

श्री हरिसिंह : 179 रुपये प्रति किलो का च्यवनप्राश जैतारण में भी है।

श्री अध्यक्ष : मैं जानता हूं च्यवनप्राश सामान्यतया औषधालय में बहुत रेयर दिया जाता है।

श्री हरिसिंह : गया था, राजस्थान भर में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह बेचते हैं। वह तो बेचने की बात बताई आपने।

श्री हरिसिंह : नहीं, बेचने की बात नहीं कही है साहब, मैंने। रसायन शालाओं में जो च्यवनप्राश ....

श्री अध्यक्ष : हां, वही तो बता रहा हूं कि उसकी रेट 190 कर रखी है।

श्री हरिसिंह : 179 रुपये।

श्री अध्यक्ष : हां, 179-90 हो गयी और बाकी जगह 60 और 80 मे मिलता है।

श्री हरिसिंह : 60 और 70 में मिलता है।

श्री अध्यक्ष : हां तो बेचने की ही तो पूछ रहे हैं आप। यह तो बेचने की ही तो बात हुई।

श्री हरिसिंह : अजी बेचने की बात नहीं है, साहब।

श्री अध्यक्ष : अब इसका सवाल नहीं है। आप डिटेल में जांच करायें।.... (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द्र कृपलानी, नैक्स्ट। अब सवाल और आ जायं। आधा घंटा हो गया, देखिये रह जायेंगे।

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय ने पहले ही व्यवस्था दे दी थी, दस सवाल आयेंगे। एक प्रश्न पर हजारों रूपया खर्च होता है। ...(व्यवधान)

चित्तौड़गढ़ की तहसीलों में डार्क जोन

731. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में किस किस तहसील को डार्क जोन घोषित किया गया है? क्या डार्क जोन घोषित करने से पूर्व कोई सर्वे कराया जाता है? यदि हां, तो सर्वे कराने का क्या मानदण्ड है?

(2) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी क्षेत्र को भी डार्क जोन घोषित कर रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे उचित मानती है क्या? सरकार इसे डार्क जोन से मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री भू-जल(श्री मान्धाता सिंह): (1) भू-जल सर्वेक्षण पंचायत समितिवार किया जाता है, तहसीलवार नहीं। चित्तौड़गढ़ जिले में 14 पंचायत समिति क्षेत्र हैं। जोन को वर्गीकरण करने से पहले भू-जल सर्वेक्षण करवाया जाता है। प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र को भूजल उपलब्धता के आधार पर अलग अलग जोन में बांटा जाता है जिस क्षेत्र में जितना भू-जल दोहन योग्य होता है उसमें से यदि 65 प्रतिशत तक दोहन किया जाता है तो उस क्षेत्र को व्हाइट जोन में वर्गीकृत किया जाता है, 65 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक यदि दोहन किया जाता है तो उस क्षेत्र को ग्रे जोन में वर्गीकृत किया जाता है और 85% से अधिक दोहन की स्थिति में डार्क जोन में वर्गीकृत किया जाता है। केवल चार पंचायत समिति क्षेत्रों में से सिर्फ भादेसर पंचायत समिति में एक जोन, छोटी सादड़ी में दो जोन, चित्तौड़गढ़ में तीन जोन एवं निम्बाहेड़ा में एक जोन को डार्क जोन घोषित किया हुआ है।

(2) निम्बाहेड़ा को चार जोन में बांटा हुआ है इनमें से एक जोन को डार्क जोन घोषित किया हुआ है। छोटी सादड़ी को चार जोन में बांटा हुआ है और इनमें से दो जोन को डार्क जोन घोषित किया

(श्री मान्धाता सिंह)

हुआ है जोनों का वर्गीकरण भूजल सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है और यह उचित है। भविष्य में यदि भूजल सर्वेक्षण के आधार पर स्थिति में परिवर्तन आयेगा तो इन क्षेत्रों का पुनः वर्गीकरण किया जायगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मंत्रीजी ने पहले संतुष्ट कर दिया साहब, मुझे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रामकिशन। (अनुपस्थित) (प्रश्न संख्या 732 कृपया आगे देखें।)

श्री प्रभुराम गरासिया।

श्री जोगेश्वर गर्ग।

जालौर में नोटेरी पब्लिक पद पर नियुक्ति

733. **श्री प्रभुराम गरासिया** (पिंडवाड़ा) : एवं **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—(1) क्या यह सही है कि जालौर में नोटेरी पब्लिक की नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कब ?

(2) इस विज्ञापन के पश्चात् जालौर से कितने आवेदन प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आवेदकों में से किसी को नियुक्ति दिये जाने से पूर्व इस हेतु पुनः आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये ? यदि हां, तो क्यों और कब ?

(4) वर्तमान में जालौर में नोटेरी पब्लिक के पद पर कौन-कौन व्यक्ति कब से कार्य कर रहे हैं ?

विधि एवं न्याय मंत्री (श्री शांतिलाल चपलोत) : (1) जी हां। दिनांक 23-1-1991 को।

(2) जालौर से 3 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। सूची निम्न प्रकार है :—

1. श्री रंगराज भण्डारी
2. श्री मिश्रीमल भंसाली
3. श्री निरंजनमल सोलंकी।

(3) जी हां। दिनांक 14-2-1991 को क्योंकि उक्त तीन आशार्थियों में से श्री मिश्रीमल भंसाली का आवेदन-पत्र अपूर्ण था तथा शेष 2 ही आशार्थी शेष रह गये थे।

(4) वर्तमान में जालौर में श्री उम्मेद राज सोलंकी दिनांक 21-6-84 से तथा श्री हरीसिंह जोधा दिनांक 16-8-89 से कार्यरत है।

श्री प्रभुराम गरासिया : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बार आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये, उनके लिए मंत्रीजी क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। यह जो आपके दो नाम रह गये हैं, उनमें से यह पूछ रहे हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, एक अपूर्ण था और दो पूर्ण थे। ज्यादा

(श्री शांतिलाल चपलोत)

से ज्यादा यह कोशिश की जाती है कि कोई....

श्री अध्यक्ष : दो अब आपके पास रहे हैं उनमें से विचार चल रहा है।

श्री शांतिलाल चपलोत : 5-6....

श्री अध्यक्ष : दुबारा पैनल मांग रहे हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : वापस पैनल मांग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वापस पैनल मांग रहे हैं। नैक्स्ट। श्रीमती मदन कौर।

बाड़मेर से धोरीमना को 132 के. वी. लाइन से जोड़ना

734. **श्रीमती मदन कौर** (गुढ़ामालानी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बाड़मेर से धोरीमना को 132 के. वी. लाइन से जोड़ना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रामनारायण विश्नोई) : जी नहीं। बाड़मेर से धोरीमना को 132 के. वी. लाइन से जोड़ना प्रस्तावित नहीं है, पर धोरीमना को 132 के.वी. लाइन मीनमाल से जोड़ना विचाराधीन है।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, चूंकि धोरीमना को जोड़ने की बात आपने कह दी तो इतना तो आप मुझे कह दीजिए कि इसको आपने तय कर लिया है। फिर मैं दूसरा सवाल पूछूंगी।

श्री अध्यक्ष : मीनमाल से जोड़ने का अभी बताया ना, विचाराधीन है। मीनमाल से जोड़ना विचाराधीन है।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या धोरीमना को मीनमाल से जोड़ने में इतना दुर्गम रास्ता है कि कभी भी नदी में पानी आ गया तो महीनों ही इस लाइन की रिपेयर नहीं हो सकेगी। इसलिए पहले तो आप मुझे यह बताइये कि यह मीनमाल से ही क्यों आपने विचार रखा, बाड़मेर से क्यों नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्रीजी आप यह भी बतायें कि धोरीमना बाड़मेर से कितनी दूर है और मीनमाल से कितनी दूर है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। आज मंत्रीजी की मुश्किल है, आप दोनों एक साथ खड़ी हुई हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न यह पूछा गया है कि धोरीमना से मीनमाल को जोड़ने में रास्ता काफी दुर्गम होगा। तो उसके लिए मेरा यह निवेदन है कि 132 के. वी. के जो टावर्स लगाये जाते हैं, उनकी नींव बहुत गहरी लगायी जाती है और यह पूरा ध्यान

(श्री रामनारायण विश्नोई)

में रखा जाता है कि किसी भी तरह की कोई नदी या पानी आयेगा उसके अन्दर, तो यह खराब नहीं हो। दूसरा मेरा यह निवेदन था कि भीनमाल से घोरीमन्ना को इसलिए जोड़ने का प्रस्ताव है कि भीनमाल में 220 के.वी. लाइन प्रस्तावित है आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर और 220 के. वी. की लाइन प्रस्तावित होने की वजह से 220 के.वी. सब स्टेशन भीनमाल में बनाया जायेगा जिससे वोल्टेज ज्यादा ठीक होगा। इस कारण से सांचौर और घोरीमन्ना .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सुनिये। आर्डर प्लीज। आपस में बात मत करिये।

श्री रामनारायण विश्नोई : इसी कारण भीनमाल में 220 के.वी. का सब स्टेशन बनने के बाद वहां से वोल्टेज सुधारने के लिए घोरीमन्ना को जोड़ा जायेगा और इसी प्रकार सांचौर को भी जोड़ा जायेगा। बाड़मेर में क्योंकि पहले ही 132 के. वी. वोल्टेज कम आ रहा है, इस वजह से बाड़मेर से घोरीमन्ना को नहीं जोड़ने के बजाय भीनमाल से घोरीमन्ना को जोड़ने का प्रस्ताव आठवीं पंचवर्षीय योजना में है। अभी जल्दी जल्दी के अन्दर कोई विचार, कोई प्रस्ताव नहीं . .

श्री अध्यक्ष : अभी आपने इसको लिंक किया है 220 के. वी. से कि ज्यादा मिलेगा। 132 में इतना लोड नहीं आयेगा। दूरी का तो मालूम ही है कि घोरीमन्ना से भीनमाल दूर है।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा निवेदन करना यह था कि 220 ग्रिड स्टेशन से आप सांचौर भी जोड़ेंगे। तो सांचौर से घोरीमन्ना क्यों नहीं जोड़ते आप। यहां भीनमाल से गुढ़ामालानी, गुढ़ामालानी से घोरीमन्ना....

श्री अध्यक्ष : सांचौर में भी 220 है।

श्रीमती मदन कौर : नहीं, मेरी बात सुनिये आप। अभी नहीं है। अभी तो 132 के.वी. भी नहीं हैं। भीनमाल से घोरीमन्ना को जोड़ने के बीच में कम से कम 7-8 मील चौड़ा नदी का पाट आता है और आप अभी टावर कितने बनायेंगे उसमें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, इनका पाइण्ट आफ व्यू है कि चूंकि हम भीनमाल से 220 के. वी. की योजना बना रहे हैं, इसलिए जैसे ही 220 के.वी. योजना भीनमाल में बन जायेगी तो 132 के.वी. हम आपको घोरीमन्ना में दे देंगे। अब सांचौर में तो है नहीं। 132 के. वी. भी नहीं है और न ही 220 है और कहीं भी नहीं है। बाड़मेर में नहीं है, तो यहां यह इमीजियटली 220 के.वी. की योजना बना रहे हैं, वहां से प्रथम प्रायोरिटी से आपको दे रहे हैं।

श्रीमती मदन कौर : वह तो आपका कहना ठीक है।

श्री अध्यक्ष : यह है इनका मतलब।

श्रीमती मदन कौर : मेरा निवेदन करना यह है कि रास्ता बहुत दुर्गम है...

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह है लेकिन मान लो जिस दिन बाड़मेर में 220 आ जायेगी, या सांचौर में आ जायेगी तो चेंज....

श्रीमती मदन कौर : सांचौर को क्यों नहीं जोड़ लेते। सांचौर को भी जोड़ा जाये।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, 220 के.वी. को पहले बाड़मेर से जोड़ेंगे धोरीमन्ना में जोड़ेंगे? यह बताइये।

श्री अध्यक्ष : भीनमाल कह रहे हैं ना।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं-नहीं, पहले यह नहीं। बाड़मेर जिला है, वहां पर बहुत ज्यादा...

श्री अध्यक्ष : हां, यह ठीक है। यह पूछ रहे हैं 220 ग्रिड पहले भीनमाल में करेंगे, या बाड़मेर में। आपकी योजना में....

श्री रामनारायण विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, 220 ग्रिड सब स्टेशन सिरोही से पहले भीनमाल में बनाने की योजना है और भीनमाल से धोरीमन्ना की करीब 93 किलोमीटर की दूरी है और सांचौर के अन्दर भीनमाल से ही 132 के.वी. लाइन से, 132 के.वी. का तो आ गया धोरीमन्ना के अन्दर, इसलिए ज्यादा वोल्टेज नहीं मिल पायेगा, इसी कारण से है और दूसरी जो है, वह धोरीमन्ना और सांचौर के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी है और वह 93 किलोमीटर की है। पर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वोल्टेज 220 से ग्रिड सब स्टेशन ...

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, आप पहले बाड़मेर को जोड़ेंगे या धोरीमन्ना को, यह बताइये ?

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं फिर पहले बाड़मेर को। (व्यवधान)... नहीं, नहीं। बाड़मेर में तो अभी योजना ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो सांचौर को 132 पूरी नहीं मिल रही है, उसके पहले धोरीमन्ना फिर कहां से चला जायेगा।

श्री अध्यक्ष : हां, नहीं मिल रही है। श्रीमती कमला भील (अनुपस्थित) श्री शिवजीराम।

(प्रश्न संख्या 735, कृपया आगे देखें।)

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में कनिष्ठ लेखाकार के पदों पर पदोन्नति

736. **श्री शिवजीराम** (जहाजपुर) : क्या खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–(1) क्या यह सही है कि राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में कनिष्ठ लेखाकार के वर्ष 1978 में निरीक्षक, सह अंकेक्षक के पदों से पदोन्नति देकर पद भरे गये थे ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 22-10-1983 के बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार निरीक्षक, सह अंकेक्षक से कनिष्ठ लेखाकार के पदों पर की गई उक्त पदोन्नति को कनिष्ठ लेखाकार के पद को निरीक्षक,

Page No. 19

(१५)

(श्री शिवजीराम)

सह अंकेक्षक के पद से वरिष्ठ मानते हुए 26(अ) का लाभ दिया गया था ? यदि हां, तो वर्ष 1981-82 में निरीक्षक, सह अंकेक्षक से लेखाकार के पद पर नियम विरुद्ध पदोन्नति क्यों दी गई है तथा पुनः दिनांक 9-12-87 को बोर्ड के प्रस्ताव के संख्या 3(1) के निर्णयानुसार पुनः निरीक्षक, सह अंकेक्षक से गलत पदोन्नति क्यों दी गई ?

(3) भविष्य में लेखाकार व कनिष्ठ लेखाकार के पदों पर पदोन्नति देने के संबंध में बोर्ड क्या विचार रखता है।

सिंचाई मंत्री (राज्य मन्त्री खादी ग्रामोद्योग के स्थान पर) (श्री कैलाश मेघवाल) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, माननीय खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्रीजी अस्वस्थ हैं, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास सूचना है।

श्री कैलाश मेघवाल : (1) जी हां। निरीक्षक, सह अंकेक्षक के पदों से पदोन्नति देकर कनिष्ठ लेखाकार के पद भरे गये थे। 8 व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई थी।

(2) जी हां, यह सही है कि 8 निरीक्षक, सह अंकेक्षकों को कनिष्ठ लेखाकारों के पद पर जो पदोन्नति दी गई थी उनको 26 (अ) का लाभ दिया गया। वर्ष 1978 में कनिष्ठ लेखाकारों के जो पद आये वे बोर्ड के लिए पूर्णतया नवसृजित थे। अतः इन पर पदोन्नति का पैनल नहीं था किन्तु बोर्ड ने दिनांक 22-10-83 के अपने निर्णय के अनुसार यह प्रस्ताव पारित किया कि कनिष्ठ लेखाकारों के पद निरीक्षक, सह अंकेक्षक से वरिष्ठ हैं इसलिए उन्हें 26(अ) का लाभ दिया जाये। इसकी अनुपालना में 26(अ) का लाभ दिया गया। वर्ष 81-82 में निरीक्षक, सह अंकेक्षक से लेखाकार के पद पर नियम विरुद्ध पदोन्नति नहीं दी गई है बल्कि 1981-82 के वर्ष से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सेवा नियमों में लेखाकार पद के लिए पदोन्नति पैनल में निरीक्षक, सह अंकेक्षक एवं कनिष्ठ लेखाकार दोनों ही पात्र थे। इसलिए वर्ष 1981-82 में निरीक्षक, सह अंकेक्षक एवं कनिष्ठ लेखाकार दोनों ही पदों से पदोन्नति दी गई। पुनः वर्ष 1987 में बोर्ड की कार्य समिति प्रस्ताव संख्या 3(1) दिनांक 9-12-87 के अनुसरण में निरीक्षक, सह अंकेक्षक एवं कनिष्ठ लेखाकारों को लेखाकार के पद पर पदोन्नति दी गई है वह बोर्ड सेवा अधिनियम के अनुसार ही है।

(3) बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति हेतु वर्तमान में स्वीकृत बोर्ड सेवा अधिनियमों के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 75 प्रतिशत वरिष्ठ लिपिक के पद से पदोन्नति व 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है तथा लेखाकार के पद पर निरीक्षक, सह अंकेक्षक एवं कनिष्ठ लेखाकार के पद मे शत-प्रतिशत पदोन्नति किये जाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार बोर्ड का गठन होने पर पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

श्री शिवजीराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जब बोर्ड ने 1978 में कनिष्ठ

(श्री शिवजीराम)

लेखाकार के पद को वरिष्ठ माना है तो 1981–82 में आपने दोनों पदों को समान मानकर यह चैनल आफ प्रमोशन बनाया है तो वह नियम विरुद्ध है या नहीं ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक विशिष्ट स्थिति आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, पूरक प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व । 1978 में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना हुई थी उसमें खादी से संबंधित जो केन्द्र थे वे भी जिला उद्योग के सदस्य बनाये गये । उस समय अचानक 9 नये पद कनिष्ठ लेखाकारों के सृजित हुए और उस समय कोई चैनल खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में नहीं था । उस समय निरीक्षक सह अंकेक्षक के पदों के नाम से एक पद है माननीय अध्यक्ष महोदय, निरीक्षक सह अंकेक्षक के पदों से कनिष्ठ लेखाकार पर पदोन्नति उस समय दे दी गई परन्तु चूंकि कोई चैनल नहीं था और जब यह पदोन्नति दी गयी थी तो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियम जहां शान्त हों वहां राज्य सरकार के सेवा नियम लागू होंगे । जब यह पदोन्नति हुई तो जो पदोन्नत कर्मचारी थे उन्होंने 26–ए का लाभ मांगा । उसमें यह है कि पदोन्नति देने पर दो वेतन वृद्धियां दे दी जाय और यह वेतन वृद्धियां उनको दे दी गयी उसके बाद जब खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने अपने चैनल बनाये तो वह 1981-82 में बनाये जिसको राज्य सरकार ने स्वीकृति दी । उसमें निरीक्षक सह अंकेक्षक और कनिष्ठ लेखाकार दोनों को समान मानकर लेखाकार के पदों पर पदोन्नति का पात्र माना गया । इसलिए यह समय-समय पर जो परिस्थिति बदली स्वायत्त शासी संस्था के नियमों के अनुसार यह हुआ ।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से बात साफ हो गयी । नेक्स्ट । प्रश्न सं. 489.

स्थगित प्रश्न

(सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 1992)

अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरूद्ध लम्बित प्रकरण

489. **श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द)** : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित है ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी के विरूद्ध कब से लम्बित है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या विभागीय जांच लम्बित होने के कारण ऐसे अधिकारियों की पदोन्नति का मामला रूका हुआ है ? क्या ऐसे भी मामले हैं जिनके विरूद्ध जांच विचाराधीन होते हुए भी पदोन्नति हुई ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें ।

श्री शांति लाल चपलोत (विधि राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित करवायें । हाई कोर्ट को लिख कर भेजा है अभी तक वहां से सूचना नहीं आयी है ।

श्री अध्यक्ष : आपने कब लिखा है ?

श्री शांतिलाल चपलोत : रोजाना लिखा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपने कब लिखा ?

श्री शांतिलाल चपलोत : 24 को लिखा 25 को लिखा, 26 को लिखा।

श्री लक्ष्मीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा 23 तारीख का प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष : यह स्थगित प्रश्न है। यह भी लिखा होगा आपने हाईकोर्ट को कि विधान सभा चल रही है और विधान सभा में यह प्रश्न स्थगित हो चुका है, प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री शांतिलाल चपलोत : हां, महत्वपूर्ण है। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि इसी सत्र में जवाब दे सकूं।

श्री लक्ष्मीलाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस प्रश्न को बहुत ही हल्केपन से लिया है और इतना समय निकल जाने के बाद भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि सरकार कब तक इसका जवाब देगी ? सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है ?

श्री सम्पतराम (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्यूडिशियरी सर्विसेज का प्रश्न है उससे ही ताल्लुक रखता है और इसके ऊपर काफी इधर-उधर चर्चा होती रहती है। मैं समझता हूं कि सदन को संतोष देने के लिए और न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप इसकी सूचना इसी सत्र में इस सदन में मंगायें और सभी माननीय सदस्यों को इससे अवगत करायें।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं कोशिश करूंगा। (व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आप क्लियर निर्देश दें कि इसका उत्तर इसी सत्र में पेश किया जायेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह प्रश्न दो बार स्थगित हो चुका है।

श्री शांतिलाल चपलोत : उत्तर इसी सत्र में दे दूंगा। हाई कोर्ट से सूचना मंगवायी है। और हाई कोर्ट....

श्री सम्पतराम : हाई कोर्ट को लिखना चाहिए और कहना चाहिए कि आपके जवाब न देने के कारण विधान सभा में आपके खिलाफ विभिन्न धारणायें बनती हैं। इसलिए हमारी प्रेस्टिज को कायम करने के लिए ज्यूडिशियरी की सेंक्टिटी को कायम करने के लिए इस सदन में जवाब दें।

श्री शांतिलाल चपलोत : हां, मैं आज ही इसी के बारे में....

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री संकोच कर रहे हैं यह हाई कोर्ट का मामला है इसलिए कितना कहा जाय। सवाल यह है कि सदन बड़ा है या हाई कोर्ट बड़ा है ? हाई कोर्ट ही जब तथ्यों को छिपाने की कोशिश करे तो मैं समझता हूं कि यह गम्भीर मामला है। इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सदन को यदि बाइ पास करे तो यह व्यवस्था उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप इसी सत्र में जवाब दें। इसी सत्र में यह प्रश्न लगाया जायेगा।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं इसको बहुत गम्भीरता से ले रहा हूं, इसी सत्र में पेश कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगित। प्रश्न सं. 737

फलौदी के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

737. **श्री पूनमचंद विश्नोई** (फलौदी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि फलौदी तहसील के ग्राम अजासर, रोहिणा, केलनसर मिठड़िया, मयाकोर पेयजल योजना से जुड़े होने के बावजूद इनमें कई वर्षों से पानी नहीं पहुंच रहा है।

(2) इन ग्रामों में पानी नहीं पहुंचने के क्या कारण हैं ?

(3) इन ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु सरकार क्या योजना बना रही है ?

(4) क्या स्थानीय अधिकारियों ने इन गांवों में पानी नहीं पहुंचने की शिकायत विभाग को की है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) संदर्भित ग्राम पेयजल योजनाओं से जुड़े हुये हैं। इनमें से ग्राम मिठड़िया में पेयजल पहुंच रहा है।

(2) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना चाडी-चौथीना के स्रोत ग्राम चौथीना पर विद्युत व्यवधान तथा कम वोल्टेज के कारण अपर्याप्त जल उत्पादन है अतः छोर के ग्राम अजासर व रोहिणा में पानी नहीं पहुंच रहा है। ग्राम केलनसर में स्थित नलकूप के असफल हो जाने के कारण जलापूर्ति नहीं हो रही है। क्षेत्रीय योजना भोजासर-घटियाली के स्रोत में जल उत्पादन अपर्याप्त होने के कारण छोर के ग्राम मायाकोर में पानी नहीं पहुंच रहा है।

(3) आउ में निर्माणाधीन 33 के.वी. का ग्रिड स्टेशन बनने के पश्चात् विद्युत उपलब्धता में सुधार होने पर ग्राम अजासर व रोहिणा में जल पहुंचने की सम्भावना है। ग्राम केलनसर में स्थित खुले कुएं को चालू करने की कार्यवाही की जा रही है। क्षेत्रीय योजना भोजासर-घटियाली के स्रोत स्थान पर एक अतिरिक्त नलकूप बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है जिसके पश्चात ग्राम मायाकोर को जलापूर्ति की सम्भावना है।

(4) उपरोक्त ग्रामों में पेयजल समस्या के बारे में उच्चतर अधिकारी को जानकारी है तथा उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक महीने पहले मंत्री महोदय आपने एक ध्यानाकर्षण

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

प्रस्ताव के उत्तर में यह फरमाया था कि केलनसर में जो कुआं है उसको चालू करने के बारे में विचार कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है। इस गांव की आबादी पांच हजार है। 15 किलोमीटर में एक बूंद पानी नहीं है। कृपया इसे तुरन्त चालू करवायें। दूसरा यह है कि अजासर और रोहिणा में विभाग स्वीकार करता है कि 33 के.वी. लाइन बनेगी तब जायेगा। तो उनके कुए हैं उसके अन्दर आप मशीन क्यों नहीं लगाते हैं। कृपया तीनों गांवों में जल्दी मशीन लगायें। इन तीनों गांवों के अन्दर भयंकर अकाल है। पूरे चार माह में कुल 50 मि.मी. वर्षा हुई है। इन तीनों गांवों के जो कुएं हैं उनको कब तक चालू कर देंगे ? गर्मी आ रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिस समस्या की ओर आप ध्यान दिला रहे हैं वह वास्तव में है। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि और अब भी निवेदन कर रहा हूं कि समस्या वही है और समाधान भी वही है। जैसा मैंने निवेदन किया। बिजली की लाइन चालू हो रही हैं उसकी आपको भी जानकारी है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं समझ गया आपकी कठिनाई। पर केलनसर के कुएं को चालू करने के लिए आपने एक महीने पहले फरमाया था। आज भी वही उत्तर आया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं जो ट्यूब वैल चालू था वह असफल हो गया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप विषयान्तर हो रहे हैं। आपने लिखा है कि केलनसर के कुएं को चालू कर देंगे। एक महीना भर पहले कहा था। अब कब तक चालू कर देंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अधिकारी आये हुए हैं। मेरी बातचीत हुई है। मैं समझता हूं कि गर्मी में इस ओपन वैल से लाभ मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 738.

जामडोली नदी (बोंली-बिवाई) पर पुलिया निर्माण-कार्य

738. **श्री हीरालाल मीणा** (बामनवास) व **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सड़क मार्ग बोंली-बिवाई पर जामडोली नदी पर पुलिया की स्वीकृति सरकार ने दी है ? यदि हां, तो कब ?

(2) सरकार उक्त पुलिया का कार्य कब तक प्रारम्भ करने पर विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी नहीं। पुलिया के निर्माण की कोई स्वीकृति सरकार द्वारा नहीं दी गयी है। केवल सर्वेक्षण हेतु 50,000/- रुपये की स्वीकृति वर्ष 1986-87 में दी गयी थी।

(2) जब उक्त पुलिया के कार्य की

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

स्वीकृति ही नहीं है तो निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हीरालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि निवाई से बोंली रोड़ पूरा पक्का रोड है बाकी जामडोली नदी बीच में पड़ती है। उस नदी के कारण बरसात में चार माह यातायात ठप्प हो जाता है। जयपुर, टोंक, निवाई सब जगह आना-जाना बंद हो जाता है। वहां से 12 बसें चलती हैं वह पूरी ठप्प हो जाती है। सरकार ने सर्वे कराने के लिए पचास हजार रुपये की स्वीकृति जारी की थी। तो क्या सर्वे पूरा करवा लिया गया है? इसका परिणाम क्या निकला। सरकार पूरी तहसील की जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिया बनाना चाहती है? तो मंत्री महोदय आश्वासन दें कि यह जरूरी है या नहीं?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वेक्षण के लिए 50 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई थी उसके अनुसार 49,584 रुपये व्यय करके इसका सर्वेक्षण करवा लिया गया है। राज्य सरकार ने इस सर्वे की रिपोर्ट को पत्र क्रमांक एफ-8 (29) पी.डब्ल्यू.डी./81/128 दिनांक 21-5-91 द्वारा डी.आई. स्कीम के अन्तर्गत, आर्थिक महत्व की सड़क के अन्तर्गत 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1990 से 1995 में केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है। इसकी लागत 220 लाख रुपये है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार का जो क्राइटेरिया है उसमें पहले इन्टर स्टेट रोड के ब्रिज को फर्स्ट क्राइटेरिया है। सर्वे के बाद हमने 90-95 के लिए स्वीकृति के लिये जिन ब्रिजेज के लिए भेजा है, उसमें चार प्रकार के इन्टर स्टेट के ब्रिजेज हैं जिनकी लागत 9 करोड़ 56 लाख रुपया है और उसके बाद 9 ब्रिजेजेस एकनामी वाले हैं उनको भिजवाया हुआ है जिनकी लागत 23 करोड़ 35 लाख रुपया है। यह सारी केन्द्रीय सरकार के पास पैन्डिंग हैं। अब जैसे-जैसे उनकी स्वीकृति आती चली जाएगी इस क्राइटेरिया के अनुसार इन्टरस्टेट पहले और उसके बाद एकनामी ड्राइव वाले इस तरह से उनका निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता था, इनका जवाब मिल गया। आपने उनको सप्लीमेंट करने के लिए नाम दिया है। बोलिए।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि पुलिया का काम 8वीं पंचवर्षीय योजना में 90 से 95 तक में कराया जाना प्रस्तावित है। मैं आपसे एक ही जानकारी लेना चाहूंगा ..

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्रस्तावित नहीं है, हमने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजे हैं....

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी

(श्री परसादीलाल मीणा)

तरफ से यह प्रस्तावित हो गया। तो क्या आप इस पुलिया के महत्व को देखते हुए, उस इलाके के महत्व को देखते हुए आप इसको प्राथमिकता के लिये केन्द्रीय सरकार से मंजूर करवाने के लिए आप अपनी तरफ से कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह कोई सवाल नहीं है, इन्होंने तो प्राथमिकता बना कर भेजा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्राथमिकता बना कर भेजा है।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान में और भी बहुत सी पुलियाएं होंगी उनको छोड़ कर इन 9 में लिया है। इन्होंने तो प्राथमिकता से लिया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्री जी कृपया यह बताएं कि यह सर्वेकर्ता कौन है ? यदि आपका विभाग ही सर्वेकर्ता है तो फिर इसके लिए एक्स्ट्रा 50 हजार रुपये खर्च करने की आवश्यकता क्या पड़ी ? क्योंकि इन्टरस्टेट तो है नहीं जहां आपको किसी और से सर्वे करानी पड़ती है यह तो विदइन स्टेट है। जब आपका डिपार्टमेंट ही करता है तो आपने किस लिए 50 हजार रुपये का प्रोवीजन किया ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, आप सदन को बताओ, मेरे लिए नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, सदन को बताना चाहता हूं कि हाइड्रोलिक बोरिंग करना होता है बोरिंग करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट का सहयोग लिया जाता है वहां बोरिंग और दूसरी प्रकार की जो कार्यवाही करनी होती है उसमें जो पैसा खर्च होता है, यह पैसे खर्च का है। हम कोई किसी को एम्पलायमेंट थोड़ी देते है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मदन दिलावर।

जिला मुख्यालयों के पत्रकारों को सुविधाएं

739. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला मुख्यालयों के पत्रकारों को सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जाती है ?

(2) ग्रामीण व कस्बाई पत्रकारों को मान्यता देने के मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) राज्य सरकार के प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1986 के अन्तर्गत अधिस्वीकृत प्रेस प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान कर जिला मुख्यालय के अधिस्वीकृत पत्रकारों को निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं :—

(श्रीमती विद्या पाठक)

(क) राजस्थान आवासन मण्डल के मकानों के लिए ढाई प्रतिशत का कोटा सांसद, विधायक, आकाशवाणी दूर-दर्शन के समाचार अनुभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित अधिस्वीकृत श्रमजीवी पत्रकारों के लिए दिनांक 30 नवम्बर, 1984 से निर्धारित किया हुआ है।

(ख) सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में रियायती दर पर ठहरने की सुविधा दिनांक 20 जून, 1973 से सुलभ है।

(ग) टेलीफोन की प्राथमिकता के लिए अधिस्वीकृत पत्रकार होने का तत्संम्बन्धी प्रमाण पत्र दिया जाता है।

(घ) राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में वातानुकूलित बसों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दिनांक 15 सितम्बर 1985 से मुहैया कराई जा रही है।

(ङ) कर्फ्यू जैसी स्थिति में निर्दिष्ट अधिकारी की अनुमति पर....

श्री सम्पतराम : खण्ड 5 तो है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह सुविधाओं का नम्बर बताया है....

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, This should be the basis for the answer.

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह इसका नहीं बोल रही हैं, नियमों का बोल रही हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं खण्ड नहीं बोल रही हूं। मैं बिन्दु बोल रही हूं।

श्री अध्यक्ष : जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसको एक दो तीन चार बोल रही हैं क्रम संख्या 5 है उस सुविधा का।

श्रीमती विद्या पाठक : (ङ) कर्फ्यू जैसी स्थिति में निर्दिष्ट अधिकारी की अनुमति पर कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में समाचार संकलन हेतु प्रवेश पत्र जारी करने के लिए निदेशालय द्वारा जिला कलक्टर को सिफारिश की जाती है।

(च) राज्य की विकास योजनाओं एवं विकास कार्यों के अवलोकनार्थ पत्रकार दल भेजे जाते हैं।

(छ) राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित साहित्य एवं सूचना सामग्री, छायाचित्र आदि उपलब्ध कराये जाते हैं।

(ज) मंत्रीगण एवं विभागाध्यक्षों से सूचना एवं उनके छायाचित्र आदि लेने की व्यवस्था कराई जाती है एवं अधीस्वीकृत पत्रकारों को उनकी मांग पर मंत्रीगणों के चित्र आदि सुलभ कराये जाते हैं।

(झ) सभी अधिस्वीकृत पत्रकारों को चुनाव आयोग की अनुमति पर चुनावों के समय पोलिंग बूथ एवं मतगणना स्थल पर समाचार संकलन हेतु प्रवेश पत्र जारी करने

(श्रीमती विद्या पाठक)

के लिए विभाग द्वारा चुनाव विभाग को सिफारिश की जाती है ।

(आ) पत्रकार कल्याण कोष नियम, 1982 के अन्तर्गत असाध्य रोग से ग्रसित पत्रकारों, 60 वर्ष की आयु से अधिक के साधन विहीन पत्रकारों, मृत पत्रकारों के आश्रित आय के साधन विहीन 28 वर्ष से कम आयु के पुत्र, अविवहित पुत्री माता पिता को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

(2) राज्य प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1986 के अन्तर्गत सभी क्षेत्रों के पत्रकारों को समान रूप से मान्यता दी जाती है ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, सब सुविधाएं आ गई । आपका सवाल बाकी रह गया कोई ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिला मुख्यालयों के पत्रकारों के लिए है । कस्बाई और ग्रामीण पत्रकारों के लिए क्या सुविधाएं दी जाती है ? पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं । उनको आप क्या सुविधाएं देने जा रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : इनके पास अधिस्वीकृत प्रेस प्रतिनिधि हैं जिनके लिए नियम बनाया हुआ है उसमें जिला और प्रान्त का अन्तर नहीं है । इनमें पास जो रजिस्टर्ड हैं वही हैं । नेक्स्ट । श्री बालचन्द आर्यवीर ।

थानों में दर्ज मोर हत्याकाण्ड के मामले

740. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) एवं **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सन् 1980 से अब तक मोर हत्याकांड के कितने मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए ? उनमें कौन-कौन अपराधी पकड़े गये तथा कितने अपराधी अभी तक फरार है ? क्या सरकार राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या को रोकने हेतु गम्भीरता से विचार कर प्रभावी कदम उठाने का इरादा रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1991 में झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र में मोर की हत्या संबंधी मामला दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो अपराधी को अभी तक नहीं पकड़े जाने के क्या कारण हैं ?

गृह राज्य मंत्री (श्री शांतिलाल चपलोत) : (1) राज्य में सन् 1980 से अब तक मोर हत्या के राज्य के विभिन्न थानों में 182 अपराध दर्ज हुए हैं । मोर हत्या में जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया हैं व जो फरार हैं उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर अंकित है । भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 बनाया है जिसमें नियम विरुद्ध कृत्यों के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान है ।

(2) यह सही है कि झालावाड़ जिले के थाना डग में अपराध संख्या 80/91 दिनांक 5-9-91 धारा 307, 34 भारतीय दण्ड संहिता व 4 आर. पी. सी. ए. एक्ट के अन्तर्गत श्री रहीम पुत्र पुखराज (2) इरान उर्फ शफी उल्लाह खां पुत्र सादुल्ला खां मुसलमान निवासी चाचरनी व 4 अन्य

(श्री शांतिलाल चपलोत)

व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध दर्ज हुआ है। पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। वह अपने निवास स्थान से गायब हैं व भूमिगत हैं। इनके विरुद्ध 82/83 जाप्ता फौजदारी की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या थाना डग में जो यह केस हुए, अपराधी खुले आम घूम रहे हैं। इसमें आपके अधिकारियों की भी मिलीभगत है। अभी 15 दिन पहले चाचरनी में इन्होंने एक श्री सौभाग जैन (डग वाले) की मोटर साईकल छीन ली है और अपराधवृत्तियां कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय कि अपराधी खुले आम घूम रहे हैं। आपने बताया कि सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी को बताने दीजिए। आप बताइये न।

श्री बालचन्द आर्यवीर : पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। पुलिस अधिकारी उनसे मिले हुए हैं। क्या आप उनको तुरन्त प्रभाव से गिरफ्तार करने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री हेमराज मीणा : इस बारे में गम्भीरता से कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आबू रोड के अन्दर साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बारे में सरकार का वक्तव्य आना चाहिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में वक्तव्य आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वक्तव्य अभी दिलवा दें।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, सात दिन से प्रदेश में बारिश हो रही है। बारिश के कारण फसलें नष्ट हो रही हैं। ओले गिरे हैं। इस सम्बन्ध में भी जरा....

श्री हरि सिंह (महुआ) : राजस्थान के विभिन्न भागों में भयंकर ओलावृष्टि हुई है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, बैठिये। (व्यवधान)

इनको बैठाया, आपको भी बैठाऊं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : इतने मोटे-मोटे ओले पड़े हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। ऐसा है, मेरे पास ओलावृष्टि के सम्बन्ध में माननीय

(श्री अध्यक्ष)

प्रद्युम्न सिंह जी की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने कहा, आप जब ओलावृष्टि की बात बताते हैं तो कुछ इन्फार्मेशन ठोस यहां रखिये ताकि सरकार उस पर ध्यान दे सके। उन्होंने कहा, मैं इन्फार्मेशन कलैक्ट कर लूंगा। ओले तो पड़े हैं, आखिर उसका कुछ आइडिया हो जाय कि कहां पर नुकसान हुआ है, कौनसी फसल का हुआ है। इन्होंने कहा, मैं बता दूंगा, तो थोड़े दिन में आप देख लेंगे, बता देंगे।

श्री हरिसिंह : मेरे विधान सभा क्षेत्र महुआ में ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक फसल का नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मैं उस समय सब की सुन लूंगा।

श्री हरिसिंह : इतने बड़े ओले पड़े हैं कि अभी भी....

श्री अध्यक्ष : तो प्रद्युम्न सिंह जी को उसमें नहीं बोलने देना चाहते हैं क्या आप? यह प्रद्युम्न सिंह जी उठाने वाले हैं। पहले व्यवस्था सुन लें आप। हमेशा व्यवस्था के बाद होता है।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में भी, साहब, ओले पड़े हैं जिससे गेहूं और सरसों की तैयार फसल नष्ट हो गयी।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी आपको लिख कर दिया था, मुझे कल भी आपने इजाजत नहीं दी इस सम्बन्ध में।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जमवारामगढ़ का वाद संख्या 2/91

732. **श्री राम किशन** (भरतपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर देहात के पुलिस थाना जमवारामगढ़ में वाद सं. 2/91 किस-किस के विरुद्ध दर्ज हुआ था? क्या इस वाद में पुलिस द्वारा चालान पेश कर दिया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त वाद में ग्राम पंचायत-खवारानी जी के पूर्व सरपंच भी सम्मिलित हैं? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध चालान पेश करने के लिये धारा-197 (जा.फो.) के तहत सरकार से मन्जूरी लेना जरूरी है? यदि हां, तो क्या सरकार की मन्जूरी प्राप्त हो गई? यदि हां, तो किस तिथि को?

(3) उक्त वाद में चालान कब तक पेश कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर जिला देहात थाना जमवा रामगढ़ पर दि. 2-1-91 को

(गृह मंत्री)

अपराध संख्या 2/91 श्री मांगीलाल पुत्र छीतरमल पाली निवासी खवारानी जी की लिखित रिपोर्ट पर सुखदेव पुत्र नारायण, रामधन पुत्र नारायण, जगदीश पुत्र सुखदेव जाति मालियान व श्री अजीज खां पुत्र नजीर खां मुसलमान, निवासी खवारानीजी, श्री दिनेश कुमार, लाटा पुत्र रामेश्वर प्रसाद निवासी रायसर हाल सेक्रेटरी ग्राम पंचायत खवारानी जी के विरुद्ध दर्ज हुआ था। उक्त अपराध का चालान पेश नहीं किया गया।

(2) जी हां। इस प्रकरण में पूर्व सरपच श्री अजीज खां पुत्र नजीर खां मुसलमान साकिन खवारानी जी भी सम्मिलित है। प्रकरण राज्य सरकार को प्रस्तुत हो चुका है जिसमें अनुसंधान अधिकारी को विचार-विमर्श हेतु बुलाया जा रहा है। विचार विमर्श कर शीघ्र ही नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) अनुसंधान अधिकारी के बाद विचार-विमर्श कर चालान का निर्णय लिया जायेगा।

डूंगरपुर के आदिवासी युवकों का अन्य राज्यों में शोषण

735. श्रीमती कमला भील (सागवाडा) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या डूंगरपुर जिले में नौकरी तथा मजदूरी के लिये गुजरात, महाराष्ट्र में गये हजारों आदिवासी युवकों के शोषण की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन आदिवासी व्यक्तियों की सुरक्षा एवं शोषण से मुक्ति के लिये सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) श्रम विभाग को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम सेदरियां (ब्यावर) का नगर परिषद् में विलीनीकरण

1160. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के राजस्व ग्राम सेदरियां को सन् 1979 में नगर परिषद्, ब्यावर में सम्मिलित किया गया था ? यदि हां, तो तब से अब तक नगर परिषद् ब्यावर द्वारा उक्त गांव की सफाई, पानी एवं बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक क्या-क्या सुविधायें मुहैय्या करवाई जावेंगी ?

(2) क्या यह सही है कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर को उक्त सेदरियां गांवों को पुनः राजस्व

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

गांव बनाये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त जिला कलक्टर ने सरकार की मशानुसार प्रस्ताव बनाकर भेज दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार के पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार सेदरियां गांव के समुचित विकास के लिए कब तक इसे पुनः राजस्व गांव घोषित करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम सेदरियां में सार्वजनिक विद्युत के 15 पाइंट जिनमें 12 ट्यूब व 3 बल्ब लगाये गये। पानी की व्यवस्था के लिए 9 हैण्ड पंप उपलब्ध है। सफाई आवश्यकतानुसार करवाई जाती है।

(2) जी नहीं। अपितु स्वायत्त शासन विभाग ने माननीय श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष विधान सभा की अभिशंसा पर टिप्पणी चाही है।

(3) शीघ्र निर्णय हेतु प्रकरण सरकार के विचाराधीन है।

श्री मेहताबखां पुत्र श्री मिश्रीखां का भवन निर्माण स्वीकृति प्रकरण

1161. श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नगर परिषद जयपुर की पत्रावली सं. 172/2040 तथा 4/2040 में महताब खां पुत्र श्री मिश्री खां की बेवा पत्नी असगरी ने काजी का नला चौकड़ी तोपखाना हजूरी जयपुर द्वारा जमीन की कीमत, नक्शा फीस तथा मलवा फीस, कोर्ट फीस आदि सब जमा कराने के बावजूद भी उन्हें अब तक भवन निर्माण की स्वीकृति तथा नक्शा नहीं मिलने के क्या कारण रहे हैं ? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें तथा उन्हें अब कब तक भवन निर्माण की स्वीकृति तथा नक्शा दे दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

महताब खां पुत्र मिश्री खां की बेवा पत्नी असगरी ने काजी का नला चौकड़ी तोपखाना हजूरी में जमीन क्रय करने एवं मानचित्र स्वीकृत करने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है तथा इस मामले में दिनांक 24-9-91 को जमीन की कीमत एवं अन्य राशि नगरपरिषद में जमा कराई। राशि जमा करने के बाद बुन्दु खां ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर भूमि विक्रय एवं मानचित्र निर्माण स्वीकृति पर आपत्ति प्रस्तुत की। आपत्ति प्रस्तुत होने पर दोनों पक्षकारों की सुनवायी की गई। अब भूमि का स्थल निरीक्षण कर प्रस्तुत आपत्ति को देख कर तथा दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को देख कर गुणावगुण आधार पर इस मामले में निर्णय दिया जाना है। आपत्ति का निर्णय होते ही मामले का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण कर दिया जावेगा।

Page No. 32

(32)

नगरपालिका सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति

1162. **श्री यदुनाथसिंह** (नदबई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1991 में राजस्थान नगरपालिका सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति मंडल की बैठक द्वारा की गई ? यदि हां, तो जिस वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति की गई उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वरिष्ठता सूची में उन सभी अधिकारियों के नाम सम्मिलित हैं जिनकी पदोन्नति वर्ष 1964 से 1989 तक की गई ? यदि समस्त पालिका के अधिकारियों के नाम सम्मिलित नहीं हैं, तो बिना वरिष्ठता सूची के पदोन्नति, मंडल की बैठक बुलाकर किन नियमों के अन्तर्गत की गई ? वरिष्ठता सूची के मामलों में कितनी आपत्तियां प्राप्त हुई और क्या उनका निराकरण किया गया ?

(3) वरिष्ठता सूची के प्रकाशित किये बिना पदोन्नति की गई है, जो नियमों के अनुसार अवैध है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन आदेश को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वरिष्ठता सूची संलग्न है।

(2) यह सारा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही कर ली जायेगी।

(3) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न के खण्ड 2 के उत्तर में सम्मिलित हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर की पेयजल योजनाए

1163. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर की पेयजल योजना गिराबखड़ीन विस्तार, साउथ गिराब सालारिया, साउथ गिराब चेत्तोड़ी, राजडाल कानीजाल, उन्डू कूम्पलिया भीमाड़ मोखाब जो वर्ष 1972 की पेयजल योजनायें हैं, सफलता से नहीं चल रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जैसलमेर की योजना रामा कपूरीया-तोगा, सांगड़ चैलकजीन्जनीयोली माडली असफल हो गई है ?

(3) उक्त योजनाओं के कौन-कौन से गांवों में अभी तक पेयजल सप्लाई नहीं हो रहा है या 4-5 माह बाद एक बार पेयजल सप्लाई होता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना उन्डू कुम्पलिया वर्ष 1970-71 में, गिराब

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

खडीन वर्ष 1972 में तथा शेष संदर्भित योजनाएं वर्ष 1981 से 1987 के मध्य स्वीकृत हुई थी। इन योजनाओं में जनसंख्या एवं पशु पेयजल मांग के अनुरूप स्थापित जल स्रोतों की उत्पादन क्षमता कम होने, विद्युत आपूर्ति अनियमित होने, लम्बी पाइप लाइनों के संधारण में कठिनाई होने तथा पम्प मशीनरी खराब होने इत्यादि कारणों से योजनाओं के लाभांवित होने तथा अंतिम छोर पर स्थित ग्रामों में पेयजल उपलब्ध न होने अथवा कम मात्रा में पहुंचने की समस्या है।

(2) उल्लेखित योजनाओं में विद्युत व्यवधान, डीजल जनरेटिंगसैट खराब होने, लंबी पाइप लाइनों के संधारण में कठिनाई होने के कारण अंतिम छोर के ग्रामों में पेयजल न पहुंचने अथवा कम मात्रा में पहुंचने की समस्या है।

(3) उक्त योजनाओं के ग्रामों में पेयजल वितरण की वर्तमान स्थिति संलग्न परिशिष्ट 'क' में प्रदर्शित की गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

अग्नि शमन केन्द्र, हनुमानगढ़ टाउन के पीछे स्थित कृषि भूमि

1164. **श्री भैरूलाल बैरवा** (शाहपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ टाउन में अग्नि शमन सेवा केन्द्र (नगर परिषद् हनुमानगढ़) के पीछे बरकत कालोनी के साथ लगी हुई कृषि भूमि श्री देशराज पुत्र श्री मोहन लाल की थी ? यदि हां, तो कितनी भूमि व क्या अभी भी इस पर कृषि हो रही है ?

(2) क्या यह सही है कि यह भूमि अभी तक खाली पड़ी है ? यदि हां, तो क्या नगर परिषद् हनुमानगढ़ द्वारा वर्ष 1991 में इसी भूमि पर 22 (बाइस) आवासीय भूखण्ड नियमित किए हैं, भूखण्ड धारियों के नाम व आवासीय भूखण्ड का माप सहित सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या यह सही है कि आवासीय भूखण्ड के नियमन हेतु भूखण्डधारी का आवास अथवा कब्जा होना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूखण्ड पर किसी का कोई कब्जा नहीं है व नगर परिषद् अधिकारियों ने फर्जी कब्जा बता कर भूखण्डों के नियमन किए हैं ? यदि हां, तो इस प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं व क्या सरकार इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी-नहीं।

(2) यह सही नहीं है कि सम्पूर्ण भूमि खाली पड़ी है। नगरपरिषद् द्वारा 1991 में इस भूमि पर 21 आवासीय भूखण्ड संलग्न सूची के अनुसार नियमित किए गये हैं, जिनमें 15 भूखण्ड खाली हैं तथा 6 पर कब्जा है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) जी हां। कब्जे की सूचना खण्ड-2 के उत्तर में सम्मिलित है। सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करवा कर कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

स्वर्गीय श्री गोकुल प्रसाद पुरोहित, भू. पू. विधायक की प्रतिमा की स्थापना

1165. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) स्वर्गीय गोकुल प्रसाद जी पुरोहित विधायक, बीकानेर की मूर्ति बीकानेर शहर में लगाने के आदेश राज्य स्तरीय समिति द्वारा कब प्रदान किये गये ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेश के बावजूद उक्त मूर्ति को लगाने में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है ?

(3) यदि हां, तो अनावश्यक विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त मूर्ति को अब स्थापित कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो अब मूर्ति कब तक लगवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) स्वर्गीय गोकुल प्रसाद जी पुरोहित विधायक बीकानेर की मूर्ति बीकानेर शहर में लगाने के आदेश दिनांक 13.5.91 को प्रदान किये गये थे। आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) मूर्ति लगाने की स्वीकृति मंत्री श्रमिक कल्याण समिति, न्यू सरकूलर मार्केट बीकानेर को नगर सुधार न्यास द्वारा दि. 19.7.91 को दी जा चुकी है। इसलिए किसी अधिकारी द्वारा इनमें अनावश्यक विलम्ब नहीं किया गया है।

(4) मूर्ति लगाने की स्वीकृति दे दी गई है। शीघ्र स्थापना किये जाने के लिए पुनः एक पत्र उक्त संस्था मंत्री श्रमिक कल्याण समिति को भेज दिया गया है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

नगर पालिका बांसवाड़ा के क्षेत्राधिकार की राजस्व भूमि

1166. **श्री सोमा** (बागीडोरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राज तलाब-पृथ्वीगंज स्थित खसरा नम्बर 2001, 1999, 2005, 2006, 2007, 2008, तथा 2009 की राजस्व भूमि नगर पालिका बांसवाड़ा के क्षेत्राधिकार

(श्री सोमा)

में दी है ? यदि हां, तो संबंधित भू-स्वामियों को कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा ?

उत्तर

रिकार्ड के अनुसार ग्राम बांसवाड़ा आराजी नम्बर 1999, 2006, 2007, नगर पालिका आबादी दर्ज भूमि है।

आराजी नम्बर 2001, 2005 व 2009 रास्ता श्री सरकार दर्ज है। आराजी नं. 2008 श्री गफर लाल पिता नाथिया तथा श्री शंकर लाल, सुख लाल पिता कालिया तेली निवासी बांसवाड़ा के खातेदारी में दर्ज भूमि है। किसी को मुआवजा नहीं दिया गया है।

जोधपुर अरबन एग्लोमरेशन की सीमा

1167. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी): क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976, राजस्थान में दिनांक 9-3-76 से लागू हुआ परन्तु अभी तक निदेशालय भूमि एवं भवन कर विभाग, जयपुर द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त वरिष्ठ नगर नियोजक ने पन्द्रह वर्ष व्यतीत होने पर भी उक्त अधिनियम के अनुसार जोधपुर अरबन एग्लोमरेशन की सीमा का मानचित्र भी तैयार नहीं किया है। यदि हां, तो क्यों ? यदि मानचित्र बना लिया है तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वरिष्ठ नगर नियोजक ने राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1981 के तहत जोधपुर मास्टर प्लान (1971-1996) के अनुसार भूमि उपयोग के सैंकड़ों प्रमाण पत्र उक्त वरिष्ठ नगर नियोजक ने जारी कर दिये हैं ?

(3) उक्त नियमों एवं राज्य सरकार की नीति के अनुसार उक्त भूमि का उपयोग बताने वाला सक्षम अधिकारी वरिष्ठ नगर नियोजक भूमि एवं कर विभाग जयपुर है या वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर है ?

(4) यदि वरिष्ठ नगर नियोजक, भूमि एवं भवन कर विभाग, जयपुर उक्त कार्य के लिए अधिकृत या सक्षम अधिकारी नहीं है तो उसके द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र अवैध होने के फलस्वरूप उसके आधार पर उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत प्रदान किये गये पट्टे भी क्या अवैध हैं ? यदि हां, तो उसके द्वारा जारी किये पट्टों को क्या सरकार निरस्त करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां,

जोधपुर अरबन एग्लोमरेशन सीमा का मानचित्र बना हुआ है। प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "क")

(2) कतिपय मामलों में भूमि रूपान्त-

(नगरीय विकास मंत्री)

रण अधिकारी द्वारा भू-उपयोग सम्बन्धी जानकारी चाहने पर उसे केवल भू-उपयोग सम्बन्धी जानकारी दी गई है।

(3) जी नहीं। जोधपुर के विषय में इस प्रकार की राय वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर द्वारा दी जाती है।

(4) वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने भूमि रूपान्तरण अधिकारी द्वारा कतिपय मामलों में मास्टर प्लान में निर्दिष्ट भू-उपयोग संबंधी जानकारी चाहने पर भू-उपयोग संबंधी जानकारी दी गई है।

(मानचित्र की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जोधपुर नगर सुधार न्यास द्वारा आवासीय बस्तियों का निर्माण

1168. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर में नगर सुधार न्यास का संगठन कब हुआ ? गठन से लेकर अब तक कितनी आवासीय बस्तियों का निर्माण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर सुधार न्यास, जोधपुर की आवासीय बस्तियों जैसे शास्त्रीनगर के सभी सैक्टर, मसूरिया विस्तार योजना, पत्रकार कॉलोनी, सरस्वती नगर, कमला नेहरू नगर, चानणा भाखर, प्रताप नगर, गोल्फ कोर्स मानसिंह जी का हत्था, कीर्तिनगर, कबीर नगर, बाल समन्ध इत्यादि में कितने-कितने आवासीय भूखण्ड हैं ? कितने अब तक आवंटित हो चुके हैं व कितनों पर निर्माण शेष है व शेष कितने बचे हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) नगर परिषद् द्वारा नियमित बस्तियां सरदारपुरा, रातानाड़ा, पावटा, प्रथम पोलो, द्वितीय पोलो लक्ष्मीनगर क्षेत्र को नगर सुधार न्यास द्वारा अपने क्षेत्र में मिलाने का क्या कोई निर्णय अपने स्तर पर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह राज्य स्तरीय निर्णय है ?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास, जोधपुर का गठन दिनांक 1-11-60 को हुआ गठन से लेकर अब तक 61 आवासीय बस्तियों का निर्माण किया गया है। सूची परिशिष्ट "क" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) नगर सुधार न्यास, जोधपुर की आवासीय बस्तियों जैसे शास्त्री नगर, मसूरिया विस्तार योजना, पत्रकार कालोनी, सरस्वती नगर, कमला नेहरू नगर, चानणा भाखर, प्रतापनगर, गोल्फ कोर्स, मानजी का हत्था, कीर्तिनगर, कबीर नगर, बाल समन्ध इत्यादि में 9918 आवासीय भूखण्ड हैं जिनमें से 9411 भूखण्ड आवंटित हो चुके हैं, व 3522 भूखण्डों पर निर्माण कार्य होना शेष है व 507 भूखण्ड आवंटित होना शेष है।

(3) जोधपुर में तत्कालीन जोधपुर राज्य द्वारा स्थापित डवलपमेन्ट विभाग

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

गठित किया गया था, उक्त विभाग द्वारा सरदारपुरा, रातानाड़ा, पावटा क्षेत्र की योजनाएं विकसित कर पट्टे जारी किये गये थे। अतः इन योजनाओं को धारा 41 "ए" न्यास अधिनियम के अन्तर्गत न्यास की स्वीकृत योजनाओं में सम्मिलित करने का न्यास निर्णय दिनांक 30-9-91 के द्वारा लिया गया है। पोलो प्रथम, पोलो द्वितीय एवं लक्ष्मी नगर तत्कालीन विकास विभाग जोधपुर स्टेट की योजना नहीं होने से इन्हें न्यास योजनाओं में सम्मिलित नहीं की गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

1169. **रामेश्वर दयाल यादव (चौमू)** क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रिहायशी व व्यवसायी निर्माण को पुलिस के माध्यम से ध्वस्त कराने की सार्वजनिक घोषणा की थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन घोषणाओं के बावजूद झोटवाड़ा की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1063 में 13 व ख. नं. 743 में 5 व्यावसायिक निर्माण शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति ने कराकर सरकार को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम झोटवाड़ा के खसरा नं. 606/1 की भूमि में बिना खातेदार की बिचौती किये ही शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति ने पट्टे दे दिये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि समस्या के समाधान हेतु झोटवाड़ा में दिनांक 24-5-91 को कैम्प लगाये थे ?

(5) क्या यह सही कि खातेदार ने उक्त अवैध पट्टों की शिकायत कैम्प में मय सबूत पेश की थी ?

(6) यदि हां, तो उक्त मामले में आज तक कोई कार्यवाही नहीं होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं अतिक्रमियों को दण्डित करने हेतु आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

(2) ग्राम झोटवाड़ा के खसरा नम्बर 1063 एवं 743 राजस्व अभिलेखों के अनुसार सिवाय चक भूमि है। मौके की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर शंकर गृह निर्माण सहकारी समिति से पट्टे लेकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) सहकारिता विभाग द्वारा इस समिति का कैम्प 24-5-90 को लगाया गया था।

(5) जी नहीं। खातेदार ने ए प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार (भू-अभिलेख) तहसील, जयपुर की मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा, खसरा नम्बर 606/1 ग्राम झोटवाड़ा, दोनों की फोटो प्रतियां लगाकर प्रस्तुत की थी। खसरा नम्बर 606/1 पर काटे गये अवैध पट्टों का कोई सबूत पेश नहीं किया गया था।

(6) कैम्प में श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्द्राज सिंह की शिकायत पर मंत्री समिति श्री सागरमल मातरा से रिपोर्ट ली गई। श्री मातरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस समिति (शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति) ने इनकी कोई जमीन नहीं खरीदी। प्लाट नम्बर बी–47, बी–48 को श्री किशनलाल बोहरा पुत्र श्री जगन्नाथ बोहरा की भूमि खसरा नं. 605 में काटे गये हैं, जो समिति ने खरीदी है। शिविर के दौरान इस तथ्य को बताने हेतु प्रार्थी को आवाज लगाई गई, परन्तु प्रार्थी चला गया था।

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की प्रस्तावित पेयजल योजनाएं

1170. **श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन सी पेयजल योजनाएं प्रस्तावित हैं तथा इन्हें कब तक पूर्ण करने की संभावना है ?

(2) बनोड़ा, थरोड़ा, सराडी आदि पेयजल योजनाओं द्वारा कब तक पेयजल उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

उत्तर

(1) संदर्भित विधान सभा क्षेत्र की वर्तमान में कोई पेयजल योजना प्रस्तावित नहीं है।

(2) संदर्भित तीनों ग्राम हैण्ड पम्प योजनाओं द्वारा पूर्व में ही लाभान्वित हैं। ग्राम बनेड़ा व सराड़ी में पाइप्ड पेयजल योजनाओं के कार्य भी प्रगति पर हैं जो शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है।

हैण्डपम्प्स संधारण की नीति

1171. **श्री भंवरलाल जोशी** (माण्डलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में हैण्डपम्प्स संधारण के लिए कोई नीति प्रक्रिया एवं नियम निर्धारित हैं ? यदि हां, तो नीति, नियम, निर्देश, प्रक्रिया जो भी वर्तमान में लागू हैं की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भीलवाड़ा जिले में विभिन्न पंचायत समिति नगरों में हैण्डपम्प्स विभिन्न

(श्री भंवरलाल जोशी)

योजनाओं के अन्तर्गत लगाये गये हैं ? पंचायत समिति एवं नगर पालिका क्षेत्र वाइज वर्तमान में कितने-कितने हैण्डपम्प्स लगे हुए हैं ? इनमें से कितने हैण्डपम्प्स चालू, कितने खराब हैं और वे कितने समय से खराब पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिन-जिन हैण्डपम्प्स में मेजर खराबी है लम्बे समय से दुरस्त नहीं हो रहे हैं उनके बजाय वैकल्पिक हैण्डपम्प्स लगाने की क्या सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसके अनुसार हैण्डपम्प्स नहीं लगाने के क्या कारण हैं ? अब सरकार उक्त मामलों में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है।

(4) क्या सरकार ग्रीष्म ऋतु के पूर्व पेयजल समस्या समाधान के लिए कोई सघन अभियान चलाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब से चलायेगी और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सामान्यतः हैण्डपम्पों के संधारण का दायित्व पंचायतों का है। राज्य मंत्री-मण्डल द्वारा लिये गये एक निर्णय के अनुसार यह कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को दिया जाता था। मंत्री मण्डल को अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु निवेदन किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा समय-समय पर अभियान चलाये जाकर भी हैण्डपम्पों को ठीक किये जाने की व्यवस्था है।

(2) भीलवाड़ा जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित क्रमशः 952 तथा 6579 हैण्डपम्पों की संख्या का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। पंचायत समितियों द्वारा एक फरवरी, 1992 को उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त 6579 हैण्डपम्पों में से 1445 हैण्डपम्प खराब थे। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में 952 में से 82 हैण्डपम्प खराब थे। इससे पूर्व माह अगस्त 1991 में पूर्ण हुए सत्रहवें हैण्डपम्प मरम्मत अभियान में समस्त मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों को ठीक कर दिया गया था। वांछित संख्या परिशिष्ट "क" के कालम संख्या (4) व (5) में उपलब्ध है।

(3) जिन हैण्डपम्पों को स्थाई रूप से परित्यक्त किया जाता है, उनके स्थान पर नये हैण्डपम्प आवश्यकताओं एवं धन संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए लगाये जाते हैं।

(4) आगामी ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में 18वां हैण्डपम्प मरम्मत अभियान प्रगति में है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

ग्राम सेंदरिया (ब्यावर) की जल प्रदाय स्कीम

1172. श्री अचलाराम (देसूरी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सेंदरिया ग्राम 1978-79

Page No. 40

(५०)

(श्री अचलाराम)

से ब्यावर नगर परिषद में है ? यदि हां, तो ग्राम की विभिन्न समस्याओं के लिए नगर परिषद ने क्या-क्या कार्य किये ?

(2) क्या सेंदरिया ग्राम में पीने के पानी की गम्भीर समस्या है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम को कब तक पाइप लाइन से जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम को वर्ष 1979-80 में नगर परिषद में सम्मिलित किया गया था। परिषद से संबंधित सफाई, प्रकाश व्यवस्था आदि के कार्य करवाये गये हैं।

(2) जी नहीं। ग्राम में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार हैण्डपम्प स्थापित हैं एवं एक नये हैण्ड पम्प का निर्माण कार्य प्रगति में है। ग्राम को पाइप लाइन से जोड़ा जा चुका है परन्तु आपूर्ति किये जाने हेतु वांछित मात्रा में जल उपलब्ध नहीं है।

ग्राम सांवली (दूदू) की पेयजल व्यवस्था

1173. **श्री प्रभुलाल** (सपोटरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्राम सांवली तहसील दूदू जिला जयपुर में विभाग द्वारा उक्त ग्राम के निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेते किसी कुए का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या उक्त कुएं से ग्राम के निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कुएं द्वारा उक्त ग्राम के निवासियों को पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया जाकर इसके पास वाले गांव बिहारीपुरा के निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ? यदि हां, तो कुआ ग्राम सांवली में खोदे जाने के बाद इस ग्राम के निवासियों को पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया जाकर पास वाले गांव को पेयजल उपलब्ध कराने के पीछे विभाग का क्या उद्देश्य है ?

(4) क्या विभाग उक्त कुए द्वारा ग्राम सांवली के निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम सांवली में बिहारीपुरा को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु दो कुए वर्ष 1988 में निर्मित किये गये थे।

(2) जी नहीं। संदर्भित कुआ ग्राम बिहारीपुरा को लाभान्वित करने के लिए निर्मित किया गया था।

(3) ग्राम बिहारीपुरा में उपलब्ध भू जल पीने योग्य नहीं होने के कारण, निकटस्थ ग्राम सांवली में स्रोत बनाया जाकर ग्राम बिहारीपुरा को शुद्ध पेयजल

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से कुए का निर्माण किया गया है।

(4) जी नहीं। उक्त ग्राम में 10 हैण्डपम्प लगे हुए हैं जो आबादी के लिए पर्याप्त हैं।

सुजानगढ़ व बीदासर (चूरू) की जल प्रदाय योजना

1174. **श्री भंवरलाल** (सुजानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चूरू के सब डिविजन सुजानगढ़ व सब डिवीजन बीदासर में कौन कौन सी जल प्रदाय योजनाएं चालू हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना मंगलूणा पार्ट II के गांव मानीसरिया हरावतान, मानीसरिया तेज सिंहोतान, लोलां नीमड़ी, चुवास, नीमड़ी चारणान आदि गावों में जब से जल योजना चालू हुई है पानी कभी नहीं दिया गया है? यदि हां, तो पानी नियमित रूप से दिया जाय इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा कब तक नियमित रूप से पानी सप्लाई करना चालू कर दिया जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि मंगलूणा पार्ट II योजना के गांवों के बीच में ही बड़ी आबादी का गांव बड़ाबर स्थित है? क्या इस गांव का लोकल सोर्स खुला हुआ है जिसका पानी पीने योग्य नहीं है तथा ना ही अन्य सोर्स है? क्या सरकार मंगलूणा पार्ट II योजना का एक्सटेंशन कर इस गांव को पीने का पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक योजना बनाकर कार्य को क्रियान्वित कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) क्षेत्रीय योजना नीमड़ी, राजपुरा से लाभान्वित ग्राम नीमड़ी चारणान को नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष ग्राम क्षेत्रीय जल योजना मंगलूणा भाग द्वितीय के अंतिम छोर पर स्थित होने के कारण तथा विद्युत आपूर्ति अनियमित होने के कारण पेयजल उपलब्ध कराना संभव नहीं हो रहा है। योजना में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 से 70 लीटर संवर्धन हेतु प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। विद्युत आपूर्ति नियमित होने तथा अपेक्षित मात्रा में पेयजल उपलब्ध होने पर नियमित आपूर्ति हो सकेगी।

(3) जी हां। ग्राम बड़ाबर में स्थानीय स्रोत ही उपलब्ध हैं। ग्राम को मंगलूणा भाग द्वितीय से जोड़े जाने हेतु योजना बनाई जा रही है जिसकी धन उपलब्धतानुसार क्रियान्विति की जा सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

जिला नागौर में क्रय किए गए पाइप्स का आवंटन

1175. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना):

(श्री बिरधाराम चौधरी)

क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में मंगवाये गये पाइप, उनके प्रकार व साइज की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त पाइप्स में से मेड़ता अधिशासी अभियन्ता कार्यालय को कितने पाइप्स किस-किस साइज के आवंटित किये गये ?

(3) मेड़ता अधिशासी अभियन्ता ने मकराना सहायक अभियन्ता को कितने पाइप्स किस-किस साइज के आवंटित किये एवं मकराना सहायक अभियन्ता ने उक्त पाइप का कहां-कहां उपयोग किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में संदर्भित दो वर्षों में प्राप्त पाइपों का विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) वांछित सूचना उपरोक्त परिशिष्ट "क" में क्रम संख्या 2,5,10 तथा 13 पर उपलब्ध है।

(3) वांछित सूचना परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

राजकीय नगर प्रशिक्षण केन्द्र एवं राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय भवन, अजमेर

1176. **श्री जगजीत सिंह** (किशनगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर (आदर्श नगर) में एक भवन में राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय, राजकीय नगर प्रशिक्षण केन्द्र एवं राजकीय चिकित्सालय कार्यरत हैं ?

(2) क्या सरकार राजकीय नगर प्रशिक्षण केन्द्र एवं राजकीय चिकित्सालय को आदर्श नगर के भवन से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी हां, राजकीय नगर प्रशिक्षण केन्द्र चिकित्सालय जो कि प्रिन्सिपल एवं कन्ट्रोलर जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज के नियंत्रण में कार्यरत है, को उनके द्वारा स्थानान्तरण किया जाना विचाराधीन है।

समुचित भवन की व्यवस्था होने पर अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाना संभव होगा।

टोडारायसिंह व देवली (टोंक) के चिकित्सकों के रिक्त पद

1177. **श्री घासी लाल** (टोडारायसिंह) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री घासीलाल)

(1) तहसील टोडारायसिंह व देवली जिला टोंक के विभिन्न रेफरल अस्पताल, पी. एच. सी., डिस्पेन्सरी, स्वास्थ्य उप-केन्द्रों में डाक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? रेफरल अस्पताल पी. एच. सी., डिस्पेन्सरी, स्वास्थ्य उप-केन्द्रोंवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि टोडारायसिंह में रेफरल अस्पताल खुले 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी वहां पर एक्स-रे मशीन नहीं लगी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब सरकार एक्स-रे मशीन कब तक लगा देगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर इन पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा। स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त पदों को फिलहाल न भरने का राज्य सरकार ने निर्णय ले रखा है।

(3) जी हां, वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

पीपल्दा क्षेत्र में मातृ शिशु एवं कल्याण केन्द्र

1178. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र नहीं होने से प्रसूति के गम्भीर एवं जटिल मामलों में महिलाओं की असमय ही मृत्यु हो जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में कोटा जिला केन्द्र पर ही उक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं जो बहुत दूर हैं तथा बरसात के दिनों में रास्ते भी अवरुद्ध हो जाते हैं ?

(3) क्या सरकार जनहित में इटावा में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पीपल्दा क्षेत्र में इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ एक मातृ शिशु कल्याण केन्द्र स्वीकृत है जहां प्रसूति सुविधा हेतु एक एल एच वी एवं एक प्रसाविका पदस्थापित है। यहां उपकेन्द्र व उच्चीकृत उप केन्द्र भी हैं। पीपल्दा क्षेत्र में बून्दी के इन्द्रगढ़ का कुछ क्षेत्र भी आता है। इन्द्रगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत है।

(2) उपरोक्त सभी चिकित्सा संस्थाओं में प्रसूति के लिये सुविधा उपलब्ध है तथा इन्द्रगढ़ के जटिल एवं गम्भीर

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

मामलों में महिला चिकित्सक की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। गम्भीर एवं जटिल प्रसवों के मामलों में मृत्यु सम्बन्धी कोई शिकायत इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

कोटा के अतिरिक्त उक्त सुविधाएं पीपल्दा तहसील क्षेत्र में भी उपलब्ध हैं।

(3) मातृ शिशु कल्याण केन्द्र इटावा में कार्यरत है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला झालावाड़ के चिकित्सालयों में रिक्त पद

1179. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) एवं **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झालावाड़ जिले में वर्तमान समय में किन-किन चिकित्सालयों में किस-किस स्तर के पद कितने समय से रिक्त पड़े हुए हैं ?

(2) लम्बे समय से पद रिक्त होने के क्या-क्या कारण हैं एवं रिक्त पद कितनी समयावधि में भर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चिकित्सा अधिकारी व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के सभी रिक्त पदों पर आदेश क्रमांक 73 दिनांक 10-3-92 द्वारा चिकित्सा अधिकारी का पदस्थापन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त कनिष्ठ विशेषज्ञ के रिक्त 8 पदों में से 5 पदों के विरुद्ध भी चिकित्सा अधिकारी का पदस्थापन किया जा चुका है। शेष पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर अन्य शेष पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

एलोपैथिक औषधियों के दुरुपयोग की रोकथाम

1180. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या एलोपैथिक दवाइयां, टिंचर जिजर वीक, टिंचर जिजर स्ट्रांग, टिंचर कैप्सीकैम, अशोका लिक्विड, जिनमें एल्कोहल का प्राबल्य 90 प्रतिशत वी. वी. तक है एवं इनका प्रयोग दवा के रूप में कम तथा शराब के रूप में अधिक हो रहा है ? चिकित्सा विभाग ने इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है ?

(2) क्या यह सही है कि 80 प्रतिशत वी. वी. से 90 प्रतिशत वी. वी. तक प्राबल्य वाली टिंचर, जिजर वीक एवं स्ट्रांग टिंचर कैप्सीकैम, अशोका लिक्विड नामक एलोपैथिक औषधियां बिना राजकीय नियंत्रण के विक्रय की जा रही हैं ? यदि हां, तो इन दवाइयों को शराब के रूप में पीने तथा इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए चिकित्सा विभाग ने क्या व्यवस्था कर रखी है।

उत्तर

(1) भारतीय फारमकोपिया के अनुसार टिंचर जिंजर वीक, टिंचर जिंजर स्ट्रांग, टिंचर कैप्सीकैम एवं अशोका लिक्विड में एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 90%, 80% से 88%, 57% से 60% एवं 42% से 52% वी/वी तक है।

उक्त औषधियों का प्रयोग दवा के रूप में कम और शराब के रूप में ज्यादा होने के सम्बन्ध में यद्यपि विभाग को कोई जानकारी नहीं है, तथापि इस प्रकार की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता।

चिकित्सा विभाग में औषधि निरीक्षकों के माध्यम से औषधियों के नमूने लेने की तथा निर्माता एवं विक्रेता के विरुद्ध ड्रग्स एवं कास्मेटिक अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने की व्यवस्था है।

औषधि का शराब के रूप में विक्रय पर नियन्त्रण किये जाने का उत्तरदायित्व आबकारी विभाग का है।

(2) इन औषधियों के निर्माण एवं विक्रय हेतु, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस लिया जाना आवश्यक है। प्रत्येक लाइसेंसी के द्वारा लाईसेंस की निर्धारित शर्तों की अनुपालना किये जाने बाबत विभाग समय-समय पर सुनिश्चित करता है। जहां तक इस प्रकार की औषधियों का शराब के रूप में पीने का प्रश्न है इस पर चिकित्सा विभाग द्वारा नियंत्रण करना सम्भव नहीं है, क्योंकि यह सभी औषधियां "एच व एल" शिड्यूल के अन्तर्गत नहीं आती है और इनके विक्रय के लिए रजिस्टर्ड मैडिकल प्रेक्टिशनर के नुस्खे की आवश्यकता नहीं होती। शराब के व्यापार को आबकारी विभाग नियन्त्रित करता है।

राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या–8 की मरम्मत

1181. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8 कुण्डा (आमेर) से वाया नटाटा, साईवाड़ होकर मानपुर कलां (जयपुर) तक जाने वाली सड़क जगह-जगह टूटी हुई है? यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक करा दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क पर अत्यधिक अतिक्रमण होने से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों व अन्य साधनों के आवागमन में असुविधा एवं दुर्घटनाएं हो रही हैं? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर हो रहे अतिक्रमणों को कब तक हटाकर सड़क को चौड़ा कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग पर साईवाड़ से काकरेल तक की सड़क अभी तक अधूरी पड़ी है? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कुण्डा से साईवाड़ तक

Page No. 46

(46)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

डामर सड़क विभाग द्वारा निर्मित है। जबकि साईवाड़ से मानपुर कलां तक कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्माणाधीन है। कुण्डा से साईवाड़ तक सड़क के पेच रिपेयर का कार्य करवा दिया गया था। अतः पुनः हुए पेच इत्यादि के कार्य को वर्षा से पूर्व पूर्ण करा दिया जायेगा।

(2) जी नहीं। यह सड़क बिना भूमि अवाप्ति किये हुए सरकारी सड़कें रास्ते पर ही निर्मित की गई है अतः यातायात में असुविधा होना स्वाभाविक है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने पर सड़क चौड़ी करना संभव हो सकेगा।

(3) जी नहीं। साईवाड़ से काकरेल (873) तक सड़क न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत नहीं आने के कारण स्वीकृत नहीं है। उपरोक्त सड़क का निर्माण राज्य की प्राथमिकताओं तथा वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में किया जाना संभव नहीं है।

लूणी नदी पर पुल निर्माण

1182. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बालोतरा एवं जसोल के बीच लूणी नदी पर पुल निर्माण हेतु शिलान्यास हो चुका है ? यदि हां, तो कब तथा इसके निर्माण में अब विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

(2) सरकार अब कब इस पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, बालोतरा एवं जसोल के बीच लूणी नदी पर शिलान्यास फरवरी 1985 में हुआ। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि रुपये 150 लाख में उच्च स्तरीय पुल का बनना सम्भव न होने के कारण तकनीकी एवं वित्तीय कारणों से साधारण वेन्टेड काजवे बनाने का निर्णय तथा रिवाइज्ड स्वीकृति विचाराधीन है।

(2) पुल के प्रकार के सम्बन्ध में निर्णय हो जाने के पश्चात तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप ही कार्य करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

ग्राम पंचायत किशनपुरा खण्ड बारां की सम्पर्क सड़क

1183. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष सड़क से एक कि.मी. दूरी के पंचायत केन्द्र के गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है ?

(2) यदि हां, तो बारां खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत किशनपुरा (मांगरोल) जो कि मांगरोल-सीसवाली सड़क से मात्र एक कि.मी. दूरी पर ही है, को सड़क से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(3) अब उक्त पंचायत केन्द्र को सड़क से कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । इस ग्राम पंचायत मुख्यालय की सीसवाली मांगरोल सड़क से दूरी 1.35 कि.मी. है ।

(3) उक्त पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

उसरानी-थैरावर-जनूथर सड़क निर्माण

1184. श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एम.एन.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत उसरानी से थैरावर होते हुए जनूथर तक सड़क निर्माण हेतु 15 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो कितना निर्माण कार्य अब तक हो चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि बिना किन्हीं लिखित आदेशों के उक्त सड़क की स्वीकृत धनराशि को एक अन्य अस्वीकृत सड़क सिनसनी से थैरावर तक निर्माण करने हेतु डाइवर्ट किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त धन राशि के डाइवर्सन के कारण उसरानी से थैरावर होते हुए जनूथर तक की सड़क पूरी तरह निर्मित नहीं हो पाई है और क्या इस प्रकार की अनियमितता को दूर करने के लिए राज्य सरकार कोई कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि उसरानी से थैरावर होते हुए जनूथर तक सड़क निर्माण हेतु 15.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई अब तक उसरानी से जनूथर तक मिट्टी का कार्य आंशिक रूप से पूर्ण हो चुका है एवं ओ.एस.एम. मेटल कलेक्शन का कार्य प्रगति पर है ।

(2) यह सही नहीं है कि बिना किसी लिखित आदेश के उक्त सड़क की स्वीकृत धनराशि को अन्य अस्वीकृत सड़क पर डायवर्ट किया गया है । सिनसिनी से थैरावर तक सड़क का निर्माण कार्य संशोधित तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप कराया गया है ।

(3) जी हां । मूल स्वीकृत सड़क का कार्य पूर्ण कराने की व्यवस्था की जा रही है ।

बडोरा (अटरू) में पुलिस थाने की स्थापना

1185. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मदन दिलावर)

(1) क्या यह सही है कि अटरू विधान सभा क्षेत्र में बडोरा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति व गम्भीर अपराधों की संख्या देखते हुए पुलिस थाना खोलने की मांग समय-समय पर की जाती रही है ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में सरकार जनहित के लिए पुलिस थाना खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पुलिस चौकी बडोरा को थाने में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

मालखानों की सुरक्षा व्यवस्था

1186. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले के मालखानों से पिछले तीन वर्षों में कितनी चोरियां हुई ? क्या सामान चोरी हुआ तथा कितना बरामद हुआ ? यदि बरामद नहीं हुआ तो क्यों ?

(2) क्या मालखानों पर सुरक्षा व्यवस्था की हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो चोरियों के लिए कौन दोषी है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में पिछले तीन वर्षों की अवधि में पुलिस थाना माल खानों से चोरी होने की कोई घटना घटित नहीं हुई है।

(2) मालखानों पर सुरक्षा व्यवस्था की हुई है।

बस स्टैण्ड, अजमेर में चोरी/जेबकटी की घटनाएं

1187. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर के पथ परिवहन निगम बस स्टैण्ड में चोरियों एवं जेबकटी की घटनाएं निरन्तर बढ़ रही हैं ? क्या इन घटनाओं में निगम के ड्राइवर्स एवं कण्डक्टर्स के विरुद्ध भी नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है ? यदि हां, तो 1 जनवरी से 25 फरवरी, 1992 तक थाना सिविल लाइन्स अजमेर में ऐसे कितने ड्राइवर्स एवं कण्डक्टर्स के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई ? तत्संदर्भ में थानाधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि थानाधिकारी की मिलीभगत से ऐसी घटनाओं में लिप्त अपराधियों को संरक्षण प्रदान किया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त थानाधिकारी के खिलाफ जांच कर कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अजमेर बस स्टेण्डे पर चोरियों की वारदातों में निरन्तर वृद्धि नहीं हो रही है। वर्षवार अभियोगों का विवरण निम्न प्रकार है—1989-130, 1990 में 24, 1991 में 211, वर्ष 1989, 1990 व 1991 में किसी चालक व परिचालक के विरुद्ध चोरी एवं जेबकटी का कोई नामजद अभियोग दर्ज नहीं हुआ है व न ही किसी चालक/परिचालक को गिरफ्तार ही किया गया है। दिनांक 1 जनवरी से 25 फरवरी, 92 तक थाना सिविल लाइन, अजमेर पर एक वाहन चालक व एक परिचालक के विरुद्ध अभियोग संख्या 31/92 धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता दिनांक 22-2-92 को दर्ज हुआ है जो वर्तमान में अन्वेषणाधीन है। अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह कहना असत्य है कि थानाधिकारी द्वारा अपराधियों को संरक्षण प्रदान किया जाता रहा है। अब तक थानाधिकारी के विरुद्ध कोई भी परिवाद इस सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बस्सी क्षेत्रान्तर्गत चोरी के प्रकरण

1188. **श्री कन्हैयालाल** (बस्सी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले एक वर्ष में बस्सी विधान सभा क्षेत्र के किस-किस गांव में किस-किस दिनांक को चोरी की वारदातें हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन चोरी के मामलों में कितनों में चोरी गया माल बरामद हुआ, कितनों में न्यायालय में चालान पेश हुआ, कितनों में अनुसंधान जारी है तथा कितनों में एफ. आर. लगाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम गीला की नांगल में इस वर्ष में हुई अनुमानित एक लाख रुपये की चोरी के मामले में पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ? क्या माल बरामद हुआ ? क्या चोरी का पता लगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 में बस्सी विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में चोरी की विभिन्न तारीखों में 78 अभियोग पंजीबद्ध हुए थे जिनका विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित कर संलग्न है।

(2) इन चोरी के मामलों में 68400 रु. का माल बरामद हुआ, 17 अभियोगों का चालान न्यायालय में पेश किये जा चुके हैं, 60 अभियोगों में एफ. आर. न्यायालय में पेश की जा चुकी है तथा एक अभियोग में अनुसंधान जारी है। विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(3) ग्राम गीला की नांगल में दिनांक 4/5-10-91 की रात्रि को अनुमानित एक लाख रुपये की न होकर 30,000/- रु.

Page No. 50

(50)

(गृह मन्त्री)

की चोरी मूलचन्द पुत्र महादेव जाति हरियाणा ब्राह्मण के मकान से हुई थी। जिस पर मु. नं. 281/91 धारा 380/457 भा. दं.सं. दिनांक 5-10-91 थाना बस्सी, जयपुर ग्रामीण पर दर्ज हुआ था। माल मुल्जिमान की पतारसी का भरसक प्रयत्न किया गया परन्तु माल मुल्जिमान का पता न चलने पर दिनांक 20-12-91 को नतीजा एफ.आर. अदम पता माल मुल्जिमान में दिया गया।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, करौली के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

1189. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) :. क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, करौली के खिलाफ दिनांक 1-1-90 से अब तक महानिरीक्षक, पुलिस जयपुर, उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज भरतपुर, पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर के यहां कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त शिकायतों की जांच भी करवाई है एवं जांच रिपोर्ट में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दोषी पाया है ? सरकार इन जांच प्रतिवेदनों के आधार पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ? अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, करौली के विरुद्ध दिनांक 1-1-90 से अब तक महानिदेशक, पुलिस अथवा महानिरीक्षक, पुलिस अपराध एवं सतर्कता को 9, उप महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज, भरतपुर को 4, एवं पुलिस अधीक्षक जिला सवाई माधोपुर को 6 परिवाद प्राप्त हुए हैं। इन परिवादों में से सतर्कता शाखा में प्राप्त 2 परिवादों एवं पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर को प्राप्त (3) परिवादों में जांच से आरोप अप्रमाणित पाए गए हैं। शेष परिवाद जांचाधीन है।

(2) अब तक की गई 5 जांचों से अपर पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

पुलिस थाना, नीमकाथाना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट

1190. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमकाथाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पी. एस. नीमकाथाना में वर्ष 1990-91 व 1991-92 कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) दर्ज हुई ? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट्स पर 90 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

भी कोई कार्यवाही नहीं हुई एवं क्या ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुलिस थाना नीमकाथाना पर वर्ष 1990-91 व 91-92 में 544 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई जिनमें से 318 मुकदमों का चालान, 148 मुकदमों में एफ. आर. अदम वकुआ, 48 एफ. आर. अदम पता व 30 अभियोग अभी अन्वेषणाधीन है। सूची संलग्न है।

(2) ऐसी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं है जिसमें 90 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस कार्यवाही नहीं की गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

थाना गुमानपुरा (कोटा) में दर्ज मुकदमा नम्बर 570/90

1191. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पुलिस थाना गुमानपुरा, कोटा में मुकदमा नम्बर 570 सन् 1990 दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा नतीजा तफतीश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुकदमे में किस-किस अनुसंधान अधिकारी द्वारा किस-किस गवाह के बयान लिए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मुकदमे में की गई तफतीश की स्थिति को देखते हुए सरकार का दुबारा से सही जांच करवाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। थाना गुमानपुरा जिला कोटा में दिनांक 2-11-90 को अभियोग संख्या 570 अन्तर्गत धारा 418, 420, 120 (बी) भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज हुआ था। एफ. आई. आर. व नतीजा तफतीश की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) उक्त प्रकरण का अनुसंधान श्री रूप सिंह, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस द्वारा किया गया था जिन्होंने (1) श्री मोहम्मद असलम; (2) अब्दुल सलाम अन्सारी (3) मदनलाल के बयान लेखबद्ध किये हैं।

(3) अन्वेषण में सही तफतीश कर दिनांक 29-11-90 को एफ. आर. अदम वकू में दी जा चुकी है जो न्यायालय द्वारा भी मंजूर की जा चुकी है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

अजमेर शहर में निवास कर रहे विदेशी अश्वेत छात्र

1192. **श्री सम्पत सिंह** (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर शहर में विदेशी अश्वेत छात्र साधारण परिवारों में किरायेदार की हैसियत से रहते हैं ?

Page No. 52

(52)

(श्री सम्पत सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि इन छात्रों ने भारतीय स्कूल छात्राओं से छेड़-छाड़ की थी ? यदि हां, तो विगत छः माह में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

बेगूं क्षेत्र के ग्रामों हेतु परिवहन सेवा

1193. **श्री चुन्नीलाल (बेगूं)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार के परिवहन सेवा से गांवों को जोड़ने के क्या कोई मानदण्ड हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(2) बेगूं विधान सभा के कितने गांव वर्तमान में उक्त योजना के तहत प्रस्तावित हैं और वे कब तक जोड़ दिये जावेंगे ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । इस तरह के कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं । सामान्यतः कोई भी नया बस मार्ग खोलते समय सर्वेक्षण के दौरान मार्ग के बीच पड़ने वाले गांवों को नियमानुसार बस सेवा उपलब्ध करायी जाती है । मार्ग विशेष के परमिट-धारियों एवं जनता के अनुरोध पर भी मार्ग में नये गांवों को शामिल किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । तथापि विभाग की यह योजना है कि 1981 की जनगणना अनुसार जिन गांवों की आबादी 1000 से अधिक है उन्हें यथा-शीघ्र बस सेवा उपलब्ध करायी जाए ।

(2) उपरोक्त योजना के तहत बेगूं विधान सभा क्षेत्र के समस्त गांव जिनकी आबादी 1000 से अधिक है बस सेवा से जोड़ा जा चुका है ।

मालवीय नगर (जयपुर) से माणकचौक हेतु नगर बस सेवा

1194. **श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार)** : क्या यातायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या मालवीय नगर जयपुर, सेक्टर नम्बर 9 व 10 से माणक चौक, चौपड़ तक कोई बस चलती है ? यदि नहीं, तो क्या जनता की सुविधार्थ सरकार ऐसी कोई बस सेवा चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी नहीं । प्रस्तावित मार्ग पर सांगानेरी गेट से माणकचौक चौपड़ तक प्रातः व सायंकाल के व्यस्त समय पर एक तरफा यातायात व्यवस्था होने के कारण राज्य परिवहन निगम द्वारा इस मार्ग पर बसें संचालित किये जाने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है ।

यातायात की चैक पोस्ट्स

1195. **श्री छगन लाल** (बड़ी सादड़ी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में यातायात की कुल कितनी चैक पोस्ट हैं ? चैक पोस्ट्स से पिछले पांच वर्षों में कितनी आय हुई ? वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पिछले 2 वर्षों में भ्रष्टाचार विभाग द्वारा चैक पोस्ट पर छापे मारे गये ? यदि हां तो किस-किस अधिकारी/कर्मचारी को मौके पर भ्रष्टाचार में पकड़ा ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें। पकड़े गये दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में परिवहन विभाग के अधीन 21 चैकपोस्टें हैं। इन चैकपोस्टों से गत पांच वर्षों में हुई आय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	वर्ष	आय (राशि लाखों में)
1.	1986-87	580.53
2.	1987-88	534.95
3.	1988-89	550.64
4.	1989-90	597.94
5.	1990-91	604.98
	योग	2869.04

(2) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (अब राज. राज्य अन्वेषण ब्यूरो) ने पिछले दो वर्षों में यातायात विभाग की निम्नलिखित 9 चैकपोस्टों पर छापे मारे थे :—

(1) आबूरोड, जिला सिरोही, (2) शाहजहांपुर, जिला अलवर (3) ऊंचा नगला, जिला भरतपुर (4) निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़ (5) अकलेरा, जिला झालावाड़ (6) रायपुर, जिला झालावाड़ (7) साधुवाली, जिला गंगानगर (8) रतनपुर, जिला उदयपुर (9) बरेठा, जिला धौलपुर।

मौके पर पकड़े गये अधिकारी/कर्मचारी तथा उनके खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण चैकपोस्टवार निम्न प्रकार है :—

(1) **चैकपोस्ट आबूरोड** :—अपराध सं.-22/91 दिनांक 1-2-91 विरुद्ध सर्वश्री प्रमुसिंह परिवहन निरीक्षक, जसवंतसिंह परिवहन निरीक्षक, रामसिंह, वरिष्ठ लिपिक तथा मनमोहनलाल माथुर, व.लि. अन्तर्गत धारा 13(1) डी(2) पीसी एक्ट दर्ज किया गया जो अन्वेषणाधीन है।

(2) **चैकपोस्ट शाहजहांपुर** :—अपराध सं.-19/91 दिनांक 30-1-91 सर्वश्री इन्द्रसिंह, कनिष्ठ लिपिक, छगनसिंह, क. लि., व राजनारायण, क.लि., अन्तर्गत धारा-13(1) डी(2) पीसी एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।

(3) **चैकपोस्ट ऊंचानगला** :—प्राथमिक जांच सं. 14/91 विरुद्ध सर्वश्री सहदेव फौजदार परिवहन निरीक्षक, हनुमान सहाय, वरिष्ठ लिपिक तथा अशोक कुमार,

(यातायात मंत्री)

क.लि. के विरुद्ध दर्ज की जाकर जांच कराई गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने पर यह जांच दिनांक 24-1-92 को नस्तीबद्ध कर दी गयी है।

(4) **चैकपोटस्ट निम्बाहेड़ा** :—प्राथमिक जांच संख्या 15/91 विरुद्ध सर्व श्री रघुवीरसिंह परिवहन निरीक्षक व मांगीलाल नागोरी, क.लि. के विरुद्ध दर्ज की जाकर जांच कराई गई। जांच के बाद सर्व श्री रघुवीरसिंह व मांगीलाल नागोरी के विरुद्ध विभागीय जांच नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित कर आरोप पत्रादि आयुक्त परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 3-12-91 को प्रेषित किए गये हैं, जो विचाराधीन हैं।

(5) **चैकपोस्ट अकलेरा** :–प्राथमिक जांच संख्या 17/91 विरुद्ध सर्वश्री माधोलाल, क.लि. पेपसिह, गार्ड के विरुद्ध दिनांक 2-2-91 दर्ज की जाकर जांच कराई गयी। जांच से सर्वश्री माधोलाल क.लि. व पेपसिह गार्ड के विरुद्ध नियम 16 सी.सी.ए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्रादि दिनांक 2-11-91 को आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजे गये हैं जो विचाराधीन हैं।

(6) **चैकपोस्ट रायपुर** :—प्राथमिक जांच संख्या 18/91 दिनांक 2-2-91 विरुद्ध सर्वश्री रामकरण जाट, प.नि., गंगाशरण, व.लि. व घनश्यामदास अग्रवाल, जिला परिवहन अधिकारी दर्ज कर जांच कराई गयी। जांच के बाद उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अन्तर्गत नियम 17 सी.सी.ए. में आरोप पत्रादि विशिष्ट शासन सचिव कार्मिक/क-3/विभाग, राज., जयपुर को दिनांक 19-2-91 को भेजे गये हैं।

(7) **चैकपोस्ट साधुवाली** :—इसमें कोई अनियमितता नहीं पाये जाने के कारण जांच बन्द कर दी गई है।

(8) **चैकपोस्ट रतनपुर** :—इसमें कोई अनियमितता नहीं पाये जाने के कारण जांच बन्द कर दी गई है।

(9) **चैकपोस्ट बरेठा** :—इसमें कोई अनियमितता नहीं पाये जाने के कारण जांच बन्द कर दी गई है।

पंचायत समिति, लालसोट के ग्रामों, पंचायत मुख्यालयों पर परिवहन व्यवस्था

1196. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति लालसोट के किस-किस ग्राम पंचायत मुख्यालयों को परिवहन की सुविधा से जोड़ा जा चुका है तथा किस-किस ग्राम पंचायत मुख्यालय को परिवहन सुविधा से जोड़ना बाकी है?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय दौलतपुरा को परिवहन सुविधा से जोड़ने के बाद भी बस मालिक जानबूझकर दौलतपुरा में बस नहीं ले जाते हैं?

(श्री परसादीलाल मीणा)

यदि हां, तो क्या सरकार बस मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार जयपुर से लालसोट वाया चाकसू रोडवेज की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति लालसोट के जिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को परिवहन सुविधा से जोड़ा जा चुका है तथा जिन-जिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को परिवहन सुविधा से जोड़ना बाकी है, उसकी सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि ग्राम पंचायत दौलतपुरा को परिवहन सुविधा से जोडने के बाद भी अब बस मालिक दौलतपुरा में बस नहीं ले जाते हैं। इस सम्बन्ध में दूदू-लालसोट मार्ग के बस मालिकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के तहत अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्यवाही की हुई है। तथा इस मामले को प्राधिकार के समक्ष आगामी बैठक में विचार हेतु पुनः रखा जावेगा।

(3) जी नहीं। इस मार्ग के चाकसू से लालसोट तक का भाग राष्ट्रीयकृत नहीं हैं। इस भाग पर निजी बसें चलती हैं, जिससे जनसुविधा उपलब्ध है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में 33 के.वी. सब-स्टेशन की स्थापना

1197. श्री छगनलाल (बड़ी सादड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1992-93 में 33 के.वी. सब स्टेशन स्थापित करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या मंगलवाड़ जिला चित्तौड़गढ़ में 33 के.वी. सब स्टेशन स्थापित है ? यदि हां, तो वहां पर कितने ट्रान्सफार्मर स्वीकृत हैं, उनमें से कितने लगे हुए है, कितने बकाया हैं तथा इन्हें कब तक लगा दिया जायेगा ?

(3) बड़ी सादड़ी में 33 के.वी. सब स्टेशन पर जो ट्रान्सफार्मर लगे हुए हैं क्या वे ओवर लोडिंग हो गये हैं ? यदि हां, तो उनके लिए क्या कार्यवाही हुई ?

(4) वर्ष 1990-91, 1991-92 में बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में कितने ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हुए ? उनमें से कितने गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया व कितने बकाया हैं ? बकाया में कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

(5) वर्ष 1990-91 व 1991-92 में इस क्षेत्र में कितने ट्रान्सफार्मर के. वी. वाइज सरकार ने आवण्टित किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1992-93 का 33 के.वी. का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है। अतः फिलहाल यह बता पाना सम्भव नहीं है कि विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में 33 के.वी. सब स्टेशन कहां-कहां स्थापित किये जा सकेंगे।

(2) जी हां। वर्तमान में एक ट्रान्सफार्मर 1.6 एम.वी.ए. क्षमता का स्थापित है। तकनीकी दृष्टि से फिलहाल वहां कोई नया ट्रान्सफार्मर लगाना आवश्यक नहीं है।

(3) बड़ी सादड़ी में 33 के. वी. सब स्टेशन पर स्थापित ट्रान्सफार्मर की क्षमता वर्तमान भार एवं कृषि उपभोक्ताओं को आठ घन्टे प्रति दिन 2 ब्लाक्स में विद्युत आपूर्ति करने हेतु पर्याप्त है।

(4) वर्ष 1990-91, 1991-92 में बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में 25 ग्रामों को विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत किया गया उनमें से 14 ग्रामों का विद्युतिकरण कर दिया गया है व 11 ग्रामों का विद्युतिकरण शेष है। शेष 11 ग्रामों में से 3 ग्रामों को मार्च, 92 के अन्त तक विद्युतिकृत करने के लक्ष्य थे तथा बकाया 8 ग्रामों का विद्युतिकरण योजना मद में आवंटित वित्त एवं वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार आगामी वर्षों में वार्षिक कार्यक्रमानुसार करने के प्रयास किये जायेंगे।

(5) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में निम्नानुसार ट्रान्सफार्मर आवंटित किये गये :—

वर्ष	श्रेणीवार आवंटित ट्रान्सफार्मरस 100 के.वी.ए.	63 के.वी.ए.	25 के.वी.ए.
1990-91	3	24	39
1991-92	6	9	23
कुल :—	9	33	62

गंगरार-राशमी क्षेत्र के ग्रामों में विद्युतीकरण

1198. **श्री मांगीलाल** (गंगरार) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगरार-राशमी विधान सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों में कितने ग्राम विद्युतीकरण हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये? इनमें कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया व कितने शेष रहे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जो ग्राम बकाया रहे उनको सरकार कब तक विद्युतीकृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) गंगरार विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 89-90 में 29 ग्रामों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित किया था जिसमें से 26 ग्राम विद्युतीकृत किये गये। वर्ष 90-91

(ऊर्जा मंत्री)

में गत वर्ष 89-90 के शेष रहे 3 ग्रामों सहित 8 ग्रामों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित किया गया जिनमें से 4 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया एवं शेष रहे 4 ग्रामों को वर्ष 91-92 में पुनः प्रस्तावित कर दिया जिनमें से 3 ग्रामों का विद्युतीकरण फरवरी, 92 तक किया जा चुका है एवं 1 ग्राम शेष है। सूची "अ" संलग्न है।

(2) वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में विधान सभा क्षेत्र के विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों में से शेष रहे। ग्राम का विद्युतीकरण इस वर्ष के अन्त तक संभवतः कर दिया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल कार्यालय, जमवारामगढ़

1199. **श्री कुबेर सिंह (फलासिया)**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जमवारामगढ़, जयपुर द्वारा ग्राम नेवर, रामावाल मुकसदनपुरा में बिना परमिशन एल. टी. लाइनें शिफ्ट करने की विजिलेंस द्वारा दिनांक 2-7-1991 को जांच की गई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन कि मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की विभिन्न स्तरों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि शिकायतें होने के कारण इन्होंने एक विद्युत कर्मचारी को दिनांक 27-5-1991 को गैर कानूनी रूप से सस्पेंड कर दिया व उच्च न्यायालय के आदेशोपरान्त वापस ड्यूटी पर लिया? यदि हां, तो सरकार ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 2-7-91 को पुलिस उप निरिक्षक (सतर्कता) द्वारा जमवारामगढ़ पहुंच कर जांच प्रारम्भ की गई थी। चूंकि जांच अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, अतः जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

(2) जी हां, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की जा रही है।

(3) जी नहीं, यह सही नहीं है कि सहायक अभियन्ता की शिकायतें होने के कारण सहायक अभियन्ता द्वारा किसी भी विद्युत कर्मचारी को दिनांक 27-5-91 को गैर कानूनी रूप से सस्पेंड किया गया हो एवं उच्च न्यायालय के आदेशोपरान्त वापस ड्युटी पर लिया हो। हालांकि सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 29-5-91 को एक कर्मचारी को लम्बे समय तक

(ऊर्जा मंत्री)

गैर हाजिर रहने एवं उनके साथ अभद्र व्यवहार करने के कारण सस्पेन्ड किया था तथा कुछ दिन बाद ही उसे सहायक अभियन्ता के स्वयं के आदेश से मण्डल के हित में इन्क्वारी की रिपोर्ट आने तक के लिए रिइन्स्टेट कर दिया था न कि किसी न्यायालय के आदेश से। चूंकि सहायक अभियन्ता द्वारा कर्मचारी को गैर कानूनी रूप से सस्पेंड नहीं किया गया, अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत समिति, दौसा के ग्रामों का विद्युतीकरण

1200. **श्री जियालाल बंशीवाल** (दौसा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दौसा पंचायत समिति में ऐसे कितने गांव हैं जिन्हें स्वीकृत कर दिये जाने के उपरांत अभी तक विद्युतीकृत नहीं किया गया है? सरकार शेष बचे गांवों को कब तक विद्युतीकृत करने का विचार रखती है?

(2) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में जिन गांवों में विद्युत कनेक्शन हैं उनको विद्युतीकृत घोषित किये जाने की नीति है?

उत्तर

(1) वर्तमान में पंचायत समिति दौसा में कुल 51 ग्राम ऐसे हैं जो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं लेकिन विद्युतीकृत नहीं हैं। ऐसे सभी ग्रामों का ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु योजना मद में आवंटित वित्त एवं वार्षिक लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में विद्युतीकरण किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। वर्तमान में इस प्रकार की कोई नीति नहीं है। यदि ऐसे ग्राम की कोई जानकारी प्राप्त होती है तो जांच कर अग्रिम कार्यवाही की जाती है।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सांख्यकों के वेतनमान

1201. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में कार्यरत सांख्यकों का वेतनमान अभी भी 1400-2600 का है जबकि राज्य के दूसरे विभागों में सहायक सांख्यक जो कि सांख्यिकी के पद से एक स्तर नीचे हैं, का वेतनमान 1640-2900 है? यदि हां, तो यह विसंगति क्यों है तथा कब तक दूर कर दी जायेगी?

उत्तर

जी हां। विद्युत मण्डल की वेतन श्रृंखला 1 से 6 ए तक में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान राज्य सरकार में प्रत्येक पद के लिये निर्धारित वेतनमानों पर आधारित नहीं हैं। अतः विसंगति का का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

ग्राम ग्राटून कलां (सवाई माधोपुर) का विद्युतीकरण

1202. **श्री नाथुराम ग्रहारी** (डूंगरपुर) एवं **श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद** (झुन्झुनू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई-माधोपुर पंचायत समिति के ग्राम ग्राटून कलां, ग्राटून खुर्द तथा ग्रडूडी का रिकार्ड में विद्युतीकरण कर दिया गया है, जबकि इन ग्रामों में मौके पर विद्युतीकरण नहीं हुग्रा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) इन ग्रामों में कितने-कितने ग्रावेदन विद्युत कनेक्शन हेतु कार्यालय में कब-कब प्राप्त हुए ? इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सवाई माधोपुर पंचायत समिति के ग्राम ग्राटून कलां, ग्राटून खुर्द एवं ग्रडूडी 11 के. वी. लाइन खोद कर विद्युतीकृत घोषित किये गये हैं ?

(2) सवाई माधोपुर पं. स. के ग्राम ग्राटून कलां, ग्राटून खुर्द एवं ग्रडूडी में 5 कृषि, 1 ग्रौद्योगिक एवं 16 घरेलू कनेक्शन हेतु ग्रावेदन प्राप्त हुये हैं। 5 कृषि ग्रावेदन पत्रों में से 4 ग्रावेदन पत्रों की राशि जमा नहीं कराने के कारण निरस्त कर दिये गये व एक का तकमीना बनाया जा रहा है। एक ग्रौद्योगिक कनेक्शन का ग्रावेदन पत्र ग्रग्रिम राशि जमा नहीं कराने के कारण निरस्त किया जा चुका है। 16 लम्बित घरेलू कनेक्शनों के मांग पत्र दिनांक 25-3-92 को जारी किये गये हैं। इन सभी में मांग पत्र की राशि प्राप्त ग्रनुसार एल. टी. लाइन ग्रादि का कार्य कर, कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

पवन चक्कियां

1203. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में वर्तमान में कितनी पवन चक्कियां चल रही हैं ?

(2) इन पवन चक्कियों के माध्यम से क्या--क्या कार्य सम्पन्न किए जा रहे हैं ?

(3) क्या सरकार पवन चक्कियों को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से कोई योजना बना रही है ?

(4) क्या सरकार ने कोई सर्वेक्षण करवाया है कि पवन चक्कियां किन-किन क्षेत्रों में सफल हो सकती हैं ? यदि हां, तो इस दृष्टि से कौन-कौन से क्षेत्र उपयुक्त पाये गए है ?

(5) यदि कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया, तो क्या सरकार ग्रब करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्तमान में निम्न स्थानों पर पवन चक्कियां चल रही है :—

(ऊर्जा मंत्री)

1. आर. टी. डी. सी. मिडवे, रतनगढ़ (चूरू)
2. ए. ई. एन., पी. एच. ई.डी., लुठाना अमीचन्द (चूरू)
3. एक्स. ई. एन., पी. एच. ई. डी., दूधवा-खारा (चूरू)
4. श्री मांगीलाल/मंगलाराम, शिकारपुरा (जोधपुर)
5. श्री बाबूसिंह/सोडाराम, शिकारपुरा (जोधपुर)
6. श्री तेनाराम/सुखाराम, शिकारपुरा (जोधपुर)
7. श्री पेमाराम/लालाराम, शिकारपुरा (जोधपुर)
8. श्री बाबूखान/इब्राहीम, सालोडी (जोधपुर)
9. श्री मोहन सिंह/शैतान सिंह, सालोडी (जोधपुर)
10. राजकीय हायर सैकेण्ड्री स्कूल, सालोडी (जोधपुर)
11. ग्राम पंचायत नर्सरी, सालोडी (जोधपुर)
12. श्रीमती झमकू देवी, बेरू (जोधपुर)
13. श्री हप्पाराम ,, ,,
14. श्री गुलाब सिंह ,, ,,
15. श्री गंगाराम ,, ,,
16. राजकीय प्राइमरी स्कूल, बेरू (जोधपुर)
17. गौशाला ग्राम पंचायत, बेरू (जोधपुर)
18. श्री खैराज राम, बेरू (जोधपुर)
19. ग्राम पंचायत, चावण्डा ,,

(1) इन पवन चक्कियों के माध्यम से 100 से 175 फीट गहरे पानी के "ओपन वेल" से पानी पम्प किया जा रहा है।

(3) अपारंपरिक ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रति पवन चक्की रुपये 50,000/- का अनुदान दिया जाता है, जो कि इस प्रकार की पवन चक्की की कुल लागत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है एवं इन पवन चक्कियों को स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा चयन की गई फर्मों को ही कार्य आदेश दिये गये है।

(4) अपारंपरिक ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राज्य में पवन ऊर्जा सर्वेक्षण हेतु वर्ष 1990-91 से 9 विण्ड डाटा मोनिटरिंग स्टेशन कार्य कर रहे हैं। ये स्टेशन जोधपुर जिले में बड़ली, फलौदी, बाड़मेर जिले में भाड़खा, देरासर, पचपद्रा, व खीडाल, जैसलमेर जिले में बड़ा गांव व मोहनगढ़, जालोर जिले में विशनगढ़ में स्थापित किये गये हैं। इन स्थानों का चयन भारत सरकार की एक्सपर्ट टीम द्वारा किया गया था एवं उन्हीं के द्वारा तीन वर्ष तक के आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। अब तक केवल जिला जोधपुर एवं जैसलमेर के एक वर्ष के आंकड़े कुछ उत्साहवर्धक पाये गये हैं और तीन वर्ष के पवन वेग के आंकड़े प्राप्त होने पर ही क्षेत्रों की उपयुक्तता का पता लग सकेगा और उसके

(ऊर्जा मंत्री)

पश्चात् ही पवन चक्कियों की सफलता के बारे में कुछ कहा जा सकता है।

अब तक स्थापित 19 पवन चक्कियां प्रयोगात्मक रूप से स्थापित की गई थी और आपेक्षित पवन वेग के अभाव के फलस्वरूप पूर्णतया सफल रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं।

(5) अपारंपरिक ऊर्जा विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 1990-91 से राज्य में 34 और विण्ड मैपिंग स्टेशन स्वीकृत किये हैं जो इस वर्ष माह अप्रेल के अन्त तक कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे। चयनित स्टेशनों के विवरण निम्न प्रकार से है :—

1. थानागाजी	जिला-अलवर	
2. शाहजहांपुर	,,	,,
3. नरबदखेडा	,,	अजमेर
4. बूंदी	,,	बूंदी
5. दाई	,,	,,
6. सोपुरा	,,	भीलवाड़ा
7. नेतवाड़ी	,,	भरतपुर
8. नोखा	,,	बीकानेर
9. ,,	,,	,,
10. पूगल	,,	,,
11. अलामसर	,,	बाड़मेर
12. गावोडा	,,	बांसवाड़ा
13. सरदारशहर	,,	चूरू
14. नारानी	जिला	चित्तौड़गढ़
15. दौसा	,,	दौसा
16. अनूपगढ़	,,	गंगानगर
17. नोहर	,,	,,
18. रामगढ़	,,	जैसलमेर
19. ढेच	,,	जोधपुर
20. रामदेवरा	,,	जैसलमेर
21. चाडी	,,	जोधपुर
22. पुराना फुलेरा	,,	जयपुर
23. आहोर	,,	जालोर
24. भीनमाल	,,	,,
25. झुन्झुनू	,,	झुन्झुनू
26. अकलेरा	,,	झालावाड़
27. परबतसर	,,	नागौर
28. पाली	,,	पाली
29. बांरा	,,	बांरा
30. श्री माधोपुर	,,	सीकर
31. फतेहपुर	,,	,,
32. महुवा	,,	सवाईमाधोपुर
33. मालपुरा	,,	टोंक
34. चैनपुरा	,,	,,

उपरोक्त स्थानों पर सर्वेक्षण कार्य माह अप्रेल, 1992 से मार्च, 95 तक क्रियान्वित रहेगा और तीन वर्ष के पवन वेग के आंकड़ों के परीक्षण के पश्चात् परियोजनाएं भारत सरकार को प्रस्तुत की जा सकेगी।

कृषि उत्पादन के स्थायित्व हेतु विश्व बैंक की योजना

1204. **श्री महावीर प्रसाद जैन**(टोंक): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उत्पादन को स्थायित्व देने के लिये भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा 500 करोड़ रुपये की एक योजना बनाकर भेजी गई थी ?

(2) यदि हां, तो उक्त योजना की स्वीकृति कब हुई और इस योजना के अन्तर्गत तिलहन, दलहन विकास, फल विकास, भू-जल विकास, पशु नस्ल सुधार, चारा विकास एवं कृषि वानिकी की दृष्टि से किस-किस जिले में क्या-क्या कार्यक्रम लिये गये ? उन पर कितना-कितना व्यय किये जाने का प्रावधान था ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । यह सही है कि कृषि उत्पादन को स्थायित्व देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये की कृषि विकास योजना भारत सरकार एवं विश्व बैंक को प्रेषित की गई थी किन्तु विश्व बैंक द्वारा इस योजना हेतु राशि 300 करोड़ रु. स्वीकृत किये जाने का संकेत दिया है ।

(2) यह योजना अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है । इस हेतु विश्व बैंक के विशेष भ्रमण दल ने राज्य का चार बार भ्रमण कर इस पर चर्चा की है तथा माह मई, 92 में विश्व बैंक द्वारा पुनः भ्रमण कर इस योजना को अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है । तदानुसार ही इस योजना के संबद्ध विभागवार व कार्यक्रमवार योजना प्रावधान को विभक्त किया जाकर राशि का निर्धारण किया जावेगा ।

कृषि उपज मण्डी समिति कर्मचारियों की मांगें

1205. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

मण्डी कर्मचारी अपनी मांगों के लिये कब से संघर्षरत हैं एवं मांग पत्र पर सरकार, निदेशक, कृषि विपणन बोर्ड ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

राजस्थान राज्य मण्डी विपणन बोर्ड एवम् निदेशालय संयुक्त कर्मचारी संघ के द्वारा दिनांक 1.5.91 को कृषि विपणन राजस्थान, जयपुर को एक 52 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया गया । मांग पत्र के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर में सफेद लट की बीमारी से फसल को क्षति

1206. **श्री दिलसुख राय चौधरी** (फतेहपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री दिलसुख राय चौधरी)

क्या सीकर जिले में सफेद लट की बीमारी से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब विशेष योजना बनाकर सफेद लट की बीमारी से किसानों को हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां, खरीफ 1991 में सीकर जिले में किसानों को मूंगफली व बाजरा फसलों में सफेद लट से नुकसान हुआ है।

खरीफ 1992 में सफेद लट के भृंग व लट के नियंत्रण हेतु विशेष योजना बना ली गयी है। राज्य में सफेद लट प्रकोपित जिले अजमेर, जयपुर, दौसा, सीकर, सवाई माधोपुर, टौंक, नागौर व बीकानेर, इ.गा.न.प. में कुल 5,500 हैक्टर क्षेत्र में भृंगों का नियंत्रण किया जावेगा जिस पर लगभग 8.85 लाख की अनुदान राशि कृषकों को उपलब्ध करवायी जावेगी। सीकर जिले में भृंग नियंत्रण 800 हैक्टर क्षेत्र में प्रस्तावित है जिसके लिए अनुदान राशि रु. 1.29 का प्रावधान रखा गया है। इस कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु जिलों में कृषक प्रशिक्षण शिविर 15 अप्रेल, 92 तक आयोजित किये जावेंगे जिसमें कृषकों को वीडियो फिल्म, स्लाइड पैम्पलेट इत्यादि के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान दिया जावेगा। भृंग नियंत्रण हेतु कृषकों को अनुदान पर पौध संरक्षण रसायनों एवं उपकरणों के वितरण की व्यवस्था जिले में संभावित मांग अनुसार भी समय पूर्व की जा रही है।

इसके अतिरिक्त बीजोपचार एवं भूमि उपचार से सफेद लट नियंत्रण हेतु भी योजना तैयार कर ली गयी है जिसके लिए राज्य में बाजरा फसल में 7,000 हैक्टर तथा मूंगफली फसल में 6000 हैक्टर क्षेत्र में क्रमशः 31 व 30 लाख की अनुदान राशि प्रस्तावित हैं। इसमें से सीकर जिले हेतु बाजरा व मूंगफली फसलों के अन्तर्गत क्रमशः 500 हैक्टर व 400 हैक्टर क्षेत्र में सफेद लट नियंत्रण का कार्य प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्तावित योजना की क्रियान्विति भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति जो माह अप्रेल–मई, 92 में अपेक्षित है प्राप्त होते ही मानसून पूर्व कर दी जावेगी।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए प्रवृत्त नियम एवं शर्तें

1207. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)** : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आबकारी नियम एवं लाइसेन्स शर्तों में भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकानात लगाने हेतु आबकारी आयुक्त अधिकृत है ? यदि हां तो किस नियम में ? यदि नहीं, तो जिला आबकारी अधिकारी जयपुर, द्वारा कितनी दुकानों का संचालन शिथिलता प्राप्त कर किया जा रहा है ?

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनुज्ञाधारी फुलेरा समूह द्वारा "बिचून" देशी मदिरा दुकान को लगाने हेतु शिथिलता आवेदन किया है? यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 30-7-1991 को नियम विरुद्ध संचालित कुछ दुकानें जयपुर शहर में पाई गई तथा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 31-7-1991 को उन दुकानों पर संचालन शिथिलता देने के लिए आयुक्त आबकारी को प्रस्ताव भेजे? यदि हां, तो किस नियम में तथा उसके क्या परिणाम रहे? क्या दुकानात पर शिथिलता प्राप्त हुई? यदि नहीं, तो क्या सम्बन्धित दुकानात संचालन बन्द किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए कौन दोषी है?

(4) क्या यह सही है कि जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर (तत्कालीन) द्वारा अंग्रेजी शराब की लगभग 10 दुकानात संचालन करवाने के लिए शिथिलता दिलवाई/प्रस्तावित की गई, जबकि फुलेरा के अनुज्ञाधारी द्वारा नियमानुसार देशी मदिरा लाइसेन्स शर्त 11 (ड़) के तहत देशी मदिरा दुकान बिचून के लिए चाही गई संचालन शिथिलता के आवेदन का जानबूझकर बिना वजह पेन्डिंग रखा गया? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या विभाग में अलग-अलग ठेकेदारों के लिए अलग-अलग नियम हैं? यदि नहीं, तो प्रश्न के भाग 4 के अनुसार जिला अधिकारी द्वारा एक ही प्रकृति के शिथिलता आवेदन पर भेदभाव क्यों बर्ता गया? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) श्री जी. के. तिवाड़ी, आर. ए. एस. को जिला आबकारी अधिकारी ग्रामीण से जयपुर शहर तथा तत्पश्चात् पदोन्नत कर आबकारी विभाग में ही अतिरिक्त आयुक्त, जयपुर के पद पर लगाये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 27.2.92 को जारी राज्य सरकार की अधिसूचना अनुसार आबकारी नियमों 1956 के नियम 75 में मदिरा दुकान की लोकेशन में शिथिलता का प्रावधान कर दिया गया है। इससे पूर्व देशी मदिरा अनुज्ञा शर्त संख्या 11 (ड़) के तहत आबकारी आयुक्त मदिरा दुकानों की लोकेशन में शिथिलता प्रदान करने में सक्षम थे। दिनांक 27.2.92 से पूर्व विदेशी मदिरा दुकानों की लोकेशन के संदर्भ में शिथिलता का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण तथा विदेशी मदिरा की लोकेशन से उत्पन्न पब्लिक न्यूसेंस देशी मदिरा की लोकेशन एवं दोनों प्रकार की अनुज्ञा शर्तों में एक रुपता रखने के दृष्टिकोण से आबकारी आयुक्त द्वारा राजस्व अजनहित में शिथिलता प्राप्त कर संचालन किया जा रहा है। सूची संलग्न है।

(आबकारी मंत्री)

(2) फुलेरा समूह के अनुज्ञाधारी द्वारा "बिचून" देशी मदिरा दुकान को लगाने हेतु "शिथिलता" आवेदन पेश किया गया है। वस्तुतः अनुज्ञाधारी ने संबंधित अनुज्ञा-शर्त में शिथिलता नहीं चाहि कर टेण्डर में अधिघोषित मुख्य दुकान के राजस्व ग्राम का परिवर्तन (बिचून से 'मोखमपुरा') चाहा है, जिसका प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया।

(3) जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर (शहर) ने दिनांक 30-7-91 को स्वयं गश्त करते हुए निरीक्षण के दौरान यह पाया कि मदिरा की दस दुकानें अनुज्ञा शर्त के प्रतिकूल सार्वजनिक मनोरंजन स्थले (सिनेमाघर) से 200 मीटर से कम दूरी पर अवस्थित है अतः इनमें से 6 दुकानों की लोकेशन निरस्त कर दी गई। ये दुकानें 10 वर्ष से भी अधिक समय से चल रही थीं। इनमें से चार दुकानों के प्रस्ताव अनुज्ञाशर्त में अवस्थित शिथिलीकरण हेतु आबकारी आयुक्त को प्रेषित किये गये क्योंकि राजस्व अर्जन व गारंटी पूर्ति हेतु इनका चलना आवश्यक समझा गया। इन दुकानों के लोकेशन शिथिलीकरण के प्रस्ताव आबकारी आयुक्त से पूर्व में प्राप्त शिथिलीकरण स्वीकृती के क्रम में प्रेषित किये गये। इन चार दुकानों को संचालन आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार व ब-उम्मीद मंजूरी बन्द नहीं कराया गया। इस संबंध में आबकारी आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 32 (बी) (46) आब/एल/90/1304 दिनांक 6-8-91 से राज्य सरकार को समग्र वस्तुस्थिति निवेदन करते हुए अवगत कराया गया कि ये चारों दुकानें राजस्व अर्जन की दृष्टि से यथावत चालू रखी गई हैं। इसके लिए कोई दोषी नहीं है।

(4) जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर नगर द्वारा कुल 6 विदेशी मदिरा की दुकानों की लोकेशन हेतु ही शिथिलीकरण प्रस्तावित किया गया था, 10 विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए नहीं। फुलेरा की अनुज्ञाधारी द्वारा जो बिचून की दुकानों के लिए शिथिलीकरण आवेदन पेश किया है वह अनुज्ञा शर्त में लोकेशन शिथिलीकरण का प्रकरण नहीं हो कर टेण्डर में प्रकाशित मुख्य दुकान को अधिघोषित राजस्व ग्राम (बिचून) परिवर्तन/स्थानान्तर संबंधित प्रकरण है जो अनुज्ञा शर्त संख्या 10 (ह) की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा मोखमपुरा ड्राईजोन क्षेत्र में आने से विवादित स्थल है। अतः अवस्थिति अस्वीकृत कर दी गई।

(5) जी नहीं। विभाग में अलग-अलग ठेकेदारों के लिए अलग-अलग नियम नहीं है। मदिरा दुकानों के लोकेशन में शिथिलता अनुज्ञाशर्तों में उल्लेखित स्थल विशेष से 200 मीटर की वर्जित परिधि में मदिरा दुकान से लगाये जाने के संदर्भ में दी जाती है। जबकि फुलेरा समूह के अनुज्ञाधारी द्वारा जो आवेदन किया गया है, वह पूर्णतः भिन्न प्रकृति का है जिसमें मुख्य मदिरा दुकान को अधिघोषित राजस्व ग्राम बिचून में लगाने के बजाय अन्य राजस्व ग्राम

(आबकारी मंत्री)

मोखमपुरा में स्थानान्तरित कर स्थापित करने की इस्तदुआ की गयी है। इस प्रकार फुलेरा अनुज्ञाधारी का प्रकरण अनुज्ञा शर्त में शिथिलता का नहीं हो कर टेण्डर में अधिघोषित राजस्व ग्राम में परिवर्तन का है जो स्पष्टतः सर्वथा भिन्न प्रकृति का है। इस प्रकार कोई भेद भाव नहीं बरता गया है तथा न ही कोई इसमें दोषी हैं।

(6) अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी, जयपुर का पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला में संवर्गीकृत है। अतः श्री जी. के तिवारी को उक्त पद के विरुद्ध प्रशासनिक कारणों से पदस्थापित किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

आयुर्वेद चिकित्सक के विरुद्ध जांच

1208. **श्री अनंगकुमार जैन** (झालरा-पाटन) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में कार्यरत वैद्य ओमप्रकाश बडाया, आयुर्वेद चिकित्सक के विरुद्ध फर्जी चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करने एवं रिकार्ड में काट-छांट किये जाने की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं ?

(2) क्या इन शिकायतों के आधार पर विभाग द्वारा कोई जांच कराई गई है और सम्बन्धित रिकार्ड को सीज किया गया है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम सामने आये तथा दोषी चिकित्सक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, अलवर द्वारा प्रस्तुत जांच हेतु राजकीय आयुर्वेद "अ" श्रेणी चिकित्सालय, अलवर को प्रस्तुत करने पर कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सक श्री बाबूराम शर्मा आयुर्वेद "अ" श्रेणी चिकित्सालय, अलवर द्वारा उक्त शिकायत की प्रारम्भिक जांच की गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जांच के बाद निम्न मुख्य तथ्य पाये हैं :—

1. रोगी रजिस्टर में कांट-छांट की गई।

2. रोगारोग्य प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितता बर्ती गई।

अतः श्री ओमप्रकाश बडाया, चिकित्सक से स्पष्टीकरण चाहा गया है। चिकित्सक के स्पष्टीकरण के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

एक अन्य प्रकरण में प्रारम्भिक जांच जिला आयुर्वेद अधिकारी, अलवर के स्तर से की जा रही है।

आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर से सम्बद्ध चिकित्सालयों की व्यवस्था

1209. श्री प्रभुराम गरासिया (पिंडवाड़ा) एवं श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर से सम्बद्ध चिकित्सालयों क्रमशः मोती चोहट्टा, नवीन आतुरालय, अनुसंधान केन्द्र में कितनी-कितनी शय्याओं के कितने वार्ड हैं? उक्त चिकित्सालयों में 1991-92 में कितने अंतरंग मरीज लाभान्वित हुये? माहवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में चिकित्सालयों की व्यवस्था तथा स्टॉफ के वेतनादि पर कितना व्यय हुआ? मरीजों पर कितना व्यय हुआ? इनका अनुपात कितना रहा?

उत्तर

(1) मदनमोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर के अधीन "अ" श्रेणी मोतीचोहट्टा चिकित्सालय, कालेज परिसर स्थित चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र में उपलब्ध शय्याओं का विवरण परिशिष्ट I पर तथा लाभान्वित रोगियों की माहवार सूची (परिशिष्ट –II) सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) चिकित्सालयों की व्यवस्था एवं स्टाफ पर हुए व्यय का विवरण (परिशिष्ट III) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची व विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

तहसील सांगानेर व चाकसू में आयुर्वेद औषधालय

1210. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :-क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

तहसील सांगानेर एवं चाकसू में वर्ष 1977 से अब तक आयुर्वेद औषधालय किस-किस स्थान पर कब-कब स्वीकृत किये गये हैं? क्या सरकार उन स्थानों पर जहां कोई चिकित्सा केन्द्र नहीं है, तथा वे पंचायत मुख्यालय/राजस्व ग्राम हैं, उनमें आयुर्वेद औषधालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं किस-किस स्थान पर? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वर्ष 1977--78 से 1991--92 तक जयपुर जिले की सांगानेर व चाकसू तहसील में स्वीकृत आयुर्वेद औषधालयों की सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण फिलहाल उन सभी राजस्व ग्रामों या पंचायत मुख्यालयों पर आयुर्वेद औषधालय खोलना सम्भव नहीं है, जहां वर्तमान में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट - 19 देखें)

भीलवाड़ा जिले में कार्यरत वैद्यों के विरूद्ध शिकायतें

1211. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :-- क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने

(श्री बंशीलाल पटवा)

की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा जिले में कार्यरत रहे किन-किन वैद्यों के खिलाफ जिलाधिकारी तथा जिला प्रशासन ने विभाग को कौन-कौन सी शिकायतें कब-कब प्रस्तुत की ?

(2) उक्त प्रस्तुत की गई शिकायतों पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट-- क सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) प्राप्त शिकायतों पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट -- क में अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

राज्य के बाहर खोले गये जन-सम्पर्क कार्यालय

1212. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) एवं **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार ने राजस्थान से बाहर कहां-कहां जन सम्पर्क कार्यालय खोल रखे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उन कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? कार्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उन कार्यालयों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से सरकार क्या-क्या कार्य सम्पादित करवाती है ?

(4) इन कार्यालयों का गत दो वर्षो का वार्षिक व्यय कितना हुआ ? कार्यालयवार एवं मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उन कार्यालयों को उपलब्ध करवाये गये वाहनों का विवरण भी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान से बाहर दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई में जन सम्पर्क कार्यालय नहीं, बल्कि सूचना केन्द्र खोले हुये हैं।

(2) इन कार्यालयों में निम्न प्रकार पद स्वीकृत हैं।

राज. सूचना केन्द्र, दिल्ली

सहायक निदेशक	एक
जन सम्पर्क अधिकारी	एक
सहा. जन सम्पर्क अधिकारी	एक
स्वागतकर्ता	एक
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	एक
वरिष्ठ लिपिक	एक
कनिष्ठ लिपिक	तीन
स्कूटर ड्राईवर	एक
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	चार
वाहन चालक	एक

(सहा.ज.स.का. ब्यावर के पद के विरुद्ध दिल्ली में कार्यरत)

(सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री)

कनिष्ठ लेखाकार	एक
शीघ्र लिपिक	एक

राज. सूचना केन्द्र, कलकत्ता

उप निदेशक	एक
सहायक जन सम्पर्क अधिकारी	एक
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	एक
कनिष्ठ लिपिक	दो
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	दो

राज. सूचना केन्द्र, बम्बई

उप निदेशक	एक
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	एक
स्कूटर ड्राईवर	एक
कनिष्ठ लिपिक	एक
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	दो

(3) (क) दिल्ली, कलकत्ता तथा बम्बई से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों तथा जन संचार के विभिन्न माध्यमों से राज्य सरकार का जन कल्याणकारी नीतियों, विकास कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों की जानकारी प्रसारित कराना।

(ख) प्रवासी राजस्थानियों से सम्पर्क कर विकास कार्यों की जानकारी कराते हुये राज्य की कला एवं संस्कृति, ऐतिहासिक, पुरातात्विक व प्राकृतिक वैभव विषयक गोष्ठियां, सम्मेलन तथा आयोजनों में सहयोग।

(ग) वरिष्ठ पत्रकारों को राजस्थान यात्रा कराने की व्यवस्था।

(4) उक्त तीनों कार्यालयों का गत दो वर्ष में निम्न प्रकार व्यय हुआ है।

सूचना केन्द्र	वर्ष 1989–90	वर्ष 1990–91
सूचना केन्द्र, दिल्ली	557023	625302
सूचना केन्द्र, कलकत्ता	255454	215572
सूचना केन्द्र, बम्बई	260998	247667

जिसका मदवार विवरण परिशिष्ट "एक" पर प्रस्तुत है।

(5) (I) राजस्थान सूचना केन्द्र, कलकत्ता में किसी प्रकार का वाहन नहीं है।

(II) राजस्थान सूचना केन्द्र, बम्बई में एक दो पहिया स्कूटर उपलब्ध है।

(III) राजस्थान सूचना केन्द्र, दिल्ली में एक दो पहिया स्कूटर उपलब्ध है तथा वहां कार्य की आवश्यकता को देखते हुये सहायक जन सम्पर्क कार्यालय, ब्यावर की वाहन मय ड्राईवर से अस्थायी रूप से उपलब्ध करायी हुयी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

बाल विकास एवं पोषाहार कार्यक्रम हेतु महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति

1213. श्री भरोसीलाल (हिण्डौन) : क्या महिला बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है बाल विकास एवं पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत (इस वर्ष 800 महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गई ?

(2) इनमें से अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कितनी महिलाओं को नियुक्ति दी गई है ?

(3) क्या अनुसूचित जाति, जन जाति के बैक लोग को पूरा करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। इनको भरने के लिए विभाग द्वारा शीघ्र ही कार्यवाही की जा रही है।

बीमा एवं भविष्य निधि के परिपक्व दावों का भुगतान

1214. श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) एवं श्री चुन्नीलाल (उदयपुर ग्रामीण) : क्या राज्य बीमा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में परिपक्व हुए सैकड़ों दावे अभी (कर्मचारियों/अधिकारियों के) बिना भुगतान के पड़े हुए हैं, जबकि परिपक्वता तिथि को कर्मचारियों को भुगतान मिल जाना चाहिये ? यदि हां, तो बीमा एवं भविष्य निधि के दावों (दोनों) का अलग-अलग भुगतान नहीं करने के फलस्वरूप कर्मचारी को कितने प्रतिशत ब्याज दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या समय पर भुगतान नहीं होने के फलस्वरूप कर्मचारियों को परिपक्वता तिथि के बाद भुगतान करने से विभाग द्वारा ब्याज दिया गया है ? यदि हां, तो कुल कितना ब्याज विगत तीन वर्षों में दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) 1 फरवरी, 1992 तक परिपक्व हुए समस्त दावों का भुगतान अधिकतम किस तिथि तक कर्मचारियों को कर दिया जायेगा ?

(4) दोषी कर्मचारी / अधिकारी जिनकी लापरवाही से भुगतान लम्बित है, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, जिला कार्यालय उदयपुर में बीमा निधि योजना में दिनांक 1-2-92 तक परिपक्व हुए कुल 86 मामले एवं प्रावधायी निधि योजना में कुल 62 मामले बकाया हैं।

नियमानुसार कार्मचारी/अधिकारी को

(बीमा राज्य मंत्री)

बीमा योजना में पालिसी की परिपक्वता तिथि के तीन माह पूर्व एवं प्रावधायी निधि योजना में सेवानिवृति के तीन माह पूर्व स्वत्व प्रपत्र विभाग में भिजवा देने चाहिए, किन्तु अधिकतर दावे संबंधित विभागों/अधिकारी/कर्मचारी द्वारा समय पर स्वत्व प्रपत्र पूर्ति कर नहीं भिजवाये जाते हैं एवं कुछ स्वत्व प्रपत्र अपूर्ण प्राप्त होते हैं। साथ ही अधिकारी/कर्मचारी के एक से अधिक जिलों में पदस्थापन होने से कटौतियों का सत्यापन न होने की वजह से दावें भुगतान में विलम्ब हो जाता है।

बीमा योजना में ब्याज भुगतान करने का नियमों में प्रावधान नहीं है। सिर्फ बोनस/टर्मिनल बोनस दिया जाता है तथा प्रावधायी निधि योजना में सेवानिवृति तिथि से एक वर्ष तक नियमों में 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं, उदयपुर जिले में गत तीन वर्षों में किसी भी मामले में ब्याज नहीं दिया गया है।

(3) उदयपुर जिले में दिनांक 1-2-92 तक परिपक्व हुए समस्त दावों के भुगतान की कार्यवाही यथाशीघ्र की जा रही है।

(4) कर्मचारी/अधिकारी की लापरवाही से भुगतान में विलम्ब होने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

लेबर कॉलोनी, भीलवाड़ा

1215. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लेबर कॉलोनी, भीलवाड़ा में कुल कितने क्वार्टर किस संवर्ग के हैं ? इन क्वार्टर्स को किन-किन श्रमिकों को निजी उपयोग हेतु कब-कब कितनी कीमत पर आवंटित किया ? आवंटित नहीं किये गये क्वाटर किस-किस श्रेणी के आज भी विभाग के पास शेष हैं और किनके कब्जे में हैं ?

(2) जब अधिकतर क्वाटर श्रमिकों को आवंटित कर दिये गये तो यह बस्ती नगर परिषद को विकास हेतु क्यों नहीं सौंपी जा रही है ?

(3) विभाग ने शौचालय, नालियों, सड़कों पर पिछले 10 वर्ष में कितनी धनराशि खर्च की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) लेबर कॉलोनी, भीलवाड़ा में 500 क्वाटर हैं जिनमें 400 एक कमरे वाले व 100 दो कमरे वाले हैं।

276 क्वाटरों को निजी उपयोग हेतु वर्ष 1987 से फरवरी, 92 तक आवंटित कर दिया गया है जिनकी कीमतवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। शेष 224 क्वाटरों में 188 सिंगल कमरे वाले व 36 दो कमरे वाले हैं जिनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) नगर परिषद द्वारा ही इन क्षेत्रों

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

का विकास, रख-रखाव एवं सफाई की जाती है। नगर परिषद को कॉलोनी को संभलाने हेतु सौंपने की जो प्रक्रिया है उसे विधिवत रूप से अपनाकर अग्रिम कार्यवाही करली जावेगी।

(3) विभाग द्वारा शौचालय, नालियों, सड़कों पर पिछले 10 वर्षों में कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गई है, क्योंकि बजट में कोई राशि आवंटित नहीं की गई थी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला नागौर में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति

1216. **श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990-91 व 1991-92 में कुल कितने बेरोजगार व्यक्तियों का नागौर जिले में रजिस्ट्रेशन किया गया ? क्या यह सही है कि इन आवेदकों का नागौर का मूल निवासी होना जरूरी है ? सरकार द्वारा जिले में मूल निवासी के लिए क्या शर्तें आवश्यक हैं ?

(2) मूल निवासी नहीं होने पर कुल कितने आवेदन खारिज किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 व 1991-92 (फरवरी, 92 तक) क्रमशः 5525 तथा 6510 कुल बेरोजगार व्यक्तियों का रोजगार कार्यालय, नागौर में रजिस्ट्रेशन किया गया। रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदकों का नागौर का मूल निवासी होना जरूरी नहीं है, किन्तु उन्हें नागौर जिले में साधारणतः निवास करना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा जिले का मूल निवासी होने की कोई शर्त निर्धारित नहीं है। राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।

(2) मूल निवासी नहीं होने पर एक भी आवेदन खारिज नहीं किया गया।

स्थगित प्रश्न

(सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 1992)

गांगीथला-धुवाला कुराडिया पेयजल योजना

724. **श्री शिवजीराम** (जहाजपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांगीथला धुवाला पेयजल स्कीम में विभाग द्वारा बिना इलेक्ट्रिक पम्पसेट लगाये ही विद्युत कनेक्शन ले लिया गया है एवं विद्युत विभाग को विद्युत चार्जेज दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब से एवं अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

(2) गांगीथला-धुवाला-कुराडिया पेयजल योजना में कौन-कौन से गांवों को शामिल किया गया है ? इनमें से कौन-कौन

(श्री शिवजीराम)

से गांवों में पाइप लाइन बिछा दी गई है ? शेष गांवों में पाइप लाइन क्यों नहीं डाली गई है ? अब कब तक डाल दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस योजना में कालाभाटा एवं कुराडिया के बीच आने वाले गांव रामनगर को जहां पेयजल का भयंकर संकट है, छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है एवं क्या इसको इस योजना में शामिल कर पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) योजना में स्रोत का निर्माण नियत तिथि तक पूर्ण होने की आशा में अग्रिम कार्यवाही के रूप में विद्युत सम्बन्ध लिया गया। विद्युत विभाग को 126 रुपये की राशि जुलाई, 1991 से स्थाई सेवा शुल्क एवं मीटर किराये के रूप में दी गई है।

(2) सन्दर्भित पेयजल योजना में 7 ग्राम क्रमशः गांगीथला, मोतीपुरा, उदयपुरिया, केशोविलास, धुवाला, कालाभाटा एवं कुराडिया सम्मिलित हैं। इनमें से स्रोत से ग्राम गांगीथला तक पूरी तथा ग्राम गांगीथला से कुराडिया तक आंशिक रूप से लाइन बिछाई जा चुकी है। शेष ग्रामों में पाईप लाईनें डाले जाने हेतु कार्यादेश दिए जाकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कार्य वर्ष 1992-93 में पूर्ण करना लक्षित है।

(3) उल्लेखित नव राजस्व ग्राम में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 2 हैण्डपम्प कार्यरत हैं। वर्तमान में कोई अन्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले की बामनवास तहसील के कतिपय गांवों को मोरेल बांध की नहरों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में,

(2) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से चिकित्सा विभाग में अनावश्यक रूप से साढ़े इक्कीस लाख रुपए का आयोडीन क्रिस्टल खरीदने के सम्बन्ध में,

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

आज की बैठक के लिए प्राप्त निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों को अविलम्बीय लोक महत्व की प्रकृति का नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है :

(3) श्री रामप्रसाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर में सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में,

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमती बीना सच्चर, प्रधानाध्यापिका का राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, देवीजी की गली, अलवर से स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध किये गये स्थानान्तरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। इसका विषय बहुत तुच्छ है।

(5) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से 20 मार्च, 1992 को गंगानगर जिले की करणपुर तहसील के गांव चुटीवाला व रूपनगर से पंजाब फाजिल्का पुलिस द्वारा तीन नौजवानों को गिरफ्तार किये जाने तथा फाजिल्का ले जाते हुए रास्ते में फर्जी मुठभेड़ बताकर पुलिस द्वारा कथित रूप से मार देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में केदार जी का प्रस्ताव मेरे पास आया हुआ है और कल इसमें बोलने वाले हैं।

(6) सदन की एक दिन की बैठक के सन्दर्भ में एक स्थगन प्रस्ताव का ही नोटिस दिया जा सकता है, अतः श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के सेवारत शिक्षकों के लिए बी.एड. प्रवेश हेतु पी.टी.ई.टी. परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है। आपके दो आये हैं, एक स्वीकार कर लिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अलग-अलग तारीखों में दिये हैं। यह कल दिया हुआ है। एक दिन आप नहीं आये थे, उपाध्यक्ष जी को दिया था।

श्री अध्यक्ष: जब आप 10 बजे के बाद स्थगन प्रस्ताव देते हैं और अगले दिन के 10 बजे पहले देते हैं, तो एक दिन का माना जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री अमीन खां और श्री रामस्वरूप, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बाड़मेर के ट्रेजरी आफिसर द्वारा गत तीन वर्षों से कथित सरकारी धन का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि जिला बाड़मेर के ट्रेजरी आफिसर, श्री जयसिंह राठौड़ 2-7-1988 से 13-6-1989 तक लेखाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर तथा दिनांक 14-6-1989 से कोषाधिकारी, बाड़मेर के पद पर कार्यरत हैं। श्री राठौड़ द्वारा अपनी जाति के घरों में सामुदायिक सभा भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में जिला कलक्टर ने उप खण्ड अधिकारी, बाड़मेर को विस्तृत जांच करने के आदेश दिये हैं। रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस बाबत पत्र लिखा गया था, जिस पर जिला कलक्टर, बाड़मेर ने अपनी रिपोर्ट उनके पत्र दिनांक 23-3-1992 द्वारा सचिव, मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर दी है।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले की पंचायत समिति गंगापुर सिटी की ग्राम पंचायत बगलाई के सरपंच के खिलाफ थाना वजीरपुर में दर्ज रिपोर्ट पर समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि सवाई माधोपुर जिले की पंचायत समिति गंगापुर सिटी की ग्राम पंचायत बगलाई के सरपंच श्री पृथ्वीराज के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17(4) में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर से दिनांक 27-6-1991 को पत्र प्राप्त हुआ। अवर सचिव (जांच) द्वारा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 21(2) के अन्तर्गत जांच प्रारम्भ कर सरपंच महोदय को आरोप पत्र दिया गया। सरपंच महोदय द्वारा 21-2-1991 को पुनः नोटिस देने पर भी कोई स्पष्टीकरण या दस्तावेज विभाग को प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः उनके विरुद्ध नियम 21(3) के अन्तर्गत विभागीय जांच की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

(3) श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले के तहसील लूणकरणसर स्थित ग्राम शेरपुरा की एस. बी.बी.जे. ब्रांच में आग लगने से ग्राम पंचायत भवन के जलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि आग लगने का क्या कारण रहा, इसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। यह मकान ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया गया था। आग के समय इस कच्चे मकान में शाखा कार्यरत थी। मकान का कोई बीमा हमने नहीं करवाया। बैंक का सामान व फर्नीचर का बीमा होने से बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की कार्यवाही चालू है। बैंक में आग लगने से सारा रिकार्ड सिवाय उसके जो सेफ में था, जलकर राख हो गया था। बैंक का काम 16-3-1992 से नयी पुस्तकें आदि खोल कर नयी जगह पर चालू हो गया है और 16-3-1992 को 35,000 रुपये बचत खाते में जमा भी हुए हैं।

(4) श्रीमती सुमित्रा सिंह, और डा. चन्द्रभान, सदस्य, विधान सभा की ओर से तिलम संघ द्वारा काश्तकारों को तिलहन खरीद में बाजार मूल्य से अधिक राशि देने का वायदा करने के उपरान्त भी फसल अधिक मूल्य पर नहीं खरीदने से काश्तकारों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि तिलम संघ द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गयी कि तिलम संघ द्वारा चलायी जा रही तेल मिलों से काश्तकारों से बाजार दर से पन्द्रह रुपये अधिक दर से सरसों, मूंगफली एवं सोयाबीन खरीद की जायेगी। तिलम संघ अपनी उपार्जन नीति के प्रावधानों के अनुसार मूल्य निश्चित करता है। राजस्थान में सरसों की फसल इस वर्ष लगभग 22 लाख टन की है जबकि तिलम संघ को अपने प्लांटों हेतु लगभग सवा लाख टन सरसों चाहिए जिसकी उपलब्धि उपार्जन नीति के प्रावधानों के अनुसार घोषित होने वाली कीमत से ही हो सकेगी।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से माली पुश्तैनी काश्तकारों को मुक्ता प्रसाद कालोनी से गैरकानूनी तरीके से बेदखल कर आवासन मण्डल को भूमि दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि भूमि का कब्जा आठ वर्ष पूर्व ही आवासन मण्डल द्वारा ले लिया गया था। कब्जा लेते समय भूमि रिक्त कृषि भूमि थी तथा इस पर किसी काश्तकार का कब्जा नहीं था।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है, अतः इन पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री कन्हैया लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 16-17 अगस्त, 1988 की रात को झोटवाड़ा रेल्वे स्टेशन आउटर सिग्नल के पास अरविन्द नाम के व्यक्ति का शव मिलने की जांच सी. बी. आई (सी बी.) के अनुसार करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों में डामर व ग्रेवल की अकाल राहत कार्यों के तहत सन् 1963 से 1988 तक बनी सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(3) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र नैनवा के ग्राम मोतीपुरा को एक आदिवासी महिला का परिवार नियोजन आपरेशन असफल होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामेश्वर भारद्वाज, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर के मुख्य मार्ग स्टेशन रोड़ की चौड़ाई बढ़ाने के उपरान्त भी उसमें डामरीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री दिलसुखराय चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर विश्वविद्यालय में कथित भारी अनियमितताओं एवं घोटालों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री नन्दकिशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के विभिन्न भागों में आपराधिक गतिविधियों के बढ़ने के कारण पुलिस की समुचित व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से मेवाड़ भील कोर खेरवाड़ा, की बटालियन की संख्या को पूरी करने के लिए भर्ती करने, आदिवासी उम्मीदवारों की समुचित मात्रा में भर्ती न होने व लाइन क्षेत्र के चारों तरफ परकोटा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री श्रीकिशन सोनगरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर जिले के मांगलियावास पुलिस थाना क्षेत्र के अन्तर्गत 24 अगस्त, 1991 को भारतीय शिक्षा प्रचार समिति के संगठन मंत्री श्री शंकरलाल नागर

Page No. 77

(श्री अध्यक्ष)

की एक वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने तथा उनकी लाश को लावारिस घोषित कर दाह-संस्कार कर दिये जाने की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती सुमित्रासिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से थाना हमीरवास जिला चूरू के एक भूतपूर्व सैनिक की अनुपस्थिति में स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी तथा कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा उसकी पत्नी के साथ कथित रूप से बलात्कार का प्रयास करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री फूलचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाटन, तहसील नीमकाथाना में "मिनी सीमेंट औद्योगिक क्षेत्र" विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री मोहनलाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल, जिला नागौर के ग्राम सुरपालिया के थाने को हटाकर, ग्राम डेह तहसील जायल, जिला नागौर में स्थानापन्न न करने से नागरिकों को हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में।

(12) श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे में अधिकारियों व कर्मचारियों की कथित लापरवाही के कारण गत 15 दिन से जनता को पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री प्रभुराम गरासिया, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम सीमावर्ती जिले सिरोही में सिंचाई की समुचित व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री हजारीलाल गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(15) श्री चुन्नीलाल जेलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), सवाईमाधोपुर द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति में किये गये कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(16) श्री हेमराज मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उप जिला कलक्टर, हिण्डौन द्वारा कथित अनियमितताएं करने के संबंध में।

(17) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र अटरु में जल भंडार के उपयोग के लिए विभिन्न स्थानों पर एनीकटों के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

(18) श्री मोतीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले में पेयजल की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) डा. चन्द्रभान, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रबन्धकीय अव्यवस्था के कारण झुन्झुनू जिले के मुकुन्दगढ़ स्थित

(श्री अध्यक्ष)

गंगाबख्श कानोडिया अस्पताल के बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(20) श्री अचला राम, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांगर हरिजन बस्ती, फोर्ट रो, जोधपुर में डा. भीमराव अम्बेड़कर वाटिका में, अम्बेड़कर प्रतिमा स्थापित कराने एवम् नगरपालिका सादड़ी (पाली) में डा. भीमराव अम्बेड़कर की खंडित प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा लाने के सम्बन्ध में।

(21) श्री घासीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह के देवली व टोडारायसिंह के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की खराब हालत से आवागमन में अवरोध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(22) श्री श्रीराम मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में रैफरल अस्पताल में समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाये जाने में सम्बन्ध में।

(23) श्रीमती कमला भील, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में वनों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

व्यवस्था

सहकारिता मंत्री पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में।

श्री सुरेन्द्र व्यास व अन्य चार माननीय सदस्यों ने दिनांक 25 फरवरी, 1992 को सायं 4.55 बजे एक प्रस्ताव विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 119 के अधीन, इस आशय का प्रस्ताव किया कि राज्य के सहकारिता मंत्री माननीय श्री चतुर्भुज वर्मा द्वारा अपने मंत्री पद एवं शक्तियों के राजनीतिक कारणों से सहकारी समितियों के चुनाव के अन्दर दुरुपयोग करने के दुराचरण के लिए उन्हें तत्काल मंत्रिमण्डल से बर्खास्त किया जाय। क्योंकि प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ताओं के कथनानुसार सहकारिता मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निर्वाचन अधिकारी श्री रमेशचन्द मीणा एवं सहायक रजिस्ट्रार, सवाई माधोपुर पर कथित राजनैतिक दबाव डालकर गैर कानूनी रूप से सवाई माधोपुर जिले की शशि बरदाला ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के चुनाव करवाये जाने की घोषणा करवाई, जिसके पीछे मंत्रीजी का श्री गंगा सहाय त्रिवेदी अध्यक्ष, सैण्ट्रल कोआपरेटिव, बैंक सवाई माधोपुर के प्रति कथित राजनैतिक द्वेष व श्री त्रिवेदी को पुनः सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बनने से रोकने की एक साजिशपूर्ण कार्यवाही है।

इस सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी

(श्री अध्यक्ष)

नियमों के नियम 119 से 123 तक के प्रावधान सुसंगत व प्रासांगिक हैं। नियम 119 में व्यवस्था है कि संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।

नियम 121 में ऐसे प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें उल्लिखित हैं, जिनमें से इस प्रकरण के प्रसंग में निम्न उल्लेखनीय है :—

2. उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यारोप या मानहानिकारक कथन नहीं होगा,

4. वह किसी हाल ही में घटित विषय तक निबन्धित रहेगा,

6. उसमें ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं चलाई जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो,

8. वह किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णय के अन्तर्गत हो,

9. यदि उसमें कोई कथन हो तो सदस्य को उस कथन की परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा।

12. उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि सम्बन्धी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए नहीं पूछा जायेगा।

नियम 122 में अध्यक्ष प्रस्ताव की ग्राह्यता को विनिश्चित करेगा, शीर्षक से निम्न प्रावधान है :—

"अध्यक्ष विनिश्चिय करेगा कि कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वह कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सदन की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो।"

ज्ञातव्य है कि दिनांक 25 फरवरी, 1992 को प्रश्नकाल के प्रातः 11.00 बजे प्रारम्भ होने के बाद प्रश्न सूची में दूसरे आईटम पर तारांकित प्रश्न संख्या 2, जो श्री रामस्वरूप मीणा के द्वारा जिला सवाईमाधोपुर की सहकारी समितियों के सम्बन्ध में था, पर चर्चा के समय सदन में विवेच्य प्रकरण पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। इस प्रश्न पर चर्चा में अनुपूरक प्रश्न करते हुए श्री परसादीलाल मीणा ने यह जानकारी चाही थी, कि क्या बरदाला ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव में धांधली की जांच संयुक्त रजिस्ट्रार, भरतपुर ने की है, जिसमें मंत्रीजी के खिलाफ टिप्पणी है, जिस रिपोर्ट में यह व्यक्त किया गया है कि वे श्री गंगासहाय त्रिवेदी के अहिरावण को हटा देना चाहते हैं और 19-2-1991 को ही चुनाव करा

(श्री अध्यक्ष)

देना चाहते हैं, जिस पर सहकारिता मंत्रीजी ने उत्तर में कहा कि उन्होंने किसी को टेलीफोन नहीं किया। इन्होंने जो आरोप लगाया, उसके लिए मैंने, रजिस्ट्रार साहब ने खुद जाकर बरदाला में जांच की है और जांच प्रक्रिया चालू है। इस प्रकार मंत्रीजी के विरुद्ध कथित अनियमित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में लगाये गये आरोप का खंडित किया जाना, स्थिति स्पष्ट करने के लिए, संसदीय व्यवस्था के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित माना गया है।

उक्त तारांकित प्रश्न के बारे में अनुपूरक प्रश्नों के दौरान इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि "इस समिति के चुनावों की अनियमितता के सम्बन्ध में हाई कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की गई है, 19-2-1991 को राजस्थान हाई कोर्ट ने यह आदेश दिये हैं कि इस मामले की जांच, जिन आरोपों के सम्बन्ध में, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान 6 सप्ताह में पूरी कर कानून के अनुसार कार्यवाही करे। यह जांच हो रही है और उन्होंने सदन में आश्वस्त किया कि इसमें कोई पक्षपात नहीं होगा।

उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 25 फरवरी, 1992 को इस प्रस्ताव के नोटिस दिये जाने से पूर्व एक तारांकित प्रश्न के माध्यम से इस विषय पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है और माननीय मुख्य मंत्रीजी व मंत्रीजी ने इसका समुचित उत्तर दिया है और सदन को आश्वस्त किया है। मंत्रीजी ने उनके उपर लगाये गये कथित आरोपों का खण्डन किया है, इस प्रकार नियम 121 की ग्राह्यता की यह शर्त कि उसमें ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं चलाई जायेगी, जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो, की दृष्टि में यह प्रस्ताव, इसी सदन में दुबारा चर्चा के लिए मांग किये जाने के कारण और पुनरावृत्ति होने के कारण अग्राह्य है।

अग्रेत्तर यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 24 मार्च, 1992 को सहकारिता विभाग की मांग पर चर्चा के समय श्री हरिसिंह, सदस्य, विधान सभा ने इस मामले को पुनः उठाया था, इसके प्रत्युत्तर में सहकारिता मंत्रीजी ने फिर स्पष्टीकरण देकर अपनी स्थिति स्पष्ट की कि कथित वाकिये के 10-11 महीने बाद और सेवा निवृत्ति के 7 दिन पहले एक संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा लिखित में टिप्पणी किया जाना क्या दर्शाता है और उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उस व्यक्ति के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट ने भी 500/– रुपये का जुर्माना मिस-कन्डक्ट के बारे में कर रखा है। उन्होंने इसी दौरान इस बारे में स्थिति स्पष्ट की कि साल भर पहले एक प्रश्न के माध्यम से उसी समिति के अध्यक्ष के बारे में उठाये गये प्रकरण में उन्होंने यह विश्वास दिलाया था कि "मैं जांच करूंगा, सब कुछ करूंगा"। प्रकारान्तर से उन्होंने उनके ऊपर कथित आरोप की पृष्ठ भूमि से इसको जोड़ा है।

इस प्रकार भी सहकारिता विभाग की

(श्री अध्यक्ष)

मांग के समय उनके विरुद्ध उक्त सहकारी समिति के सम्बन्ध में लगाये गये कथित आरोप का उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है और चर्चा के बाद विभाग की मांग सदन द्वारा पारित कर दी गई है और इस दृष्टि से भी यह प्रकरण स्वतः समाप्त हो जाता है।

सर्वश्री कौल एवं शकधर द्वारा विरचित संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार नामक पुस्तक में प्रक्रिया सम्बन्धी सामान्य नियमों के अध्याय में यह उल्लेख है कि जब किसी मंत्री अथवा सदस्य के खिलाफ आरोप लगाये जाते हैं तो यह मंत्री और सदस्य के निर्णय की बात है कि वे आरोपों का खण्डन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं और मंत्री को उनके विरुद्ध लगाये जाने वाले आरोपों के खण्डन करने के सम्बन्ध में यथा समय अनुज्ञा प्रदान किया जाना अभिप्रेत है। यह भी कहा गया है कि यह पर्याप्त नहीं है कि एक सदस्य द्वारा अध्यक्ष को आरोप लगाने के सम्बन्ध में एक सामान्य किस्म का औपचारिक नोटिस दे दिया जाय, इस हेतु आरोप लगाने वाले सदस्य को लगाये जाने वाले आरोपों की जिम्मेदारी लेनी होती है और ऐसे आरोपों को सिद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिये, जो इस प्रकरण में माननीय सदस्य सिद्ध नहीं कर पाये हैं।

संसदीय प्रक्रिया तथा व्यवहार नामक पुस्तक का विवेच्य प्रकरण में, जो अंश उल्लेख किया जाना प्रासंगिक एवं सुसंगत है, उसके अनुसार एक निन्दा प्रस्ताव, जो मंत्री परिषद से किसी मंत्री को बर्खास्त करने के सम्बन्ध में मांग करता हो, वह अग्राह्य है, चूंकि मंत्री परिषद राज्य विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। प्रकारान्तर से, जिसका तात्पर्य यह है कि एक मंत्री के प्रति निन्दा प्रस्ताव लाने का, इस आशय का प्रस्ताव, जैसा माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, यथा....

"यह सदन सर्वसम्मति से महामहिम राज्यपाल से आग्रह करता है कि राज्य के सहकारिता मन्त्री माननीय श्री चतुर्भुज वर्मा द्वारा अपने मन्त्री पद एवं शक्तियों के राजनीतिक कारणों से सहकारी समितियों के चुनाव के अन्दर दुरुपयोग करने दुराचरण के लिए तत्काल श्री चतुर्भुज वर्मा को मन्त्री मण्डल से बर्खास्त करें।"

मन्त्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी होने के कारण प्रस्ताव पूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ माना जा सकता है और ऐसा प्रस्ताव प्रक्रिया नियमों के नियम 132 के तहत ही उठाया जा सकता है।

उक्त पुस्तिका में मुख्य प्रस्ताव (सबसेंटिव मोशन) के सन्दर्भ में उल्लेख किया है कि ऐसे प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक होता है कि ऐसा प्रस्ताव पूर्ण स्वतंत्र प्रस्थापना है, जो सभा के अनुमोदन के लिए उसके सामने रखा जाता है और उसका प्रारूप इस ढंग से तैयार किया जाता है कि वह सभा के निर्णय की अभिव्यक्ति कर सके।

उपरोक्त उल्लेख की दृष्टि से भी यह प्रस्ताव, मुख्य प्रस्ताव की परिभाषा में

(श्री अध्यक्ष)

नहीं आता है, चूंकि मंत्री परिषद् से एक मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई है, जिस पर सभा के निर्णय की अभिव्यक्ति, ऊपर के पैरा में किये गये उल्लेख की दृष्टि में नहीं हो सकती।

सार संक्षेप यह है कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में इसके प्रस्तुत करने से पूर्व इसी सत्र में विस्तार से चर्चा, एक प्रश्न के माध्यम से व सहकारिता विभाग की मांग पर चर्चा के समय हो चुकी है और मंत्रीजी ने लगाये गये कथित आरोपों का खण्डन कर समाधान कर दिया है और यह कि, किया गया प्रस्ताव दोषपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रस्ताव के माध्यम से सभा के निर्णय की अभिव्यक्ति की गुंजाइश नहीं है और मंत्री परिषद् से एक मंत्री को कथित आचरण के कारण बर्खास्त करने की, प्रस्ताव के माध्यम से उठाई मांग इसलिए अग्राह्य है कि पूर्ण मंत्री परिषद् सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति जिम्मेदार है, और विषय हाल ही में घटित घटना से भी निबन्धित नहीं है।

एतदर्थ माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र व्यास एवं चार अन्य माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को मैं उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा प्रक्रिया के नियमों तथा प्रवृत्त प्रक्रिया के नियमों के उल्लंघन के कारण अस्वीकार करता हूं।

माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

व्यवस्था का प्रश्न

दो सदस्यों की दल से सम्बद्धता

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।...(व्यवधान)

डा. हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने....

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले एक मिनट....(व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने ओलावृष्टि के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण मामला उठाया था। आपको कल भी लिख कर दिया था और आज भी लिख कर दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हो रहा है माननीय सदस्य या तो आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं या मैं इतना कमजोर और बेवकूफ हूं कि आपको समझा नहीं पा रहा हूं। इसी विषय पर मैंने प्रद्युम्न सिंह जी को बुलाया है, आप भी बोलेंगे, आपकी बात भी सुनूंगा। बार-बार क्यों खड़े होते हैं आपको शुरू में कह दिया था।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने 25 फरवरी को आपसे व्यवस्था चाही थी कि सदन के दो माननीय सदस्य, जिनको उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है और उस आशय का पत्र आपके पास भी आ गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसी सत्र में इसकी व्यवस्था दें। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में एक भ्रम फैल रहा है। माननीय सदस्य यहां सदन के अन्दर अपना भाषण

(श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़)

करते हैं वह जनता दल के सदस्य की हैसियत से समाचार-पत्रों में छपता हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो आपको पत्र मिला है एस.आर. बोम्बई का, उसके अनुसार अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें....(व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपको इसकी क्या जानकारी है ? अध्यक्ष महोदय, आपने इस सदन में यह भी व्यवस्था दी थी कि इस सचिवालय के कार्य से सम्बन्धित कोई भी सवाल इस सदन के अन्दर नहीं उठाए जाएंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में समाचार प्रकाशित हुए हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह सवाल आपके सचिवालय से सम्बन्धित है कि आपके सचिवालय को जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई पत्र प्राप्त हुआ है। इसको व्यवस्था के माध्यम से आप इस सदन में उठा रहे हैं। यह आसन की दी हुई व्यवस्था के खिलाफ है। इसकी आपको क्या जानकारी है ?

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : पूरे प्रदेश के समाचार पत्रों में छपा है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य प्रिज्यूडिस हो रहे हैं। दुर्भावना से यह सवाल उठा रहे हैं। इससे इनको क्या परेशानी हो रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : यह समाचार पत्रों में आ चुका है और अध्यक्ष महोदय, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। समाचार पत्रों के आधार पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैंने आज से लगभग एक माह पूर्व आपसे व्यवस्था चाही थी। आपको अधिकार है आप चाहे तो मेरे इस व्यवस्था के प्रश्न को रद्द करें या इस पर व्यवस्था दें। यह आपका अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : आपने जो व्यवस्था का सवाल उठाया है इस पर मैं और विचार कर लूंगा। सारे कागजात देख लूंगा। इस समय मैं क्या कह सकता हूं। आपको व्यवस्था दूंगा।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : इसी सत्र में व्यवस्था दे दें।

श्री अमृतलाल परमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : जिस समय जनता दल का डिविजन हुआ था उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस प्रकार के प्रस्ताव के कारण आसन से पहले भी इस प्रकार की व्यवस्था हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आपके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष का लिखा हुआ है तो (व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : क्या केवल समाचार पत्र के आधार पर, समाचार पत्र में छपे किसी समाचार के आधार पर यहां पर यह बात कही जा सकती

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

है ? नहीं कही जा सकती। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को क्या जानकारी है कि एस.आर. बोम्बई ने आपको पत्र लिखा है ? या तो आपके सचिवालय में इन्होंने यह पत्र चोरी छुपे देखा है....(व्यवधान).... समाचार पत्र की बात को आप हाउस में कोट नहीं कर सकते।

श्री मदनलाल सैनी : यह समाचार पत्र में आया है।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : इस चीज की मेरे को व्यक्तिगत जानकारी भी है, समाचार पत्रों में तो प्रकाशित हुआ ही है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : समाचार पत्र की हाउस में कोई प्रामाणिकता नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे व्यक्तिगत जानकारी भी है। आप इसी सत्र में व्यवस्था दे दें....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैं सचिवालय से पूछताछ करके जानकारी दूंगा। श्री प्रद्युम्न सिंह जी।... (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों आदि पर चर्चा

ओलावृष्टि एवं बेमौसम बरसात से फसलों को नुकसान।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ इसलिए उठाया है कि आज जो ओलावृष्टि से और बेमौसम की बरसात से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, किसान बरबाद हुए हैं उस प्रश्न को गोल कर दिया जाए, उस तरफ सदन का ध्यान नहीं जाए। किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि और बेमौसम की बरसात से हुये नुकसान की तरफ ध्यान हटाने के लिए यह दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं।...(व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में बहुत नुकसान हुआ है।....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं प्रदेश के अन्दर कई जिलो में....

डा. चन्द्रभान : प्रद्युम्न सिंह जी आप बोलिए, फिर हम लोग भी बोलेंगे।

डा. हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक मोशन दिया हुआ है उसकी आप कृपया व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : वह व्यवस्था दे रहा हूं। मैं आपको बिना कहे ही व्यवस्थाएं सुना रहा हूं, उसी तरह से उसकी भी सुना दूंगा। आप पेशेन्स रखिए। कायदे से सुनाऊंगा, गैर कायदे से नहीं सुनाऊंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य, महुआ से आने वाले माननीय

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सदस्य, कामां से आने वाले माननीय सदस्य व मुख्य मन्त्री जी के स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर जो सूचना उपलब्ध हुई है, अध्यक्ष महोदय, भयंकर ओलावृष्टि हुई है। गेहूं की खड़ी फसल, व अन्य जो सब्जी की फसलें थीं, कहीं-कहीं सरसों भी बाकी रह गई थी या कहीं चने की फसल खड़ी हुई थी उसके अन्दर भयंकर नुकसान हुआ है। ओले का वजन, आपको सुनकर ताज्जुब होगा अध्यक्ष महोदय, 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम के बीच रीड किया है। अब आप कल्पना कर सकते हैं इससे खड़ी फसल चौपट हो गई। अकेले धौलपुर जिले के अन्दर कम से कम 70 से लेकर 100 गांवों के बीच के अन्दर नुकसान हुआ है। मैंने अभी अपने यहां के, अपने लोगों से बात की, जिलाधीश से बात की, उनके पास पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है। तो मेरा सरकार से यह कहना है कि माननीय राहत मन्त्री जी इस बारे में सूचना एकत्र करें और यहां पर वक्तव्य दें।

दूसरी बात, मुख्य मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से जो सहायता दी जाती है वह सहायता राशि 300 रुपया प्रति हैक्टेयर दी जाती है। अब आप सोचिए आज के जमाने के अन्दर 300 रुपए हैक्टेयर के अन्दर क्या राहत लोगों को मिलेगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, जब किसान के ऊपर लागत इतनी अधिक आ रही है, आज आज इन्पुट्स की कास्ट इतनी बढ़ चुकी है, इस वक्त अगर इस प्रकार की सहायता दी जाएगी तो यह किसान के साथ मजाक होगा। आप कहेंगे कि यह नियम पुराने बने हुए हैं। तो उन पुराने वक्त के अन्दर नियमों के होते हुए भी मुख्य मंत्री राहत कोष से समय-समय पर एक-दो मामलों में तो मुझे याद है कि हमने लिखा-पढ़ी करके प्रधानमंत्री राहत कोष से रुपया प्राप्त किया था। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपको किसानों को राहत पहुंचाने के लिए आपके अपने जिले के अन्दर खास तौर से दूसरे अन्य जिलों के अन्दर, पूरा राजस्थान आपके लिए एक है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप माननीय सदस्यों की भावनाओं से परिचित हैं और लोग भी यहां पर अपनी बात कहेंगे तो इस मामले में सरकार का वक्तव्य आना चाहिए और राहत की राशि आप क्या देने जा रहे हैं उसकी भी घोषणा यहां पर करनी चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है। मैंने इस बारे से स्थगन प्रस्ताव दिया है और लोग भी प्रस्ताव दे रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा अनुरोध है कि इस मामले में वक्तव्य दिलवायें या इस मामले में चर्चा का समय नियत करें क्योंकि यह मसला लोक महत्व का है, इम्पोर्टेण्ट है, यही मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन सैनी।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के कारण ही नहीं निरन्तर वर्षा हो रही है उसके कारण से और पिछले समय जो मैं रेशा लगा है, गेहूं में रोली लगी है, और सरसों में भी उसके कारण झुरमुट बन गये उसके कारण से

(श्री मदनलाल सैनी)

और बीमारी के कारण से भी, मान्यवर, किसानों को जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति का अन्दाज लगा कर जिलाधीशों को तुरन्त सूचना देकर, एक इस प्रकार के जांच दल की मुख्य मंत्रीजी घोषणा करके जांच दल भेजे और जांच करवा कर तुरन्त राहत किसानों को दी जाये।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले के अन्दर फागी, चाकसू गत वर्षा के मौसम में अछूते रहे हैं वहां पर वर्षा के मौसम में भी बरसात नहीं हुई लेकिन जो थोड़ी बहुत फसल बोई गई थी, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि परसों 30 तारीख को सवा चार बजे से लेकर छह बजे तक बीच में भयंकर आंधी और तूफान उठा, बरसात हुई और बरसात के साथ-साथ कुछ ऐसे गांव थे जहां भयंकर ओले पड़े। ओले सौ डेढ़ सौ ग्राम से लेकर ढाई सौ ग्राम तक के हैं, जो कि मेरे पास मौजूद है... (व्यवधान) रात को जब टेलीफोन पर निमोडिया से मुझे सूचना मिली तो मैं सुबह ही वहां पहुंच गया। 6-7 गांवों में जाकर आया हूं। वहां सारी फसलें खराब हो गई, बालियों के अन्दर एक भी दाना गेहूं का नहीं रहा। जीरे, सब्जी, गेहूं और चने की जो फसलें खड़ी थीं 75 से लेकर 100 प्रतिशत फसलें सारी खराब हो गई, करीबन चालीस-पचास गांवों के अन्दर भयंकर ओले पड़े हैं .. (व्यवधान) ओले पिघल चुके हैं। चालीस घंटे हो गये, वह ओले पिघल चुके हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 10-15 गांव तो फागी के और 25-30 गांव चाकसू के हैं। ऐसी ही एक सुरंग ओलों की बस्सी से होती हुई आगे कहां गयी इसका मुझे पता नहीं है लेकिन मेरे क्षेत्र के बारे में, जयपुर जिले के बारे में जहां-जहां ओले पड़े हैं, निश्चित रूप से सरकार की ओर से वक्तव्य आना चाहिए और अपने अधिकारियों को भेज कर सर्वे करवा कर रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें जिससे नुकसान का आकलन किया जा सके और काश्तकारों को उचित राहत मुहैया कराई जा सके। मैं निवेदन करूंगा कि इसके सम्बन्ध में सरकार की ओर से वक्तव्य आना चाहिए और उचित राशि काश्तकारों को दिये जाने की घोषणा होनी चाहिये। गेहूं की बालियां और यह ओले मैं सदन की मेज पर आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बरसात हुई है, भयंकर ओले पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, उसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी हमारे क्षेत्र के लिए क्या सहायता दे रहे हैं? सारी फसल तैयार खड़ी थी वह बर्बाद हो गई है। इसके बारे में मेरा यही निवेदन है।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) :....(व्यवधान).. अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ओले से नुकसान हुआ है, बरसात से नुकसान हुआ है। सबको चिन्ता है, इस सदन में सभी मेम्बर्स को चिन्ता है कोई ऐसी बात नहीं है कि चिन्ता नहीं है लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी से आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार भी यह सवाल आया था कि भारी वर्षा से नुकसान हुआ है, ओले से

(श्री नत्थी सिंह)

नुकसान हुआ है। पिछली बार जब ओलों से नुकसान हुआ था तब मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि पुराने नियम हैं, मैं इसमें यथोचित संशोधन करके ऐसी रकम लोगों को मिल सके जिससे क्षतिपूर्ति हो सके। यह दिया तो क्या हुआ? 23 से लेकर 50 रुपये बीघा मिला। ओलावृष्टि से 23 से लेकर 50 रुपये बीघा तक मिला जबकि तीन सौ रुपये बीघा मिलता है पहली स्टेज में हरियाणा में और दूसरी जगहों पर। आपने कृषि नीति प्रारूप की बात कही है। कृषि के लिये जरूरी है कि किसान की सुरक्षा हो, उसकी फसलों के लिये तो मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी गम्भीरता से सोचिये। आये दिन राजस्थान में अपनी मेहनत से किसान फसल उगाता है उसको कोई साधन नहीं मिल पाता। हमारे यहां रोज मौसम की स्थिति यही होती है। तो इस पर गम्भीरता से विचार करके वास्तविक रूप से राहत मिल सके। दो तरफ से नुकसान हो रहा है। एक तो खराब बीज के कारण से फसल नष्ट हो जाये या प्राकृतिक प्रकोप से और दूसरा यह है कि बरसात हुई और फसल बहुत कम पैदा हुई उसमें भी किसान को राहत दीजिए। अबकी बार तो सरसों में रोग हुआ है, अब यह बरसात हो रही है, गेहूं भी नष्ट होते जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप जब कृषि की नीति ला रहे हैं तो इस पर विस्तार से चर्चा करिये। किसानों की फसल की सुरक्षा हो, फसल बीमा नहीं ला सकते हो तो सुरक्षा के रूप में कितना मुआवजा आप दे सकते हैं, यह घोषणा आपकी तरफ से होनी चाहिए।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्रीजी से कि बारिश लगातार हुई है, कहीं ओले गिरे हैं या तूफान के कारण फसल खराब हुई है। बारिश के कारण फसल खराब हो गई, क्या सरकार उसे खरीदेगी?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले रविवार को और इस रविवार को, दोनों दिन मैं जमुवा-रामगढ़ गई थी तो वहां पर जो फसल कटी पड़ी थी वह खराब हो गयी और जो फसल खड़ी थी वह ओले गिरने से तमाम बैठ गयी। जितनी बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है तो इस तरह से तहसीलवाइज सबको दिलवा लें और जिस जगह बरसात हुई है और ओले पड़े हैं उसके बारे में मुख्य मंत्रीजी कुछ सहायतार्थ यहां घोषणा करें।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री बोल रहे हैं?

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : इसी प्रकरण पर है, ओलावृष्टि पर ही है।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहूंगा। यह सही है कि इस प्रकार की

(श्री हीरालाल देवपुरा)

प्राकृतिक आपदायें किसानों को भुगतनी पड़ रही हैं और उससे जो उसका नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा रही है। वर्षा नहीं हो, खरीफ की फसल पैदा नहीं हो तो हम अकाल घोषित कर देते हैं और उस वक्त उसको कुछ राहत भी देते हैं और लोगों के काम की भी बात करते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की कोई प्राकृतिक विपदा आ जाती है। ओले गिरने से, प्राकृतिक बीमारी लगने से, रोली लगने से, यह जो प्राकृतिक विपदायें आती है उसके अन्दर किसी तरह की कोई राहत किसानों को मिल सके ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक बात चाहूंगा कि इसका मेरी समझ में एक ही उपाय हो सकता है और वह है क्रोप इन्श्योरेन्स। फसल का बीमा करने की स्कीम हम तैयार कर लें और किसानों का फसल बीमा अगर हो जाये तो किसी भी वजह से फसल खराब हुई है किसी भी वजह से नुकसान हुआ है तो उसको क्षतिपूर्ति का कुछ लाभ तो मिल सकेगा। मैं चाहूंगा इसके बारे में गम्भीरता से मुख्य मंत्रीजी विचार करें।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में इतना सा निवेदन करना है कि ओले का जहां तक सवाल है यह जानकारी मुख्य मंत्रीजी और सदन को है, लेकिन खास तौर से अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में यह दिक्कत हो रही है कि बरसात ज्यादा हुई, सरसों खराब हो गई, नष्ट हो गई और जो थोड़ा बहुत गेहूं बोया गया था उसमें ओले से नुकसान हो गया है। इसलिए मुआवजे या किसी भी चीज का एलान करें तो इस बात का ध्यान रखें कि वहां चारे का संकट बहुत गम्भीर होता चला जा रहा है। मेरे इलाके में पहले ही चारा बहुत कम था और ओलों की वजह से चारा पूरी तरह नष्ट हुआ है। इस दृष्टिकोण से मुख्य मंत्रीजी को कुछ सोच कर जबाब देना है।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह कहने नहीं खड़ा हुआ हूं कि थानागाजी में ओलावृष्टि हुई है और सरसों और जो की फसल तो समाप्त हो गयी, गेहूं को भारी क्षति हुई है। मैं मूलभूत प्रश्न पर निवेदन कर रहा हूं। ज्योंही ओलावृष्टि होती है त्योंही आवश्यक है कि आधा घंटे, एक घंटे में वह ओले तो खतम हो जाते हैं, कलक्टर वहां पर जाये, कलक्टर नहीं जा सके तो एस.डी.ओ. वहां जाये और एस. डी. ओ. नहीं जा सके तो कम से कम तहसीलदार से बात करें, तहसीलदार उस क्षेत्र का पूरा दौरा करके एक नक्शा बनाये, यह नहीं होता है। पटवारी को मुनस्सर करते हैं और पटवारी की स्थिति यह है, डाक्टर और मास्टर हीं टू एण्ड फ्रो नहीं करते हैं, आज तो पटवारी भी गांव में नहीं रहता है। एक ऐसी स्थिति बन गई है कि पटवारी टू एण्ड फ्रो करता है। कहीं 20 कि. मी. दूर, 30 कि. मी. दूर रहता है आता है, तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। एक प्रकार से सुनी सुनाई रिपोर्ट पर स्थिति यह बनती

(श्री रमाकान्त शर्मा)

है कि जहां ओलावृष्टि नहीं हुई है वहां भी कहते हैं कि ओलावृष्टि हुई है। जहां हुई है उसको दरगुजर कर दिया जाता है और वास्तव में जिन लोगों को क्षति होती है उन लोगों की क्षतिपूर्ति नहीं होती है। मेरा आपसे उस सिलसिले में निवेदन है कि कम से कम पटवारी या तहसीलदार कभी वहां जाये तो उन लोगों से बात चीत तो करें, कोई ग्राम सभा के अन्दर चर्चा हो। अपनी तरफ से कुछ बना ले जाते हैं और ले जाकर कलक्टर साहब को पेश कर देते हैं। मेरे यहां पर पिछली बार भी ओलावृष्टि हुई और मुझे कलक्टर साहब से बहुत ज्यादा इस बारे में चर्चा करनी पड़ी और मैं खुद भी उन गांवों के अन्दर गया। पिछली बार की ओलावृष्टि का मैं निवेदन कर रहा हूं जिन लोगों की भारी क्षति हुई उनको कुछ पैसा नहीं मिला जबकि क्षति हुई थी कम से कम 15-20 गांवों में से एक गांव को या डेढ़ गांव को कुछ दे दिया। आज भी यही स्थिति है। आज भी जब मैंने जाकर वहां तहकीकात की तो पता लगा कि वहां न तो एस.डी.ओ. गया है, न कोई तहसीलदार गया है और पटवारी जी ने रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट अभी कलक्टर तक पहुंची नहीं है। कलक्टर ने सिर्फ लिखा होगा कि थानागाजी में ओले पड़े हैं। कई के कई गांव रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माहिर आजाद, कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : केवल इतना कह कर 10 मिनट बोलना।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 10 मिनट नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : तो फिर केवल ही कहिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यह कहना चाहता हूं....(व्यवधान) यह रिमार्क नहीं है। यह तो एक मिनट में 10 मिनट बोलना, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद इसके लिये। मैं कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, जैसे आबू रोड में कल कोई घटना हुई, आज एक माननीय सदस्य ने सवाल उठाया और तुरन्त आपने कह दिया कि सरकार बयान देगी और उस पर कार्यवाही हो जाती है। कहीं पर इस प्रकार की घटना होती है, एक-दो आदमी पीड़ित होते हैं तुरन्त मुआवजा दे दिया जाता है लेकिन किसान जिसकी साल भर की मेहनत उजड़ जाती है, उसको रोटी नहीं भा रही होगी, उसकी नींद हराम हो रही है और ऐसी स्थिति में जब उसकी फसल खराब हो जाती है, हम कहते हैं गिरदावरी रिपोर्ट आएगी, तब हम उसको राहत देने की घोषणा करेंगे। किसानों का जीना तो एक-एक मिनट के लिए दूभर हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और सरकार से कहना चाहता हूं कि इसके लिए समय सीमा युद्ध स्तर पर काम करके तय की जानी चाहिये कि एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट मंगवाकर तत्काल किसानों

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

को राहत दी जाय ताकि उनका जीना दूभर नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी। मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैंने भी आपसे अनुरोध किया था, उसे बाई पास कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप भी बोलिये। मैं कब मना कर रहा हूं। आप बोलिये। (व्यवधान)... एक मिनट के नाम पर 10 मिनट बोलिये... (व्यवधान) मैं कह रहा हूं एक मिनट के नाम पर 10 मिनट बोलिये। हां, बोलिये आप।

श्री हरिसिंह : मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा, अध्यक्ष महोदय, जो बातें यहां सदन में माननीय सदस्यों द्वारा कह दी गई हैं, उन्हें मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाह रहा हूं कि ओलावृष्टि के साथ-साथ जहां अतिवृष्टि भी असामयिक हुई है। खलिहानों, खेतों में किसानों की फसल पड़ी हुई थी और खलिहानों में कई जगह तो जहां तैयार फसल किसानों की पड़ी हुई थी वह अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो गई है और कई-कई जगह तो 100-100, 50-50 मन तैयार सरसों की फसल खत्म हो गई है। तो इसके साथ-साथ आप जो कुछ भी सरकार स्टेटमेंट दे, ऐसे किसानों का जिनकी फसल भी नष्ट हो गई है, खेतों में पड़ी फसल नष्ट हो गई है, उनका भी आप ध्यान रखें और ओलावृष्टि के साथ-साथ ये अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है, उसकी तरफ भी मुख्य मंत्रीजी ध्यान रख कर अपने स्टेटमेंट में इनको शामिल करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने ओलावृष्टि से और असामयिक वृष्टि के कारण खेती को जो हानि हुई है, उस सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं यह मानता हूं कि कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है और कई स्थानों पर असामयिक वर्षा के कारण खेती को हानि हुई है, इसकी जानकारी जितनी मेरे पास है, मैं समझता हूं कि जब तक पूरी जानकारी नहीं मिल जाय, अधूरी जानकारी देने का कोई तात्पर्य नहीं है। प्रश्न यह आता है कि उन्हें सहायता किस प्रकार की जाय और क्या सहायता दी जाय।

माननीय देवपुरा साहब ने क्रोप इन्श्योरेंस की बात कही। मैं समझता हूं, वह भी जानते हैं और थोड़ी बहुत मुझे भी जानकारी है कि हमने बहुत वर्षों पहले क्रोप इन्श्योरेंस कुछ क्षेत्रों में चालू किया था और हम उसमें कामयाब नहीं हुए और अन्ततोगत्वा उस स्कीम को वापस लेना पड़ा। यह मैं सिद्धांत रूप में स्वीकार करता हूं कि इस प्रकार की नेचुरल केलेमिटीज का इलाज क्रोप इन्श्योरेंस ही है और कोई दूसरा उपचार नहीं है लेकिन क्रोप इन्श्योरेंस में कितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान केवल राज्य सरकार कर सके, यह राज्य सरकार के बूते की बात नहीं है। नीति के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर हम इसका विरोध नहीं करते और मैं स्वयं भी इस बात का पक्षपाती रहा हूं, कई

Page No. 91

(९१)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बार कहता भी रहा हूं कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन यदि कोई हो सकता है तो क्रोप इन्श्योरेंस हो सकता है।

इस क्रोप इन्श्योरेंस की स्कीम को किस प्रकार से लागू किया जाय, जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वित्तीय साधनों की उपलब्धि के आधार पर लिया जा सकता है, मैं माननीय सदस्यों के साथ इस विषय में बैठकर बातचीत करने को तैयार हूं। यदि कोई सर्वसम्मत हल इसका निकल गया तो राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को भी निवेदन करूंगा और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर और इन्श्योरेंस कारपोरेशन मिल कर तीनों किस प्रकार से इस स्कीम की रचना कर सकते हैं और किस प्रकार से इसको लागू किया जा सकता है, मुझे इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

दूसरा प्रश्न है तत्काल राहत क्या दी जाय, राहत के सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं लेकिन राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य की बात से मैं सहमत हूं कि उन नियमों के आधार पर जितनी सहायता दी जाय, उस सहायता से लोगों को सन्तोष नहीं होगा, उस सहायता में कैसे वृद्धि की जाय, किस आधार पर की जाय, और क्या मापदण्ड निर्धारित किया जाय, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार विचार कर रही है और अकाल राहत की कल जब बैठक होगी, उस समय तक हम कुछ निर्णय ले पायेंगे और उसकी घोषणा कल कर दी जायेगी। कहां-कहां पर ओलावृष्टि के कारण से हानि हुई है, उसकी जांच करने का प्रश्न आता है, गाजी के थाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि...(व्यवधान)

श्री सम्पत राम : सही नाम यही था जो आपने बोला है। यह तो बाद में चेंज किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जो सही बात कहता हूं तो वह उनको उल्टी लगती है। यह मेरा दुर्भाग्य है।

श्री सम्पत राम : नहीं-नहीं, सारे सदन को ठीक लगती है। आप ठीक बात कहते हैं। (व्यवधान)

श्री रमाकांत शर्मा : गाजी का थाना ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप एम.एल.ए. बने, उसके पहले ये गाजी का थाना ही था। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : निर्वाचन क्षेत्र तो थानागाजी ही है। गाजी के थाने से तो आप आई.ए.एस. हुआ करते होंगे। आप विधायक तो थानागाजी से हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माहिर आजाद को तो गाजी से विरोध है...(व्यवधान) इनका प्रश्न है कि आप तो गाजी को इम्पोर्टेन्स दे रहे हो गाजी का थाना और वह कहना चाहते हैं कि थानागाजी, इन दोनों में बहुत अन्तर है ...(व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : इस झगड़े में इनको थाने में मत भिजवा दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां भी नुकसान हुआ है; इसका करेक्ट असेसमेंट करवाया जा रहा है पटवारी के माध्यम से, जल्दी ही, काम शुरू हो गया है, ऐसी बात नहीं है कि उसके लिए निर्देश देने की बात हो। सब जगह इस प्रकार के निर्देश हैं कि जहां इस प्रकार की घटना हो, उसकी तुरन्त जानकारी दी जाय, जानकारी निरन्तर आती रहती है। ओलावृष्टि से कितने क्षेत्रों में खेती प्रभावित हुई है, कितने में हानि हुई है, इसका असेसमेंट भी करवा रहे हैं और तुरन्त ही इसमें क्या सहायता दी जा सकती है, इस सम्बन्ध में निर्णय लेंगे और मैं समझता हूं कि कल जिस समय इस पर चर्चा होगी, राज्य सरकार की ओर से कुछ न कुछ बता दिया जायेगा। मुझे खुद भी दुःख है कि प्राकृतिक आपदाओं से बहुत बड़ी हानि किसानों की हुई है, हमें उन्हें सहायता निश्चित रूप से करनी चाहिये, हम यथाशक्ति सहायता करेंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि निर्देश दिये हैं। क्या ओलावृष्टि के बाद में यह निर्देश दिये हैं या परमानेंट निर्देश हैं, उसके आधार पर कार्यवाही हो रही है ? मुख्य मंत्रीजी रिपोर्ट कब तक मांगी है, कोई ऐसे निर्देश दें उन्हें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिपोर्ट तो आ रही है। मैं नहीं कहता कि रिपोर्ट नहीं आ रही है। रिपोर्ट आ रही है और मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, लगातार जिस समय बादल होते हैं मुझे भी बहुत चिन्ता हुई है (व्यवधान) मुझे बहुत चिन्ता रहती है ..

श्री अध्यक्ष : अब आप डिबेट तो मत बनाइये... जगमाल सिंह जी, डिबेट तो मत बनाइये। देखिये मैंने बहुत समय दिया है। **Don't try to inisuse it.**

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये बादल जब गरजते हैं, मैं भी लगातार विजिलेंट रहता हूं। कहां-कहां बरसात हुई है, कहां-कहां नहीं हुई है, जानकारी नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। मैं लगातार पूछता भी रहता हूं और आपको मैं यह कहता हूं कि अभी जाकर जहां-जहां से मैंने रिपोर्ट मंगवाई है वह आ गई है, उसका भी संकलन करूंगा और बाकी रिपोर्ट्स भी मैं मंगवा लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकांत जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं....(व्यवधान) श्री अमृत जी, आपकी चिट आई है लेकिन यह प्रश्न अभी उठाने का नहीं है। इस बारे में यहां मंत्रीजी से सीधे बात कर लीजिये। हां, बोलिये आप।

श्री रमाकांत शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही चिन्ताजनक विषय पर बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह सदन इस प्रकार के प्रश्नों को उठाने का नहीं है। यह एक स्कूल बरसों से खराब पड़ा है, 600 लड़के पढ़ रहे हैं, यह मंत्रीजी से बात कर लीजिये। आज की बात नहीं है... (व्यवधान) पहले सोचो, विषय कौनसा उठाना चाहिये।

श्री रमाकांत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक मनोज कुमार छात्र है, जो कोटपूतली के अन्दर 12 वीं कक्षा में पढ़ता है। उनका इसी वर्ष में 12वीं कक्षा में वहां पर एडमिशन हुआ था। उनका एडमिशन, उनकी वजह से नहीं, परन्तु कुछ नियमों की वजह से उनका लेट हुआ और एडमिशन होने के बाद वह एक दिन भी वहां से गैर-हाजिर नहीं हुए, उनका जिस समय परीक्षा का फार्म भरना था, उनसे भरवाया गया। उनको जो फीस जमा करवानी थी, फीस जमा करा दी गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उनके लिए रोल नम्बर आ गया, रोल नम्बर है 4948 और उनकी प्रैक्टिकल की परीक्षा हो गई। अब कल से उनकी थ्योरी की परीक्षा है, उसके अन्दर प्रिंसिपल साहब कहते हैं उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा क्योंकि आपको जितने दिन हाजिर होना चाहिये था, उसमें अटेन्डेंस शोर्ट है।

मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बातचीत की कि आपने इस तरह की बात कही है क्या, उन्होंने मुझसे कहा कि हमने तो रोल नम्बर दे दिये हैं, हमारे रोकने का इसमें प्रश्न ही नहीं उठता है। मैंने कल माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन किया, माननीय शिक्षा मंत्रीजी का बहुत आभारी हूं, उन्होंने तत्काल ही टेलीफोन किया परन्तु उनके टेलीफोन के बावजूद प्रिंसिपल यह कहता है और जोइंट डाइरेक्टर यह कहता है कि यह छात्र बैठ नहीं सकता। हमें परवाह नहीं, एक साल बरबाद होता है, दो साल बरबाद होते हैं। हम नहीं बैठायेंगे। फिर मैंने बोर्ड से बातचीत की, तो बोर्ड ने कहा कि हमने आदेश दे रखें हैं और जो जोइंट डाइरेक्टर है वह प्रोवीज-नल आर्डर दे सकता है, प्रिंसिपल को आदेश है कि वह प्रोवीजनल आदेश दे सकता है। उसके बावजूद वो मना कर रहे हैं। उसका एक साल बरबाद हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रिंसिपल को तत्काल सस्पेंड किया जाये और तत्काल वहां पर आदेश दिये जायें वरना दूसरी जगह भी इस प्रकार के छात्रों के साथ में अनर्थ हो रहा होगा, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा, श्री कन्हैयालाल जी बोलेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मान्यवर, सिरोही आबू रोड के बारे में गृह मंत्री जी वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष : हां, दे रहे हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : शिक्षा मंत्रीजी से जवाब तो दिला दीजिए। शिक्षा मंत्रीजी यह बतायें कि...

श्री अध्यक्ष : स्पेशल मेंशन के बाद में वक्तव्य दिला दें। पहले स्पेशल मेंशन हो जाय फिर वक्तव्य दे दिया जायेगा।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आबू रोड के बारे में आज शाम को 4 बजे तक... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अमृतजी, प्लीज। आप गरम मत होइये। शांति से बैठिये वरना मैं

Page No. 94

(९५)

(श्री अध्यक्ष)

गरम हो जाऊंगा। इसलिए आप शांति से बैठिए, गरम मत होइये।

श्री दिग्विजय सिंह : आबू रोड के बारे में आपने जो निर्देश दिया है कि राज्य सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आये। मैं आबू रोड के बारे में आज 4.00 बजे तक हाउस में स्टेटमेंट दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटपूतली के कॉलेज का जो जिक्र आया। मेरे क्षेत्र का मामला है....

श्री अध्यक्ष : आपने हाउस में मेंशन कर दिया। सरकार का ध्यान आकर्षित हो गया है। (व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : उस बारे में मैं असलियत बताऊंगा। जो धांधली हो रही है, कोटपूतली का नाम आ गया तो मुझे कहना चाहिए।

श्री नत्थी सिंह : शिक्षा मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : उसका एक साल खराब हो जायेगा। शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं बोलते क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये तो सही।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, कोटपूतली के कालेज के....

श्री अध्यक्ष : अब आप फिर वो ही बात कर रहे हैं। जो कह दिया वह फिर कह रहे हैं।

श्री रामकरण सिंह : नहीं वह नहीं कह रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं जो हालत है।

श्री अध्यक्ष : अब आपसे ज्यादा वास्तविकता बता दी। (व्यवधान) सदन का समय सीमित है और मैं एक घण्टे से पूरा समय दे रहा हूं। आप बता चुके।

श्री रामकरण सिंह : मेरे क्षेत्र का मामला है इसलिए मुझे भी बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : अच्छा उस लड़के का रोल नम्बर क्या है, यह बताइये ?

श्री रामकरण सिंह : रोल नम्बर का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह आपसे ज्यादा बता चुके हैं।

श्री रामकरण सिंह : वहां के प्रिंसिपल के बारे में कहना चाहता हूं जो वहां क्या कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : वह बता चुके हैं।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, नहीं। मैं माननीय....

श्री अध्यक्ष : अब नहीं, नहीं तो नहीं

(श्री अध्यक्ष)

चलेगा। आप बैठ जाइये।

श्री रामकरण सिंह : वह तो आप कह चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : इनका नोट मत कीजिए।

श्री रामकरण सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : कन्हैयालाल जी, शुरू कीजिए। रामकरणजी का नोट मत करिए श्री कन्हैयालाल जी।

श्री रामकरण सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा। बोलना शुरू कीजिए। श्री रामकरण जी का नोट नहीं हो रहा है, आपका नोट होगा। बोलते जाइये। स्पेशल मेंशन हमारे पास है वरबेरम आ जायेगा। नहीं सुनेंगे तो भी आ जायेगा, लिखित में है। बोलते जाइये आप।

श्री रामकरण सिंह : XXX

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ....

श्री रामकरण सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : आज मैं आपसे ज्यादा धैर्य रख रहा हूं क्योंकि आप मेरे पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं।

श्री रामकरण सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : इसलिए अब मेरे पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं ना।

श्री रामकरण सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आप बोलिए।

श्री रामकरण सिंह : XXX

श्री अरुण सिंह (डीग) : निर्दलियों पर पक्षपात नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं श्री कन्हैयालाल जी मीणा जो निर्दलीय हैं उनसे बुलवा रहा हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

--झोटवाड़ा, जयपुर में हुई हत्या को आत्महत्या का केस बताने बाबत

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत थाना झोटवाड़ा में कैलाश शर्मा नाम के व्यक्ति द्वारा की हत्या को आत्म हत्या बताने के सन्दर्भ में आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 16-17 अगस्त, 1988 की रात झोटवाड़ा आउटर सिग्नल के पास अर-

---

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार मुद्रित नहीं किया गया।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

विंद का शव पड़ा मिला था जिसे पुलिस थाना झोटवाड़ा ने आत्म हत्या का मामला मानकर रिपोर्ट दर्ज की। मृतक के पिता की शिकायत पर इस प्रकरण की जांच सी. आई. बी. (सी. बी.) ने की थी। जांच में यह पाया गया था कि मृतक की हत्या करके शव रेलवे लाइन पर डाला गया था कि मृतक की हत्या के संबध में समस्त जानकारी कैलाश नामक युवक की होना पाया गया। मेड़िकल बोर्ड के अनुसार भी यह मामला आत्म हत्या का न होकर हत्या करके शव रेलवे लाइन पर डालने का है।

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें। शिक्षा मंत्री जी जा रहे हैं। एक बच्चे के भविष्य का सवाल है।

श्री कन्हैयालाल मीणा : सी. आई. बी. (सी. बी.) द्वारा इस प्रकरण में पुलिस थाना झोटवाड़ा में दिनांक 20-12-88 को धारा 302 एवं 201 आई. पी. सी. के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। महानिरीक्षक सी आई. बी. (सी. बी.) के आदेश पर कैलाश नामक युवक के नाम गिरफ्तारी वारन्ट जारी किये गये जो वापस ले लिये गये। कैलाश नामक उक्त युवक किसी वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी का रिश्तेदार होने के कारण वारंट वापस लिया है और उन्हीं के प्रभाव के कारण उसे अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है जिससे अरविंद की हत्या का मामला अभी तक बिना सुलझा पड़ा है और मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः इस संबंध में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए सी. आई. बी. (सी. बी.) की जांच रिपोर्ट में उल्लेख किये गये अपराधियों को अविलम्ब गिरफ्तार किया जाकर अरविंद की हत्या का मामला सुलझाया जावे।

(1.00 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न जब पुलिस की डिमाण्ड आई थी उस वक्त भी उठा था। उस वक्त मैंने कह दिया था और आज भी आपको आश्वस्त करता हूं कि इसको रफा-दफा करने की कोशिश नहीं की जायेगी और जो भी दोषी होगा निश्चित रूप से उसको गिरफ्तार करके सजा दी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमीन खां। (अनुपस्थित)

माननीय श्री रामनारायण वर्मा। (अनुपस्थित)

माननीय श्री रामेश्वर भारद्वाज।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो मामले दिये थे वह अभी तक नहीं आये। मैंने पीपलीवाल बांध, कन्या शाला -गुढाचंदजी और बीहड़ सुधार परियोजना के जो घोटाले हैं इनके बारे में निवेदन किया था। उनको भी आप लगवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : अभी देखता हूं। माननीय श्री रामेश्वर भारद्वाज।

जयपुर स्टेशन रोड को चौड़ा कर डामर बिछाये जाने हेतु

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत एक ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग की ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह मार्ग केवल स्टेशन रोड नहीं है बल्कि जयपुर में आने वाले ऐसे हजारों यात्री और पर्यटक इसी मार्ग से जयपुर में प्रवेश करते हैं। मैं जयपुर शहर में प्रवेश के मुख्य मार्ग स्टेशन रोड के हालात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, स्टेशन रोड वह रोड है जिससे बाहर से आने वाले हजारों यात्री प्रतिदिन रेलों द्वारा एवं बसों द्वारा आते हैं। जब प्रवेश के समय ही जयपुर का दूषित स्वरूप देखने को मिले तो जयपुर की छवि धूमिल होती है। स्टेशन रोड एवं आस-पास के क्षेत्र में अनेक होटल हैं जो पर्यटकों को स्थान देती हैं। इसी क्रम में वहां के पास जो बस्तियां हैं उनमें भी अनेक होटल बने हुये हैं। अतः उन बस्तियों की रोड भी बननी नितान्त आवश्यक है अन्यथा सभी देशी एवं विदेशी पर्यटक जयपुर की चर्चा वहां अपने स्थान पर जाकर क्या करेंगे इसकी कल्पना हम कर सकते हैं।

जब जयपुर पर्यटन के लिये विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाये हुए है इसलिए इसको सुन्दर बनाये रखने का सरकार का सीधा दायित्व है। स्टेशन रोड की चौड़ाई बढ़ाये लगभग दो वर्ष हो गये परन्तु उस पर डामर का कार्य अभी नहीं हो पाया है।

विभाग को यह भी मालूम है कि यह क्यों नहीं हो रहा है। विभाग को कारण भी मालूम है वहां पुराने बिजली के खम्भे 100 की संख्या में खड़े हैं। इसमें दो विभागों की लड़ाई है। विद्युत विभाग ने एक लाख रुपये का एस्टीमेट बनाकर जयपुर विकास प्राधिकरण को भेज दिया है और विकास प्राधिकरण बजट नहीं दे रहा है। जबकि सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। समझ नहीं आता कि इस समस्या का निदान क्या होगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इसके आस-पास रहने वाले नागरिकों का क्या दोष है? जब रोड की चौड़ाई बढ़ा दी गई जिसकी अत्यन्त आवश्यकता थी उसमें विभाजक पट्टी भी बन गई, उसमें नये खम्भे लगाकर लाइटें भी लगा दी गई फिर इन खम्भों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है, यह आश्चर्य लगता है। वहां बहुत अधिक यातायात के कारण आये दिन एक्सीडेन्ट होते रहते हैं। वहां सफाई का कोई कार्य ठीक नहीं हो रहा। जब सड़क ही नहीं है, नाली नहीं है तो सफाई कर्मचारी भी बहाना बना लेता है जो कि स्वाभाविक है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि इसे तुरन्त पूरी करावें। अन्यथा बरसात के दिनों में उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है जिसके कारण

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

वहां की जनता दुःखी होती है। वहां अनेक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, सरकारी भी हैं और अन्य भी हैं। उनका भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे प्रदेश को उन होटलों के माध्यम से काफी आर्थिक लाभ होता है। इसलिए इसे तुरन्त ध्यान देकर पूरा करावें। यहां नगर विकास मंत्रीजी भी हैं और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी भी हैं, इसका समाधान क्या होगा, आपके माध्यम से मैं उत्तर चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना चाहेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आप कहते हैं तो कह देंगे। नहीं तो रोज शिकायत करते हैं कि जवाब नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष : आप फरमावें। शिकायत करने वाले नहीं है कोई।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या की मुझे जानकारी है और माननीय सदस्य से मैंने इस विषय पर चर्चा भी की है। इसमें तीन विभाग उलझे हुए हैं। एक तो विद्युत विभाग है, दूसरा सार्वजनिक निर्माण विभाग है और तीसरा जे.डी.ए. है। खर्चा कौन करेगा, प्रश्न यह आ रहा है मैंने माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन किया है कि आपका तो बहुत बड़ा बजट है, सारे राजस्थान की सड़कें बनाते हैं और अभी दो दिन पहले ही आपको हमने अरबों रुपया पास करके दिया है, इस सड़क पर थोड़ा खर्चा कर दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नई सड़क के लिए एक कौड़ी नहीं है अभी।

श्री भंवरलाल शर्मा : नई सड़क के लिए मांग नहीं कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह नई सड़क नहीं है। माननीय सदस्य शायद ठीक से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके....

श्री उपाध्यक्ष : भारद्वाज का निवेदन इधर-उधर भटकता ही फिरेगा क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, नहीं भटकेगा। मैं उस पर भी आ रहा हूं यह जो सड़क है, यह चौड़ी की गई है। इसकी चौड़ाई बढ़ाई है हमने, सड़क नई नहीं है। इसलिए माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी या तो मदद करेंगे वरना कुछ न कुछ रास्ता निकाल कर ठीक तो करेंगे इसको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दिलसुखराय चौधरी।

श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत....

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा तेज पढ़िये।

जोधपुर विश्वविद्यालय में अनियमिततायें

श्री दिलसुखराय चौधरी : नियम 295 के अन्तर्गत जोधपुर विश्वविद्यालय में भारी

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

अनियमितताओं एवं घोटालों की सूचना सम्बन्धी मेरा प्रस्ताव नियमानुसार है। जोधपुर विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. वी. आर. मेहता द्वारा की जा रही भारी अनियमितताओं एवं वित्तीय घोटालों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गत कुछ महिनों से लगातार एक के बाद एक प्रकरण सामने आ रहे हैं जिन्हें राज्य व राष्ट्रीय समाचार-पत्रों ने बड़े अक्षरों में प्रकाशित किया है। एक-एक करके जैसे तथ्य प्रकाश में आये हैं, वह मुख्यतः इतिहास, व्यवसाय, वित्त तथा अर्थ एवं संस्कृत विभाग में मधुसुदन ओझा पीठ में प्रोफेसर के पदों पर नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं एवं कथित पक्षपात से संबंध रखते हैं। यह अनियमितताए किसी भी प्रकार से साधारण या क्षम्य नहीं है।

इन नियुक्तियों में चयन समितियों का गठन जल्दबाजी में पूर्वनियोजित पक्षपात के उद्देश्य से अधिनियम के प्रावधानों की खुली अवहेलना करते हुए किया गया है। विधि के विरुद्ध अनुचित विशेषज्ञों को बुलाया गया तथा चयन प्रक्रिया में आरम्भ से अन्त तक अनेक अनियमितताए व्यवस्थित तरीके से की गई है। चयन में योग्यता अभिशाप बन गई। छात्र नेताओं के दवाब में चयन किये जाने लगे एवं साक्षात्कार की तैयारी न कर प्रार्थी संरक्षकों की तलाश में छूट गये। जातिवाद एवं भाई भतीजावाद से भी चयन अछूते नहीं रहे। दूसरी शामत आई वित्तीय नियमों की व राज्य सरकार द्वारा बनाई गई अनुदान शर्तों की। नये भत्ते, बिना स्वीकृत पदों व कार्यभार के नियुक्तियां कुलपति खुले आम अपने चहेतों को दे रहे हैं। सिंडीकेट के सदस्य भी इस लूट में पीछे नहीं रहे हैं। छात्र नेताओं, कर्मचारियों नेताओं व कुछ शिक्षक नेताओं को खुश रखने हेतु कुलपति ने उनकी भी अनेक प्रकार की गैर कानूनी मांगों को स्वीकार कर विश्वविद्यालय पर भारी वित्तीय बोझ बढ़ाया है।

1. **सिंडीकेट के पुराने निर्णय पलटे बिना न्यूनतम योग्यता के नियुक्तियां:** कुलपति महोदय ने आते ही सिंडीकेट के पुराने निर्णयों को पलट कर बिना न्यूनतम योग्यता के नियुक्ति करने की एक नयी पहल की। अगस्त, 1991 में एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सिंडीकेट द्वारा 1988 में अमान्य की जा चुकी विधि संकाय के व्याख्याता पद के लिए चयन समिति की सिफारिशों पर पुनर्विचार कर सर्वश्री मूल सिंह व महेशचन्द्र को व्याख्याता पद पर नियुक्ति दी गई। दोनों निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त नहीं हैं। जिन पदों पर उनकी नियुक्ति की गई वे आरक्षित श्रेणी के थे। इस निर्णय को लेने के लिए कुलपति ने शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 13-2-91 की आड़ ली जिसमें लिखा था कि चयन समिति की सिफारिश को रद्द करने के मामले में चयन अधिनियम की धारा 3(2) का पालन नहीं किया गया। इस धारा में यह प्रावधान है कि अगर सिडीकेट समिति की सिफारिश ही नहीं माने तो केस चांसलर को प्रेषित किया जाना चाहिए जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

इसके तहत तो केस को चांसलर महोदय को भेजना था लेकिन कुलपति मेहता ने कानूनों की परवाह किये बगैर उपरोक्त सिफारिशों को स्वीकार करते हुए दो व्याख्याताओं की नियुक्ति कर दी।

2. **बिना नियमित चयन के स्थायीकरण** : वाणिज्य विभाग में अस्थायी रूप से नियुक्त सुश्री पदमा को बिना चयन के स्थायी नियुक्ति दे डाली। सितम्बर, 1984 में की गई अस्थाई नियुक्ति के समय सुश्री पदमा को पद की न्यूनतम योग्यता प्राप्त नहीं थी। व्याख्याता पद के लिए पी.एच.डी. अथवा कम से कम दो वर्ष का शोध अनुभव न्यूनतम योग्यता है। परन्तु सुश्री पदमा न तो पी.एच.डी. थी न उन्होंने कोई शोध कार्य किया था।

3. **चयन पैनल की वैधता समाप्त होने पर भी साधारण श्रेणी के प्रार्थी की आरक्षित पद पर नियुक्ति** : 15 जनवरी, 1992 के एक निर्णय से प्रशासन ने रामकृष्ण को 31 अगस्त, 1990 से सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर पूर्व प्रभावी नियुक्ति दी है। विज्ञापन संख्या 7/87-88 से सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का एक पद विज्ञापित किया गया था तथा चयन समिति ने दो नामों की सिफारिशें की। उस पर 6-5-90 को सिंडीकेट ने पुखराज की नियुक्ति की। उस वक्त एक ही पद रिक्त था। अगर दो पद होते तो दूसरा आरक्षित होता। दूसरा पद राज्य सरकार ने बहुत समय पश्चात् स्वीकार किया। उस पर पुराने पैनल से नियुक्ति देना अधिनियम के स्टेट्यूट 19(6) के विरुद्ध है क्योंकि पैनल की वैधता 5.11.90 को समाप्त हो गई थी। परन्तु कुलपति ने तथा सिंडीकेट ने मिल कर के 15-1-92 को निर्णय लेकर श्री रामकृष्ण को 31-8-90 से नियुक्ति दे दी जिसका श्रेय भी कुलपति मेहता को जाता है।

4. **पी.एच.डी. प्राप्त योग्य प्रार्थियों को चयन में ही नहीं बुलाया** : एक ओर तो साक्षात्कार के शुरू होने के बाद दबाव की राजनीति के तहत घटिया शैक्षिक योग्यता प्राप्त प्रार्थियों को साक्षात्कार में बुलाया गया एवं चयन भी किया गया। दूसरी ओर अनेक ऐसे प्रार्थियों को, जो पी.एच.डी. में एवं चयनित प्रार्थियों से बेहतर योग्यता रखते थे, साक्षात्कार का निमंत्रण ही नहीं दिया गया। वनस्पति शास्त्र विभाग में 24 ऐसे प्रार्थी थे जो पी.एच.डी. प्राप्त थे एवं जिनका शैक्षिक रेकार्ड अच्छा था उनको साक्षात्कार का निमंत्रण नहीं दिया गया पर बिना पी. एच. डी. प्राप्त 25 प्रार्थियों को साक्षात्कार में बुलाया गया। व्याख्याता पद के लिए पी. एच. डी. होना आवश्यक है। योग्य प्रार्थियों को चयन में न बुलाने की कड़ी में कुलपति ने वांछित योग्यता प्राप्त अनुसूचित जाति के प्रार्थियों को भी साक्षात्कार में नहीं बुलाया जैसे हिन्दी में संध्यारानी, जिनका शैक्षिक रेकार्ड अति-उत्तम था, साथ ही उनके पास पी.एच.डी. भी है।

5. **चयन समितियों में विशेषज्ञों की नियुक्ति में धांधली** : एक्ट के तहत बनी विशेषज्ञों की सूची के बाहर से ऐसे व्यक्तियों

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

को चयन समिति में बुलाया गया जिनके नाम वैधानिक सूची में नहीं थे। जैसे व्यवसाय, वित्त एवं अर्थ विभाग की चयन समिति में कुलपति ने विशेषज्ञ की हैसियत से ही डा. ए. फारूख खान का मनोनयन किया जिनका नाम अकादमी परिषद द्वारा बनाई विशेषज्ञों की सूची में ही नहीं था। इसी प्रकार कुलपति ने इतिहास विभाग में प्रोफेसर के चयन हेतु प्रो. लल्प जी गोपाल व प्रोफेसर आर. एन. मेहता को नामजद किया जिनका नाम अकादमी परिषद के पैनल में नहीं है।

6. **विशेषज्ञों की सूची में हेरा-फेरी :** ऐसी भी जानकारी है कि विशेषज्ञों की सूची जो अकादमी परिषद द्वारा बनाई गई है, में हेरा-फेरी की जा रही है एवं विशेषज्ञों की पुरानी सूची को हटा कर उसकी जगह नयी सूची डाली जा रही है जिसमें उन लोगों के नाम जोड़ दिये गये हैं जिनको कुलपति ने गैर कानूनी तरीकों से नामजद किया था। इस बारे में समाचार-पत्रों में सुर्खियों से खबरें छपी हैं।

7. **अन्य अनियमितताएं :** विश्वविद्यालय का प्रशासनिक ढांचा ढह गया है। प्रशासनिक प्रतिमानों व मर्यादाओं को तिलांजलि दे दी गई है। राज्य सरकार की अनुदान शर्तों का खुला उल्लंघन प्रशासन कर रहा है बिना खाली पद के पुष्पचन्द खिवसरा की 2500/- रुपये प्रति माह पर नियुक्ति कर दी गई। मैनेजर को उप कुलसचिव, 3000-4500 की वरिष्ठ वेतन शृंखला दी गई जो नियम विरुद्ध है। अन्य कई प्रकार के भत्ते बढ़ाये गये जो राज्य सरकार से स्वीकृत नहीं हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दकिशोर शर्मा

अपराधिक गतिविधियां बढ़ने के कारण पुलिस की समुचित व्यवस्था।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत ग्रामीण सुरक्षा व अपराधी तत्वों से सावचेत रहने की व्यवस्था बाबत मेरा प्रस्ताव है। आज के भौतिक युग में अपराध बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। ज्यों ज्यों शिक्षा बढ़ रही है त्यों-त्यों बेकारी बढ़ रही है लेकिन शिक्षाविद, बुद्धिजीवी एवं राजनेता आज कोई इस ओर विशेष गहराई से नहीं सोच रहा है। विकास की कई योजनायें सरकार बना रही है, अनुसूचित जाति व जनजाति अपंग विद्यालय अन्त्योदयी की कई योजना बनाकर सरकार सहायता कर रही है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, शराब का सेवन बढ़ रहा है, जिससे उन गरीबों पर घोर अत्याचार हो रहे हैं। आज का आदमी अधिकार मांगता है। कर्तव्यपालन नहीं करता है। ऐसे समय में जब चोरी, डकैती, लूट, आतंकवाद, बलात्कार, लड़ाई-झगड़े धोखाधड़ी आदि झगड़े बढ़ रहे हैं, गरीब का हक सब छीन लेते हैं। पुलिस व्यवस्था कम है। ऐसे में प्रत्येक ग्राम से संबंध नहीं हो सकता कि कहां अपराध हो रहा है और उसका क्या हो सकता है। मेरा निवेदन है कि पुराने

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

समय में प्रत्येक ग्राम में पटेल व एक चोकीदार होता था तथा वह ग्राम के समस्त अपराध की सूचना पुलिस स्टेशन तक देता था। राज का व्यय केवल जमीन का लगान माफ करना ही होता था उसी ग्राम में उसकी जमीन होती थी। इसमें व्यय भी कम होता था और व्यवस्था भी अच्छी होती थी।

मेरी राय है कि प्रत्येक ग्राम से होमवार्ड का चयन करें जो स्वस्थ्य व अच्छे नवयुवक सेवाभावी हों उन्हें आप ड्रेस व ट्रेनिंग का भत्ता ही देवें प्रत्येक माह एस.एच.ओ. व डी.एस.पी. उनकी बैठक तहसील स्तर पर करे और प्रति पंचायत की सुरक्षा अपराधों की जानकारी सही ढंग से मिलेगी। इसके साथ इनमें 30-32 हजार ग्रामीण नवयुवक पुलिस विभाग से जुड़ जावेंगे।

ग्रामीण गरीब नवयुवकों में से कोई खेलकूद व पुलिस विभाग में जा सकता है। जो योग्य हो, उसका पुलिस में चयन किया जा सकता है। ग्रामीण रक्षक या होमगार्ड नाम से यह वाहिनी आपको बहुत ही सहायक हो सकती है। राजस्थान में अभी शांति है। अतः हम कम बजट में केवल उत्साहित करके प्रत्येक ग्राम से पुलिस विभाग का सम्पर्क बना सकते हैं तथा जब भी कहीं जरूरत पड़े तो 100-200 होमगार्ड तुरन्त पंचायत समिति स्तर पर मिल सकते हैं।

साथ ही मेरा निवेदन है कि एस.एच.ओ. कार्यालय 30 हजार से 35 हजार की आबादी पर कम से कम एक आवश्यक है। और दूरी 20-25 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौकियां भी सीमा के ग्रामों में अवश्य होनी चाहिए। सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

सरकार ने अभी 33 थाने खोलने का जो निर्णय किया है, वह स्वागत योग्य है। जीप खरीद कर पुलिस को देने का जो निर्णय किया है, वह भी स्वागत योग्य है। मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में बहुत दूरी के गांव पाली और सार्थल में दो पुलिस स्टेशन अति आवश्यक हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाराम परमार।

मेवाड़ भील कोर खैरवाड़ा में बटालियन में भर्ती

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेवाड़ भील कोर खेरवाड़ा की एक बटालियन का दर्जा होते हुए भी पूरी संख्या में भर्ती न किया जाना और आदिवासी उम्मीदवारों को केवल 12 प्रतिशत भर्ती किये जाने व लाइन क्षेत्र के चारों तरफ परकोटा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मेरा निवेदन है।

मान्यवर, उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि मेवाड़ भील कोर खेरवाड़ा को यद्यपि एक बटालियन का दर्जा दे रखा है तथापि

(श्री दयाराम परमार)

एक बटालियन की जो संख्या होती है उसमें से अभी तक निम्न प्रकार की कमी है सहायक कमाण्डर 4, कम्पनी कमाण्डर 1, प्लाटून कमाण्डर 9, हैड कान्सटेबल 40 तथा कान्सटेबल 218 कुल 272 पद रिक्त हैं। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि पढ़े लिखे आदिवासी बेरोजगार युवकों को भर्ती करके संख्या पूरी की जाये।

इसी प्रकार मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना जब 1838 में हुई थी जब से लेकर रोस्टर प्रणाली लागू होने तक 95 प्रतिशत आदिवासियों को भर्ती किया जाता था और शेष 5 प्रतिशत में मोची, नाई, धोबी वगैरह को भर्ती किया जाता था। लेकिन आज मेवाड़ भील कोर में केवल 12 प्रतिशत आदिवासी उम्मीदवारों को भर्ती किया जाता है और यहां तक कि आर्म्ड पुलिस से शिकायत, अफसरों को सजा के रूप में एम.बी.सी. में ही भेजा जाता है जिससे एम.बी.सी. का मूल स्वरूप है वह नष्ट हो रहा है। इस संबंध में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एम.बी.सी. को अंग्रेजों ने मेवाड़ के भीलों की ईमानदारी, वफादारी व बहादुरी के लिए एक तोहफे के रूप में छोड़ा जिसका स्वरूप बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसके लिए एम.बी.सी. में 80 प्रतिशत आदिवासियों को भर्ती किया जाये एवं बाहर से आर्म्ड पुलिस के आने वाले अधिकारियों के एम.बी.सी. में स्थानान्तरण नहीं किये जायें ताकि एम.बी.सी. के मूल भर्ती हुए जवानों को प्रमोशन का अवसर भी मिल सके।

साथ ही मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेवाड़ भील कोर के कार्यालय एवं लाइन क्षेत्र के तीन तरफा परकोटा बरसाना आवश्यक है क्योंकि आज बस्ती और लाइनें सब आपस में मिल गये हैं और कभी कभी जमीन व अन्य बातों को लेकर आपस में विवाद भी हो जाता है।

अतः मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि मेवाड़ भील कोर, खेरवाड़ा के बटालियन की संख्या पूरी करने के लिए भर्ती की जाये और 80 प्रतिशत आदिवासी उम्मीदवारों को भर्ती किये जाने का प्रावधान किया जाये तथा लाइनों व कार्यालय क्षेत्र के तीनों तरफा परकोटा बनाने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीकिशन सोनगरा

मांगलियावास में श्री शंकरलाल नागर की वाहन से दुर्घटना।

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है। महोदय, अजमेर जिले के मांगलियावास पुलिस थाने क्षेत्र के अन्तर्गत 24 अगस्त, 1991 को भारतीय शिक्षा प्रचार समिति के संगठन मंत्री, आदर्शनगर निवासी श्री शंकरलाल नागर की मृत्यु अजमेर-ब्यावर राष्ट्रीय राज मार्ग पर ग्राम केसरपुरा के पास ट्रक-जीप भिड़न्त में हो गई

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

थी जिसमें पुलिस ने स्व. नागर का दाह संस्कार गत 25 अगस्त, 1991 को ब्यावर में लावारिस घोषित करते हुए कर दिया। इसका मूल कारण यह था कि स्व. नागर के पास उस दिन जैठाना शिक्षण संस्था के 3600 रुपये, बदनोर शिक्षण संस्थान के 1700 रुपये और 5000 रुपये घर बनाने के लिए जो बैंक से निकाले थे, वह भी उनके पास दुर्घटना के समय बैग में थे। पुलिस ने उक्त राशि को हजम करने की नीयत से ही स्व. नागर को लावारिस बताकर दाह संस्कार किया था।

जबकि स्व. नागर की जेब से दुर्घटना के वक्त एक डायरी मौजूद थी जिसमें अजमेर लोहाखान में रहने वाले उनके एक निकट के रिश्तेदार का पूरा पता व टेलीफोन नम्बर सहित लिखा हुआ था। पुलिस ने उक्त तथ्य को छिपाया मगर कुछ दिन बाद स्व. नागर के पुत्र कार्तिक व हर्ष मांगलियावास थाने पर पहुंचे तो थानेदार ने उन्हें छतरी, डायरी, रूमाल, कपड़े व जूते आदि दिये थे। उस समय थानेदार द्वारा महरून बैग का कोई जिक्र नहीं किया। स्व. नागर के दोनों पुत्रों ने जब तक उक्त डायरी को देखा तो उसमें उनके एक नजदीकी रिश्तेदार हनुमान का पता व टेलीफोन नम्बर 23423 लिखे थे फिर उन्होंने थानेदार को कहा कि आपने मेरे पिता के पास मौजूद 10,300 रुपये हड़पने की नीयत के कारण ही हमारे पिता की लाश को लावारिस बताते हुए जला दिया, यदि आप की नीयत सही होती तो हमें समय पर आपके द्वारा सूचना ही दी जा सकती थी और हम अपने पिता का दाह संस्कार जैसा पवित्र अन्तिम क्रिया क्रम करने से रह गये।

स्व. नागर के दोनों पुत्रों की शिकायत पर उक्त मामले में पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने मांगलियावास पुलिस थाने के थानेदार को दोषी मानते हुए लाइन हाजिर करने के आदेश दिये थे लेकिन थानेदार ने अपनी उच्च स्तरीय तिकड़म लगा कर मांगलियावास थाना पुनः हथिया लिया जो कि एक आश्चर्यजनक व शोचनीय बात है।

गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त मामले की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा कराकर दोषी थानेदार को दण्डित करावें जिससे कि भविष्य में इस प्रकार का घृणित कृत्य पुनः घटित न हो और पुलिस की छवि भी बरकरार रहे।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

थाना हमीरवास (चूरू) में भू. पू. सैनिक की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी के साथ बलात्कार।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत एक विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहती हूं कि थाना हमीरवास, जिला चूरू के भूतपूर्व सैनिक नम्बर 13835961 श्री गोपाल नाथ की अनुपस्थिति में उसके घर में रात के समय स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी, स्थानीय असामाजिक तत्व मुमताजिया पुत्र श्री गन्नी काजी को लेकर घुसे

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

और पूर्व सैनिक की औरत श्रीमती सन्तोष के साथ बलात्कार किया। इसके पहली रात यही व्यक्ति सांखू पुलिस चौकी प्रभारी व सिपाही दिलीप सिंह के साथ सुन्देशाह पुत्र अलीम शाह काजी के घर घुसे और उसकी जवान लड़की लीली को जीप में डालकर ले जाने लगे तो उसकी मां जग गई। उसने शोर मचाया तो मोहल्ले के लोग उठ गये और यह मुलजिम भाग गये। भूतपूर्व सैनिक गोपाल नाथ उक्त घटना की रिपोर्ट थाना हमीरवास में देने गया तो वहीं पुलिस चौकी सांखू का प्रभारी वहां मौजूद मिला। थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और गाली-गलोच देकर भगा दिया। पूर्व सैनिक ने बहुत प्रयास किया परन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसने अदालत में 29-10-90 को इस्तगासा पेश किया। न्यायाधीश ने रिपोर्ट दर्ज करके प्रकरण की जांच हेतु उप पुलिस अधीक्षक, राजगढ़ को भेजा। उप पुलिस अधीक्षक, राजगढ़ ने थाना हमीरवास को तत्काल कार्यवाही करने हेतु भेजा परन्तु अदालत के आदेश की भी थाना पुलिस अधिकारी हमीरवास ने कोई परवाह नहीं की और रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

पूर्व सैनिक अपनी औरत सन्तोष को लेकर श्रीमान् मुख्य मंत्री महोदय से मिला। उन्होंने बीकानेर डी.आई.जी. को इस प्रकरण की जांच हेतु भेजा। डी. आई. जी. बीकानेर ने इसे पुलिस अधीक्षक, चूरू को भेजा। पुलिस अधीक्षक, चूरू जब मौके पर जांच के लिए हमीरवास पहुंचे तब दो माह बाद मु0 न0 174/90 दर्ज किया। मुझे दुःख इस बात का है कि बलात्कार का मुकदमा मुख्य मंत्रीजी के हस्तक्षेप से दर्ज हुआ। अदालत के आदेशों की भी थानेदार ने परवाह नहीं की। उपाध्यक्षजी, मुख्य मंत्रीजी के आदेशानुसार डी. आई. जी. बीकानेर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, चूरू से जांच करवाई। इस जांच में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, चूरू ने स्थानीय व्यक्ति मुमताजिया के साथ भूतपूर्व सैनिक के तथा सुन्देशाह के घर जाना व घटना का घटित होना पाया। थानेदार ने किसी की परवाह न कर दो माह तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। यहां तक कि अदालत के आदेशों की भी अवहेलना कर दी गई। और घटना के तथ्यपूर्ण सबूतों को समाप्त कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि थानेदार तथा स्थानीय पुलिस चौकी सांखू के प्रभारी इस घटना में शरीक होने से निष्पक्ष साक्ष्य व सबूत समाप्त कर दिये हैं तथा थानेदार पूर्ण रूप से दोषी है।

उपाध्यक्षजी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चूरू की रिपोर्ट के अवलोकन से स्थिति स्पष्ट है। अब श्रीमानजी, थानेदार और पुलिस के हथकण्डे देखिये। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में अपनी पोल खुलने पर इन्होंने डी.आई.जी. बीकानेर से लेकर ऊपर तक सब को अपने काबू में कर लिया। कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए फिर अखाड़े में आ डटे और महिलाओं पर अत्याचार करने का प्रमाण पत्र भी ले लिया। अब ध्यान से सुनिये एक दूसरी महिला श्रीमती गीता देवी को दिनांक 23-8-91 को इसी मुमताजिया ने अपनी चौकड़ी को साथ लेकर स्थानीय

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पुलिस के सहयोग से रात्रि को उसके घर में घुसे और उसको लाठियों और डण्डों से बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। उसके पति सीताराम अपनी पत्नी को साथ लेकर रिपोर्ट करने जाने लगा तो चौकी के सिपाही बनवारी को सड़क पर खडा कर दिया और उन्हें किसी भी वाहन में बैठकर जाने नहीं दिया। इत्तफाक से उप पुलिस अधीक्षक, राजगढ़ उधर से जाने पर श्रीमती गीता उनके सामने गिर गई और पूरी गाथा सुनाई। उप पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों पर मुकदमा नम्बर 111/91 दर्ज हुआ और अपने पूर्व हथकण्डों का इस्तेमाल करते हुए उल्टा दोषारोपण करते हुए मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उपाध्यक्षजी, महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचारों के नंगे नाच के तो अन्यत्र कहीं बिरले ही उदाहरण मिलेंगे। कानून और व्यवस्था की खुली धज्जियां उड़ाते हुए थानेदार को अत्याचार ढाहने की खुली छूट मिली हुई है। सरकार महिलाओं व हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने व निराकरण के लिए अपने आप को प्रयत्नशील बताती है। इन घटनाओं और अत्याचारों से क्षेत्र की गरीब जनता परेशान तो हो ही चुकी है।

इतना ही नहीं, हरिजनों का तो इस थाना क्षेत्र में और भी बुरा हाल है। जुगाराम पुत्र श्री खुबीराम जाति चमार, साकिन नेशन ने अपनी दर्द भरी दास्तान थानेदार को सुनाकर दिनांक 25-10-91 को रिपोर्ट दर्ज करानी चाही मगर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। उप पुलिस अधीक्षक, राजगढ़ को भी प्रार्थी जुगाराम ने रिपोर्ट दी मगर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

यही नहीं स्थानीय सहायक अभियन्ता विद्युत विभाग वृत सादुलपुर ने बिजली के तारों की चोरी की रिपोर्ट थाना हमीरवास में दर्ज करवानी चाही मगर थानेदार ने यह रिपोर्ट दर्ज नहीं की। हालांकि चोरों को लुहारू में पकड़ लिया, 2 किलोमीटर के तार बरामद कर लिये परन्तु थानेदार चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने में आना-कानी करता रहा।

अतः मैं चाहूंगी कि सरकार थानेदार हमीरवास के इस आचरण को गम्भीरता से ले और आवश्यक कार्यवाही करे। माननीय गृह मंत्रीजी तो हैं नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी होते तो आश्वासन मिलता। अब हैं नहीं लेकिन घटना वाकई गम्भीर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मैंने तो 295 तीन दिन पहले दिया था।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : गृह मंत्री जी को खुद को ऐसे समय में मौजूद रहना चाहिए। इतनी गम्भीर समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो अधिकारी जायेंगे, जांच भी करायेंगे....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

उपाध्यक्ष महोदय, यह सीरियसनैस की बात है कि सरकार कितनी चिंतित है। जो वाकया है उसको सुनने से पता चलता है। कानों के परदे फट जाते हैं और गृह मंत्री जी आज सदन में थे फिर भी यहां मौजूद नहीं हैं। एक एक्स-सर्विसमैन की पत्नी के साथ इस तरह से बलात्कार और फिर भी गृह मंत्रीजी यहां मौजूद नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय श्री मोहनलाल बारूपाल।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : बड़ा खेदजनक है।...माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको आप साधारण नहीं समझें। बड़ी गम्भीरता से लेना चाहिए इसको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले की गम्भीरता को सदन को और आपको....(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी इस पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह तो ठीक है लेकिन....(व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : यह गम्भीर मामला है। हम मामला उठाते हैं, यहां मंत्री महोदय बिराजें।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें 295 में जवाब देना, उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है.... (व्यवधान)....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इस सदन में परम्परा है....(व्यवधान)..पहले भी मंत्रियों ने यहां पर जवाब दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यादव साहब, ऐसा मेंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि वह उपस्थित रहें और जवाब दें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : पहले भी जवाब दिये हैं इसी सदन में। इतना गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : अब जवाब के समय में क्वेश्चन आवर में सभी हाजिर रहते हैं। होते हैं तो देते हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : एक्स-मिलिट्रीमैन की पत्नी के साथ थानेदार के द्वारा बलात्कार और....

श्री उपाध्यक्ष : इस गम्भीरता से कौन मना कर रहा है? गम्भीरता से कोई मना कर रहे हैं क्या ?...(व्यवधान)....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उसी व्यक्ति के द्वारा घटना हो और सरकार मौन रहे। बड़ा चिन्ता का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, वह तो कह दिया है....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : राजस्थान की महिलाओं के साथ, राजस्थान के फौजियों की पत्नियों के साथ इस तरह से बलात्कार और सरकार मौन रहे....

श्री उपाध्यक्ष : एक थानेदार का मामला है, गृह मंत्रीजी....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : एक थानेदार कोई....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें तो एक सम्बन्धित थानेदार का ही मामला उठाया है आपने।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल एक थानेदार का मामला नहीं है। मैंने आपको 4 केसेज बताये हैं। एक तरफ अपनी डिमांड्स के समय कहें कि हमारे यहां अपराधों की संख्या नेग्लिजेबल है, अपराधों की बढ़ोतरी की, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ गयी है, शहरीकरण भी हो रहा है। मैं आपसे कहती हूं एक थाने के एक थानेदार बलात्कार की रिपोर्ट नहीं लिखे और मुख्य मंत्रीजी को हस्तक्षेप करना पड़े। मैंने 3 दिन पहले इसकी सूचना दी थी, चाहिए था कि गृह मंत्रीजी यहां होते और मुझे इस बारे में आश्वस्त करते, सदन को करते। यह महिलाओं के अत्याचार का मामला है, बलात्कार का मामला है, इस मामले को आपको इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आसन की ओर से भी कह दिया गया है। माननीय गृह मंत्रीजी इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। माननीय मोहनलाल बारूपाल... (व्यवधान).... माननीय मोहनलाल बारूपाल । बिराजिए आप....(व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....(व्यवधान).... और बीहड़ सुधार के योजना के बारे में मंत्रीजी जब भी आयें तो मेरा उत्तर दिलवा दीजिए। श्रीमान्, मेरा गुलाबचन्द्रजी के मामले में मंत्रीजी आवें तब उत्तर दिलवा देना।

श्री उपाध्यक्ष : हां ठीक है, बैठिये आप। माननीय श्री बारूपालजी।

श्री मोहनलाल बारूपाल : हां, उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के विशेष उल्लेख ....(व्यवधान)....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ....और आपके नियम चल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं...

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सीनियर मंत्री यहां बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से वर्शन आना चाहिए। सरकार क्या करती है, क्या कर रही है ? एक फौजी की पत्नी के साथ पुलिस के अधिकारी के द्वारा बलात्कार हो और बार-बार इस तरह की घटना हो, फिर सरकार मौन क्यों है ?

श्री उपाध्यक्ष : आसन की ओर से कम्पेल नहीं किया जा सकता।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सरकार मौन होने का कारण क्या है ? सरकार मौन क्यों है ?....(व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, नेक्स्ट टू.सी.एम./स्तर के मंत्रीजी बैठे हुए हैं। यह कुछ कह देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप हमको कम्पेल कर सकते हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब सुनना चाहते हो क्या ? मंत्रीजी खड़े हुए हैं । आपने अपनी बात को बहुत लम्बी-चौड़ी कह दी है । क्या कह रहे हैं आप ?

श्री रामस्वरूप मीणा : समस्या इतनी भयंकर है, इसका जवाब... (व्यवधान)....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मामले को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं आप ।

श्री उपाध्यक्ष : बारूपालजी, एक मिनट ठहरना आप ।....

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : यह विषय इतना गम्भीर है । इसको गम्भीर रहने दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा । 295 में व्यवस्था है कि जो माननीय सदस्य

(1.30 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

अपनी कोई समस्यायें उठाते हैं, उसका लिखित में यहां नोटिस आता है और उसके बाद यहां उनको केवल पढ़ने की अनुमति होती है । न तो उसमें कोई वाद-विवाद होता है न कोई उत्तर दिया जाता है । अगर किसी चीज पर कोई उत्तर तैयार है । किसी मंत्री के पास, उसको निश्चित रूप से देना चाहिये, वह दे भी देते हैं ।

अब आपका जो विषय है, यह वास्तव में गम्भीर है । आपका लिखा हुआ नोटिस माननीय गृह मंत्रीजी को जरूर मिला है और फिर क्या कार्यवाही वह करेंगे, इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी । अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था कर रखी है कि जो आप 295 में प्रश्न उठाते हैं, उसका उत्तर भी आपको सम्भवतः सात दिन में ही देना पड़ता है । तो उसमें क्या कार्यवाही होगी, वह क्या करेंगे यह तो ध्यान देंगे ही । ऐसा नहीं है कि वह यहां नहीं हैं तो कोई ध्यान नहीं देंगे या इसको लाइटली लिया जाता है । मैं समझता हूं, व्यवस्था यही रहती है, आपको विश्वास करना चाहिये कि इस पर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम कई विषयों के ऊपर यहां पर 295 देते हैं । यह एक ऐसा विषय है, भूतपूर्व सैनिक की पत्नी के साथ बलात्कार और रिपोर्ट दर्ज नहीं होना, दो महीने बाद मुख्य मंत्रीजी के हस्तक्षेप से रिपोर्ट दर्ज हुई, उसमें दोषी माना कि उसके घर में एक घुसे थे । दो महीने बाद यह साक्ष्य तो खतम हो गये थे लेकिन उसके घर में घुसे, यह पाया गया । मन्त्रीजी का यहां नहीं होना, मैंने चार दिन पहले नोटिस दिया था, इतने गम्भीर मामले पर जवाब नहीं देना और उसकेबाद असेम्बली खतम होने के बाद उल्टा सीधा जवाब भेज देंगे, क्या मतलब निकलता है ? इस असेम्बली की सैंक्टिटी है । हम यहां पर जो कहते हैं, खास तौर से महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में उसे गम्भीरता से यदि मन्त्री और सदन नहीं लेगा तो मेरी समझ में नहीं आता कि फिर क्या होगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इसको गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। यहां केवल इस समय अगर वह उपस्थित नहीं हैं उसका अर्थ यह कभी नहीं हो सकता कि गम्भीरता से नहीं ले रहे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप आसन से व्यवस्था देने दीजिये। मैंने आसन से व्यवस्था मांगी है, आपसे नहीं मांगी मैंने। आसन से कहा है मैंने व्यवस्था के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आसन से ही निवेदन कर रहा हूं कि अगर कोई मंत्रीजी इस समय उपस्थित नहीं हैं, उसका यह अर्थ नहीं है कि किसी विषय को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : देखिये, यह मामला वाकई में गम्भीर है। मैं इसे गम्भीरता से ले रहा हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्रीजी से बात कर लूंगा और इसमें तत्काल जो कुछ भी कार्यवाही की जानी है, मैं मंत्रीजी से कहूंगा।

श्री मोहनलाल बारूपाल।

श्री मोहनलाल बारूपाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र जायल जिला नागौर के ग्राम सुरपालिया में पुराने समय से पुलिस थाना चल रहा है। गत तीन वर्षों से इस थाने को सुरपालिया से हटाकर ग्राम डेह तहसील जायल जिला नागौर में स्थापित करने के आदेश सरकार द्वारा जारी किये जा चुके हैं मगर अभी तक थाना सुरपालिया में ही चल रहा है जिस वजह से ग्राम आदमियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि डेह सुजानगढ़-नागौर मुख्य सड़क पर पड़ता है तथा यहां से 25 किलोमीटर दूर थाना है। यहां पर डेह में प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र है जिसके लिये पुलिस को बार-बार सुरपालिया से डेह आना पड़ता है साथ ही डेह में दूरभाष की सुविधा है जबकि सुरपालिया में नहीं है। इसी प्रकार अन्य कई प्रकार की सुविधा है जो सुरपालिया में उपलब्ध नहीं है जो डेह में उपलब्ध है। साथ ही इन गांवों में डेह गांव सेन्टर में पड़ता है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान्जी से अनुरोध है, माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान उपरोक्त तथ्यों की ओर नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख कर दिलाता हूं।

तो इस विषय में, अध्यक्ष महोदयजी, मैं आपको एक छोटी सी कविता सुना देता हूं। कविता की खातिर तो मैं यहां बोलता ही हूं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था और मेरी बात पर आप ध्यान रखना। तो क्या कहते है महात्मा.....

श्री अध्यक्ष : मगर यह आप भी ध्यान रखिये कि मंत्रियों में कोई कवि है नहीं अभी। जो कविता का जवाब कविता में दे।

श्री मोहनलाल बारूपाल : साहब, सुनो तो सही, यह तो भगवान के नाम से है। तो महात्मा क्या कहते हैं....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कवि नहीं हैं लेकिन महात्मा तो हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह चाहे न हो लेकिन आप तो कवि रसिक हैं।

श्री मोहनलाल बारूपाल : महात्मा कहते हैं, धन जोबन काग बैन करना बीर रे, डूंगर बूठा महे कहां गया नीर रे। रोहिड़ा का फूल कदे नहीं फूलिया, अर हां बाजिन्द यह झूठी माया देख भजन क्यूं भूलिया।

तो मैं एक और इसके पीछे सुना देता हूं। सुनाता हूं आपको।

घर घोड़ा घर बैल दूजे है सोगऊं,
आंगन खेल पूत घर में कुल बहु।
धोला बन्धया ठांण करे नित सेलया,
अर हां बाजिन्द मुख पर बरसे नूर भजन है पेलक्या।

अब इधर नहीं जाना चाहिये आपको। यह भजन पूर्व में खर्च किया है जब आपको कुर्सी मिली है। तो मैं आपको एक छोटी से फेर सुनाता हूं इसके पीछे। गोरा गोरा तन को गुमान करे काहे को ...

यह शरीर है, गोरा तन, यह तो कल चला जायगा।

गोरा-गोरा तन को गुमान करे काहे को, रंग है पतंग रंग कल उड जायगा। चूवो केरि धोबी धार जांवता नहीं लागे वार, नदी के किनारे रूख कब तक ठहरायेगा। कहता है बलकुदास जीवण की थोड़ी आस, मुवा पछे हाड़ मांस कूकरा ने खायेगा।

श्री अध्यक्ष : चलिये, बहुत अच्छा। श्री फूलचन्द गुर्जर।

श्री मोहनलाल बारूपाल : एक छोटी सी और सुनाऊंगा मैं।

श्री अध्यक्ष : आप तीन कविता तो बोल चुके।

श्री मोहनलाल बारूपाल : एक और सुना देता हूं, साहब। आप तो कविता जानते है। हमारे को यह देखना है रामायण में कोई कला दूधिया क्या है। तो क्या कहते हैं महात्मा—

गांधारी नहीं जाण्यो कि अंधेरा में आम है।
गांधारी को यह पता नहीं है कि अंधेरे में आम है।
गांधारी नहीं जाण्यो हो कि अंधेरा में आम है,
कोरवां नहीं जाण्यो कि पाण्डवा में श्याम है,
गौतम ऋषि नहीं जाण्यो था कि कूकड़ा में तोत है,
रावण नहीं जाण्यो कि सीता म्हारी मौत है,
हो तब की बात मोयां हो तब सही मौव है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री फूलचन्द गुर्जर।

पाटन (नीमकाथाना) में सीमेंट औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने सम्बन्धी।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं, पाटन तहसील नीमकाथाना में मिनी सीमेंट औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने हेतु, नियम 295 के अन्तर्गत आपकी मार्फत

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। उद्योग मंत्री महोदय मेरी इस बात को सुनें और उत्तर दें।

राज्य विधान सभा में एक प्रश्न के उत्तर में आपने सदन को बताया है कि कोटपूतली, नीमकाथाना व बहरोड में कुल 68 लघु सीमेण्ट उद्योग प्रस्तावित हैं। जैसा कि आपके उत्तर से स्पष्ट है, क्षेत्र में चूने के विशाल भण्डारों की वजह से ये उद्योग यहां केन्द्रित हो रहे हैं। किन्तु इन उद्योगों की विडम्बना यह है कि बहरोड व नीमकाथाना में औद्योगिक क्षेत्रों में रिक्त भूमि नहीं है। कोटपूतली में कोई औद्योगिक क्षेत्र है ही नहीं, इस वजह से उद्योग बिखरे रूप में कृषि भूमि पर स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित है। इससे एक ओर जहां उद्यमियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कृषि योग्य उपजाऊ भूमि को नुकसान हो रहा है तथा किसानों की भूमि में उद्योग लगाने के लिये भागदौड़ हो रही है। उद्योगों के अलग-अलग स्थापित होने से विकास का बिखराव हो रहा है और आसपास के गांवों के लोगों की फसल पोल्यूशन की चपेट में आने की सम्भावना है। यदि राज्य सरकार एक मिनी सीमेंट औद्योगिक क्षेत्र कोटपूतली व नीमकाथाना की सीमा पर, जो पाटन एक बहुत बड़ा कस्बा है, जिसके पास हजारों बीघा सरकारी जमीन पड़ी है, आसपास का क्षेत्र भी उसमें काफी है, इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाय तो इससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इसमें मात्र सीमेंट के उद्योग ही लगाये जा सकते हैं तो बहुत सी समस्याएं स्वतः ही हल हो जावेंगी। जो बंजर भूमि अभी तक अनुपयोगी है उसका उद्योगों हेतु सही उपयोग नहीं हो सकता।

सभी सीमेंट उद्योग एक जगह लगने से वह जगह सीमेंट की मण्डी के रूप में विकसित हो सकेगी। सीमेंट से सम्बन्धित सभी सहायक क्रियाएं भी उसी स्थान के आसपास विकसित हो सकेगी। पाटन के निकट ही छाजा की नांगल, खुदिया, मोहनपुरा व करजो गांवों के पास चूना पत्थर का विशाल भण्डार है। पूर्व में इस क्षेत्र की लीज मैसर्स केशोराम सीमेंट फैक्ट्री को भारी क्षमता का सीमेंट उद्योग लगाने हेतु दी गयी थी। अब यह क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है। लघु सीमेंट उद्योगों को उनकी आवश्यकताओं के लिये इस क्षेत्र को छोटे-छोटे हिस्सों में विभक्त किया जा सकता है अथवा खनिज विकास निगम द्वारा यहां चूने पत्थर का खनन करवा कर इन उद्योगों को चूने पत्थर की आपूर्ति की जा सकती है। अतः उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि यहां शीघ्र ही फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था दें। मैं उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा वहां इस पाटन की....(व्यवधान) उद्योग मंत्री महोदय, साहब, व्यवस्था देना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है वह जगह, अगर काश्तकारों...

श्री अध्यक्ष : आप क्या उद्योग मंत्री से वहां फैक्ट्री लगवाना चाहते हैं ?

श्री फूलचन्द गुर्जर : हां।

श्री अध्यक्ष : तो बात कर लीजिये। उनके पास पैसा होगा, लगा देंगे।

श्री फूलचन्द गुर्जर : नहीं, वह व्यवस्था देना चाह रहे हैं, साहब, अगर आप परमिशन दें तो।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया, इसका अध्ययन करवा लिया जायेगा कि क्या स्थिति है, क्या नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्यवीर।

भवानी मण्डी में अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही से पेयजल संकट।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत मेरा प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले के भवानी मण्डी कस्बे में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही से 15 दिन से जनता को पेयजल उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में, मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, डग विधान सभा क्षेत्र के भवानी मण्डी कस्बे में लगातार 15 दिन से जनता को पीने का पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। इसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही है। जिस आहू नदी से पानी सप्लाई होता है, उसमें पर्याप्त पानी है। पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन पाईप लाइन में कोई खराबी हो जाती है तो अधिकारियों द्वारा उसको तुरन्त ठीक नहीं किया जाता है। कोई गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें मोटरें जल जाती हैं तो उसको जल्दी ठीक नहीं किया जाता है। अधिकारियों में जागरूकता नहीं है। जिले तथा डग विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश हैण्ड पम्प खराब पड़े हुए हैं, उनको तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाया जावे। पचपहाड़ डग तथा सुनेल कस्बे में टंकियों के निर्माण के लिए शीघ्र बजट देकर उसका निर्माण कराया जावे। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें लापरवाही की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जावे। अभी अकाल का समय है, पानी की बड़ी किल्लत है। इसलिए इस समस्या को गम्भीरता से लें। मैं माननीय जलदाय मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुराम गरासिया।

सिरोही जिले में व्यर्थ बहकर जा रहे पानी का उपयोग

श्री प्रभुराम गरासिया (पिंडवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया के 295 के अन्तर्गत मैं मेरे क्षेत्र पिंडवाड़ा, आबू की ओर सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का दक्षिणी पश्चिम सीमावर्ती जिला सिरोही आजादी की अर्ध शताब्दी निकट पहुंचने तक राज्य सरकार द्वारा कृषि व सिंचाई के सन्दर्भ में घोर उपेक्षा का कष्ट झेल रहा है। सिरोही जिला पर्वतीय व वन प्रदेश है साथ ही यहां की भूमि अत्यधिक उपजाऊ है परन्तु दुर्भाग्य से इस भूमि से बहने वाला वर्षा का पानी बहकर पड़ौसी राज्य गुजरात में चला जाता

(श्री प्रभुराम गरासिया)

है, जहां की सरकारों ने बड़े भारी बांध निर्माण करके अपने प्रदेश का कायाकल्प कर दिया है और सिरोही जिले का पिछड़ा बनवासी व सामान्य कृषक वर्ग अपने हिस्से का अन्न कौर छीन लिये जाते टुकुर-टुकुर देखता रहता है और पिछड़ता जा रहा है। अनेकों वर्षों की जिले की प्रबल मांगों को देखते हुए पूर्ववर्ती व वर्तमान सरकार ने बालोरिया, मोरस, राजोला (ईसरा), नांदिया, फाटकेश्वर, गंभीरनाला (नागपुरा) इत्यादी बांधों के लिए सर्वे कराये तथा एस्टीमेट बनाकर उन्हें दाखिले दफ्तर कर रखा है परन्तु अभी तक इन पर कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है। आबू पर्वत की विशालतम पर्वत....

श्री अध्यक्ष : पढ़ने में कोई कठिनाई हो तो पढ़ा हुआ मान लें। हमारे पास है, यह पूरा का पूरा आ जायेगा।

श्री प्रभुराम गरासिया : शृंखलाओं से अथाह जल राशि बहकर उत्कृष्ट कृषि वन भूमि को उजाड़कर गुजरात प्रदेश को हरा भरा बना रही है। निकटवर्ती तहसील कोटड़ा, जो कि राजनैतिक दृष्टि से उदयपुर जिले का हिस्सा है परन्तु उसका भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक संबंध अटूटता से सिरोही जिले से जुड़ा हुआ है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटड़ा की खूबसूरत वादियों से बहकर जाने वाली साबरमती एवं अन्य अनेक नदियों का पानी गुजरात की धरती को सिंचित कर रहा है। अतः यदि राज्य सरकार वास्तव में ईमानदारी से बनवासी जनता का भला करना चाहती है तो कृषि के द्वारा आर्थिक स्तर सुधारने का विचार करके साबरमती नदी पर बांध बनाने की योजना बनावे, जिसकी क्षमता समूची कोटड़ा तहसील के अलावा सिरोही व जालौर जिलों को पंजाब व हरियाणा जैसे कृषि प्रदेश बनाने की है। इसमें कोई शंका नहीं है। सिरोही जिले के बनवासी क्षेत्र में जो सहज रूप में पानी बहकर आ रहा था उसे पहले तो बेकारिया गांव में "सर्वबांध" बनाकर जवाई बांध की आपूर्ति का माध्यम बना दिया जिसका केवल मात्र पाली व जोधपुर जिले में ही उपयोग हो रहा है। अब राज्य सरकार ...

श्री अध्यक्ष : अब तो केवल 7 लाइन बची हुई हैं आपकी।

श्री प्रभुराम गरासिया : एक दूसरी योजना के तहत "काली बोर" बांध बनाकर यह पानी भी जवाई बांध को दे देना चाहती है। आखिर सरकार की मंशा क्या सिरोही जिले और इसके आस-पास लगते हुए उदयपुर जिले के बनवासी क्षेत्रों को भूखे और प्यासे तड़पाते रहने की है अथवा इन्हें भी राजस्थान प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र मानकर विकास करने की इच्छा राज्य सरकार की है? मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि मेरे राजोला (ईसरा) और फाटकेश्वर बांध इसी वर्ष चालू किये जायें तो बहुत ही अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : श्री हजारीलाल गुर्जर।

खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या

श्री हजारीलाल गुर्जर (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में आबादी अधिकांशतः गांव व ढाणियों में बसी हुई है। गांव से ढाणी की दूरी 5-5, 7-7 किलोमीटर होती है जहां पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये गांव निम्न प्रकार हैं :— प्रतापपुरी, गाडराडी, त्योंदा, पपुरना, मेहाड़ा, गुजरवास, देवता, तातीजा, राजोला, नागलिया, बेसरड़ा, सिरोड़ एवं दूदवा, कालोटा आदि। इन गांवों में काफी ढाणियां ऐसी हैं जिनमें पीने के पानी की समस्या है। उक्त ढाणियों में हैंड-पम्प लगाने की कृपा करें जिससे इन ढाणियों में पीने के पानी की समस्या दूर हो सके। दूसरी तरफ जिन गांवों में बहुत ही ज्यादा पानी की समस्या है, वे गांव इस प्रकार हैं :— गोडकी, ताली, देवता, यहां पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर हैण्ड पम्प भी सफल नहीं है। इन गांवों में भी जल्दी से जल्दी पानी की व्यवस्था करावें।

अन्त में मेरा सरकार से पुरजोर निवेदन है कि उक्त गांवों में पानी की व्यवस्था करने की मेहरबानी करें, जिससे गर्मी में इनको पानी मिल सके एवं अपने पशुओं को भी जिन्दा रख सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल : (अनुपस्थित)

श्री हेमराज मीणा।

उप जिला कलक्टर, हिण्डौन द्वारा अनियमितता

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर हिण्डौन द्वारा अनियमितता करने के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, करौली से बाल (टोडाभीम) निर्माणाधीन सड़क पर प्रार्थीगण रामसहाय, लालचन्द, चान्दुलाल एवं खिलाड़ी निवासी खेड़िया ने एक दीवार खड़ी कर अवरोध पैदा कर दिया जिस पर अधिशाषी अभियंता गंगापुर ने एस.डी.ओ., हिन्डौन, तहसीलदार एवं जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को अवैध निर्माण हटाये जाने के लिए निवेदन किया। उसके बजाय एस.डी.ओ. हिण्डौन श्री हरिसिंह यादव ने ए.सी.एम. कैम्प महुवा की हैसियत से हिण्डौन में बैठे-बैठे अपनी ओर से स्टे जारी कर दिया। सरकार के एस.डी.ओ. स्तर के अधिकारी द्वारा सरकार के कार्य में बाधा डालकर फर्जी प्रार्थनापत्र, शपथपत्र, ट्रेस, कागजों के आधार पर स्टे दिया गया है। प्रार्थना पत्र अपर मुन्सिफ कोर्ट हिण्डौन को प्रस्तुत किया गया है। फर्जी ट्रेस, जो किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है, के आधार पर काटाम्फांसी कर

Page No. 116

(श्री हेमराज मीणा)

एस.डी.ओ. द्वारा स्थगन दिया गया है व मोहर सील उप जिला कलक्टर हिण्डौन की दिनांक 12-2-92 के द्वारा प्रसारित किया गया है। इस प्रकार एस. डी. ओ., हिण्डौन ने बिना पुख्ता प्रमाणों के फर्जी प्रार्थनापत्र एवं अपर मुंसिफ कोर्ट, हिण्डौन के नाम प्रार्थना-पत्र पर स्थगन आदेश देकर फर्जीवाडा किया है व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के लिखित निवेदन द्वारा सहायता की मांग को ठुकराकर भ्रष्ट आचरण अपना कर गंभीर अनियमितताएं की है, जिसके आधार पर एस. डी. ओ. हिण्डौन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर निलम्बन की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

अटरू में जल उपयोग

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अटरू में जल का भण्डार है, परन्तु उसकी ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं करने के संबंध में मेरा निवेदन है। अटरू विधान सभा क्षेत्र में विपुल जल भण्डार है तथा नदियों के अलावा भी काफी अधिक संख्या में बड़े-बड़े नाले हैं जिन्हें खाले भी कहते हैं, जिनमें वर्षा का पानी एकत्र कर कई हजार बीघा ज़मीन सिंचित कर हजारों परिवारों को पाला जा सकता है। अभी तक अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं गया है। यहां की जनता लम्बे समय से मांग करती आयी है, परन्तु उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि निम्न स्थानों पर एनीकट बना दिये जाय व तालाब की मरम्मत कर दी जावे तो सरकार के कम खर्च में ही हजारों किसानों को लाभ मिलेगा और किसान समृद्धिशाली होंगे :—

(1) मुसेन माता स्थान पर एनीकट बनाया जा सकता है।

(2) फेडी के नाले पर बडोरा के पास एनीकट बनाया जा सकता है।

(3) फण्डी व रामपुरियां गांव के बीच में जहां चार खालों का संगम होता है वहां पर एनीकट बनाकर बहुत बड़ा जल भण्डार इकट्ठा किया जा सकता है।

(4) खरकडा रामलोधान में इस प्रकार का एनीकट बनाया जा सकता है।

(5) लासी नदी कवाई के पास एनीकट बनाया जा सकता है।

(6) डाबर खाल पर ब्याडर के पास में एनीकट बनाया जा सकता है।

(7) इसी प्रकार लवानिया नाले पर भी एनीकट बनाया जा सकता है।

(8) देवरानी, जेठानी गांव के बीच में भी एनीकट बनाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : सब जानते हैं कि उनके बीच में वैसे ही एनीकट होता है आप चिन्ता मत करिये।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, देवरानी; जेठानी गांव का नाम है।

(9) कूकर तालाब की मरम्मत यदि कर दी जाय तो इससे भी लगभग एक हजार से अधिक बीघा जमीन सिंचित होती है।

इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पानी का उपयोग करें तथा इसको बेकार नहीं जाने दें। वहां के काश्तकारों को इसका लाभ दिलाये और शीघ्रातीशीघ्र एनीकट के निर्माण की स्वीकृति दिलाते हुये निर्माण प्रारम्भ करवाया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल मीणा (अनुपस्थित)

डा. चन्द्रभान।

गंगा बक्श कानोडिया अस्पताल, मुकुन्दगढ़, झुन्झुनू को पुनः चलाना

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत प्रबन्धकीय अव्यवस्था के कारण झुन्झनू जिले के मुकुन्दगढ़ स्थित गंगाबक्श कानोडिया अस्पताल के बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सन्दर्भ में निवेदन करना चाहूंगा। महोदय, झुन्झुनू जिले के मुकुन्दगढ़ कस्बे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेष सहायता से निर्मित गंगाबक्श कानोडिया अस्पताल पौने तीन साल से प्रबन्धकीय व्यवस्था के अभाव में बन्द पड़ा हुआ है जिससे मुकुन्दगढ़ कस्बा और आसपास के गांवों में लोग इस अस्पताल द्वारा मिलने वाली अच्छी चिकित्सा सेवा से वंचित हो रहे हैं।

अपने प्रारम्भ के समय में तो यह अस्पताल ठीक ठाक चला परन्तु धीरे-धीरे प्रबन्धकीय व्यवस्था खराब होती चली गयी और अन्त में मार्च, 1989 में यह अस्पताल बन्द हो गया। इस बड़े अस्पताल में अच्छे चिकित्सकों तथा कर्मचारियों की नियुक्तियां होने से इसका दूर-दूर तक नाम हो गया था। चिकित्सा सेवाओं तथा अनुसंधान कार्यों में यह शेखावाटी का "जसलोक अस्पताल" बन गया था। कालांतर में अस्पताल के संचालकों ने इसे एक उद्योग समझ कर न सिर्फ मरीजों का शोषण किया बल्कि ईमानदार चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को भी शोषण के शिकंजे में जकड़ लिया। मैनेजमेंट ने इस अस्पताल को सेवा की भावना से नहीं चला कर लाभ कमाने की दृष्टि से चलाना प्रारम्भ कर दिया। गरीब मरीजों से बिना रसीद जारी किये अनाप-शनाप चार्ज लेना शुरू कर दिया। डाक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी के बल पर मनमाने ढंग से काम करवाया जाने लगा। महंगी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के कारण धीरे-धीरे अस्पताल में मरीजों का आना कम होता चला गया। चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों पर तरह-तरह के अंकुश व नियंत्रण प्रबन्धकों द्वारा रखा जाने लगा। परिणामस्वरूप हर कार्य में शिथिलता आ गयी। डाक्टर यहां नियुक्ति के नाम से ही कतराने लगे, क्योंकि उन्हें प्रबन्धक वर्ग तरह-तरह की बंदिशों में रखने लगा था।

(डा. चन्द्रभान)

कस्बे वासियों एवं आस पास के ग्रामीणों ने इस अस्पताल के सपने को साकार करने वाले श्री राधाकृष्णजी कानोडिया से इसे पुनः चालू करने के संबंध में कई बार निवेदन किया लेकिन उन्होंने भी इसे चालू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस बीच अस्पताल के प्रबंधकों द्वारा जनता को भ्रमित किया जा रहा है कि यह डाक्टरों एवं कर्मचारियों की हठ-धर्मिता के कारण बंद हुआ है। जबकि वास्तविकता यह है कि यह केवल कुप्रबन्ध एवं संचालकों की उपेक्षा और मनमर्जी के कारण बंद हुआ है।

अतः, अध्यक्ष महोदय, मेरा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है कि वे इस मामले में अपने प्रभाव का उपयोग कर प्रबंधकों से अस्पताल को पुनः खुलवाये। यदि प्रबन्धक अस्पताल को दुबारा चलाने में असमर्थता व्यक्त करते हैं तो फिर सरकार इस बड़े अस्पताल को स्वयं अपने अधीन लेकर चालू करें जिससे स्थानीय जनता को चिकित्सा सेवा सुविधाएं सुलभ हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अचला राम।

सादड़ी, पाली, में डा. बी. आर. अम्बेडकर की नई प्रतिमा

श्री अचला राम (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, बागर हरिजन बस्ती फोर्ट रोड (जोधपुर) में डाक्टर भीमराव अम्बेडकर वाटिका में अम्बेडकर प्रतिमा स्थापित कराने एवं नगरपालिका सादड़ी (पाली) में डाक्टर भीमराव अम्बेडकर की खंडित प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा लगाने हेतु संचालन प्रक्रिया नियम 295 के तहत उल्लेख पर ध्यान दिलाता हूं।

महोदय, उक्त प्रक्रिया नियम के तहत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फोर्ट रोड बागर हरिजन बस्ती में डाक्टर भीमराव अम्बेडकर उद्यान का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है जो कि 14 अप्रेल डाक्टर भीमराव अम्बेडकर शताब्दी समारोह तक इस गति से पूरा नहीं होगा। मेरा अनुरोध यह है कि इसको शीघ्र पूरा करा कर डाक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा 14-4-1992 तक स्थापित की जावे।

साथ ही साथ आपका ध्यान सादड़ी जिला पाली, नगरपालिका द्वारा स्थापित डाक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा को किन्हीं अज्ञात अपराधियों ने खंडित कर दिया था। इसे शीघ्र नगरपालिका को विशेष अनुदान देकर नयी प्रतिमा स्थापित की जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री घासीलाल।

टोडारायसिंह में सड़कों की खराब हालत

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 जरिये क्षेत्र टोडारायसिंह की देवली व टोडारायसिंह के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के आवागमन में अवरोध होने से असन्तोष के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्षजी, मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह के देवली

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

व टोडारायसिंह में पिछले वर्षों में अकाल राहत कार्यों के तहत कई कच्ची सड़कों का निर्माण कराया गया जैसे जवालिया से मांसू, हमीरपुर से कृपाल भेरु, कृपाल भेरु से मांदोलालाइ, मांदोलाइ से रीडल्या, टोडारायसिंह से बोटुन्दा, गनेती से बरवास, लाम्बा से बरवास वाया गेदीया, हमीरपुर से ईन्दोकिया, मालेडा से नासिरदा, देवली से बोरडा, गणेशजी से रामथला से बीजवाड़, राजमहल से सन्थली वाया कुशालपुर, लाखोलाई नेगडिया, टोडारायसिंह से गनेती, गनेती से मोर माटीयान आदि। उस उक्त तक इन सड़कों पर मिट्टी का कार्य शत-प्रतिशत पूरा हो चुका था तथा सड़कों की अच्छी स्थिति हो गयी थी। उन्हीं वर्षों में अकाल राहत कार्यों के तहत विभिन्न डूंगरों में इन्हीं सड़कों पर डालने के लिये मिट्टी तुड़वाई गयी तथा कई सड़कों पर तो ट्रान्सपोर्ट करवा कर साइड पर डलवा दी गयी। इसके बाद विभाग व विभाग के अधिकारियों ने रोड पर डलवाकर रोलिंग करवाने में उदासीनता बरती जिसके कारण से मिट्टी की कच्ची सड़कें बरसात के पानी से बह कर कट गयी। स्थिति यहां तक पैदा हो गयी कि कच्ची सड़कों में जगह-जगह कटाव हो गया व खड्डे पड़ गये, कच्चे रास्तों से भी ज्यादा हालत खराब हो गयी जिससे बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, ट्रेक्टर, ट्रक, बसों के चलने में अवरोध हो गया व आवागमन में रुकावट पैदा हो गयी। सड़कें खराब होने की वजह से प्राइवेट बसों ने चलाना बंद कर दिया है जिससे आम जनता में काफी असन्तोष है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से जानना चाहता हूं कि विगत वर्षों में अकाल राहत कार्य के तहत विभिन्न स्थानों पर जैसे टोडारायसिंह का डूंगर, घाटी का डूंगर, बासटा का डूंगर, फूलमालीया की साइड पर इन रोडों की मिट्टी तुड़वाई गयी, वह कितनी-कितनी तुड़वाई गयी, उक्त मिट्टी स्टाक रजिस्टर में एन्ट्री करवायी या नहीं, वह कहां गयी तथा कौन-कौन से अधिकारियों ने लापरवाही की? माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्री से साथ ही निवेदन है कि मेरे क्षेत्र की पुरानी विभिन्न सड़कें, जो खराब पड़ी हैं, को तैयार करवाने की कृपा करें। यह मैं मानता हूं कि सरकार के पास साधन सीमित है लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि मेरिट से उन कच्ची सड़कों को पक्की करवाने हेतु इसी बजट में कम से कम तीन सड़कें इसी वर्ष करवाने की स्वीकृति दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम मीणा।

(2.00 म. प.)

रेफरल अस्पताल, राजगढ़ (अलवर) में डाक्टर, स्टाफ, भवन की कमी से असुविधा

श्री श्रीराम मीणा (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत रेफरल अस्पताल, राजगढ़ (अलवर) में डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ, हरिजन कर्मचारी, उपकरण, बेड्स की कमी व दुर्व्यवस्था तथा अस्पताल भवन में स्थान की कमी से

(श्री श्रीराम मीणा)

नागरिकों को हो रही भारी असुविधा के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है।

अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में रैफरल अस्पताल 1947 से चल रहा है। 45 साल में एक दानदाता द्वारा दो कमरे बनवाने के अलावा भवन में कोई अतिरिक्त निर्माण नहीं किया गया है, जबकि इस अवधि में कस्बे की आबादी व इस अस्पताल से लाभ उठाने वाले सैंकड़ों गांवों की आबादी कई गुना बढ़ गयी है।

अस्पताल में एक डाक्टर को छोड़कर शेष डाक्टर्स अनुभवहीन है और सदैव यह खतरा बना रहता है कि उनके हाथों मरीजों का उपचार होने के बजाय जान की जोखिम की स्थिति उत्पन्न न हो जाय। श्री एस. के. शर्मा डाक्टर के अलावा सभी डाक्टर्स अनुभवहीन हैं और हैडक्वार्टर पर श्री शर्मा के अलावा कोई नहीं रहता है।

रैफरल अस्पताल में जिस प्रकार के उपकरणों की अपेक्षा है, उसके मुकाबले यहां बहुत कम उपकरण हैं और जो हैं, वे भी खराब पड़े रहते हैं। एक्स-रे मशीन खराब पड़ी हुई है। अस्पताल के लिए नियम एम्बुलेंस गाड़ी को चलाने हेतु कोई ड्राइवर नहीं है, जिससे गाड़ी पर हुआ व्यय बेकार है और इमरजेंसी के मामलों में मरीजों को किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती। रैफरल अस्पताल में थोड़े बैड हैं; जो जीर्ण शीर्ण और गन्दी स्थिति में रहते हैं, सफाई की व्यवस्था समुचित नहीं है।

भवन की कमी के कारण इण्डोर मरीजों की भर्ती के लिए पूरी व्यवस्था नहीं है और ऐसे मरीजों को अलवर या जयपुर जाना पड़ता है। राजगढ़ तहसील में 250 गांव हैं और रैफरल अस्पताल एक ही है। अतः रैणी और टहला में रैफरल अस्पताल की व्यवस्था किया जाना भी वांछनीय है।

पांच डाक्टरों के लिए केवल दो क्वार्टर बने हुए हैं, यह भी डाक्टरों के ठहरने का एक कारण है।

अतः माननीय मंत्रीजी से इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उक्त रैफरल अस्पताल में अच्छे डाक्टरों की व्यवस्था अविलम्ब करें। बैड्स वगैरह अतिरिक्त उपलब्ध करायें, सफाई के लिए हरिजन कर्मचारियों की और व्यवस्था करवायें तथा डाक्टरों के निवास के लिए क्वार्टर्स बनवायें और जो अस्पताल का अपर्याप्त भवन है उसमें अतिरिक्त कमरे बनवाने की व्यवस्था की जाय। साथ ही टहला और रैणी में दो रैफरल अस्पताल खोलने की व्यवस्था करायें ताकि इस अस्पताल पर पड़ने वाले भार से होने वाली अव्यवस्था का निवारण हो सके।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रैणी और राजगढ़ दोनों पंचायत समितियों के हैड-क्वार्टर्स है और टहला भी पथरीला और ज़्यादा उबड़खाबड़ गांवों से घिरा हुआ है और आदिवासी बहुल क्षेत्र है। अतः वहां भी रैफरल अस्पताल खुलवाने की व्यवस्था की जानी अनिवार्य है। यह मेरी आपके मार्फत मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला भील।

जनजाति क्षेत्र में वनों की सुरक्षा न होना

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष उल्लेख 295 के माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करती हूं कि जनजाति क्षेत्र में वनों की सुरक्षा नहीं हो रही है। अन्धाधुन्ध निरंकुशलता से वनों की कटाई हो रही है। वन विभाग के कर्मचारियों तथा दूसरे प्रदेश के जैसे गुजरात मध्यप्रदेश सीमावर्ती क्षेत्र में वनों की निर्दयतापूर्वक कटाई हो रही है। वन विभाग भी निष्क्रिय हो गया है। वन विभाग की क्या योजनायें हैं, इन योजनाओं से यहां के निवासी भी परिचित नहीं है। वन विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी, डी. ई. ओ., रेन्जर शोषक बने हुए हैं। इस डूंगरपुर जिले से न ईंधन के रूप में लकड़ियां मिलती हैं, न कोयला मिलता है।

वनों की सुरक्षा, संरक्षण व विकास में वन कर्मियों की आवश्यकता होती है पर वे वनों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारियों के मनमाने तरीके अपनाने से वहां के सीमवर्ती वन कट गये तथा दो-तीन रेन्ज के वन काट दिये गये हैं। भागागढ़, डूंगरपुर रेन्ज, मेवाड सीमलवाड़ा रेन्ज, देवपुर रेन्ज, सागवाड़ा, इनके किन कारणों से अन्धाधुन्ध कटाई हो गयी है? विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हो गया है। वनकर्मी तथा अधिकारी द्वारा दूसरे प्रदेश के वन विभाग वालों से सांठगांठ कर डूंगरपुर जिले का वन नष्ट कर दिया गया है और वन कटने के बाद जनजाति के लोगों को कानून में फसायेंगे। जनजाति के लोगों को वन कानून के तहत परेशान करेंगे। वास्तविकता यह है कि इन गरीबों के नाम विभाग तथा बाहरी ठेकेदार यह कार्य करते हैं। इन वनों की सुरक्षा करनी है तो जनजाति क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था करनी होगी क्योंकि आदिवासी तथा वनों का चोलीदामन का साथ रहा है। वनों के बिना जनजाति के लोग अधूरे होते हैं। वनों के बिना जी नहीं सकते हैं। जनजाति क्षेत्रों में ही वन सबसे अधिक नष्ट कर दिये गये हैं। वहीं सबसे आसानी से शोषण होता है। भोले भाले आदिवासी आज भी धार्मिक विश्वास में जंगलों के पेड़ों की पूजा करते हैं। वे केवल सूखी लकड़ियों को ही काटते हैं और वह भी नियमानुसार। वास्तविकता तो यह है कि वन कर्मचारी वनों को नष्ट करने का कार्य करते हैं।

मेरा वन मंत्रीजी से निवेदन है कि तत्काल हस्तक्षेप कर जिन वनों की कटाई की गयी है, उनकी बड़े अनुभवी, निष्पक्ष अधिकारी से जांच करायें तथा जनजाति क्षेत्रों के अनुभवी अधिकारी का पदस्थापन करें तथा वनों की सुरक्षा हेतु विशेष व्यवस्था करावें।

श्री अध्यक्ष : दो माननीय सदस्य अनुपस्थित हो गये थे, वे अब आ गये हैं। श्री अमीन खां। भविष्य में आप ध्यान रखें।

श्रीमती कमला भील : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन और है। गृह मन्त्री यहां उपस्थित हैं, मैंने पहले एक प्रस्ताव

(श्रीमती कमला भील)

के जरिये से आदिवासी क्षेत्र में विशेषकर मेरे क्षेत्र में मंजुला का केस था, उस पर अब तक अभियुक्त को छोड़ा हुआ है। 17/2 से फिर रहे हैं, उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। दूसरा मैंने मंत्री महोदय से पहले कहा था कि जेठाना नामक ग्राम जो सागवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में है, वहां एक पाटीदार महिला की हत्या कर दी गयी। खेत में काम कर रही थी। इस तरह से आये दिन महिलाओं के साथ वहां अन्याय हो रहा है, मारपीट हो रही है। यहां तक मार भी दिया जाता है। क्या कानून व्यवस्था सरकार के पास नहीं है? मैं निवेदन करना चाहती हूं, मुझे बतायें कि सचमुच क्या हुआ है? आदिवासी, निर्दोष व्यक्तियों को पकड़कर मारपीट कर रहे हैं। आपने इसका कोई सलूशन नहीं निकाला।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो जिक्र किया, वह मेरे से मिली थीं। मैंने आपको आश्वासन दिया था। मैं इस संबंध में और जानकारी स्थानीय डी.आई.जी. से ले लूंगा और निर्देश दे दूंगा कि जो हत्या हो रही हैं, उसमें स्थानीय पुलिस को सतर्क रखें ताकि ऐसी घटनायें फिर न हों। जो ए.एस.आई. के बारे में कहा था कि जिसने यह काण्ड किया, उसको निश्चित रूप से सस्पेण्ड कर दिया गया है। इमीजिएट आर्डर कर दिये थे।

श्रीमती कमला भील : सस्पेंड कर दिया पर अभियुक्त अभी पकड़े नहीं गये।

श्री दिग्विजय सिंह : अभियुक्त के लिए कह रहा हूं। कि उनको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भी जानती हैं कि आदिवासी इलाका है, छिपने की वहां बहुत जगह है। पर उनको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने ध्यान दिलाया था, उस समय ए.एस.आई. को दोषी मानते हुए सस्पेंड कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : अभियुक्त भी आदिवासी है क्या?

श्रीमती कमला भील : नहीं, उदयपुर के शराब के ठेकेदार लोग हैं। मंत्री महोदय को सब मालूम है।

श्री अध्यक्ष : पकड़ रहे हैं। श्री अमीन खां।

बाड़मेर व जैसलमेर जिले में सड़कों की मरम्मत

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत मेरा विशेष उल्लेख है। मेरा निवेदन है कि सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों में गांव दूर-दूर बसे हुए हैं और ग्रामों में जनसंख्या भी कम है जिससे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व योजनाओं में बहुत ही कम आते हैं।

सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो सड़कें डामर व ग्रेवल की बनी हैं, वह ज्यादातर सड़के भारत सरकार के द्वारा सुरक्षा के हित में व अकाल राहत कार्यों के

(श्री अमीन खां)

तहत सन् 1963 से 1988 तक बनायी गयी है जिससे दूरदराज रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब पशुपालकों को राहत मिली है और गांवों में बसों का आना जाना शुरू हो गया। पिछले तीन सालों से न तो ग्रामीण एरिया में नई सड़क बन रही है और न पूर्व की बनी हुई सड़कों की मरम्मत की जा रही है। एक तो सीमावर्ती क्षेत्र होने से सालों-साल फौज का परीक्षण होता है जिससे ग्रेवल सड़कों को भारी क्षति हो जाती है व रेगिस्तानी क्षेत्र होने की वजह से सालों-साल रेता आंधियों से चढ़ता रहता है। जिससे ग्रेवल सारा दब जाता है, जिससे कई बड़े-बड़े ग्राम व पंचायत से मुख्यावासों पर बस नहीं चलती है व अकाल में पीने के पानी के टैंकर व सस्ते दर की दुकानों पर सामान नहीं जा पाता है जिससे आम गरीब लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जितनी भी ग्रेवल सड़कें अकाल राहत कार्यों के तहत बनी हैं उनकी मरम्मत भी विभागीय तौर पर नहीं की जाती है जिससे सीमा की सुरक्षा के हिसाब से व जनहित को सामान्य सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। कुछ सड़कों के उदाहरण नीचे मुजब है :–

जिला बाड़मेर

(1) भाचभर के तामलियार

(2) बुटिया से कैलनोर वाया सजनकापार,

(3) उबरे का पार से सजनका पार

(4) खानी यानी से रतडेरी

(5) गिराब से जिन्मनीयाली

(6) गागरिया से देतानी

(7) गागरिया से पांधीका पार

(8) खोनी यानी से गिराव

(9) जैसिन्धर से गिराब

(10) सांखली फान्टा से रतडी

(11) सांखली फान्टा से सून्दा

(12) शिव से नागडदा

(13) मोखाब से काश्मीर

(14) सवाउपदमसिंह रेतेऊ वाया शहर

(15) सवाउपदमसिंह उन्डू

(16) कानाखर से आरंग

(17) ईन्डू से बांधा

(18) उन्डू से कसूम्बली गारीयान

(19) भाक से कसूम्बला वाया रतेउ

(20) गूंगा से स्वामी का गांव

(21) सोलंकिया से उनरोड

(22) बाड़मेर मुनावा रोड के मालानी थान्दा से शिव गडरारोड वाया सेखून

(23) बालेव से ओसेरी

(24) खलीफे की बावडी से द्रामा

(25) खुडानी से गिराब

जिला जैसलमेर

(1) कोहरा से गुंगेरीया वाया लखा

(2) जीन्जनी याली से गिराब

(3) जीन्जनीयाली से संतोवाया बईया

(4) देवीकोट से चैलक वाया रामा

(5) रामा से कपूरीया

(6) फतेहगढ़ से डांगरी

(श्री अमीन खां)

(7) देवीकोट से डागरी

(8) सांगड़ से खुकूड़ी

(9) नरसिंगों की ढ़ाणी से शोभ

(10) शोभ से अड़वाला

(11) फतेगढ़ रोड से रीबड़ी गांव।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त सड़कों की मरम्मत की जावे व नया ग्रेवल बिछाया जावे और विभाग के पास इतना साधन न हो तो कम से कम अकाल राहत में उक्त सारी सड़कों की मरम्मत की जाने की व्यवस्था की जावे। मैं यह भी चाहूंगा कि सरकार उक्त सड़कों में से योजना में कितनी सड़कें ले रही है, पंचायत मुख्यावासों से जोड़ने वाली कौन-कौन सी सड़कें हैं, न्यूनतम आवश्यक कार्यवाही के तहत कौन-कौन सी सड़के ली जा रही है और उनको कब तक किस प्रकार बनाया जायेगा, स्पष्ट रूप से बताया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नी लाल।

सवाई माधोपुर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अध्यापकों की नियुक्तियों में की गई भ्रष्टाचारी व हेरा फेरी के संबंध में।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : (खण्डार) अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न के जवाब में अध्यापकों के 132 पद 7-3-92 को रिक्त दर्शाये गये थे किन्तु उन्हें अभी तक भी नहीं भरा गया है इसकी जानकारी मेरे को 23-3-92 को अध्यापकों को भरने की दी गई। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थान पर शारीरिक शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है जिसमें मैरिट की अवहेलना की गई है। योग्यता सूची में अधिकांश पात्रधारी अनुसूचित जाति और जन जाति के होने के कारण पी टी आई को नियुक्ति दी गई है क्योंकि अधिकांश शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति में जातिवाद अपनाया गया है उक्त नियुक्तियों में कनिष्ठ लिपिक अमर चन्द बैरवा ने मध्यस्था की है। इसके द्वारा जिला ग्रामीण शिक्षा अधिकारी को काफी मात्रा में लाभ पहुंचाया गया है। 31-3-92 तक जो वरीयता सूची बनाई गई थी उसी में से नियुक्ति दी जानी चाहिये थी वह सूची 31-3-92 को समाप्त कर दी गई है व अनुसूचित जाति के प्रार्थियों के साथ अन्याय किया गया है। अनु. जाति व जनजाति के कई प्रार्थी ओवर एज होने की स्थिति में हैं। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी जसकौर मीणी द्वारा अनियमितता करवाने में जिला शिक्षा अधिकारी ग्रामीण को सहयोग किया है।

अतः इस संबंध में शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो वरीयता सूची अध्यापकों के लिए बनाई गई थी उस सूची में पी टी आईज को न लेकर के उस सूची को यथावत रखी जावे जिससे अनुसूचित जाति के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जोधपुर शहर की आवासीय समस्या

श्री अध्यक्ष : (1) पांच ध्याना-

(श्री अध्यक्ष)

आकर्षण प्रस्ताव हैं और गृह मंत्री जी का वक्तव्य हैं और दो एक्ट हैं। एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर अधिक से अधिक 15 मिनट का समय मैं तय करता हूं। प्रक्रिया यह होगी कि माननीय सदस्य केवल ध्यान आकर्षण करेंगे, फिर माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट आयेगा, फिर वह पाईटेड क्वेस्चन पूछ सकेंगे, भाषण नहीं होगा। श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं नगर विकास मंत्री जी का जोधपुर की आवासीय समस्या के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस ध्यान आकर्षण का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, इसी प्रकार का एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है। वैसे आपने भी इन दोनों को सम्मिलित कर दिया है, दोनों का उत्तर एक साथ ही दे देता हूं।

राज्य सरकार ने भूमि रुपान्तरण के नियमों के तहत जोधपुर के आसपास क्षेत्र की कृषि भूमियों का गृह-निर्माण समितियों द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रुपांतरण होने के पश्चात् समितियों के पदाधिकारियों द्वारा भू उपविभाजन हेतु 21 समितियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे जिन में से 9 समितियों के भूउपविभाजन प्लान स्वीकृत किये गये उनको भवन निर्माण की स्वीकृतियां दी जा रही हैं। शेष तीन समितियों के भू उप विभाजन के ले आउट प्लान नियमानुसार नहीं होने के कारण अस्वीकृत किये गये हैं। ऐसे मामलों में तामीर की स्वीकृति नहीं दी गई है। इनके अलावा दो समितियों के मामले अलसर एक्ट से प्रभावित हैं। शेष समितियों के भू उप विभाजन के मामलों में संबंधित नक्शे नियमानुसार नहीं होने की सूचना समितियों को दे दी गई है। समितियों द्वारा पुनः नियमानुसार नक्शे प्रस्तुत करने के पश्चात् विचार किया जायेगा।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-(5) (2) नविधान/ 86 दिनांक 6-3-92 द्वारा गृह निर्माण सहकारी समितियों की आवासीय योजनाओं के नियमितीकरण के विकास शुल्क की राशि का निर्धारण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। अब उन गृह निर्माण सहकारी समितियों की आवासीय योजनाएं नियमित कर गृह निर्माण की स्वीकृति नियमानुसार जारी कर दी जायेगी। आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 1982 में अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए जयपुर शहर हेतु विशिष्ठ पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गई थी। उक्त पंजीकरण योजना में 139 अधिस्वीकृत पत्रकारों ने विभिन्न आय वर्गों में मकान आवंटन हेतु पंजीकरण करवाया था। इनमें से 114 अधिस्वीकृत पत्रकारों को मकान आवंटन किये जा चुके हैं। तथा 25 अधिस्वीकृत पत्रकारों के प्रकरण विवादास्पद होने के कारण उन्हें मकान आवंटन नहीं किये गये। विवादास्पद प्रकरणों में से कुछ आवेदकों के प्रकरण ऐसे हैं जिनमें उनके द्वारा पत्रकार होने का प्रमाण पत्र नहीं किया गया तथा कुछ प्रकरणों में आवेदकों द्वारा आय वर्गानुसार

(श्री भंवरलाल शर्मा)

निर्धारित पंजीकरण राशि जमा नहीं कराई गई। उक्त आवेदकों को मण्डल द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। इस प्रकार मण्डल द्वारा वर्ष 1982 में पंजीकृत सभी योग्य अधिस्वीकृत पत्रकारों को मकान आवंटित किये जा चुके हैं। वर्ष 1982 से 1990 तक कुल 20 अधिस्वीकृत पत्रकारों के मकान आवंटन हेतु जोधपुर शहर के लिए पंजीकरण करवाया था तथा सभी को को मकान आवंटित किये जा चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करूंगा कि यह समस्या कई दिनों से राजस्थान भर की थी, अभी मार्च से...

श्री अध्यक्ष : राजस्थान का नाम लोगे तो अभी सभी खड़े हो जाएंगे, सवाल पूछ लेंगे, जोधपुर तक ही रखिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी जो हमने एक नियम बनाया है वह सारे राजस्थान भर के लिए है। इसलिए उसके अन्तर्गत जो कठिनाई आ रही थी, 6 मार्च 1992 के निर्देश के बाद इन समस्याओं का समाधान जल्दी हो जायेगा। वह माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी दे दूं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, जोधपुर नगर में कृषि भूमि से रूपान्तरण 50 हजार भूखण्डों का किया गया। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि 6 मार्च के आदेश से काफी लोगों को राहत मिलेगी, उसके बाद भी जोधपुर शहर में भूमि रूपान्तरण किये गये भूखण्डों की विशेष समस्या है। सरकारी भूमि पर भी कृषि खातेदारी भूमि बताकर उसका रूपान्तरण कर दिया गया था। दूसरा, मास्टर प्लान में जो भूखण्ड आया करते थे उनको भी खातेदारी भूमि बताकर उसका भी रूपान्तरण कर दिया गया। तीसरा, जोधपुर के अन्दर 1962 से जो 16 गांव नगर परिषद् क्षेत्र में आ गये थे, उनकी समस्या है। उनको नियमित करने का प्रश्न काफी समय से विचाराधीन है। चौथा प्रश्न यह है कि जोधपुर शहर के बीच में भूतपूर्व सैनिकों की एक कालोनी बसी हुई है। उस डी.जी.एस. कालोनी में करीब तीन हजार भूतपूर्व सैनिकों के परिवार भूखण्डों पर बसे हुए हैं, उनके भवन बन चुके हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष तौर ने यह समस्या जोधपुर की है। भूमि रूपांतरण के पट्टे जारी कर दिये गये हैं। उसके बाद वहां बहुत से मकान बन चुके हैं। सरकारी कर्मचारी, मजदूर और अल्प आय के लोगों ने जो सरकारी कर्ज लेना चाहते थे, अपने मकान नहीं बनाये। इसके पीछे यह कारण हो गया कि उनको कर्जा लेकर ही मकान बनाने थे, उनको नक्शे एप्रूव कराने थे, भवन की स्वीकृति लेनी थी परन्तु रैगुलराइजेशन, सब-डिवीजन नहीं होने के कारण, विकास शुल्क नहीं जमा कराने के कारण उनको स्वीकृति नहीं मिली। ऐसे हजारों कर्मचारी आज वंचित हैं मकान बनाने से। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किस समय कर लेंगे जिससे इन लोगों को राहत मिल सके ?

इसी आधार पर, जोधपुर शहर के आसपास किसानों की बस्तियां हैं और

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

मास्टर प्लान में ग्रीन बैल्ट है। ग्रीन बैल्ट होने के कारण वहां भवन की स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। आवासन मण्डल और नगर सुधार न्यास ने इस पर अपने भवन बनाने की योजना बनायी। इस कारण किसानों की बस्तियां उजड़ जाएंगी। उसके बाद नयी बस्तियां बसाने से क्या फायदा? वहां पर्यावरण सन्तुलन भी बिगड़ जाएगा। इस ग्रीन बैल्ट के अन्दर अच्छे कुएं हैं, उपजाऊ भूमि है और ये शहर भर की सब्जी, फल और फूल की मांग की पूर्ति करते हैं। ऐसे स्थान पर राजस्थान आवासन मण्डल और नगर सुधार न्यास योजनाएं बना रहे हैं, लम्बे समय से बनाते रहे हैं और किसानों का रोजगार छीना जा रहा है। इस सम्बन्ध में भी नगर विकास मन्त्री अपना स्पष्टीकरण करें।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1962 के अन्दर करीब 16 गांव थे जिनको नगर परिषद् के अन्तर्गत लिया गया था। इन 16 गांवों में रहने वाले लोगों का, जिनके बाड़े थे, मकान थे या अन्य चीजें थीं, सर्वे भी हो चुका है। सर्वे होने के बाद भी उनको अभी तक गैर योजना में रखा गया है, जिसके कारण गांव वालों को विकास योजना का जो फायदा होना चाहिए वह नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन 16 गांवों में जिनके मकान पहले से बने हुए हैं उनको नियमित किया जाय, पट्टे आवंटित किये जाएं। इसके साथ ही उनको विकास योजना के अन्दर लिया जाय ताकि राज्य सरकार की जो भी विकास योजना है उससे ये 16 गांव लाभान्वित हो सकें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि बी.जी.एस. जैसा माननीय सदस्य ने बताया, भूतपूर्व सैनिकों की कालोनी है। उससे करीब 2 हजार आवासीय मकान बने हुए हैं, 80 प्रतिशत मकान बने हुए हैं। मेरा निवेदन है कि जो मकान बने हुए हैं उन मकानों को अविलम्ब रैगुलराइज किया जाय। रैस्ट मकान में जिन्होंने डेवलपमैण्ट के पैसे जमा करा दिये, कन्वर्जन के पैसे जमा करा दिये, उन लोगों के काफी समय से कन्वर्जन के मामले यू.आई.टी. में विचाराधीन हैं। उनको तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाय। आवासीय समस्या जोधपुर में एक भयंकर समस्या है, मेरा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि तत्काल इस समस्या का निदान किया जाय।

अन्त में एक और निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि 1984 में जिन पत्रकार बन्धुओं ने हाउसिंग बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराया था उनको अभी तक आवासीय मकान उपलब्ध नहीं हुए हैं। मन्त्री महोदय प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब उनको मकान आवंटित करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस एक प्रश्न से दो बातें जुड़ गयीं, एक तो नियमितीकरण और एक

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अवाप्ति की। ऐसी कई भूमियां हैं जिनको अवाप्त करने से वहां का पर्यावरण भी ठीक नहीं रहेगा या जो लोग काश्त करते हैं, बरसों से रहते हैं, उनको भी संकट आएगा। वह तो जैसे-जैसे विषय आएंगे उनके आधार पर निर्णय करेंगे। अवाप्ति का तरीका यही है कि नोटिस जाता है। वह अपना पक्ष रखता है। उसके बाद उस पर विचार किया जा सकता है। जहां तक नियमितीकरण का सवाल है, मैंने निवेदन किया कि जब तक ये नियम पास नहीं हुए थे, वास्तव में यह समस्या थी। अब मुझे ऐसा लगता है, बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। यह बात अवश्य है कि सरकारी भूमि ही किसी ने खरीद ली, तो उसका तो अभी विचार करेंगे कि उसमें क्या किया जाय। यह भी सही है कि सरकारी भूमि पर भी लोगों ने मकान तो बना लिये अपने। अलग-अलग जैसी स्थिति होगी उसके गुणावगुण पर विचार करके उसका निर्णय करेंगे। लेकिन यह जो 6 मार्च का आदेश निकला है उसके आधार पर बहुत बड़ी समस्या का समाधान, मैं समझता हूं, हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या बचेगी तो उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निपटाएंगे उनको।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : एक स्पेसिफिक प्रश्न।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अन्दर कई गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं जिन्होंने लैण्ड कन्वर्जन करवाया और सम्बन्धित डिपार्टमैण्ट ने उनको लैण्ड कन्वर्जन के पट्टे आवंटित कर दिये हैं। अब राज्य सरकार की तरफ से, यू आई टी. की तरफ से उन कन्वर्जन की हुई भूमियों के एक्विजिशन के नोटिस जारी किये गये हैं जब कि उन स्थानों पर कालोनी में आवासीय मकान बनाये जा चुके हैं। उनको लैण्ड एक्विजिशन के तहत नोटिस जारी हुए हैं, अवाप्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। न तो उनको सुनने का मौका दिया गया, न एतराज प्रस्तुत करने का समय दिया गया। वहां पर आवासीय मकान हजारों की तादाद में बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हो गया आपका।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : यह एक प्रमुख समस्या है, इसलिए आपसे निवेदन है कि जो मकान बने हुए हैं, जो पट्टे जारी किये गये हैं, उनको नियमित करने का कष्ट करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने पूर्व में ही निवेदन किया कि जब अवाप्त करते हैं तो उसको नोटिस दिया जाता है। उस समय आपत्ति पेश कर सकते हैं। मान लो फिर भी किसी ने नहीं की तो अब कर दें, हम उस पर अब विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

नगरपालिका, करौली में अनियमिततायें

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं करौली नगरपालिका

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

के अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना कर की जा रही कथित अनियमितात्रों की ओर नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में निवेदन है कि अध्यक्ष, करौली नगरपालिका द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु दिनांक 11-12-1991 को साक्षात्कार लिया गया। जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर ने इस नियुक्ति को स्थगित कर दिया। इस स्थगन के बावजूद अध्यक्ष ने 15 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तीन माह हेतु और दिनांक 31-12-1991 को दो कर्मचारियों को तीन माह के लिए नियुक्ति दे दी। अध्यक्ष द्वारा दिये गये उपरोक्त आदेशों को राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया। कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी ने जब अध्यक्ष द्वारा दिये गये नियुक्ति आदेश पर असहमति व्यक्त की तो अध्यक्ष ने इस कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी को भी निलम्बित कर दिया। किन्तु इस निलम्बन आदेश को भी राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 22-2-1992 द्वारा निष्प्रभावी कर दिया।

कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी द्वारा लेखापाल व रोकड़िया को वेतन भुगतान नहीं करने हेतु पाबन्द करने के बावजूद अध्यक्ष द्वारा पालिका स्टाफ के वेतन बिल के साथ ही उन नवनियुक्त कर्मचारियों को भी वेतन भुगतान करा दिया।

उपरोक्त प्रकरण में अध्यक्ष के विरुद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 के अन्तर्गत कार्यवाही राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। मेरा निवेदन यह है कि जो आपने कहा, वह बात तो ठीक ही है और इसीलिए अब उसके खिलाफ हम कार्यवाही कर रहे हैं। इससे अधिक यहां गुणावगुण पर मेरे लिए कहना इसलिए उपयुक्त नहीं होगा....

श्री अध्यक्ष : जांच हो रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : कि हम जांच कर रहे हैं। यह कहूं कि उसने कोई गलती नहीं की तो भी ठीक नहीं है और मैं यह स्वीकार करूं कि उसने भूल की है तो भी मैं समझता हूं कि जो, जांच कर रहे हैं वह जांच प्रभावित होगी। मैं माननीय सदस्य को यही विश्वास दिलाता हूं कि इसकी जांच के बाद जो कुछ भी निर्णय होगा उसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह बात सही है कि जिन बिन्दुओं को मैंने रखा था, उनका स्पष्ट और सही-सही जवाब मुझे माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का प्राप्त हो चुका है। यह बात सही है कि 11-2-1991 को साक्षात्कार हुए, जिलाधीश महोदय ने 12-12-1991 को इसके ऊपर स्थगन आदेश भी दिए और यह भी सही है कि

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

राजस्थान सरकार के उप शासन सचिव ने इसको निरस्त करने के आदेश दिए। लेकिन उसके बाद जो अनियमितताएं हुई हैं और जैसी मुझे जानकारी मिली है, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो भर्ती हुई है, जिस आढ़ के अन्दर भर्ती की गई है, उनमें सफाई मजदूरों को भर्ती करते तो भी बात हमारी समझ में आती लेकिन भर्ती सफाई मजदूरों के बजाय ऐसे लोगों के नाम की पत्रावली है, अध्यक्ष महोदय, गिर्राज प्रसाद शर्मा, सुरेन्द्रसिंह, रामावतार, शाह अहमद, राधेश्याम माली, रामलाल मीणा, राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, इनमें से कोई सफाई कर्मचारी नहीं है।....

श्री अध्यक्ष : एम्प्लायमेंट दिया होगा ना ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं एम्प्लायमेंट दिए जाने के विरोध में नहीं हूं लेकिन नगरपालिका की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि रेगुलर तनख्वाह बांटने के भी उसके पास पैसे नहीं है।

सफाई और विकास कार्य तो हो नहीं पा रहे हैं और इतना बड़ा बोझ आपने नगरपालिका पर लाद दिया है। सही मायने में आने वाली नगरपालिका में चाहे प्रशासनिक अधिकारी बैठें, चाहे चुनी हुई किसी भी पार्टी की नगरपालिका बने उसके ऊपर भी बड़ा भार पड़ने वाला है क्योंकि उस नगरपालिका में हम देखते आ रहे हैं कि साधनों का अभाव है, पैसा नहीं है। कुछ पैसा सरकार ने दिया उससे कुछ सड़कों का निर्माण हो गया लेकिन तनख्वाह भी वहां पर पूरी नहीं बंट पाती है। इस प्रकार के हालात हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपने कहा है कि इसकी जल्दी से जैसा कि 63 के तहत आपने कार्यवाही चला रखी है, आपके विभाग ने आपके पास रिकमण्ड कर दिया है। अब उस पर तत्काल कार्यवाही करके चार्ज शीट इश्यू करें। जैसा कि नियम है कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट या एल.आर. के पास जहां भी आपके पास भेज कर जल्दी कार्यवाही करें क्योंकि नगरपालिका के सदस्यों में इस कारण से भारी असन्तोष है, आवाज उठाई जा रही है। इतना ही मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतसिंह।

भरतपुर रोडवेज डिपो में अनियमितताएं

श्री सम्पतसिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी का भरतपुर के पुराने रोडवेज डिपो की बिक्री में हुए भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर सुधार न्यास द्वारा स्थानीय पुरानी रोडवेज वर्कशाप की नीलामी के मामले में तथ्य इस प्रकार से हैं:—

(श्री भंवरलाल शर्मा)

वर्ष 1982-83 में नगर सुधार न्यास, भरतपुर एवं परिवहन निगम के मध्य इकरार हुआ था जिसके अन्तर्गत नगर सुधार न्यास से नया बस स्टेण्ड एवं वर्कशाप निर्मित कर परिवहन निगम को दी। इसके एवज में परिवहन निगम ने अपना पुराना बस स्टैंड एवं पुरानी वर्कशाप न्यास को स्थानान्तरण कर दी। दोनों का विधिवत् कब्जा न्यास को दिनांक 31-1-1989 को प्राप्त हुआ। न्यास द्वारा नये निर्माण में जो राशि व्यय की गई, वह इन दोनों सम्पत्तियों के विक्रय से प्राप्त की जानी थी।

पुराने बस स्टेण्ड के निस्तारण हेतु न्यास ने इस पर 32 दुकानें बनाकर उन्हें विक्रय करने का निर्णय लिया, परन्तु कुछ स्थानीय जनता का इसमें विरोध हुआ जो यह चाहते थे कि इसकी बस स्टाप के रूप में उपयोग में लिया जाता रहे। इस कारण से इससे बसों का संचालन जारी रहा एवं दुकानों का निर्माण नहीं हो सका। वर्ष 1990 में जन-प्रतिनिधियों से बात कर इसमें 12 दुकानों के निर्माण के लिए उनकी सहमति ली गई जो अब बनकर तैयार हो गई हैं। फिर भी इसका बड़ा हिस्सा अभी भी रोडवेज द्वारा बस स्टाप के रूप में काम में लिया जा रहा है।

दूसरी भूमि पुरानी वर्कशाप थी जिसका विक्रय अनेक प्रयत्न करने के बाद भी ढाई वर्ष तक नहीं हो पाया। इसका विवरण निम्न प्रकार है :—

न्यास मण्डल की बैठक दिनांक 16-7-1988 द्वारा यह सम्पत्ति नगर परिषद् को 15 लाख रुपये में आफर की परन्तु नगर परिषद् ने यह राशि जमा नहीं कराई। अतः दिनांक 6-4-1989 को यह आफर निरस्त कर दिया गया।

दिनांक 27-6-1989 को इस भूमि की होटल उपयोग हेतु नीलामी रखी गई, परन्तु नीलामी में कोई बोली लगाने नहीं आया। पुनः 22-8-1989 को होटल प्रयोजनार्थ नीलामी रखी गई जिसमें पूरे देश के 44 प्रसिद्ध होटल व्यवसायियों को भी लिखा गया परन्तु नीलामी में कोई उपस्थित नहीं हुआ।

न्यास ने पत्रांक 6415 दिनांक 2-9-89 के द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन को अपनी आवासीय कालोनी हेतु यह 7184 वर्गगज भूमि 500 रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब से रुपये 35.92 लाख में दिये जाने का आफ दिया परन्तु इनका कोई जवाब नहीं आया।

दिनांक 11-10-90 को न्यास मण्डल की बैठक में निर्णय लिया कि इस भूमि को बैंकों को आफर किया जाय जिसमें सफल नहीं होने पर विज्ञापन निकाल कर भूमि नीलाम की जावे। न्यास ने सभी बैंकों को लिखा परन्तु किसी का जवाब नहीं आया। इसके पश्चात् इस भूमि पर 17 आवासीय भूखण्ड निकाल उन्हें अलग-अलग नीलाम करने का प्रयत्न किया गया। दिनांक 18-1-1991 को 6 भूखण्डों की नीलामी रखी गई। 3 भू-खण्डों के लिए कोई बोली

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लगाने नहीं आया। केवल 3 भूखंडों की बोली लगी जो कि उपयुक्त दर से न होने से नीलामी में उपस्थित समिति के सदस्यों ने उसे अस्वीकार कर दिया।

पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपनी आवासीय कालोनी हेतु कुछ भूमि की आवश्यकता बताई जिस पर उन्हें न्यास के पत्र दिनांक 25-3-1991 से आफर दिया कि न्यास इसके लिए यह भूमि उन्हें 800/- प्रति वर्ग गज में देने को तैयार है। जवाब न आने पर न्यास ने पुनः दिनांक 24-4-91 को पत्र लिखा कि सात दिन में यदि कोई जवाब नहीं आता है तो आफर रद्द समझा जावे। इस पर भी कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

इस प्रकार अनेकानेक प्रयत्न करने के उपरान्त भी विक्रय नहीं होने से मामला न्यास मण्डल की बैठक दिनांक 6-5-1991 में पुनः रखा गया जिसमें पूर्व की सभी स्थिति पर विचार कर यह प्रस्ताव रखा गया कि इसको नीलामी द्वारा एक मुश्त आवासीय, व्यवसायिक अथवा होटल के लिए सम्मिलित रूप से विक्रय किया जावे। बैठक के दौरान ही पंजाब नेशनल बैंक के भरतपुर स्थित रीजनल मैनेजर से दूरभाष पर पूछा गया कि क्या वे इस भूमि को क्रय करने में रूचि रखते हैं तो उनका जवाब था कि इस बारे में उनका मुख्यालय ही कोई जवाब दे सकता है जहां से उनके पास कोई जवाब नहीं आया है। अतः न्यास मण्डल ने उसी दिन निर्णय लिया कि इसे खुली नीलामी द्वारा व्यावसायिक उपयोग हेतु विक्रय कर दिया जावे। बैठक के उपरान्त यह महसूस किया गया कि चूंकि प्रस्ताव आवासीय व व्यावसायिक उपयोग दोनों के लिए था इसलिए नीलामी में दोनों प्रयोजन रखने के लिए इसकी विक्रय दर अच्छी प्राप्त हो सकती है। नीलामी दिनांक 12-7-1991 को रखी गई।

इस बीच पंजाब नेशनल बैंक के स्थानीय अधिकारियों ने न्यास से सम्पर्क किया एवं दिनांक 11-6-1991 को एक पत्र न्यास को लिखा जिसमें न्यास के पूर्व आफर के सम्बन्ध में अपने उच्चाधिकारियों को जानकारी कराने हेतु न्यास से यह जानकारी चाही कि क्या न्यास द्वारा जो दर बताई गई है उसमें वह केवल भूखण्ड को विकसित करने का काम अपने खर्चे से करवा देगा। इस पत्र में भी बैंक ने यह नहीं लिखा कि वे इसको खरीदने के लिए तैयार हैं।

इस पर न्यास ने अपने पत्र दिनांक 1-7-1991 द्वारा बैंक को सूचित किया कि चूंकि पूर्व आफर के सन्दर्भ में उनमें जवाब प्राप्त नहीं हुआ था इसलिए यह आफर वापस ले लिया है एवं न्यास मण्डल दिनांक 6-5-1991 को इस भूमि को खुली नीलामी द्वारा विक्रय करने का निर्णय ले चुका है। वे चाहें तो दिनांक 12-7-1991 को नीलामी में भाग ले सकते हैं। इस पत्र के जवाब में भी बैंक द्वारा कोई पत्र नहीं लिखा गया कि उनके यहां मामला

(श्री भंवरलाल शर्मा)

विचाराधीन है और उसकी नीलामी अभी स्थगित रखी जावे। वास्तव में बैंक के मुख्य कार्यालय से इस बारे में कोई जवाब नहीं आया था एवं समस्त पत्राचार बैंक के स्थानीय रीजनल कार्यालय से ही था जो इस मामले में कोई कार्यवाही करने से सक्षम नहीं है।

नीलामी का विज्ञापन तीन अखबारों में दिया गया जिसमें राजस्थान पत्रिका भी है। नीलामी में दिनांक 12-7-1991 को 3 फर्मों की तरफ से बोली लगाई गई जिनमें से एक फर्म हरियाणा की एवं दो फर्म स्थानीय भरतपुर की थीं। अधिकतम बोली 33.01 लाख रुपये की, मैसर्स सिंह कंसट्रक्शन, भरतपुर की रही जिन्होंने एक चौथाई राशि मौके पर जमा करा दी। इस बोली को उपयुक्त मानकर मंजूर कर लिया गया। फर्म ने बाकी तीन चौथाई राशि अगले 60 दिन में मय ब्याज के जमा कराई जिसके उपरान्त भूमि का कब्जा उन्हें दे दिया गया। क्रेता के भवन निर्माण मानचित्र अभी उप नगर नियोजक, अलवर ने स्वीकृत नहीं किये हैं।

इस विक्रय से न्यास को निम्न आय हुई :—

विक्रय राशि	33.01 लाख
क्रेता से प्राप्त ब्याज	00.59 लाख
आंतरिक विकास कार्यों की बचत	02.17 लाख
	35.87 लाख रुपये

न्यास द्वारा जो आवासीय भूखण्ड इस 6600 वर्गगज भूमि में निकाले गये थे, उन भूखण्डों का क्षेत्रफल सड़कों को छोड़कर 5,680 वर्ग गज बनता है जिसकी विक्रय दर 630 प्रति वर्ग गज अथवा 750 प्रति वर्ग गज आती है। नगर सुधार न्यास की भूखण्डों की नीलामी में इतनी अधिक विक्रय दर भरतपुर में आज तक प्राप्त नहीं हुई है।

न्यास द्वारा इस भूखण्ड के विक्रय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई है। राज्य अन्वेषण ब्यूरो या पुलिस में किसी प्रकार की जांच बाबत न्यास, भरतपुर करने का कोई रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी ने जो अपने सवाल में जानकारी दी है उसमें कुछ तथ्यों के हिसाब से मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा। अव्वल तो इस प्रकरण से सम्बन्ध है, जो न्यास के अध्यक्ष होते हैं पदेन, जिला कलक्टर और उनके साथ-साथ जो दूसरे सदस्य हैं वह अभी अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी। इस प्रकरण के सन्दर्भ में पिछले विधानसभा के सत्र में भरतपुर से ही आने वाले माननीय सदस्य ने इन तथ्यों को बहुत ब्योरेवार सदन में प्रस्तुत किया था। आपने उस वक्त इसकी जांच शुरू की और उस जांच में एडिशनल एस. पी., डी.एस.पी. और इन्सपेक्टर, पुलिस के तीनों अधिकारियों ने इसमें लम्बी विस्तृत जांच की और

(श्री सम्पतसिंह)

महीनों महीनों यहां फाइलें रहती गयी अन्वेषण के आफिस में, ब्यूरो के आफिस में। उस वक्त भी समाचार पत्रों में यह बात आती रही कि पुलिस के उच्च अधिकारी जिला कलक्टर को इस प्रकरण से बचाने का प्रयास कर रहे हैं और मिसल को वापस भरतपुर ले जाएंगे, और वह उसको ले जाने में सफल भी हुए। उसमें जो प्राथमिक जांच है, प्रारम्भिक जांच है, माननीय मन्त्री जी न मालूम किस वजह से उसको प्रकट नहीं कर पा रहे हैं।

जहां तक हमारी जानकारी का प्रश्न है उस जांच में बताया गया कि जो नगर न्यास के सचिव हैं उनके विरुद्ध मुकदमा तो बनता है, उन्होंने तो अनियमितताएं की हैं लेकिन इनके अलावा किसी पर कोई अनियमितता या भ्रष्टाचार की सूई नहीं जाती। अध्यक्ष महोदय, जब आप कहते हैं कि नीलामी के लिए हमने तारीख मुकर्रर की, सिर्फ सात दिन पहले उस नीलामी का अखबारों में साया करना आप बताते हैं। वह भी सिर्फ एक राजस्थान पत्रिका, जो प्रान्त का अखबार है उसमें, इसके अलावा किसी भी राष्ट्रीय दैनिक में, प्रान्त स्तर के दैनिक में इस नीलामी की कोई कहीं चर्चा नहीं है, विज्ञापन नहीं है। अगर है तो दूसरे अखबार, जो आप बताते हैं, भरतपुर के बहुत छोटे अखबार हैं। छोटे अखबार से यह तो नहीं है कि मैं कोई उनका दर्जा कम आंक रहा हूं लेकिन जब एक तरफ आप बेशकीमती प्लाट के लिए और उसका रुपया सार्वजनिक संस्था में वापस आए, उसके लिए कर रहे हैं तो विज्ञापन पर कौनसा बड़ा खर्चा होने जा रहा था? अध्यक्ष महोदय, सर्किट हाउस के ठीक 90 डिग्री के सामने यह भवन स्थित है। आज अगर आप उस सौदे को कैन्सिल करते हैं तो अपने आप में cat will come out of the bag. तैंतीस, चौंतीस लाख की तो बात दरकिनार है, आप खुले में नीलामी की व्यवस्था करें, अपने आप इस पर निर्णय आ जाएगा।

Sometimes silence speaks more loudly. मन्त्री महोदय, आप 6-6, 7-7 महीने से एक बात पर जिद किए जा रहे हैं कि अगर किसी बड़े अधिकारी के ऊपर लांछन लगाने की, अव्वल तो कोशिश करने की किसी में हिम्मत नहीं होती, काश यह विधान सभा का फ्लोर भी नहीं होता तो मैं नहीं समझता कि जिला कलक्टर के विरुद्ध कोई बोलने का साहस रखता। इसके बाद भी सात महिने के बाद, या तो आप कलक्टर को बिल्कुल दोषमुक्त करार दीजिए उस जांच से या जिसके खिलाफ दोष बनता है उसके खिलाफ आप आगे की कार्यवाही करिए। आपने कोई कार्यवाही उस पर की नहीं, कोई उस पर भवन निर्माण की आगे कार्यवाही नहीं की। आप यह कह रहे हैं कि हमने फलां-फलां बैंक से करेसपोन्डेंस की।

अध्यक्ष महोदय, विनिमय का क़ायदा है, मन्त्रीजी हमसे बेहतर समझते हैं, जरूरत का जो सिद्धान्त है, आप किसी को जाकर कहेंगे कि हमारी यह प्रोपर्टी खरीद लो, वह तमाम किस्म के इफ्स एण्ड बट्स अपनी

(श्री सम्पत सिंह)

तरफ से लगाएंगी। अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और बढ़िया बैंक हैं, उन सबके पास मौके की जमीन है, अपनी बड़ी-बड़ी इमारतें हैं और उनके तमाम अधिकारी अपने-अपने तरीके से आवासीय है, उनके निवास हैं। कौन यह चाहेगा हमारी पेशकश पर कि वह हमारी पसन्द के प्लाट में आएं और नए तरीके से रुपया अपना लगाए। जहां बिजनेस संस्थान हैं, वहां वह बैंक स्थित हैं। अब आपके कहने से, सिर्फ कलक्टर महोदय के लिख देने से तो सम्भव नहीं है कि किसी भी व्यापारिक संस्थान के और बैंक जैसी संस्था अपने तरीके से आती। यह तो बहुत बढ़िया रहा कि बैंक से पेशकश हुई तो उन्होंने कुछ रुपया देने की बात की। अगर आप महाराजा कालेज के प्रिंसिपल को यह बात कहते जो पड़ोस में ही है वह तो 1500 रुपए देने की हैसियत में भी नहीं होते। तो पहले तो आप यह देखें कि किन-किन से आपने पेशकश की है। अध्यक्ष महोदय, वह घना बर्ड सेन्चुरी के बिल्कुल स्टोन्स थ्रो की दूरी पर यह प्लाट स्थित है। महाराज का जो बड़ा महल है, मुख्य महल है, मोती महल, वह बाजू में ही है। महाराजा कालेज वहां है। जिला प्रशासन के तमाम सरकारी कार्यालय, तमाम अधिकारियों के निवास उस जगह के इर्द-गिर्द मौजूद हैं। इतनी मुख्य जगह भरतपुर शहर की और उसको आप कह रहे हैं उसको कोई खरीदने वाला पैदा नहीं हो रहा। उस पर आप इतनी मजबूरी जाहिर कर रहे हैं कि 33 लाख तो बहुत बड़ी रकम है।

अध्यक्ष महोदय, एक बार आप तय करें, मन्त्रजी तय करें। आपने बताया कि मैसर्स सिंह कन्सट्रक्शन के अलावा दो और आए, एक और आए थे हरियाणा के। अव्वल तो वह बताएं कि हरियाणा के कौनसे कॉन्ट्रैक्टर आए थे, कौनसे बिजनिसमैन आए थे। जब हरियाणा से वहां से चलकर आ सकते हैं तो ऐसी कौनसी वजह थी कि भरतपुर शहर से ही एक के अलावा चलकर कोई नहीं आया, दूसरे प्रान्तों से चलकर कोई नहीं आया? अब तो अंडमान-निकोबार में जा-जाकर लोग करोड़ों रुपया इनवेस्ट कर रहे हैं होटल बिजनिस पर। आप सरिस्का की कहें, भरतपुर के घना बर्ड सेन्चुरी के लिए कहें और होटल वाले नहीं आए वहां। चालीस-चालीस होटल वालों को आप पेशकश करें और फिर कोई नहीं आए, अध्यक्ष महोदय, यह समझ में आने वाली बात नहीं है जैसा मैंने बीच में निवेदन किया कि sometimes silence speaks more loudly. आप जिला कलक्टर के लिए आप कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : Silence cannot speak loudly.

श्री सम्पत सिंह : एवरी-टाइम।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिए और पूछने वाले हैं।

श्री सम्पत सिंह : बिलकुल समाप्त कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि हमने आवासीय और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बेचने का तय किया। न्यास की दो आम मीटिंग हुई, उनमें कहीं

(श्री सम्पत सिंह)

इस बात की चर्चा नहीं आई कि इसमें आवासीय खण्ड भी दिए जाएगें। 6-5-1991 को बैठक हुई और 11-2-1992 को बैठक हुई। उसमें अगर मैं पढ़ूंगा तो समय जाएगा सदन का, सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आपने उसकी नीलामी की बात कही और यह तय हुआ कि मुख्य जो सड़क है आगरा रोड उससे पचास फीट दूर और जो पड़ोस में यू. आई. टी. का भवन है, उससे तीस फीट छोड़कर इसमें व्यावसायिक भूखण्ड बनाए जाएगें, इमारतें बनाई जाएगी। उसमें कहीं यह नहीं था कि इसका मलबा भी कान्ट्रेक्टर लेगा। इस सदन में, उच्चतम सदन में चर्चा होने के बाद उसमें मलबा आनन-फानन में उन्हीं कान्ट्रेक्टर्स को ले जाने के लिए कहा गया कि जल्दी से जल्दी इसको साफ कर दो और कब्जा करो। आज तक वह पार्टी, जिन्होंने इसको खरीदा कोई नक्शा पास कराके नहीं ला सकी है। अध्यक्ष महोदय, 33 लाख रुपया तो बहुत छोटी रकम है, अगर उसको आप सिर्फ यह तय करें कि हम इस सौदे को कैन्सिल करते हैं, नामन्जूर करते हैं और फिर अपने आप में एक बोली लगवाने की बात करें तो समझ में बात आएगी। 33 लाख रुपए से समझते हैं, सभी करीब-करीब बहुत ऊंची राशि जाने का इसमें है।

अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जनपद में करीब-करीब यह बात वहां होती है। मैं पिछले होली के दिनों में गांव में था, सरकारी रोडवेज की बस में आ रहा था। मैं चुपके-चुपके सुन रहा था कि एक सवारी कन्डक्टर से टिकिट मांगने लगी, दो रुपया दिया नगर से डीग आने के लिए, दो-तीन जो भी दिया, उसने कहा कि टिकिट दो, तो कण्डक्टर ने कहा कि जिला कलक्टर से तो टिकिट ना मांगे, तीस-तीस लाख को घोटालो कर रह्यो है हर महीना में, मो पे से पांच रुपया को ही टिकट मांग ह्यो है। आज जो खलक की आवाज है वह खुदा की आवाज है। मन्त्रीजी, मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि तत्कालीन न्यायाधीश गुमानमल लोढ़ा जी ने अपने एक जजमेंट में एक प्रोवर्ब नोट की, 'the heads are left and the tails are caught'. हम पटवारी, गिरदावर और ग्राम सेवकों के खिलाफ रोज मुकदमें बनाएगें, मेरी समझ से परे है कि कलक्टर ऐसे कौनसे बड़े मोनार्क हैं। अगर वह आपके कानून के तहत आते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जाती?

मेरा निवेदन करना सिर्फ यह है कि या तो आप इस डील को कैन्सिल करने की बात कीजिए या उसमें जो जांच चल रही है, उनको खतम करने की बात करिए या जांच को पूरा करके न्यायालय में प्रकरण डालने की बात करिए जिससे grains will be separated from the chaff. उस हिसाब से आपकी जो सूई साफ तौर से जिला कलक्टर के ऊपर आ रही है, तमाम प्रबद्ध लोग खुलकर शहर में कह रहे हैं, वहां से आने वाले माननीय सदस्य, तक बोले गये, उसके बावजूद आप उस चीज को साफ करना नहीं चाहें। तो मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि आपका उस जिला कलक्टर से कोई सम्बन्ध है या व्यक्तिगत जानकारी है लेकिन इससे भी ज्यादा अचरज की कोई बात हो नहीं

(श्री सम्पत सिंह)

सकती कि 7-7, 8-8 महीनों के बावजूद किसी मामूली से प्रकरण में कोई जांच अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंचे। यह समझ से बाहर है। आज इस सदन में मैं आपसे विनती करता हूं। मेरी जिला कलक्टर से कोई जानी दुश्मनी नहीं है और वह कोई ऐसा आदमी नहीं है कि उसके खिलाफ मुकदमा हो जायेगा तो किसी न्यायालय में उनको न्याय नहीं मिलेगा, सबके लिये कानून है। न जिला कलक्टर, न विधायक, न मंत्री कोई भी इससे ऊपर नहीं है। मेहरबानी करके इसमें रूल आफ लॉ का आप सब के लिये एक उदाहरण पेश करिये और जल्दी से जल्दी इसमें जांच करा कर अन्तिम तौर पर आम नागरिक को यह जानने दीजिए कि आखिर इसमें हो क्या रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री अरुण सिंह। सिर्फ सवाल पूछिये आप। इन्होंने सारे विवरण की सदन में जानकारी दे दी है।

श्री अरुण सिंह : (डीग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर यू. आई. टी. या नगर सुधार न्यास....

श्री सम्पत सिंह : बीच में निवेदन कर दूं एक बात। मेरी उनकी बात भी हुई है इन्होंने कहा कि मैं तो जिला कलक्टर के फेवर में बोलूंगा। तो यह बोल लें कलक्टर के फेवर में लेकिन जिन्होंने पहले ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है, आप उनका वर्णन सुन लें और आखिर में यह जब तक जितना बोलना चाहें, बोलें।

श्री अरुण सिंह : भरतपुर नगर सुधार न्यास अब तक सफेद हाथी रहा है। कर्जे में डूबा हुआ था। भरतपुर सुधार न्यास ने अलवर सुधार न्यास से काफी ऋण और लोन लिये जिससे मिनी सेक्रेटेरियट बनी। भरतपुर का अस्पताल जन सहयोग से बना। तो यह 33 लाख रुपया जो पैसा आया उस नगर सुधार न्यास में, इसमें मैं कलेक्टर को कोई बधाई नहीं दे रहा हूं पर एक रकम तो आयी नगर सुधार न्यास में। तो मैं आरोप किसी पर लगा नहीं रहा हूं। इन्क्वायरी होनी चाहिये जब आरोप लग रहे हैं लेकिन जहां तक मेरा मत कलक्टर ने कोई बुरा काम नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या यह सही है कि इस भूमि के विक्रय में हुई गम्भीर अनियमिततायें और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा करवायी गई? क्या यह भी सही है कि अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी प्रारम्भिक जांच के दौरान इन आरोपों को सही पाया? यदि हां, तो उसके लिये किसे दोषी पाया और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

क्या राज्य अन्वेषण ब्यूरो ने इस बिक्री सौदे को निरस्त करने की सिफारिश की है? यदि हां, तो बिक्री सौदे को निरस्त क्यों नहीं किया गया?

क्या यह भी सही है कि पंजाब नेशनल बैंक ने इस भूमि को 43 लाख रुपये में खरीदने की इच्छा व्यक्त की थी? यदि

Page No. 138

(138)

(श्री कालीचरण सराफ)

हां, तो 33 लाख में इस भूमि को कैसे बेचा गया ?

क्या 6 मई, 1991 को यू. आई. टी. के न्यास मण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, कि इस भूमि को केवल व्यावसायिक उपयोग हेतु ही एक मुश्त बेचा जाये ? क्या इसमें यह शर्त भी थी कि भवन निर्माण केवल 35 प्रतिशत हिस्से में ही होगा तथा 65 प्रतिशत भाग खुला छोड़ा जायेगा ? क्या यह भी सही है कि यू. आई. टी. के इस निर्णय की एक भी शर्त का पालन नहीं किया गया।

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि राज्य अन्वेषण ब्यूरो के जिन जांच अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, उन तीनों अधिकारियों का कलक्टर के दबाव में स्थानान्तरण कर दिया गया जिससे कि इस रिपोर्ट को रफा दफा कर दिया जाये ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, न तो किसी को बचाने का सवाल है, ना किसी को फंसाने का सवाल है। जो तथ्य मेरे सामने आये हैं वह मैंने आपसे निवेदन किये हैं। इसमें यह एक आरोप है कि इस नीलामी की जानकारी या इस विक्रय की जानकारी पूरी तरह से नहीं दी गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में यू. आई. टी. ने जो काम किये हैं, केवल उनका उल्लेख करूंगा। चीफ डिवीजन मैनेजर, इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड को पत्र लिखा कि यदि आपको भूमि चाहिये तो हमको बताइये। उसके बाद महाप्रबन्धक, राजस्थान पर्यटक विकास निगम को पत्र लिखा कि आपको भूमि चाहिये तो हमसे ले लीजिये।

श्री कालीचरण सराफ : अन्वेषण ब्यूरो ने क्या रिपोर्ट दी, वह बताओ।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसको बीच में छोड़ दूं क्या ?

श्री सम्पतसिंह : आप अगर किसी को ओफर करेंगे तो यह जरूरी नहीं है कि....

श्री अध्यक्ष : Sampat singhji I don't like this. आप अपने स्टाइल से बोले मैंने रोका नहीं। उनको अपनी स्टाइल से जवाब देने दीजिए।

श्री सम्पतसिंह : इस तरीके से जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बात कही थी।

श्री अध्यक्ष : आपने बात कही, उन्होंने बात कही मगर यह बीच में उठना अच्छा नहीं है। उनको पूरा सुन लीजिये, सन्तुष्ट नहीं हो तो बाद में सवाल पूछिये मगर बीच में उठने की आदत खराब है। उनका तारतम्य टूट जाता है, समय खराब होता है। उनको कम्पलीट करने दीजिये, फिर आपकी कोई बात रह जाये तो पूछिये। वह अपने स्टाइल से जवाब देंगे। आप जो चाहें उसी तरह से दें, यह कोई जरूरी थोड़े ही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मण्डल अभियंता दूरभाष, भरतपुर पंजाब नेशनल बैंक, नई मण्डी, भरतपुर, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, नई मण्डी भरतपुर, ओरियेण्टल बैंक, नई मण्डी, भरतपुर, देना बैंक आफ इण्डिया, सेन्ट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, भूमि विकास बैंक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर यह तो बैंक्स को चिट्ठी लिखी। विभिन्न विभागों लिखा। नगरपालिका को कहा 15 लाख रुपये में आप ले लो, उन्होंने नहीं लिया। फिर जो विभिन्न होटल्स को डील करने वाली संस्थायें हैं, उनको चिट्ठी लिखी। वह मैं निवेदन कर रहा हूं। राजकुमार ट्रवल्स, 51, सिल्वर फिफ्थ फ्लोर वीर सावरकर मार्ग, बम्बई। उनको चिट्ठी लिखी। आई. के. ट्रेवल्स प्रा. लि. नई दिल्ली को चिट्ठी लिखी। मरकरी, ट्रेवल्स यूनाइटेड लि. ताज होटल, आगरा, इण्डो-ऐशिया टूर्स नई दिल्ली, राजस्थान टूर्स, जयपुर। इससे मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में जो उनको कार्यवाही करनी चाहिये थी वह कार्यवाही मौजूद है लेकिन जैसे माननीय सदस्य इस बात को कह रहे हैं कि इसमें कहीं न कहीं या जानकारी के बिना यह नीलामी कर दी गई है और यदि विस्तृत जानकारी की जाती, नीलामी की जाती तो शायद अधिक उसकी वेल्यू आ सकती थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में मैं बिल्कुल जांच करने के लिये तैयार हूं। जो तथ्य मेरे सामने थे अब तक वह तो यह थे लेकिन माननीय सदस्यों ने जो कुछ तथ्य और बताये हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसकी जांच के लिये अगर उनके पास तथ्य और हैं, तो वह मुझे दें। मैं निश्चित रूप से वह जो तथ्य देंगे उसके ऊपर उसकी जानकारी कराऊंगा और जिसने अनियमिततायें की हैं उसको निश्चित रूप से दण्डित किया जायेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : जांच किसके द्वारा करवायेंगे ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे अभी कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। उसने क्या निर्णय दिया या नहीं दिया, यह मेरे को अभी तक प्राप्त नहीं है ? यह मेरे पास है, नहीं तो उसकी जानकारी कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब तो मामला क्लीयर हो गया है।

It is still open.

श्री हरिसिंह (महुआ) : उस जांच को गवर्नमेंट को....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं भी सुन रहा हूं। मैं भी एक-एक शब्द सुन रहा हूं। मंत्रीजी ने जो विवरण रखा उस विवरण से यह तो हो नहीं सकता कि चीजें छिपाई गई है। वह जितना प्रचार कर सकते थे, उन्होंने सारा विवरण आपके सामने रख दिया। उसके बावजूद भी आपने जिस जांच की बात कही है, उन्होंने कहा मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। जानकारी नहीं है इसलिए इसका कोई जवाब दे नहीं सकता। फिर भी उन्होंने जो नये तथ्य रखे हैं, उनको दुबारा जांच कराके यदि आप जो

(श्री अध्यक्ष)

कह रहे हैं, वह बातें सही पाई गई then he with take action.
अब और क्या चाहिये इसमें ?

श्री सम्पतसिंह : आपने यह व्यवस्था दी कि मंत्रीजी ने जो अभी पाइन्ट गिनाये हैं, उसके बारे में सवाल पूछ लें। मैं यह जानना चाह रहा हूं कि इसमें कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। बैंक अपने व्यापारिक संस्थान के हिसाब से जैसे नई मण्डी में बिजनिस होता है तो वहां बैंक स्थित है। वहां पर जंगल में बैंक को....

श्री अध्यक्ष : उन्होंने सबको दिया है। न केवल बैंकों को दिया है, होटल वालों को दिया है।

श्री सम्पतसिंह : मैं होटल वालों की भी निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप और ज्यादा, उसकी जांच तो करा लेंगे।

श्री सम्पतसिंह : जांच नहीं हुई यह ही कह रहे हैं। जब वह इस तथ्य को ही छुपा रहे हैं कि तीन पुलिस के अधिकारियों ने जांच की, न वह कह रहे हैं तो....

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं कि हमको कुछ पता नहीं है।

श्री सम्पतसिंह : वह कह रहे हैं तो बाइबल के अक्षर हो गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : फिर भी उन्होंने ओपन रखा है। (व्यवधान) नेक्स्ट। श्री हेमराज मीणा।

(3.00 म.प.)

राजस्थान राज्य प्रदूषण एवं पर्यावरण मण्डल में सहायक अभियन्ताओं की भर्ती में हुई कथित धांधली एवं अनियमितता

श्री हेमराज मीणा : मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन (व्यवधान) सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण एवं पर्यावरण मण्डल में सहायक अभियन्ताओं की भर्ती में हुई कथित धांधली एवं अनियमितताओं की ओर वन एवं पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी बोलिये। किसी का दर्ज नहीं हो सिवाय मंत्रीजी के :

श्री सम्पत सिंह : XXX

श्री रामकिशन शर्मा : XXX

श्री अध्यक्ष : बोलिये आप। आप बोलिये। मंत्रीजी बोलिये।

श्री लालचंद डूडी (वन मंत्री) : वर्ष 1991-92 में मण्डल द्वारा सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। संशोधन के बाद आवेदन

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री लालचन्द डूडी)

पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.7.91 थी। उक्त पदों हेतु न्यूनतम योग्यता बी. ई. सिविल/केमिकल/पर्यावरण अभियांत्रिकी थी। उपलब्ध पदों की संख्या बाद में 5 के स्थान पर 6 कर दी गई थी।

उक्त पदों के विरूद्ध 149 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से 5 अवैध थे। शेष 144 आवेदकों को लिखित परीक्षा हेतु दिनांक 23-11-91 को बुलाया गया। आवेदकों में कुछ आवेदक स्नातकोत्तर पर्यावरण विषयों में भी थे।

यह सही नहीं है कि इन नियुक्तियों के लिए कोई अनियमित चयन प्रक्रिया अपनाई गई हो। सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया मण्डल की 82वीं बैठक दिनांक 28.11.91 के प्रस्ताव संख्या 82.33 एवं 82.36 में लिये गये निर्णयानुसार ही अपनाई गई। चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष बनाने की दृष्टि से सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा का कार्य मालवीया रीजनल इंजीनियरिंग कालेज को सुपुर्द किया गया। अनुभव के अंकों का निर्धारण राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया गया। नियुक्ति की सारी प्रक्रिया में मण्डल द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना की गई।

मालवीया रीजनल इंजीनियरिंग कालेज द्वारा भेजे गये परीक्षाफल में से वरीयता के अनुसार 24 को साक्षात्कार हेतु दिनांक 17-2-92 को बुलाया गया था। मालवीया रीजनल इंजीनियरिंग कालेज द्वारा भेजी गई सूची में रोल नम्बर 139 के सम्मुख भूल से ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंकित हो गया जो कि परीक्षा से अनुपस्थित था। उक्त भूल ज्ञात होते ही मण्डल ने इंजीनियरिंग कालेज के प्राचार्य से सम्पर्क किया और उनके द्वारा अपने पत्रांक पी. पी. /3/ दिनांक 24-02-92 द्वारा भूल स्वीकार की गई। मण्डल ने तुरन्त सही अभ्यर्थी को दिनांक 27-2-92 को साक्षात्कार के लिए बुला लिया। इस प्रकार इंजीनियरिंग कालेज की भूल से किसी को न कोई नुकसान हुआ ना लाभ।

एक अन्य अभ्यर्थी ने कनिष्ठ अभियन्ता के पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, परन्तु भूल से उसे सहायक अभियन्ता के पद हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु बुलाया गया। सहायक अभियन्ता हेतु अभी भी चयन प्रक्रिया जारी है तथा अंतिम निर्णय लिया जाना अभी शेष है।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदूषण बोर्ड के अन्दर जो सहायक अभियन्ता के पदों के लिए भर्ती की गई थी, उसमें घोर अनियमितताएं की गई हैं। घोर अनियमितताएं ही नहीं अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर तो ऐसा लगता है कि गम्भीर भ्रष्टाचार की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय, विज्ञापन संख्या 1/91 प्रकाशित किया गया था। उस विज्ञापन के अन्दर प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था और उन विद्यार्थियों को उसमें बुलाया

(श्री हेमराज मीणा)

गया था परन्तु 15 दिन बाद उन्होंने दूसरा विज्ञापन जारी किया और द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थियों को भी, मतलब प्रथम श्रेणी की पाबंदी उन्होंने हटा दी। अध्यक्ष महोदय, इस बात से मुझे लगता है कि अनियमितता यहीं से प्रारम्भ हो गई। पहले उन्होंने प्रथम श्रेणी को बुलाया, उसके बाद फिर उन्होंने प्रथम श्रेणी की पाबंदी हटा दी, अनियमितताएं यहीं से शुरू हो गई।

इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, आवेदन पत्र जिसमें मांगे गये उसमें सिविल, कैमिकल और पर्यावरण अभियांत्रिकी, तीनों सम्बन्ध के आवेदन पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त हुए लेकिन अध्यक्ष महोदय सिविल और केमिकल के जो विद्यार्थी थे और जो पर्यावरण अभियांत्रिकी के विद्यार्थी थे जिन्होंने उसमें डिप्लोमा कर रखा था, उनको तो संवीक्षा परीक्षा के लिए जो सेलेबस था वह उपलब्ध कराया गया और जो विद्यार्थी पर्यावरण की डिग्री जिन्होंने प्राप्त कर रखी थी वहां पर पर्यावरण विभाग के अन्दर डिग्री प्राप्त लोग उसके अन्दर योग्यता रखते थे, उनको किसी सेलेबस उपलब्ध नहीं कराया गया बल्कि उनको 7 महीने पूर्व उपलब्ध कराया गया और बाकी विद्यार्थियों को केवल दो महीने पूर्व, 3 महीने पूर्व उपलब्ध कराया गया तो अध्यक्ष महोदय, इस बात से भी यह लगता है कि इसके अन्दर घोर अनियमितताएं हुई हैं, कोई चालाकी के द्वारा उन्होंने यह काम किया है जिससे अनियमित तरीके से लोग इसके अन्दर भर्ती हो जाय।

इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, लिखित परीक्षा जब आमंत्रित की गई तो लिखित परीक्षा के अन्दर एक विद्यार्थी को तो उन्होंने साक्षात्कार के लिए बुला लिया जिसने लिखित परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। अध्यक्ष महोदय, या तो यह गलती इंजीनियरिंग कालेज वालों की है या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वालों की है। यहीं इस साक्षात्कार के अन्दर घोर अनियमितताएं हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं एक श्री प्रवीण कुमार मारण, बिना संवीक्षा परीक्षा के साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, दूसरा श्री महेन्द्र कुमार कौशिक जिसका रोल नम्बर 91 है जिसने कनिष्ठ अभियन्ता के पद के लिए आवेदन किया था, अध्यक्ष महोदय, उसको सहायक अभियंता के पद के लिए संवीक्षा परीक्षा के अन्दर बुलाया गया। संवीक्षा परीक्षा में उसको पास कर दिया गया, उसके बाद में उसको जो सहायक अभियन्ता का पद था, साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। इससे बड़ी घोर अनियमितता क्या हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है इसके अन्दर तो कहीं न कहीं पैसों की लेनदेन की बात हुई है और माननीय मंत्री महोदय ने भी इस बात को स्वीकार किया है लेकिन मुझे लगता है कि माननीय मंत्री महोदय इस मामले को दबाना चाहते हैं, इस मामले को ओपन नहीं करना चाहते हैं। इसके अन्दर गम्भीर अनियमितताएं हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इसके अन्दर एक-एक पद एस. सी. और एस. टी. के लिए था तो मंत्री महोदय उसके अन्दर

(श्री हेमराज मीणा)

एस.सी. एस.टी. के विद्यार्थियों के कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और कितने प्रार्थना पत्र आने के बाद में क्या उनको भी संवीक्षा परीक्षा में शामिल किया गया। क्या उन प्रार्थना पत्रों में कोई योग्य विद्यार्थी नहीं पाये गये और इसमें यह भी लिखा गया अध्यक्ष महोदय, विज्ञापन में, एस.सी., एस.टी. के विद्यार्थी उपलब्ध न होने पर उसके स्थान पर दूसरे विद्यार्थी को भर लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो इस बैकलोग के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी 3 महीने में भरने की बात कही है, दूसरी तरफ विज्ञापन में यह बात कही जा रही है कि विद्यार्थी उपलब्ध न होने पर उनको एस.सी., एस.टी. के अलावा दूसरे लोगों से भर लिया जायेगा तो अध्यक्ष महोदय, यह तो एक तरह से घोर अन्याय जैसा है और राज्य सरकार की जो घोषणा है उसके खिलाफ बात है। तो मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय आपके माध्यम से कि इसके अन्दर घोर अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार हुआ है तो इस परीक्षा को ड्राप करके और दुबारा इसकी चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसके अन्दर एक-एक बिन्दु के अन्दर अनियमितताएं पाई गई हैं। इन अनियमितताओं को तभी दूर किया जा सकता है और जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जिनके द्वारा इसमें लेन-देन हुआ है चाहे वो मालवीया रीजनल इंजीनियरिंग कालेज के हो चाहे प्रदूषण बोर्ड के हो, उन सब अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए और आज ही इस परीक्षा को और इस इन्टरव्यू को स्थगित करके दुबारा से प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाने चाहिये। मैं चाहता हूं मंत्री महोदय ऐसा करेंगे और माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में यह विषय मैंने लाया है। सम्भवतया कोई न कोई निर्देश जरूर देंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री महावीर जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, अपेक्षा तो यह थी कि जब माननीय मंत्री महोदय के सामने एक अनियमिता इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा लाई गई है, अपने जवाब में स्वयं ने स्वीकार किया है कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं, जिसका रोल नम्बर नहीं था उसको बुला लिया गया, जो सहायक अभियन्ता के लिए कनिष्ठ अभियन्ता वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार और लिखित परीक्षा के लिए बुला लिया गया। ये दो बातें इन्होंने अपने वक्तव्य में स्वीकार की हैं।

अपेक्षा तो यह थी कि इसमें जब ये बातें इनके सामने आ गई कि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों का, इसमें अनियमिताएं हुई है, प्रारम्भ से हुई है, विज्ञप्ति को लेकर हुई है और इसमें अपने लोगों को किस प्रकार लें, जो ट्रेंड नहीं हैं ऐसे लोगों को इसमें लाये, इस प्रकार की व्यवस्था इसके माध्यम से की है तो अपेक्षा तो यह थी कि इसकी जांच करवाकर जो दोषी अधिकारी

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

है, इसमें जो लिप्त हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करके और एक्शन लेते और परीक्षा स्थगित करके दुबारा आमंत्रित करते और न्याय करते। मैं समझता हूं हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और हमने गरीब को गणेश माना है। हम जो न्याय की बात करते हैं, सर्वोच्च सदन यह है इसके लिए है तो इसको बहुत गम्भीर माना है कि किसी तथ्यों को छिपाया जाय या भ्रमित किया जाय। यह हमारा एक प्रिविलेज है। उस प्रिविलेज की कोई परवाह नहीं करके और फिर घुमाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वह मैं समझता हूं अच्छा नहीं है, मैं यह चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करवावें, इसको रद्द करवाकर और पुनः प्रार्थना पत्र आमंत्रित करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया इसमें जितना हुआ है, यह जिस आदमी ने एक्जामिनेशन नहीं दिया था और उसका नाम जब इंजीनियरिंग कालेज से गया उसका पता लगते ही हमने उनसे बात की....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद में ध्यान आया। वरना तो यह हो जाता।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि माननीय सदस्य के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा यह मामला मेरे नोटिस में आया और शायद कोई गलती हो जाती उस गलती को.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये मंत्रीजी, इसमें इतनी सी बात है कि जो गलती ध्यान में आयी वह आपने स्वीकार कर ली। बाकी जो बातें कह रहे हैं उसकी और जांच करा लें।

श्री लालचन्द डूडी : उसके संदर्भ में मैं निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : नहीं आप उसकी जांच कर लीजिए पहले।

श्री लालचन्द डूडी : इसकी जांच भी करा लेंगे और अध्यक्ष महोदय, लॉ डिपार्टमेंट से राय लेकर जो कुछ करना है वह भी कर देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामस्वरूप मीणा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : बहुत जल्दी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप 5-5 कॉल अटेंशन लगाओगे तो यही होगा। वरना एक लगवाइये और दिन भर बोलते रहिए। आप यह भी चाहते हैं कि हमारा कॉल अटेंशन भी आये।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय,

(श्री सम्पतसिंह)

पाइन्ट ऑफ आर्डर है । 5-5 कॉल अटेंशन लगे या 10-10 लगें । अगर मेरी जानकारी में कोई चीज है और मैं उसे साफ नहीं कहूं तब तो आप ही संरक्षण देंगे । मैंने एक महीने पहले कॉल अटेंशन का नोटिस दिया था और सारे तथ्य आ गये । मंत्रीजी जान-बूझकर छुपा रहे हैं । अखबारों में उनके तबादले तक की खबर आ गई । मंत्रीजी की गलती है या मेरी गलती है? उन्हें पूरी जानकारी लेनी चाहिए । सारे प्रकरण पर धूल डाल दी गई सिर्फ इस बात को कहकर कि जानकारी नहीं है । फिर इन सदनों का क्या उपयोग होगा ?

श्री अध्यक्ष : यह क्या पाइन्ट ऑफ आर्डर हुआ ?

श्री सम्पतसिंह : यही पाइन्ट ऑफ आर्डर है कि मेरी पूरे महीने भर की मेहनत पर आपने एक सेंटेंस से पानी फेर दिया कि मंत्रीजी को जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : This is no point of order. It has been well discussed.

श्री सम्पतसिंह : मंत्रीजी को जानकारी क्यों नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : It has been well discussed. You have put up your views fully and in details. I did nothing. Again they have opened it.

श्री सम्पतसिंह : पुलिस जांच की जानकारी क्यों नहीं है ? एक महीने में क्या किया उन्होने ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि पूरी जांच करके आपको तथ्य बता देंगे ।

श्री सम्पतसिंह : उन्होंने आश्वासन थोड़े ही दिया है ।

श्री अध्यक्ष : इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं ? मैं आपका पाइन्ट ऑफ आर्डर रद्द करता हूं ।

श्री सम्पतसिंह : उन्होंने जब जांच कराई तो उसकी जानकारी क्यों नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : Please don't enter into arguments with me. I have decided your point of order. I have given my ruling. I have given my ruling. Your point of order is disallowed.

श्री सम्पतसिंह : एक महीने में उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की ।

श्री अध्यक्ष : I say your point of order is disallowed.

श्री सम्पतसिंह : कोई हम पर अहसान हो रहा है । हम नहीं लगाया करेंगे ध्यानाकर्षण । आप कहते हैं 6-6 ध्यानाकर्षण लगते हैं ।

Page No. 146

(146)

श्री अध्यक्ष : हां आप बोलिये । ध्यानाकर्षण करिये आप ।

श्री सम्पतसिंह : क्या उपयोग रहेगा हमारे ध्यानाकर्षण का ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी अनुमति से अगर माननीय सदस्य चाहें तो एक बात कह दूं । इन्होंने जो अन्वेषण ब्यूरो की बात कही है, मैंने अभी कहा है अन्वेषण ब्यूरो ने कोई जांच की है या नहीं की है इसकी रिपोर्ट लाकर अभी दें ।

श्री सम्पतसिंह : बच्चों को तो पता है और मंत्री जी को पता नहीं है । इसका मतलब क्या हुआ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई जरूरी नहीं है सब चीजों का पता हो । इसमें तथ्य छुपाने की बात नहीं है ।

श्री सम्पतसिंह : छुपा रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई तथ्य नहीं छुपा रहे हैं । आपके ध्यान में होगा तब छुपा रहे हैं । जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से तथ्य रखे हैं यदि उनमें गड़बड़ होगी तो जांच करायेंगे और आप कह रहे हैं अन्वेषण ब्यूरो से जांच की है उसकी रिपोर्ट मैंने मंगाई है जांच हुई है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : बोलिए ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 276 के तहत एक पाइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहा हूं । अभी जिस प्रकार डिस्कशन हो रहा था सम्पतसिंहजी ने मेरा नाम भी लिया है और शायद इसकी शुरूआत मेरे नाम से की है । मैं नियम 276 के तहत उठा रहा हूं, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उनका संदर्भ क्या था वह तो वो ही जानें ।

श्री अध्यक्ष : आपका 276 का पाइन्ट ऑफ आर्डर क्या है वह बताइये ।

श्री रामकिशन : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए नियम 276 के तहत सम्पतसिंहजी ने जिस संदर्भ में नाम लिया है उससे मुझे कुछ ऐसा लगा है....

श्री अध्यक्ष : कोई नाम नहीं लिया है आपका ।

श्री रामकिशन : नाम लिया है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं कोई नाम नहीं है ।

श्री रामकिशन : लिया है ।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई नाम नहीं लिया है । उन्होंने यह कहा है कि पिछले सदन में वहां के माननीय विधायक ने सवाल उठाया था । यह कहा है और कुछ नहीं कहा ।

श्री रामकिशन : देखिए आप इसको दबाने की कोशिश न करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय पंडित जी, आप इतने सीनियर हैं कि मैं आपको दबाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप नियमों में व्यवधान उपस्थित न करें।

श्री रामकिशन : मैं करता हूं व्यवधान ?

श्री अध्यक्ष : मैं आपके पाइन्ट ऑफ आर्डर को रद्द करता हूं। आपका नाम केवल इतना ही लिखा है कि माननीय सदस्य ने पिछले सत्र में यह सवाल उठाया था।

श्री रामकिशन : यही तो अधूरी बात कही है उन्होंने। इससे भ्रम पैदा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप इतने सीनियर सदस्य हैं। बताइये इसमें स्पष्टीकरण की क्या गुंजाइश है ? यदि इसमें गुंजाइश होती तो मैं आपको मौका दे देता लेकिन गुंजाइश ही नहीं है।

श्री रामकिशन : आपने तो इतना भी मौका नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री रामकिशन : मैं दूसरी बात पूछना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : आप जो पूछना चाहते हैं वह दुबारा उठा लीजिए किसी और रूप से। मैं आपको अलाऊ करूंगा।

(3.18 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

स्काईट योजना की धनराशि का दुरुपयोग

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से स्काईट योजना हेतु दी गई धनराशि के दुरुपयोग की ओर प्रक्रिया के नियम 131 के द्वारा माननीय समाज कल्याण राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी (समाज कल्याण राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु स्काइट योजना अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम द्वारा क्रियान्वित की जाती है। पिछले 5 सालों में 294 लाख रुपए ग्राम संस्थाओं को दिये गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने 4 करोड़ और कुछ लाख रुपए

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

बताए हैं। कुल 294 लाख का आवंटन किया गया है।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह फर्मा रहे हैं कि उसका दुरुपयोग हुआ है। सन् 1990 से हमारे इस विभाग ने ऑडिट करने की प्रक्रिया चालू की है जिसके लिए 2 दल नियुक्त किए गए हैं। 1990-91 में 13 जिलों का जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है उनका ऑडिट हो चुका है। इस चीज से मैं बिल्कुल माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। जो रिपोर्ट में अनियमिततायें पाई गई हैं, उन 13 जिलों में जो अनियमिततायें उस ऑडिट रिपोर्ट में पाई गई, जो हमारे सामने आई हैं उसके लिए अभिकरण को यह लिख दिया गया है। क्योंकि अनुसूचित ग्रामीण विकास निगम से डाइरेक्ट पैसा नहीं दिया जाता। जितना भी पैसा बाहर भेजा जाता है वह जिला अभिकरणों द्वारा ही लगाया जाता है इसलिए उसकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जो जांच की जाती है वो भी उन द्वारा की जाती है। ऑडिट रिपोर्ट में कुछ ऐसी अनियमिततायें पाई गई हैं उन 13 संस्थाओं से जो उन्होंने नियमों के अनुरूप दुरुपयोग किया है उसकी रिकवरी के लिए लिख दिया गया है। उसका जवाब आते ही उसमें कार्यवाही कर ली जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। 26 तारीख को भी मैंने इसके लिए निवेदन किया था कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सरकार के पैसे के लिए जो अनियमितता बरतेगा क्योंकि यह राशि केन्द्रीय या राज्य सरकार की है, उसको कभी भी नहीं बख्शा जायेगा, उससे वो पैसा निकाल लिया जायेगा, उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होने दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार जो घोटाले हुए हैं या जो भी मामले निकले हैं या कोई शिकायत सामने आई हैं तो उनके खिलाफ जांच चल रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बिराजमान होते ही सारे राजस्थान में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक मुहिम छेड़ी थी और इन्होंने सबसे पहले डी.आर.डी.ए. में, जयपुर डी.आर.डी.ए. के जरिए शुरुआत की थी और उसमें बी.के. मीणा को उस घोटाले के अन्दर पकड़ा और बहुत अच्छी बात है कि बड़े-बड़े अफसरों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पकड़ा और यह साबित किया कि अनुसूचित जाति का पैसा जो केन्द्र सरकार से मिला था उस पैसे का जिन लोगों ने गबन किया है घोटाला लिया है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही के कदम उन्होंने उठाये। लेकिन उसी डी.आर.डी.ए. का मामला मैं निवेदन कर रहा हूं। आपने उसको जांच करने के मामले को किया लेकिन उसके बावजूद भी सारे जिले का इस प्रकार का चिट्ठा आपके सामने पेश कर रहा हूं।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जैसा माननीय मंत्रीजी ने जवाब में भी कहा है, अगर कोई भी हमको इस प्रकार की सूचना देगा या ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा इस प्रकार निकाली गई राशि है तो उनके खिलाफ कार्यवाही तुरन्त करेंगे और की जा रही है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अन्य जिलों का निवेदन करूंगा तो टाइम बहुत लगेगा लेकिन मैं 2-3 जगह के लिए निवेदन करूंगा। आपने अन्य जिलों में जो धन का दुरुपयोग हुआ है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि वर्ष 1989-90 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अजमेर में तत्कालीन परियोजना निदेशक के अधीन स्काइट योजना के अन्तर्गत अनुदान की राशि जो स्काइट योजना में दी गई अजमेर डी.आर.डी.ए. में उन संस्थाओं का रिकार्ड नहीं है, उक्त संस्थाएं फर्जी थी। उन संस्थाओं को दी जाने वाली राशि अधिकारियों व कर्मचारियों ने मिल कर खा ली है। यही नहीं हुआ है, प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के पश्चात् डेढ़ माह पश्चात् कागजों में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार तीन माह की अवधि का जो प्रशिक्षण नियुक्त किया था, तीन माह तक प्रशिक्षण देना था, छह महीने तक उस प्रशिक्षण को चलाया गया है जिसके कारण श्रमिक विद्यापीठ 90 हजार रुपये, प्रौढ़ शिक्षा समिति–एक लाख रुपये, रीटा इण्डस्ट्रीज–एक लाख रुपये, टाइनिंग निजी संस्थान–एक लाख रुपये और सनूब उपयोग–70 हजार रुपये और अतुल्य उद्योग–एक लाख रुपये, इस प्रकार अजमेर डी.आर.डी.ए. में दस लाख रुपये का 18 संस्थाओं द्वारा टूल किट खरीदने के बारे में जो फर्जीवाड़ा किया है, माननीय मंत्री महोदय, इसकी जांच करवायें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि अलवर में 89-90 में तत्कालीन परियोजना निदेशक द्वारा मिलीभगत से स्काइट परियोजना के कार्यक्रम कागजों पर निजी संस्थाओं के माध्यम से चलाये जाने वाले, जबकि उक्त संस्थाओं के माध्यम से बिना प्रशिक्षण के धनराशि, वृतिका राशि, टूल किट के नाम पर पांच लाख रुपये का घोटाला किया गया है। उन्होंने राजस्थान अनुसूचित जाति विकास निगम के दिशा-निर्देशों को ताक पर रख कर यह घोटाला किया है।

बीकानेर – इस जिले में स्काइट योजना में तत्कालीन आई.ए.एस. आफिसर ने 89-90 में फर्जी संस्थाओं के नाम पर इन संस्थाओं का कागजों में ही कार्यक्रम बताया है। किस ट्रेड में कितने समय में कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया, इसका कोई रिकार्ड आज तक नहीं रखा गया है, न है। वृतिका का बिना प्रशिक्षण चलाये भुगतान उठा लिया गया है। इन्होंने फर्जी संस्थाओं को, इन्होंने प्रस्ताव की राशि अग्रिम के तौर पर ले रखी है जिसका आज तक कोई भी समायोजन नहीं किया गया है। इस प्रकार इस घोटाले के द्वारा दस लाख के करीब का मामला आता है।

नागौर जिला : इस जिले में स्काइट योजना में परियोजना निदेशक ने सहभागी संस्थाओं के माध्यम से इस प्रकार....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी, पूरे ही राजस्थान का रिकार्ड लाये हो क्या ?

डा. चन्द्रभान : यह बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह भाषण दे रहे हैं, अलाऊ करो।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस जिले में स्काइट योजना में निदेशक के द्वारा छह फर्जी संस्थाओं के माध्यम से स्काइट कार्यक्रम कागजों में ही चलाये। प्रशिक्षण किस ट्रेड में दिया गया, कितने समय में प्रशिक्षण दिया, इसका कोई भी रिकार्ड आज तक डी.आर.डी.ए. में उपलब्ध नहीं है। इन्होंने तो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण दे दिया। इन्होंने सात लाख रुपये का घोटाला इस प्रकार किया है। इसी प्रकार जालौर में फर्जी संस्थाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति निगम की स्काइट योजना में छह लाख रुपये का घोटाला है। इन्होंने भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को इस योजना में सम्मिलित कर लिया है। इन्होंने अनुसूचित जाति विकास निगम के निर्देशों को ताक पर उठा कर रख दिया है। उसमें सीधा यह था कि अनुसूचित जाति के लोगों को ही प्रशिक्षण दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ-साथ अन्य जाति के लोगों को भी प्रशिक्षण दिया गया। यह स्पष्ट नियमों का उल्लंघन है। इस प्रकार पूरे जिलों का मेरे पास मामला मौजूद है। लाखों रुपयों का घोटाला है। केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति के जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको प्रशिक्षण देकर रोजगार देने के लिए यह राशि, अनुदान राशि दी थी। बड़े दुःख की बात है कि इस प्रकार का सार्वजनिक मामला, पिछड़ी जातियों का मामला, गरीबों की सहायता के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, जो युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं उनके लिए यह राशि दी गई थी लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार बड़े-बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिल कर इस केन्द्र की राशि का दुरुपयोग किया, स्काइट योजना के जरिये किया। माननीय मंत्री महोदय ने अपने जबाव में इस बात को स्वीकार किया है कि इस प्रकार के मामले हमारे सामने आये हैं, लाखों रुपयों का मामला ऑडिट पार्टी ने भी उसमें उठाया है।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए आप। माननीय मंत्रीजी। अब उनको जबाव देने दें।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक मिनट श्रीमन्, ओनली वन मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : हां एक मिनट कह दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनको उठाने दें। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा क्या है।

श्री रामस्रूप मीणा : एक मिनट।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

इतना बड़ा घोटाला है और अनुसूचित जाति के साथ हुआ है श्रीमन्, प्रमाण सहित मैं पेश कर रहा हूं और उसका भी आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां-हां कह दीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, छोटे लोगों के खिलाफ तो बहुत कार्यवाहियां होती है, बड़े-बड़े हमारे ऑफिसर्स, जो यहां बिराजमान हैं, मैं मानता हूं कि जो अच्छे अफसर हैं उनको आप ईनाम दीजिए। लेकिन जिन लोगों ने इस प्रकार सारे जिलों में गरीब और अनुसूचित जाति के लोगों की रकम को खाया है, डकारा है, माननीय मुख्य मंत्री ने ऐसे लोगों को पकड़ा है, तो मैं यह चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का भेदभाव क्यों बरत रहे हैं। जब बी.के. मीणा को आपने घोटाला साबित करके, उसको दोषी पाया गया है और उसके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की, नौकरी से बर्खास्त कर दिया, मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, उसी प्रकार जब अन्य लोगों पर भी घोटाला साबित हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट में रकम निकली है और उनके खिलाफ जांच चल रही है, तो एक बी.के. मीणा का तो आपने इतनी जल्दी सब कुछ निर्णय भी कर दिया उसके बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, आप हिम्मत रखिये, लम्बे-चौड़े हैं, मूंछे हैं बड़ी-बड़ी आपके, बड़ा दिल रखते हो आप....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप भी इसी प्रकार जिन अधिकारियों ने इस प्रकार पैसा डकारा है, जिस प्रकार आपने बी.के. मीणा का मामला उठाया है उसी प्रकार अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। मीणा साहब, बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : जांच करके तुरन्त कार्यवाही करने की आप हिम्मत करेंगे और सदन में आज घोषणा करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए-बिराजिए अब। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) ऑर्डर प्लीज।

श्री मोतीलाल मीणा : जिन्होंने यह घोटाला किया है, आप बर्खास्त करिये।

श्री उपाध्यक्ष : सुना दिया न। मोतीलालजी, बैठिये। उनको जवाब देने दीजिए, प्लीज।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : सुनो तो सही आप।

एक माननीय सदस्य : उनके नाम बताओ।

श्री उपाध्यक्ष : यह जनरल नहीं है, इन्होंने सारा बता दिया है, उत्तर दे रहे हैं।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1986-87, 87-88,

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

88-89, 89-90 और 90-91 में पिछले 1986 से लेकर 1991 तक पांच सालों में दो करोड़ चौरानवे लाख रुपये आवंटित किये गये। उसके बाद....

डा चन्द्रभान : उसमें से गया कितना ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : बता देता हूं, जल्दी मत कीजिए। जो मैंने निवेदन किया, उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी, कि ऑडिट करने का प्रोग्राम सन् 1990 से दो दल बनाकर शुरू किया गया। उसमें 13 जिलों की ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास आई है। उन 13 जिलों में सबसे पहले अजमेर-जिसको 42 लाख रुपये दिये गये थे उस पूरे जिले को, 13 लाख और कितने हजार की रिकवरी उन संस्थाओं के अगेंस्ट में ऑडिट रिपोर्ट में रखी गई, उनकी रिकवरी के लिए लैटर लिख दिया गया है, उसका उत्तर आने के ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही कर दी जायेगी। इसी तरह....

श्री हेतराम बेनीवाल : लैटर लिख दिया गया है या कार्यवाही कर दी गई है ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : कमाल है, यह रिकवरी के लिए मैंने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : जांच कर ली है, हेतरामजी, यह सारी बातें स्पष्ट कह रहे हैं। फिर कौन सी बात की आप विस्तृत जानकारी ले रहे हैं ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : कार्यवाही और क्या होती है। रिकवरी करने के लिए। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया है इस सदन में....

श्री उपाध्यक्ष : आपको सुनना चाहिए पहले।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : यह बात नहीं....

डा. चन्द्रभान : नहीं, आपने पत्र कब लिखा, वह बताएं।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : मेरी सुन तो लो आप।

डा. चन्द्रभान : पत्र कब लिखा है वह बता दें आप।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पहले सुनिये आप।

डा. चन्द्रभान : क्लियर हो जाय श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष : काहे का क्लियर हो जाये, सारी बात साफ कह रहे हैं। तो स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से गलत दिया जाता है क्या ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : पत्र के लिए भी सुन लो। पत्र के लिए बता देता हूं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : पहले इनको उत्तर देने दीजिए। उत्तर देने दीजिए पहले आप।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : सुनिये। भीलवाड़ा का ऑडिट हुआ है 21-2-92

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

को, उसको 16-3-92 को पत्र लिख दिया गया। फिर अजमेर का हुआ है उसको 3-3-92 को पत्र लिख दिया गया है। उसके बाद उनको रिमाइण्डर भी भेज दिये गये। उसके बाद सवाई माधोपुर है। फिर भरतपुर आता है, उसको 19-2-92 को पत्र लिखा गया। फिर उदयपुर आया। 14-12-90 को उसकी ऑडिट हुई, 26-2-92 को उसको पत्र लिख दिया गया। उसके बाद दोबारा फिर 1-8-91, 21-2-92 और 7-3-92 को अजमेर के अभिकरण को पत्र लिख दिये गये। यह सारी की सारी तारीखें हैं। जो भी जानना चाहते हैं उसकी प्रतिलिपि दी जा सकती है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : जिस प्रकार आपने बी. के. मीणा के खिलाफ कार्यवाही की है उसी प्रकार आप उनके खिलाफ भी कार्यवाही करिये।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : सुन तो लो। आप उसके बाद प्रश्न कर लेना।

डा. चन्द्रभान : इतना गम्भीर मामला है, 90-91 के अन्दर तो यह हुआ है, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मीणा साहब, आप सीरियस नहीं है अपने उत्तर को सुनने के लिए।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब, पहले उत्तर आने दीजिए।

डा. चन्द्रभान : मैं तो बैठ जाऊंगा आप आदेश देंगे तो।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर आने दो डाक्टर साहब।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : सुन लीजिए न।

डा. चन्द्रभान : लेकिन 15 दिन पहले पत्र लिखा और मामला डेढ़ और दो साल से चल रहा है। अब केवल 15 दिन पहले (व्यवधान)

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : 15 दिन पहले तो रिमाइण्डर दिया गया है उसका। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया

श्री उपाध्यक्ष : अब डाक्टर साहब, आप तो सुनना ही नहीं चाहते। प्रश्न की गम्भीरता को भी नहीं ले रहे हैं।

श्री मोतीलाल मीणा : यह पत्र व्यवहार कई साल चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मीणा साहब, बैठिये।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : आपको सुनना तो है नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि विकास निगम का जो पैसा है डाइरेक्ट विकास निगम नहीं लगाता, वह जिला विकास अभिकरण के माध्यम से ही देता है। क्योंकि जो कार्यवाही उनके ऊपर रिकवरी की भी की जायेगी, वह उनके द्वारा ही की जायेगी। वहां से जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, क्योंकि 1990 से पहले

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

कहीं भी ऑडिट का कोई प्रावधान नहीं था, 1990 के बाद ऑडिट के लिए दो पार्टियां तैनात की गई हैं। उनकी ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद तुरन्त प्रभाव से तो किया जा रहा है क्योंकि जिले 27 थे, 13 जिलों का हो चुका है और बाकी का भी चल रहा है जिस-जिस तरह से रिक्वरेवल अमाउन्ट होगा उस पैसे की रिक्वरी अगर अभिकरण नहीं कर पायेगा तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि उसके लिए रिक्वरी की कोई दूसरी प्रक्रिया अपना ली जायेगी उसमें किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को नहीं बख्शा जायेगा। मैं इतना ही कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन—माननीय जीतमल जी जैन,

डा. चन्द्रभान : कृपया मंत्रीजी यह बता दें कि यह आडिट रिपोर्ट कब प्राप्त हुई? यह पत्र तो इन्होंने 15 तारीख को लिखा है। आडिट रिपोर्ट कब प्राप्त हुई यह बता दें?

श्री उपाध्यक्ष : आडिट रिपोर्ट का ब्योरा दे दिया है सारा। चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय इतने बड़े चार्जेज हैं फिर एफ. आई. आर. दर्ज कराके क्यों नहीं कार्यवाही करते हैं (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आडिट रिपोर्ट कब प्राप्त हुई? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आडिट रिपोर्ट इन्होंने बनवाई है और देख ली और तुरन्त उसकी रिकवरी की कार्यवाही हो रही है। इसके बाद और क्या जानना चाहते हैं आप? 85 से 89 तक कोई पार्टी नहीं थी, कोई आडिट नहीं थी और अब सारा किया जा रहा है सरकार द्वारा।

डा. चन्द्रभान : मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि इन्होंने फरवरी और मार्च 1992 में पत्र लिखा कार्यवाही के लिए तो मैं इतना जानना चाहता हूं कि आडिट रिपोर्ट इनको कितनों दिनों पहले 91 या 92 में कब प्राप्त हुई, 90 में प्राप्त हुई क्या? और जब आडिट रिपोर्ट पहले प्राप्त हो गयी तो इतना समय कैसे लैप्स हुआ यह जानना चाह रहा हूं।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक चीज पूछना चाहूंगा कि इतनी अनियमितता हुई और उनकी आडिट रिपोर्ट हुई और सब सामने आ गया कि हेराफेरी हुई है, गड़बड़ियां हुई हैं तो क्या रिकवरी मात्र की कार्यवाही सफीशियेन्ट है उन आफिसर्स के खिलाफ। आप रिकवरी तो कर लेंगे लेकिन जिन आफिसर्स ने गड़बड़ी की उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा अन्दाजा क्यों लगा रहे हैं कि केवल रिकवरी ही करेंगे? यह कल्पना कैसे कर रहे हैं आप कि केवल रिकवरी होगी और जो दोषी हैं उनके

(श्री उपाध्यक्ष)

खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, यह कैसे सोचते हैं? (व्यवधान) चर्चा समाप्त हुई श्री जीतमल जी जैन (व्यवधान) चर्चा समाप्त हुई इस पर (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : रिकवरी होना ही कोई उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज बिराजिये (व्यवधान) माननीय जीतमल जी जैन (व्यवधान) कृपया मैं आपका सहयोग चाहता हूं। जितना उत्तर देना था सफीशियेन्ट उत्तर आ चुका है और मेरी समझ में अब कोई अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री जी ने बड़ा सन्तोषप्रद उत्तर दिया है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह गम्भीर भ्रष्टाचार का मामला है। जयपुर में तो भ्रष्टाचार के लिए श्री बी. के. मीणा के खिलाफ आपने कार्यवाही की उसके लिए तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं बधाई देता हूं (व्यवधान) लेकिन जैसे जयपुर में कार्यवाही की वैसी ही अन्य जिलों में भी होनी चाहिए XXX (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप अब श्री जीतमल जैन (व्यवधान) समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन (व्यवधान) नोट नहीं किया जाये (व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया बिराजिये रामस्वरूप जी (व्यवधान) लड्ढा साहब बिराजिये श्री जीतमल जी जैन प्लीज मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि गम्भीर प्रश्न को क्या गम्भीरता से नहीं लिया है सरकार ने? (व्यवधान)

नोट नहीं करें

मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। सारा कह चुके हैं यह सरकार नहीं बख्शेगी (व्यवधान) डाक्टर साहब कोई भी मामला हो आप बोले बिना नहीं रहेंगे हो क्या गया है आपको समझ में नहीं आ रहा है (व्यवधान) माननीय मीना साहब बिराजिये (व्यवधान) श्री रामस्वरूप जी बिराजिये। जीतमल जी जैन

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : मेरी समझ में नहीं आया आप चाहते क्या हैं?

श्री सुनील विश्नोई : माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से कह रहा था कि इस तरह की जो अनियमितताएं हुई हैं, जो भी स्कीमें चलती हैं वह बैकवर्ड क्लासेस के लिए और दबे हुए तबके के लिए हैं। ऐसी चीज में हेराफेरी होती है, गबन होता है और यह बहुत गम्भीर मामला है और मिसएप्रोप्रियेशन आफ फण्ड है उसमें बहुत सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। पता चल गया कि गलती हुई है। आडिट रिपोर्ट में भी आ गया तो कार्यवाही करने में क्या दिक्कत है?

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कार्यवाही होगी, आप यह विश्वास रखिये ।

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री जीतमल जैन (सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख') : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति (ख) 1991-92 भेड़ व ऊन विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति (ख) 1986-87 के ग्यारहवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

याचिका का उपस्थापन

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर जिले की तहसील कोटपुतली के पंचायत केन्द्र भूरी भड़ाज में डिस्पेन्सरी खोले जाने विषयक् दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं ।

विधायी कार्य

विधेयक पर विचार

राजस्थान मोटर परिवहन यान पथ कर (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा (अनुपस्थित) प्रभारी मंत्री श्री दिग्विजय सिंह प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मोटर परिवहन यान पथ कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाये ?

श्री दिग्विजय सिंह (परिवहन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर (संशोधन) विधेयक, 1992 की जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये इस संबंध में अपनी बात कहना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में वैसे तो कोई ज्यादा संशोधन नहीं हैं । धारा 3 का संशोधन इन्होंने उपधारा (1) के स्थान पर जो नयी चीजें प्रतिस्थापित की हैं उनको मैं पहले पढ़कर चाहता हूं ।

(1) राजस्थान राज्य के बाहर अधिकारिता रखने वाले किसी प्राधिकारी के द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन दिये गये या समझे गये किसी परमिट के अधीन चलाये जा रहे किसी मोटर परिवहन यान के राजस्थान राज्य में के प्रत्येक प्रवेश पर दो सौ रुपये प्रति यान से अनधिक की ऐसी दर से एक पथकर उद्गृहीत किया और राज्य सरकार को संदत्त किया जायेगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में यह जानना चाहता हूं कि जब से आपने

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

एन्ट्री पर टोल टैक्स लगाया है जिसको एन्ट्री टैक्स के रूप में जाना जाता है इसमे राज्य सरकार को कितनी आय प्राप्त हुई ? हमारे पड़ौसी राज्यों में एन्ट्री टैक्स कहां कहां कितना-कितना ले रहे हैं और इसकी दर क्या है और क्या राज्य में यह जो एन्ट्री टैक्स आपने लगाया है वह उससे मेल खाता है या नहीं खाता है ? इस कर की चोरी को रोकने के लिए आपने क्या कार्यवाही की है ? क्योंकि अभी तक ऐसा देखा गया है कि एन्ट्री टैक्स लेने वाले सम्भवतः सम्पूर्ण तरीके से वह टैक्स वसूल नहीं कर पा रहे हैं इसके कारण हरियाणा राज्य में जो एन्ट्री टैक्स है वह हमारे प्रदेश से छोटा होते हुए भी वहां एन्ट्री टैक्स की जो कलेक्शन की मात्रा है वह ज्यादा है जब कि राजस्थान इतना बड़ा राज्य है और चार पांच पड़ौसी राज्यों से और दिल्ली से हमारे यहां जो मोटर यान आते हैं वह इतनी ज्यादा संख्या में होते हुए भी उनका कर हमें कम मिल रहा है इसी तरह से मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पड़ौसी राज्यों में इससे सम्बन्धित हमारे जो एक्ट्स हैं, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां से वाहनों की रजिस्ट्री आदि बाहर अधिक हो रही है क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में समय-समय पर मोटर यानों के मेले लगते हैं और वहां पर लोग कम कर लगने के कारण से वहां पर व्हीकल ज्यादा खरीदते हैं। इस सम्बन्ध में पहले भी विधान सभा में यह मुद्दे उठे हैं तो आपको तत्सम्बन्धित जो एक्ट हैं उनमें परिवर्तन लाना चाहिए और हमारे प्रदेश में अधिक-से-अधिक मोटर यान बिकें, उनकी रजिस्ट्रियां यहां पर हों इसके बारे में आपको कर के ढांचे में एक सम-सामयिक परिवर्तन करना चाहिए ताकि हमारे प्रदेश में अधिक से अधिक मोटर यानों का रजिस्ट्रेशन हो और साथ-साथ उससे मिलने वाले बिक्री कर और अन्य प्रकार के कर अधिक से अधिक प्रदेश में मिल सकें।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कि आपने यह एण्ट्री टैक्स के बारे में केवल मात्र शक्तियां ले लीं, आपकी मंशा क्या है ? आज मिनी ट्रक से कितना कर वसूल करेंगे, बड़े ट्रक से कितना वसूल करेंगे और जो छोटे-छोटे साधनों से जो माल की ढुलाई होती है उसके बारे में आप क्या प्रावधान करने जा रहे हैं ? इन सब बातों के बारे में एक्ट में कोई विशेष चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को एक महिने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या शिव किशोरजी सनाढ्य, बोलना चाहेंगे ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : हां श्रीमान्।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया है, मैं इसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि 1965 में हमने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बनाया और हमने कुछ मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण करने के बाद में जो निजी व्हीकल चलते थे उन

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

पर रोक लगा दी लेकिन आज देखने में यह आ रहा है कि वह जो वीडियो कोचेज हैं वह हमारे जितने वाहन हैं, हमारी जो बसेज हैं उनसे भी ज्यादा वीडियो कोचेज चल रहे हैं और यहां जयपुर से पोलोविक्ट्री से रात्रि

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला ही दूसरा है सनाढ्य साहब। आप कहां बोल रहे हैं ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उसी से सम्बन्धित है श्रीमान्।

श्री उपाध्यक्ष : यह मैटर ही नहीं है इसमें। ... (व्यवधान)....

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह सब उसी से तो सम्बन्धित है। हमारी जो यह....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उदयपुर जाने के लिए पहले पोलोविक्ट्री जाना पड़ता है हमेशा इनको।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए। अच्छा-अच्छा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : नहीं, वहां से सिंधी कैम्प भी जाना पड़ता है। इसी सन्दर्भ में मैं निवेदन कर रहा था। यह जो एक्ट बनाया है इसके अन्तर्गत अगर इसमें भी परिवर्तन किया जाता तो निश्चित रूप से राजस्थान को उसका लाभ होता। मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर यह परमिट देते दूसरे लोगों को भी इसी के साथ तो ...

श्री उपाध्यक्ष : यह मैटर नहीं है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : तो उससे निश्चित रूप से लाभ होगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो इतनी-सी है कि इस पर जो संशोधन लाया गया है, प्रतिदिन ऐसा कर के इसको हटाने की जो गलती पहले कर दी थी उसको ठीक करने के लिए सरकार लायी है। जो भी राज्य में घुसने वाले मार्ग हैं, जिन्होंने या तो अपने प्रदेश के हैं और बाहर रजिस्ट्रेशन करवा लिया या बाहर से आने वाले, जो आते हैं प्रदेश में प्रतिदिन 200 रुपया लेने की बात थी। अब वह झंझट फैला होगा कि अगर हमारे राज्य में 10 दिन वह वाहन रह जाये तो उसका 2 हजार रुपया हो गया। अब वह 10 दिन रह जाय और 2 हजार रुपया हो जाय तो इसमें राज्य का लाभ है। इसमें हानि क्या है ? कोई भी तर्क इसके पीछे नहीं दिया गया और यह लिखा कि हमारी ऐसी मंशा ही नहीं थी। अब मंशा नहीं थी और विधान सभा में बिल पास कराया। क्योंकि कामा या इन्वरटेड कामा, कोई भी स्थिति कानून में बिना सरकार की मंशा के नहीं लगती है। अब पिछली बार आपने कहा कि हम प्रति दिन लगाना चाहते हैं। हमने सोचा कि राज्य का भला

(श्रीमती उजेला अरोड़ा)

होता है तो हमने कहा, चलो पास करो। अब आप दूसरी बार ही इसको ले आये कि प्रतिदिन हमारे लेने की मंशा नहीं थी, अगर मंशा नहीं थी तो नहीं लाना चाहिए था। अब आप प्रति दिन हटाकर उन लोगों को सुविधा देना चाह रहे हैं जो राज्य में आकर खाते-कमाते हैं। अब इसमें अव्यवहारिकता क्या हुई ? पहले तो आप यह बताइये तो फिर हम यह कहें कि आप हटायें या नहीं हटायें। अगर फिर भी बात समझ में नहीं आयी तो जनता के सामने भेजिये। भेजिये इसको जनमत जानने के लिए। मेरा तो यही कहना है आप बार-बार इस प्रकार के छोटे-छोटे बिल लाते हैं। एक संपूर्ण रूप से एक बिल को कभी भी नहीं ला पाये। मुझे खेद है आप इस प्रकार से बार-बार छोटी-छोटी बात को लेकर, इसमें बहुत-सी बातें हैं जो मैं थर्ड रिडिंग में कहूंगी अभी नहीं कह रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री हीरालाल आर्य (अनुपस्थिति)

श्री घासीलालजी (अनुपस्थिति)

श्री अमृतलालजी (अनुपस्थित)

श्री चम्पालालजी बांठिया (अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल परमार : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : अमृतलाल जी, बोलिये।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : मैं तो राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर (संशोधन) अधिनियम 1992 में इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कल्लाजी ने बात कही है, उसी बात में मैं भी कहना चाहूंगा कि यह टोल टैक्स चल रहा है राजस्थान में और जहां जहां अपन वसूल कर रहे हैं टोल टैक्स के रूप में....

श्री उपाध्यक्ष : वह भी अलग है।

श्री अमृतलाल परमार : मैं इसलिए बोल रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : इसमें नहीं आ रहा है वह भी। यह तो सड़कों वाला कह रहे हैं।

श्री अमृतलाल परमार : हां, वही।

श्री उपाध्यक्ष : पुलिया वाला, यह पुलिया वाला टोल टैक्स बता रहे हैं।

श्री अमृतलाल परमार : यह भी है और जो बाहर कहीं भी आते हैं तो बाहर भी यह टोल टैक्स वसूल होता है तो मेरा यही कहना है कि इस टोल टैक्स की जो बीमारी लगी हुई है राजस्थान में और बाहर भी लगी हुई है, अगर यह सुविधा प्रदान हो जाय तो राजस्थान में भी इस प्रकार की बसों को सुविधा मिल सके और आराम से आ-जा सके। मेरा यही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनलालजी सैनी, कहना चाहेंगे।

माननीय श्री प्रेमसिंह दहिया।

Page No. 160

(160)

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय श्री रामस्वरूप मीणा, टोडाभीम । हां बोलेंगे न ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह जो मोटर परिवहन यान पथकर नियम, 1992 है, मेरा यह निवेदन है कि इसको प्रवर समिति के लिए जनमत जानने के लिए भेजा जाय और सदन जब दोबारा प्रारम्भ हो उस एक सप्ताह में इसकी रिपोर्ट पेश करा दी जाय ताकि कुछ हमारी जो खामियां इसमें रह गयी हैं अन्य राज्यों की तुलना में, राजस्थान में जो कर दिया जाता है उससे सरकार को भी बहुत घाटा होता है और सुविधायें जो अन्य राज्यों में दी गयी हैं वे सुविधायें भी यहां नहीं दी गयी जिसके कारण बाहर लोग साधनों को लेने के लिए जाते हैं। जीप वगैहरा जो भी खरीदते हैं, वहां से लेकर आते हैं ताकि टैक्स का फायदा उनको हो जाय इसलिए यह जो अनियमितता है, जो भेदभाव है इस प्रकार और नियम बना दिये जाय ताकि दोबारा इस प्रकार के संशोधन बार-बार नहीं लाने पड़े इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति को पहले भेज दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है । अमीन खां जी, कहेंगे कुछ । हां कहिये ।

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मोटर कर अधिनियम (संशोधन) 1988 की धारा 3 की उप धारा 7 में जो संशोधन लाया जा रहा है उससे मेरा इस सदन की मार्फत यही निवेदन है कि अपने पड़ौस के राज्यों में जिस तरह से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करने वालों को सुविधायें ज्यादा हैं और वह ज्यादा दूसरी स्टेट में रजिस्ट्रेशन में विश्वास करते हैं, अपनी स्टेट में नहीं करते हैं तो मेरा यही निवेदन है कि यह जो संशोधन विधेयक है वह प्रवर समिति को जनमत जानने हेतु प्रचारित करने के लिए सुपुर्द किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर (संशोधन) विधेयक को जनमत जानने हेतु और प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए, दोनों प्रस्तावों पर माननीय सदस्यों ने चर्चा की ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । सुनिये अब आप ।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोनों का ही जवाब दे दूं ?

श्री उपाध्यक्ष : हां दोनों का दीजिए ।

श्री दिग्विजय सिंह : यह जो संशोधन लाये हैं और इसको आप पढ़ें तो इसका एक बहुत सीमित दायरा है और वह यह है कि इसमें एक तो पर-डे जो हमने इसमें लिखा था उसके स्थान पर हमने इसमें कर दी पर एण्ट्री । पहले वाले में लिखा हुआ था,

"... Rs. 200 per Vohicle per

(161)

(श्री दिग्विजयसिंह)

day as the State Government may, by notification in the official Gazette, specify from time to time.

Provided that where toll has been paid in respect of the entry of the vehicle.

वहां एण्ट्री लिखा हुआ था। इसलिये इन दोनों को एक चीज करने के लिये वह पर डे से कन्फयूजन होता था और कन्फयूजन के साथ-साथ पर डे का माननीय सदस्या बता रही थीं, एक कठिनाई यह भी आती थी, शाहजहांपुर से जैसे कोई एण्डर हुआ, एण्टर होने के बाद रतनपुर से जब उधर निकलता है और वह तीन दिन वहां ठहर गया, अब हमें क्या पता चले कि 3 दिन ठहरा है या पांच दिन ठहरा, एक विवाद उसमें होता था। इसलिये एण्ट्री के ऊपर ही रखा है और एण्ट्री के ऊपर टैक्स रखकर यह संशोधन हमने किया है कि "पर डे" के स्थान के ऊपर "पर एण्ट्री" कर दिया जाय।

यहां पर माननीय कल्ला साहब ने कहा कि इसके लाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा और दूसरे प्रदेशों में क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा इनमें सबमें यह टैक्स लागू है। हरियाणा के अन्दर यह जो टाल टैक्स है वह करीब-करीब वही है या हमने भी वही लगाया है जो कि हरियाणा में भी है और उस जगह पर भी लागू है। हमने 12-10-91 से इसको लागू किया है और लागू करने के साथ खास तौर से इसके अन्दर जोबात कही है वह यह कही है कि हमारे यहां पर जो गाड़ियां रजिस्टर्ड हो जाती हैं, रजिस्टर्ड होने के बाद वह बाहर जाकर के फिर किसी और से दूसरी अथारिटी से परमिट ले करके हमारे यहां जब एण्टर होती तो उनको वह एण्ट्री टैक्स नहीं लगता था। अब हमने इसको भी इसमें कवर किया कि है उन पर भी यह एण्ट्री टैक्स लगेगा। जो आपने विवरण मांगा है कि इसका ब्रेक अप क्या है। वह ब्रेक अप इस प्रकार से है कि मोटर कैंट पर तो 50 रुपया, हल्के व मध्यम मोटर यान पर 75 रुपये, भारी मोटर परिवहन यान पर सौ रुपये। यह इस प्रकार का ब्रेक अप है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसको लगाने कि आवश्यकता उस वक्त पड़ी जब कि हमारे सामने नवें वित्त आयोग ने इस बात का हवाला दिया कि परिवहन विभाग को आय बढ़ाने के लिये सोर्सेज करने चाहिये। तो तत्कालीन यातायात मंत्रीजी ने इस प्रस्ताव को देखा और उन्होंने इसको लागू करने के लिये यह आदेश दिया और यह लागू हुआ। उसके बाद 16-12-91 को यह संशोधन इसलिये लाया गया "पर डे" "पर एण्ट्री" के हिसाब से और आज दिन तक जो आमदनी हुई, जो आप बतला रहे हो, वह 12-10-91 से लेकर 29-2-92 तक 9 करोड़ 67 लाख रुपये हमको आमदनी हुई। इसलिये, मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष

(श्री दिग्विजय सिंह)

महोदय, अगर आप इन सब बातों को देखेंगे....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर ऐसा नहीं करें तब कितनी आमदनी होती ? अगर दो सौ रुपये पर डे करते तो आमदनी ज्यादा होती।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं बाद में सुन लूंगा आपको। आपको थर्ड रीडिंग में मौका मिलेगा, आप बोल लें। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक सीमित बिल्कुल है। इसके अन्दर कोई इस प्रकार की बात नहीं है। राजकोष के अन्दर आमदनी बढ़ी है और दूसरे राज्यों के मुकाबले भी हमने कोई विशेष ज्यादा टैक्स नहीं लगाया है, जो हरियाणा में है वह का वही हमने लगाया है। इसलिये, मैं समझता हूं कि यह दोनों प्रस्ताव जो आपने यहां प्रस्तुत किये हैं उनको अस्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया गया ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर (संशोधन) विधेयक, 1992 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

माननीय श्री दिग्विजय सिंहजी। प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी ने इस विधेयक के माध्यम से जो कर वसूली की गयी है वह नौ करोड़ से ऊपर का बताया। लेकिन इस कर को वसूल करने में व्यय कितना हुआ है इस बारे में जानकारी नहीं दी है। एक तो मैं यह जानना चाहूंगा, इसको वसूल करने में आपने कितनी राशि व्यय की उससे पता लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो वही अधिकारी होंगे, जो लगे हुए हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, ठीक है वह पता लग जायेगा।

इसी तरीके से, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा देखा है कि राजस्थान में जहां-जहां ट्रक एण्ट्री करते हैं वहां पर ट्रकों का एक लवाजमा पूरा इकट्ठा हो जाता है। वहां पर कोई भी व्यक्ति जो सामान्य तौर से गुजरता है उसको आधा-आधा, पौन-पौन घंटा लग जाता है। जब आपने एण्ट्री टैक्स लगाया है, हरियाणा में हमने देखा है कि वहां पर सड़कों को आठ-आठ गुणा चौड़ा किया गया है, इस सम्बन्ध में आपने क्या व्यवस्थाएं की? इसके साथ-साथ जो कर देने वाले वहां पर ट्रकों के आपरेटर्स वगैरह हैं, जहां आप नौ करोड़ रुपये प्राप्त कर रहे हो तो उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखिये। उनके पीने के पानी की व्यवस्था, वहां पर कोई छाया की व्यवस्था, राजस्थान की चिलचिलाती धूप में लोगों के वहां पर छाले हो जाते हैं पैरों पर, तो जहां पर आप एण्ट्री टैक्स ले रहे हैं कम से कम पांच दस लाख रुपये खर्च करके उनकी वहां पर रुकने की व्यवस्था हो, जब तक वह आपको टैक्स नहीं दे, कम से कम छाया में उसको खड़ा तो रखिये आप। जो करदाता है उसके साथ आपका जो व्यवहार है वह संवेदनशील होना चाहिये। इसके साथ-साथ इस कर की चोरी होती है इस बारे में आपने कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की और न इसका आपने जवाब दिया कि इस कर में जो चोरी हुई है, कितना कर चोरी का अनुमान आपका रहा और इसको रोकने के लिये आप क्या उपबंध करने जा रहे हैं। इन चीजों का जवाब आप अपने प्रत्युत्तर में दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा : कृपया इनको बोलने दीजिये कांत साहब।

श्री टीकम चंद कान्त : हरियाणा में जो व्यवस्था है, आप बताइये। वहां तो दारू की व्यवस्था बनी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई सवाल नहीं है। माननीय उजला अरोड़ा जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि वर्ष 90-91 में, एक वर्ष में दो सौ रुपये प्रतिदिन लेने से हमें कितनी आमदनी हुई और उसमें अब कितना नुकसान होने वाला है, मंत्री महोदय बतायें। नम्बर दो, आपके यहां चैकिंग पार्टियां कितनी हैं? मैं समझती हूं बहुत अपर्याप्त हैं चैकिंग पार्टी। आप इनकी चैकिंग की क्या व्यवस्था करने वाले हैं जहां एण्ट्री होगी, जहां टाल-टैक्स के हिसाब से इनकी एण्ट्री का पैसा लेंगे। तो आपके पास चैकिंग पार्टी कितनी हैं और जो अवैध प्रवेश करते वाले हैं उनके संबंध में आप क्या करने वाले हैं?

मंत्री महोदय यह भी बतायें जब आप पृथक कर उन लोगों से ले रहे हैं। एक जो वाहन अब चल रहे हैं हमारे इन्हीं सड़कों पर, जो राष्ट्रीय राजमार्ग का आपने

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

राष्ट्रीयकरण किया और पथ परिवहन निगम के लिये यह तय किया कि आप केवल अपने ही वाहन चलायेंगे, उन पर अवैध वाहन चालन बराबर हो रहा है, यह आपके नोटिस में है, आपके नोटिस में भी है और आपके अधिकारियों के नोटिस में भी है क्योंकि बिना नोटिस के बात चल नहीं सकती, वह अवैध वाहन का चालन कर कैसे रहे हैं? हाई कोर्ट के आदेश से यह हुआ था तय कि शादी ब्याह या मेले में परमिट लेकर चला जा सकता है। अब प्रतिदिन परमिट लेकर जो डेली यात्री ढोते हैं, उस तरह के यात्री वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है चाहे आप गंगानगर ले लो, चाहे आप बीकानेर ले लो, चाहे हनुमानगढ़ ले लो, चाहे अलवर ले लो। इतना ही नहीं, जहां पर यात्री ढोने का कार्य यह अवैध वाहन कर रहे हैं वहीं पर जीपें भी बराबर लगी हुई हैं चाहे दौसा में देख लें, चौमू में देख लें, सीकर में देख लें। इन अवैध वाहनों के चालन से आपको जो नुकसान हो रहा है, मंत्री महोदय का ध्यान पता नहीं कहां है, जवाब भी क्या देंगे क्या नहीं देंगे, मुझे पता नहीं, मैं कहना चाहूंगी, आप इन अवैध वाहनों के चालनों को रोक नहीं पाये, आप चाहते तो यह कर सकते थे कि आपको बसों की जरूरत हो तो आप अनुबन्धित बस ले लेते, आपका खर्चा नहीं होता और वहां पर अवैध चालन नहीं होता। जहां आपको जरूरत है, वहां पर आप ले लीजिये, अनुबन्धित कीजिये बस और आप कम से कम इस अवैध चालन को रोकिये। दो सौ रुपये के बजाय आपने विभिन्न दरें 75 रुपये, 50 और सौ रुपये प्रतिदिन यहां बताया है, एक तो आप राज्य को नुकसान करने वाले हैं उसकी क्षतिपूर्ति कहां से करेंगे, यह बताइये। दूसरा, इस सारे मामले में इस सारे परिप्रेक्ष्य में देखने के लिये आपने कोई विचार किया है अथवा नहीं। राज्य में व्यवस्थित रूप से वाहन चालन हो, यह मेरा कहना है। आप क्या चैकिंग की कुछ पार्टियां बढ़ायेंगे? इन सारे प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे? बोलो।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक छोटा सा निवेदन है खाली, सुझाव है। कर की चोरी को रोकने के लिये मंत्री महोदय, आपने कोई व्यवस्था कर रखी है? और अगर कर रखी है तो इस कर की चोरी में जो भ्रष्टाचार है, जितनी भी टैक्स की चोरियां आपके यहां हो रही हैं, कर की चोरी जो करते हैं और इन पर जो रोक लगाने वाले हैं वह जो चोरी करते हैं उनमें ज्यादातर वाहन ऐसे हैं जो बगैर टैक्स चुकाये हुए चल रहे हैं। उनके रिश्तेदारों के चल रहे हैं जो लोग आपकी चैकिंग में हैं। मेरा यह निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो लोग चैकिंग करने वाले हैं वही अगर भ्रष्ट हो रहे हैं, जब बाढ़ ही खेत को खा रही है तो आप इस कर की चोरी को कैसे रोकेंगे? तो आप इस कर की चोरी को कैसे रोकेंगे। इसलिए इसकी कोई नयी तरकीब आपने...

(4.00 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

Page No. 165

165

श्री दिग्विजय सिंह : इससे पहले कि मैं जवाब दूं टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, तो 2-4 ऐसे नाम आप मुझे दे दो, जिनके रिश्तेदार जेलर रहे हों और खुद खा रहे हैं, तो मैं उनके खिलाफ ...

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप गृह मंत्री हो, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं गृह मंत्री हूं, मुझे तो आपका भी मालूम है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं गृह मंत्री हूं तो मेरे को तो आपका भी मालूम है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा क्या मालूम है, आप मेरे को बताइये। मेरे की +++ मत। मैं आपकी +++ में आने वाला नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्रिमीनल्स डरते हैं हमसे, तो आप लोगों को डरना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विवाद का विषय न बनायें।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं नाम भी दे सकता हूं आप उनके खिलाफ कार्यवाही कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : मांग रहे हैं नाम

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी आबू रोड के संबंध में वक्तव्य दे रहे हैं या इनके कोई...।

श्री दिग्विजय सिंह : वह भी दे रहा हूं ना। इसके बाद दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आबूवाला नहीं है यह

श्री दिग्विजय सिंह : आप देर से आये हैं, यह तो मोटरयान वाला है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, 4 बजे का टाइम है।

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजाद जी, आप इतने अनुपस्थित दिमाग के हैं क्या ?

श्री दिग्विजय सिंह : वह भी अर्ज है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये...

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। यह विधेयक है।

श्री दिग्विजय सिंह : उनका सीधा सम्बन्ध संशोधन से नहीं है, पर फिर भी मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर सकता हूं। खास तौर से कल्ला साहब ने जो बात कही, कि इसकी आमदनी आने के बाद आपकी इतनी आमदनी हो जायेगी

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री दिग्विजय सिंह)

आज ही 9 करोड़ 67 लाख रुपये हो गई और और भी इसके बाद आप इन एण्ट्रीज जगहों के ऊपर क्या फैसेलिटिज देने जायेंगे। निश्चित तौर से यह सही बात है कि हमें वहां फैसेलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। मैं उसके ऊपर विभाग से....

श्री उपाध्यक्ष : यों कल्ला साहब हर बात की चिन्ता रखते हैं, यातायात मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह : कल्ला साहब रखते हैं, पर कल्ला साहब यह ध्यान नहीं रखते कि बिल के अन्दर इसमें कहां जोड़ा जाये। सुझाव उनका ठीक है। इसी प्रकार से कर चोरी की बात भी उन्होंने कही, मैं कोई दावा नहीं करता कि इस प्रकार से कोई कर चोरी नहीं होती होगी। हम कर चोरी के सम्बन्ध में सतर्कता बरतेंगे और आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि कहीं आपकी निगाह में आये तो आप भी हमको सूचित करें। विभाग को भी सतर्कता रखने के लिए कहूंगा, ताकि चोरी कम से कम हो, बिल्कुल नहीं हो और आमदनी बढ़े। माननीय विधायिका जो जमवा रामगढ़....

श्रीमती उजला अरोड़ा : जमवा रामगढ़ से रामेश्वर जी आते हैं। माननीय मंत्रीजी जरा ध्यान रखें, जमवा रामगढ़ मेरे इलाके में है, पर उनकी कांसट्रीट्वेंसी का नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो बिराजो आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, पंजाब से आने वाली माननीय सदस्या।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने बात कही आमदनी की, तो आपको शायद ध्यान नहीं होगा, मैं बता चुका हूं कि आमदनी हमारी कितनी हुई। 12-10-91 से 29-2-92 तक 9 करोड़ 67 लाख रुपये की हमारी आमदनी हुई है, इस टोल टैक्स को लगाने से। अभी तो मार्च का और जायेगा, और यह कन्टीन्यू रहेगा तो और भी आमदनी होगी। जहां तक अभियान चलाने का सवाल है अवैध वाहनों के रोकने का, मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं आपको कि पुलिस विभाग और यातायात विभाग दोनों मिलकर 15 अप्रैल के बाद एक अभियान चलायेंगे, जिसमें अवैध वाहनों के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। जो अवैध वाहन चलते हुए पाये जायेंगे, उनको दण्डित करेंगे और जितना सख्त से सख्त जुर्माना होगा, वह भी हम लेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कर चोरी की बात कही, उसके लिए मैं आपको कह चुका हूं कि उसके ऊपर हम नियंत्रण करेंगे और कोई स्पेसिफिक बात आयेगी तो हम कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, बाकी का जवाब मैंने पहले जो बात कहीं उसमें दे चुका हूं कि यह संशोधन क्यों लाया गया है। दुबारा इसको कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इस सदन से कहूंगा कि इसको पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिश्नोई साहब कुछ पूछ रहे हैं।

श्री रामसिंह बिश्नोई : जो आप व्यवस्था करेंगे, 15 अप्रेल से पहले कोई छूट दी हुई है क्या आपकी ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं वहां तक तो चालू ही है।

श्री दिग्विजय सिंह : 15 अप्रेल से पहले छूट दी हुई नहीं है। 15 अप्रेल इसलिए रखी है....

श्री उपाध्यक्ष : विशेष अभियान है।

श्री दिग्विजय सिंह : 15 अप्रेल के लिए पहले कह चुके थे और....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अप्रेल कह देते नी।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये अब।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए छूट दी कि 15 अप्रेल तक माननीय विधायक भी फ्री हो जायेंगे, जिनका सहयोग ले लेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रहे हैं आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह एक अप्रेल की घोषणा है....(व्यवधान)

श्री अमृतलाल परमार : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर जो अवैध वाहन चले, आपने चर्चा कर ली। मैं यह पूछना चाहूंगा कि जो सरकार की बसें चलती हैं, उन्हीं बसों के आगे जो कंडक्टर...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये अमृतलाल जी।

श्री अमृतलाल परमार : खुद की गाड़ी चलाते हैं, उन गाड़ियों का क्या इलाज होगा। जो कण्डक्टर गाड़ी चलाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज। पहले बोल जाना चाहिए आपको। अब विराजिये आप। Please sit down...(व्यवधान) माननीय कृपलानी जी बैठिये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया गया।

राजस्थान विडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1992

प्रभारी मंत्री शांतिलाल जी चपलोत प्रस्ताव करेंगे विचारार्थ लिये जाने का।

शासकीय वक्तव्य

आबूरोड में दो समुदायों के बीच झगड़ा

श्री प्रद्युम्न सिंह : 4 बजे स्टेटमेंट आयेगा, अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है, श्री मन्, आबू रोड के मामले में स्टेटमेंट आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। चपलोत साहब विराजिये, पहले 4 बजे वाला।

हां माननीय गृह मंत्रीजी।

Page No. 168

(168)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आसन गृह मंत्रीजी को निर्देश देवें कि

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी तैयार हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह जोर से बोलें। माक की बात चबा जाने की आदत पड़ गइ है इनको, तो चबायें कहीं बातों को। जोर से बोलें जरा।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : 4 बजे का मैंने भी वायदा किया था तो 4 बज रहे हैं, मैं स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। मेरे पास स्टेटमेंट मौजूद है।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा यह बिल देख-कर बाद में कर लिया जाये तो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं साहब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल तो सुनिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : आधे घंटे का मामला है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार ने जो वीडियो के मामले में आपाधापी (व्यवधान) यह वीडियो पर बहुत बड़ी बहस होगी, श्रीमन्। लम्बी बहस होगी। उसमें आपने बहुत आपाधापी की है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा तो आप लोगों से अनुरोध है कि आधे घंटे में .... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था यह है कि पहले पाइन्ट आफ आर्डर सुना जाता है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बिल्कुल ठीक है, यह वीडियो बाद में हो जायेगा, वीडियो कोई खास बात नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका आदेश मानते हुए हमको एक ... (व्यवधान) आज आप हमारा अनुरोध स्वीकार कर लें, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो पहले ही व्यवस्था है। आप समय ले लो ना।

श्री दिग्विजय सिंह : 5 बजे दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह : 5 बजे का समय दे रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं साहब, 4 बजे का।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सरकार तैयार है फिर देने में क्या दिक्कत है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी एक विधेयक पास किया है। अब जायेंगे। थोड़ी तैयारी करके भी लायेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है साहब यह सरकार इतनी

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि स्टेटमेंट तैयार है। यानि कि पंचों की राय सर

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

माथे पर लेकिन परनाला तो यहीं गिरेगा। जब स्टेटमेंट तैयार है तो फिर दिलवाते क्यों नहीं हैं? फिर देर किस बात की है? दिलवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : साथ में आसन से भी उन्होंने एक निवेदन किया है कि... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पाइण्ट आफ आर्डर सुन लें पहले कल्ला साहब, पहले पाइण्ट आफ आर्डर सुन लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि आसन की एक व्यवस्था हो गई। उन्होंने पुकार दिया, माननीय मंत्रीजी खड़े हो गये। आसन की व्यवस्था के बाद इस प्रकार आसन की व्यवस्था को चैलेंज करना यह नियमों में परम्परा में ....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पहले भी आसन की व्यवस्था थी 4 बजे की।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय ने पहले 4 बजे स्टेटमेंट देने की व्यवस्था की है। उस व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हम कहीं भी आसन की व्यवस्था के विपरीत आचरण नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी ने एक घण्टे का समय चाहा है, समय दे दो आप एक घण्टे का।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, हम समय नहीं देंगे ऐसे संवेदनशील मामलों में।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : समय किस बात का? जब स्टेटमेंट तैयार है तो फिर काहे का समय। तैयार है तो देने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : और भी वह थोड़ी इनफोर्मेशन कलैक्ट कर लें तो आपको पुख्ता उत्तर दे देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप जरा मेरा निवेदन सुन लें।

श्री दिग्विजय सिंह : राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, एक मिनट। मुझे इससे इन्कार नहीं है कि जरूरी स्टेटमेंट मेरे पास में (व्यवधान) मेरे पास अभी तक सूचना आयी है उसी आधार पर मैंने तैयार किया है और आप ज्यादा इनसिस्ट करते तो मैं उसी आधार पर दे सकता हूं। अगर आप मुझे थोड़ा समय और दे दोगे तो मुझे यह अभी अभी मिला है, पढ़ने के बाद कुछ क्वेरी और करनी है। मैंने पढ़ा है उसके बाद कुछ शंकाएं मेरे दिमाग में आयी हैं और उनसे पूछ लूं उसके बाद अगर आप कहें तो ठीक है, और आप इनसिस्ट करें तो अभी दे दूं। मैं अभी भी देने को तैयार हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे, मंत्रीजी, जिससे मैं निवेदन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कर सकूं । यह बात तो हमारी समझ में आती है अभी एक बिल पारित कर चुके हैं मंत्री महोदय ।

यह तो आपको पूर्व अनुमान कर लेना चाहिये, अगर आप यह महसूस करते हैं, अगर आप चाहो तो दूसरे मंत्रीजी ले लें। आप आधे घंटे बाद दे लीजिये लेकिन आज की कार्यवाही समाप्त होने से पहले ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : कोई आपत्ति नहीं है, आप अभी सुन लीजिये ।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने इतना कहा ही है तो मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं ।

आबूरोड (सिरोही) में दिनांक 30-3-1992 को घटित घटना के संबंध में। दिनांक 30-3-1992 को रात्री के 9.30 बजे आबूरोड थाने पर सूचना मिली कि मुख्य बाजार में ग्राण्ड पंजाब होटल के पास एक हजार व्यक्ति एकत्रित हो रहे हैं, दो समुदायों के बीच झगड़े की सम्भावना है । इस सूचना पर पुलिस थाने से पुलिस जाब्ता उक्त घटना स्थल पर भेजा गया ।

घटना स्थल पर एक श्री राधेश्याम जोशी, जिसने कि शराब पी रखी थी को अपने ही समुदाय की औरतों के विरुद्ध अभद्र गलियां देता हुआ पाया, जिसको श्री ईश्वरलाल आचार्य ने वहां पर गाली-गलोच करने से मना किया इस पर आपस में झगड़ा हो गया । झगड़े के कारण 6 व्यक्तियों को साधारण चोटें आयी ।

श्री ईश्वरलाल आचार्य की रिपोर्ट पर इस घटना के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 35/92 दिनांक 31-3-1992 धारा 147,149,341,323,153 (ए) भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत थाना आबू रोड पर 8-10 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीबद्ध कर अन्वेषण प्रारम्भ किया जाकर इस घटना के सम्बन्ध में अब तक श्री राधेश्याम जोशी, अजीज, अशरफ, हुसैन, कल्लू, बाबू एवं अकबर सात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है । अभियोग की तफतीश जारी है ।

घटना के कुछ समय उपरांत कुछ अज्ञात लोगों ने रेल्वे हाई स्कूल के पास स्थित एक अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्ति की पान, बीड़ी व अण्डे की केबिन एवं जैन धर्मशाला के पास इसी समुदाय के एक व्यक्ति की रेडीमेड टेलरिंग की दुकान को आग लगा दी । पुलिस द्वारा आग पर काबू किया गया । पुलिस थाना आबू रोड की रिपोर्ट पर इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 36 दिनांक 31-3-1992 धारा 436, 147, 149, 427 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषण किया जा रहा है । आगजनी व तोड़ फोड़ के लिये जिम्मेदार अभियुक्तों को नामजद कर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं ।

दिनांक 31-3-1992 को श्री नरेश दत्त जोशी निवासी जूनी खराड़ी, आबू रोड द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 37/92 धारा 147, 379,

(श्री दिग्विजय सिंह)

427 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत थाना आबू रोड पर पंजीबद्ध किया गया, जो संजय मेडिकल में तोड़ फोड करने एवं दुकान के बाहर से उसकी साइकिल चोरी करने से संबंधित है। अभियोग की तफ्तीश की जा रही है।

जिला प्रशासन द्वारा होली के कारण हथियारों को लेकर चलने पर धारा 144 जा. फो. लगा रखी है। दिनांक 31-3-1992 को आबू रोड के बाजार बन्द रहे। दिनांक 1-4-1992 को भी आबू रोड बंद करवाये जाने का आह्वान था। परन्तु बाजार खुले हुये हैं। स्थिति तनावपूर्ण है, परन्तु नियंत्रण में है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, सिरोही, घटना के तुरन्त बाद से आबू रोड में मुकीम हैं एवं स्थिति को सामान्य बनाने के लिये प्रयासरत हैं। उप महानिरीक्षक पुलिस, सी. आई. डी. (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर भी आबू रोड दिनांक 31-3-1992 को पहुंच चुके हैं एवं स्थिति को सामान्य बनाने में प्रयत्नशील हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अब हो गया। अब क्या कहना चाहते है ?

श्री दिग्विजय सिंह : मैं समझता हूं अब नहीं

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं केवल दो सवाल पूछूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्यों सवाल पूछते हो

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं उस एंगल से नहीं पूछ रहा हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा आपसे, आप प्रश्न पूछ लें उसमें कोई आपत्ति नहीं हैं। पर सारी स्थिति को, वहां पर वातावरण को संयम में रखा है यहां पर चर्चा हो जाय, जबर्दस्ती इधर से उधर, इसलिये मैं चाहूंगा, आपके फैक्ट्स दूसरे भी हों, वह आप मेरे को दे दें, मैं और जानकारी उनकी कर लूंगा, उस पर कार्यवाही कर लेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर के प्रसंग में हमने यहां पर कोई सवाल किया नहीं, हमने चुपचाप सुन लिया, और मैं इस बारे में भी उस एंगल से नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन यह तो निश्चित बात है कि आपका जो स्टेटमेंट आया है, मैं उस स्टेटमेंट से सन्तुष्ट नहीं हूं। आपको जो फैक्ट्स दिये गये है, स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इसीलिये मुख्य मंत्रीजी बीच ने में कह दिया कि उत्तर दे दिया। आप खुद ही कह रहे थे कि मैं कुछ पाइंट्स पर क्लेरिफिकेशन्स चाहता था। आपके स्टेटमेंट से एक तो यह बात सामने नहीं आयी कि आखिर झगड़ा किस कारण से हुआ, एक हजार आदमी इकट्ठे थे। एक हजार आदमी कोई एट रेंडम इकट्ठे हो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नहीं गये वहां पर। एक हजार आदमियों को इकट्ठे होने में कोई टाइम तो लगा होगा। बंद का आह्वान कौन कर रहा है? किस बात को लेकर बन्द की बात चली? बंद किसलिये कराया गया? अब कुछ मुद्दे ऐसे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो नहीं पूछें तो बड़ी दिक्कत होती है, पूछें तो यह बात आती है कि स्थिति वहां बिगड़ सकती है। तो स्थिति बिगाड़ने के लिये हम लोग नहीं है। नागौर का मामला यहां पर उठाया गया, आपने उसके बाद कदम उठाये, आज शांति है। इस बात को मध्य नजर रखते हुये हम अपनी बात कहते हैं कि सरकार इफैक्टिवली कन्ट्रोल करे ताकि ऐसी स्थिति फिर दुबारा न हो। प्रदेश के अन्दर जैसी स्थिति बनती जा रही है, सम्वेदनशीलता समाप्त हो गयी है और मैं अभी बात कहूं सत्ता पक्ष की पार्टी के लोगों ने वहां बंद का आह्वान कराया है, सत्ता पार्टी के लोगों ने जैसा अखबारों के अन्दर है, बन्द का आह्वान (व्यवधान) **Let the Government contradict.**

मैं तो अखबार के आधार पर, और सिरोही से अभी बात हुयी है टेलीफोन से, उसके आधार पर आपसे यहां पर बात कह रहा हूं। अभी हमारे कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस बारे में बातचीत की है और उनकी मेरे से बात हुयी है। तो मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं, झगड़ा क्यों हुआ? नम्बर-1; झगड़े में एक हजार आदमी इकट्ठे हुये, आबू रोड कोई इतना बड़ा जयपुर शहर तो है नहीं, पुलिस फोर्स वहां थी नहीं। थाने से वह जागह बिल्कुल पास है जिस जगह की आप बात कर रहे हैं। वहां की फोर्स वहां पर क्या कर रही थी? क्या एक्शन लिया उन्होंने? झगड़े के बाद तीन दुकानों को जलाया जाना, वह भी एक वर्ग विशेष की दुकानों का जलाया जाना। जब झगड़ा हो चुका था तो उसके बाद क्या प्रिकाशनरी मैजर्स लिये गये? शहर में पेट्रोलियम की क्या व्यवस्था की आपने? उसके बाद मैंने रोड पर दुकानें जला दी गयी आपकी। तो यह सब एक चिन्ता का विषय है। इससे प्रशासन की एफिसिएंसी और नीयत पर शक होने लगा है।

तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन चीजों को आपको सख्ती से रोकना पड़ेगा। इस बारे में मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि आपको भी अपने दल के लोगों के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। बात को दबाने की जगह कुछ आपके आदमी बात को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। वह आग में घी डालने का काम करते हैं, इसलिये बात फ्लेयर अप होती है।

श्री रामकिशन (भरतपुर): दल पर अंकुश लगायें, दल को तो उन्होंने बिल्कुल, शब्द इस्तेमान नहीं करना चाहता, बिल्कुल कमजोर कर रखा है थोड़ा ढीला कहो। थोड़ा ढीला करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह: माननीय मैं पंडितजी की बात, मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं समझ नहीं सका पंडितजी क्या कह रहें हैं।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप सबकी, पूरे सदन की भावना का आदर करता हूं कि यह बात आगे नहीं बढ़े, लेकिन मेरा यह सुझाव है, चार्ज तो अभी लगा दूं तो आप कहेंगे कि चार्ज लगा रहे हैं, आप मामले को फ्लेयर अप करवा रहे हैं। लेकिन आपके दल के लोगों का इस मामले में भड़काने में पूरा हाथ रहा है जो रिपोर्ट हमको अभी सिरोही से प्राप्त हुयी है। तो एक तो मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिये। चाहे कोई लोग हों, आपके दल के लोग हों, किसी भी पोलिटिकल पार्टी के हों, किसी संगठन के लोग हों उनके खिलाफ आपको सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी।

सिरोही में भी अब वो ही स्थिति नहीं रही है, स्वरूपगंज और शिवगंज में जिस प्रकार के टेन्शन डवलप हो चुके हैं उस बात को ध्यान में रखते हुये मैं पुनः आपको आगाह कर रहा हूं। आपने यदि पूर्व में प्रकाशन लिया होता तो शायद यह स्थिति नहीं आती। शिवगंज और स्वरूप-गंज में जो घटनाएं हुयी थीं उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं रखा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बारे में जो तथ्य हैं उसको कृपया अवगत कराने की कृपा करे कि झगड़ा किस के बीच में हुआ था, किन बातों को लेकर हुआ। झगड़े में एक हजार आदमी इकट्ठे हो गये। आपने धीरे से कह दिया कि पहले से एक हजार आदमी वहां इकट्ठे थे। भई, किस बात के लिये इकट्ठे थे? झगड़ा किस बात से हुआ वह बतायें। सौहार्दपूर्ण वातावरण आगे उसी से तो उत्पन्न होगा। यही मेरा आपसे निवेदन है, श्रीमन्।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही संजीदगी के साथ

श्री रामकिशन (भरतपुर) : संजीदगी और कमजोरी और विनम्रता के साथ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी तो आदत है लोगों को प्रोवोग करने की और आपकी आदत से सदन वर्षों से परिचित है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पूछा किन कारणों से हुआ। मैं समझता हूं इस समय वह कारण मैं बताऊंगा उचित नहीं होगा। वह सैंसिटिव हैं इसलिये मैं नहीं बताना चाहूंगा। वह बाहर जायेंगे और उसके कारण से और कहीं रिएक्शन्स होंगे। इसमें एक बात मैं प्रद्युम्नसिंहजी को कहना चाहूंगा कि आपकी बहुत वर्षों की राजनैतिक लाइफ है और मेरी भी बहुत है। कई दंगे हम ने देखे हैं। यह दंगे पार्टी के आधार पर नहीं होते हैं। जिस समय हिन्दु, मुस्लिम रायट्स होते है या कोई भी जाति के सम्बन्ध में, राजपूत और जाट के सम्बन्ध में हो जाय, मीणा गुजर के सम्बन्ध में हो जाय ब्राह्मण हरिजन के सम्बन्ध में हो जाय। यह जातिवाद और धर्म के आधार पर जितने झगड़े होते हैं उसमें जो इन्वाल्व होते हैं वह उस समय पार्टियां भूल जाते हैं, यह तथ्य है आम फैक्ट है, मेरे अनुभव के आधार पर जो देखा है। चाहे किसी प्रकार का विवाद हो जाय, यह वर्गभेद वहां प्रकट रूप में आ जाता है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुझे इस बात की खुशी है कि पुलिस मौके पर पहुंच गयी और फोर्स भेज दी। जैसा आपने कहा सिरोही जिला बड़ा संसेटिव है। उसी कारण डी. आई. जी. को हमने रवाना कर दिया, वह पहुंच गये, स्थिति कण्ट्रोल में है। इसलिए इस समय और कुछ कहना उचित नहीं होगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो दोषी हैं उनको निश्चित रूप से, जैसे केसेज रजिस्टर हुए, गिरफ्तार भी करेंगे और चालान भी होगा और स्थिति पूर्णतया शांति बनी रहेगी। जो नुकसान हुआ उसमें भारत सरकार ने जो पैटर्न एडोप्ट किया है उसके अनुसार उनको सहायता दी जायेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुख्य मंत्रीजी एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि यह जो हमारे पास सिरोही की सूचना आयी है उसके अन्दर जो हमारे लोगों ने शिकायत की है, फैक्ट्स दिये हैं कि पुलिस निष्पक्षता से किसी केस की तफतीश नहीं कर रही है। क्यों कि मुझे सदन के नेता ने एक बात कही है, मैं उसका आदर करते हुए उस प्रश्न को प्रेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह मेरा निश्चित तौर पर आपसे अनुरोध है कि राजनैतिक भेदभाव के आधार पर दबाव के कारण इस प्रकार की तफतीश होती है तो इससे किसी को लाभ होने वाला नहीं है। यह वैमनस्य हमेशा के लिए बढ़ेगा और कभी समाप्त नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समजता हूं कि मुझे कागज छपाने में आनन्द नहीं आ रहा है। आप चाहे देख लें। आप यह समझेंगे कि ज्यादती किस के साथ हो रही है। आप निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। मेरी पार्टी के लोग इस मामले में कई उलझे हुए हैं, कई और पार्टीयों के लोग उलझे हुए हैं। इसमें किसी का पक्ष लिया जाय यह सरकार किसी को निर्देश नहीं देगी। तथ्यों के आधार पर ही अन्वेक्षण होगा, कोई पक्ष पात नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, चपलोतजी। (व्यवधान) माहीर आजाद जी, सारी चर्चा हो गयी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ऐसे मामलों को आप गम्भीर बना देते हैं। मैं कोई बात नम्रता से कहना चाहता हूं, आप उसको टाइम लेकर लम्बा कर देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ना ना। काफी गम्भीर लिया है, माहिर आजाद जी। मुख्य मंत्रीजी ने कहा हमें यहां पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप ज्योतिषी तो है नहीं। मैं क्या कहना चाहता हूं यह आपको पहले ही मालूम पड़ जाता है। नही पूछता हूं आप इस तरह से करते हैं। +++

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

विधायी कार्य

विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान विडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1992,

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री शांतिलाल चपलोत (प्रभारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ।

विधेयक पर विचार

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को एक महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय । इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखने जा रहा हूं ।

मूल अधिनियम सन् 1991 में बना और अब इस अधिनियम संख्या 11 की धारा 3 में यह कुछ परिवर्तन ला रहे हैं। एक तो परिभाषा से सम्बन्धित धारा 2 है उसमें विडियो फिल्म और विडियो सिनेमा की परिभाषा बढ़ायी है। उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। उसके बाद उन्होंने धारा 4 में अनुज्ञप्ति में दिया जाने और मनोरंजन कर का निर्धारण इसकी व्यवस्था की है । मैं जानना चाहता हूं कि मनोरंजन कर में आपने समय-समय पर क्या परिवर्तन किये और हमारा जो मनोरंजन कर लगता है उस में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति शैक्षणिक कार्यों के लिये या किसी कल्याण के लिए धर्मार्थ इस प्रकार का काम करता है तो उसमें छूट दी जाती है । इस सम्बन्ध में आपने जब से यह एक्ट पास हुआ है उसमें क्या किसी प्रकार की छूट प्रदान की है ?

इस सम्बन्ध में आपने क्या नियम बनाये ? आपने अधिकार तो पूरे ले लिये इस एक्ट के अन्तर्गत पर आपने क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाये, बनाये तो उसकी प्रति सदन के पटल पर रखें ।

इसके साथ-साथ आपने धारा 4 की उप धारा (3) प्रतिस्थापित की है और उसमें विडियो फिल्म को भी सम्मिलित किया है । विडियो पार्लर और विडियो सिनेमा, विडियो फिल्म और इसमें आगे जाकर एक स्थान पर यह बताया है कि 150 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होगा । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, विडियो फिल्म जहां दिखायी जाती है, विडियो सिनेमा, आजकल तो जो सीनेमा का पर्दा होता है उससे भी बड़ा पर्दा इस्तेमाल किया जाता और उसमें तीन चार सौ लोगों को भेड़ बकरियों की तरह भरा जाता है । इस प्रकार की व्यवस्था कि वहां पर हवा भी नहीं है । वहां कार्बन डाइ आक्साइड लेकर लोगों का दम घुट रहा है । वहां पर्यावरण कैसा है ? इन सब

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बातों के बारे में आप क्या कर रहे हैं ? आप केवल टैक्स वसूलना चाहते हैं। वहां उन लोगों की क्या स्थिति है उनके बारे में आपने क्या ध्यान दिया कि इन विडियो फिल्म और विडियो सिनेमा देखने का स्थान है, वहां पर टीन शैड लगे हुए हैं। या फिर खुले आसमान के नीचे इस प्रकार की फिल्म दिखायी जा रही है। ऐसी स्थिति में इस सम्बन्ध में आपने क्या नियम बनाये हैं। नियमों की पालना कहां तक हो रही है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में राज्य सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया।

आपने इस विधेयक की धारा 4 की उप धारा (4) की (बी) और (ई) उप धाराओं में कुछ नयी चीज जोड़ी है। एक तो कि वाणिज्यिक प्रदर्शन के लिए प्राधिकृत विधिक विडियो कैसेट ही दिखायी जायेगी और तार अधिनियम 1885 के अनुसार उसने अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली या नहीं दोनों को जोड़ा है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, विधिक कैसेट नहीं आती है इसके बारे में आपने क्या प्रावधान किया है ?

मैं अपना ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा, मुख्यमंत्रीजी तो हैं नहीं, राज्य मंत्री का, कि उसमें खास तौर पर राजस्थानी भाषा के साथ बहुत भारी अन्याय हो रहा है। राजस्थानी भाषा को हरियाणा की भाषा में मिलाकर उस भाषा के रूप में पेश किया जा रहा है। यह मारवाड़ी और राजस्थानी भाषा का भद्दा प्रदर्शन हो रहा है। उसके बारे में आपने क्या प्रयत्न किया ? जो कैसेट आ रही है उन पर कोई मोहर नहीं होती है। आपने ऐसी कितनी कैसेट पकड़ी ? और यदि आपने साल भर में एक भी कैसेट नहीं पकड़ी तो मैं समझता हूं कि यह आपकी बेइन्साफी है कि आप एक्ट पास करा लेते हैं यहां, नियम बना लेते हैं और उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे अनेक अवैधानिक कैसेट तैयार किये जा रहे हैं और बाजारों में बिक रहे हैं, जिनके ऊपर किसी प्रकार की कोई मोहर नहीं है। उनमें यदि आप देखेंगे तो भाषा को विकृत रूप में पेश किया जा रहा है और राजस्थानी भाषा के साथ तो इतना अन्याय हो रहा है कि उसकी कोई हद नहीं है। इसके बारे में क्या सरकार ने कोई कमेटी बना रखी है जो समय-समय पर बाजार में जो कैसेट बिकती हैं और जिनको सेन्सर बोर्ड अपने यहां देखकर अपनी छाप लगाती है, इसको चेक करे। राजस्थानी भाषा के साथ और राजस्थानी ऐतिहासिक स्मारकों, पर्यटन स्थल और अन्य जो संस्कृति है उसको तोड़ मरोड़कर पेश करते हैं जैसे डिस्को कत्थक का प्रदर्शन किया गया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की संस्कृति के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। डिस्को कत्थक की कैसेट मिल रही है, लेकिन डिस्को कत्थक दिखाया जायेगा तो हम एतराज करेंगे और राजस्थान सरकार बिल्कुल आंख बन्द करके ऐसी कैसेट को बिकने दे रही है। इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगायी जा रही है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस अधिनियम को आप पूरी तरह क्रियान्वित करें और राजस्थानी संस्कृति के साथ जो मिलावट की जा रही है और राज-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

स्थानी संस्कृति को भद्दे रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, उसके ऊपर आप प्रभावी रोक लगायें।

श्री डूंगरराम पंवार : इससे यह स्पष्ट होता है कि वीडियो फिल्म देखने के बड़े शौकीन हैं...

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कला और संस्कृति का संरक्षक हूं और मेरे पास यह मार रहा हुआ है ...

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : आप परसों जो कैसेट देख रहे थे वह कौन सी थी...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कैसेट लेकर आप ही आये थे...

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे पास कैसेट्स है नहीं, लेकिन ऐसे कैसेट्स आप कहेंगे तो आपके लिए लाकर दे दूंगा, क्या आप उसको रोक देंगे ? सरकार के लोग इस प्रकार के कैसेट्स मेरे से मांगे, मैं आप को आगे बताऊंगा कि कौन कौन से केसेट्स दिखाए जा रहे हैं, शर्म से आपकी गर्दन झुक जाएगी। वीडियो पार्लर में खुले आम ब्ल्यू फिल्म्स दिखाई जा रही है, क्या बात करते हो आप ? यह गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए सुन रहे हैं। जयपुर में और राजस्थान में कोने-कोने में जो वीडियो पार्लर्स हैं कितनों के आपने छापे मारे हैं, कितने लोगों को आपने पकड़ा है

श्री डूंगरराम पंवार : वीडियो फिल्म रेगूलर देखते हो

श्री बुलाकीदास कल्ला : लेकिन मंत्री लोग इस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। सरे आम ब्ल्यू फिल्में दिखाई जा रही हैं। उसके ऊपर आपने क्या रोक लगाई, ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? इसी तरीके से ...

श्री रामसिंह विश्नोई : यह जगह पूछ रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं तो कभी देखने गया नहीं। जो लोग आते हैं वह लोग कहते हैं कि सरे आम जयपुर के बाजारों में जो वीडियो फिल्म पार्लर या वीडियो फिल्म दिखाने के स्थान हैं वहां पर इस प्रकार की फिल्में दिखाई जाती हैं। मैं कहीं गया होता तो आपको बता देता इसमें असत्यता नहीं रखता।

श्री कालीचरण सराफ : कल्ला साहब जब कभी आप गये ही नहीं तो आपको क्या पता कि ब्ल्यू फिल्में दिखाई जाती हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसी फिल्में नहीं दिखाई जाती।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप तो रेगुलर देखते रहते हो।

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब, आप बोलिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मंत्री लोग व्यवधान कर रहे हैं।

श्री लालचन्द डूडी : मैं परसों जब शाम को आपके यहां गया था तो उस वक्त आप कैसा केसेट देख रहे थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप कभी मेरे घर पर ही नहीं आये। आप बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं। आप कभी मेरे घर पर आये हो तो बता दीजिए, किस दिन घर पर आये थे।

श्री कालीचरण सराफ : कल्ला साहब आज फर्स्ट अप्रैल है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे पास टी. वी. भी है कि नहीं, और कलर टी. वी. है या ब्लैक एण्ड व्हाइट है, यही बता दीजिए आप।

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब, सारा ही ध्यान रखते हैं। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री लोग जिस तरह से मजाक उडा रहे हैं मैं समझती हूं यह उचित तो नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : गम्भीरता से सुन रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गम्भीरता से सुन रहे हैं? आपके सामने तो उन्होंने कहा था कि मैं गया था और आप देख रहे थे और यह कर रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : अब यह इनका आपस का विषय है, इस मामले में मैं इन्क्वायरी नहीं कर सकता।

एक माननीय सदस्य : यह सदन का विषय हो गया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कहता हूं कि 12 वर्ष से कभी मेरे घर आये ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : वह कहेंगे आये हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कहां रहता हूं, आप यह पूछो इनसे।

डा. चन्द्रभान : यह हमारी गली में ही नहीं आये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह बता देंगे कि मैं अमुक स्थान पर रहता हूं मैं मान जाऊंगा कि यह मेरे घर पर आये थे।

श्री उपाध्यक्ष : अब आगे चलिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल्ला साहब, अपनी बात पूरी कर चुके। मैं निवेदन करना चाह रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आपका नाम नहीं है, आपको और मौका मिलेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, Let me complete first. तथ्यों के बारे में हम बताएं और मंत्रीगण इसको हंसी में उड़ायें तो मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिए बहुत अफसोस की बात है। धारा 5 की उपधारा (4) के पश्चात् उपधारा (5) जोड़ी गई है जिसमें वीडियो फिल्म्स की जेनुयन कापी राइट के बारे में आपने बात की है। जेनुयन कापीराइट की बात तो आपने कर दी इसको तो मैं उचित मानता हूं लेकिन जो बिना कापीराइट की फिल्में बनाई जा रही हैं उनके लिए आपने क्या उपबन्ध किया है? और ऐसे लोगों के खिलाफ आपने एक साल में क्या-क्या कार्यवाही की है? कितने मामले ऐसे थे जिनमें बिना कापीराइट प्राप्त कैसेट दिखाए जा रहे थे? ऐसे कितने मामले आपने पकड़े और इस एक्ट के आने के बाद आपने कितना मनोरंजन कर इससे प्राप्त किया? इसको वसूल करने में आपने कितना पैसा व्यय किया? इसके बारे में भी हवाला दें। आपने एक नई धारा 15 का अन्तःस्थापन मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् किया है। इसमें अनन्य अधिकार इन्होंने अपने हाथ में ले लिए। पहले से इनके पास अधिकार प्राप्त थे लेकिन बाद में पता नहीं यह कुछ करें या न करें, अनन्य सार्वभौम शक्तियां इन्होंने धारा 15 जोड़कर ले ली हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में जो 14 धाराएं थीं उसके अन्तर्गत आपको पूरे अधिकार प्राप्त थे फिर धारा 15 को जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई। इसलए, उपाध्यक्ष महोदय, इस वीडियो फिल्म प्रदर्शन का विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1992 को विधान सभा की एक समिति बनाकर इससे सम्बन्धित जितने भी सुझाव आयें उनको जब तक नहीं जानलें तब तक एक महीने के लिए जनमत जानने के लिए प्रचालित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हीरालाल जी आर्य। (अनुपस्थित)

माननीय श्री घासीलाल जी (अनुपस्थित)

माननीय श्री शिवकिशोर जी सनाढ्य, नहीं बोलना चाहते?

माननीय श्री प्रेमसिंह दहिया। (अनुपस्थित)

माननीय श्री रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वीडियो फिल्म के बारे में जो यह एक्ट आपके सामने आ रहा है इसमें मेरा निवेदन है कि इसको पास करने से पहले प्रवर समिति को सौंपा जाए क्योंकि इसमें जिस प्रकार की अनियमितताएं....

श्री डूंगरराम पंवार : बी.डी.ओ. तो विकास अधिकारी होता है।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसका हमारे जनजीवन से और हमारे चरित्र से बड़ा भारी सम्बन्ध है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मसला है। इस वीडियो फिल्मों से हमारे राजस्थान में जिस प्रकार का असर पड़ा है, ज्यादातर इस प्रकार की फिल्में दिखाई जाती हैं जिनसे बच्चों

(श्री रामस्वरूप मीणा)

के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। जिन फिल्मों के ऊपर यह लिखा हुआ रहता है कि यह व्यस्कों के लिए है बच्चे इसको नहीं देखेंगे, माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी फिल्में जिनको बच्चे नहीं देखेंगे, क्या कभी आपने जाकर उनको चैक किया है कि सबसे ज्यादा बच्चे देखते हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : फिल्मों का असर तो पड़ेगा ही, सब पर असर पड़ता है, मंत्री भी संसारी जीव है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की जो फिल्में हैं जिनको वयस्कों के लिए बनाया गया है, बच्चे नहीं देखें, और उसमें सबसे ज्यादा बच्चे देखते हैं तो इस प्रकार से जो अनियमितताएं पैदा हो रही हैं उसके बारे में क्या रोक लगाई है? दूसरा मेरा निवेदन है कि जो हमारी सेंसरशिप है उसके जरिये इस प्रकार की फिल्में चित्रित हो जाती हैं, जिनमें नंगे चित्र दिखाये जाते हैं, जो सीन हमारे चरित्र पर असर करते हैं, जो बच्चों के चरित्र पर असर करते हैं और सबसे ज्यादा बसों के अन्दर दिखाते हैं। इस प्रकार की शिकायतें पहले आई हैं और आपने उनको पकड़ा भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के जो केसेस पकड़े जाते हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं क्या उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के कोई प्रावधान आप इसमें रखेंगे।

तीसरा मेरा निवेदन है कि जिन स्थानों पर यह वीडियो फिल्में दिखाई जाती हैं ज्यादातर तो ऐसे स्थान होंगे जो स्कूल के पास होंगे या कोई ऐसे सार्वजनिक स्थान के पास होंगे जहां आमतौर पर लोग इकट्ठे होते हों, और खुले में तम्बू लगाकर दिखाया जाता है। इसलिए इनका बड़ा बुरा असर पड़ा है। इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है वीडियो फिल्मों के अन्दर सबसे ज्यादा एडवरटाइजमेंट होते हैं और उन एडवरटाइजमेंट से सरकार को कितना ही करों का नुकसान होता है। जितने एडवरटाइजमेंट हमारे पत्र-पत्रिकाओं में आने चाहिये वह सीधे दो नम्बर में इन वीडियो फिल्मों में आते हैं और उसका कोई टैक्स सरकार को नहीं मिलता है। इस प्रकार जो टैक्स की चोरी होती है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन वीडियो फिल्मों ने, जो सौ साल बाद हमारा चरित्र गिरता, इन्होंने सौ साल पहले चरित्र गिराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए ऐसी फिल्में जो देश के चरित्र को गिराती है, बच्चों के चरित्र को गिराती हैं, जो चोरी से दिखाई जाती हैं आप उन पर कृपया रोक लगवायेंगे और इस पर सख्ती बरतेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको पास करने से पहले प्रवर समिति को सौंपा जाए ताकि इसकी खामियों को दूर किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कई अमूल्य सुझाव दिये हैं, मैं उनका बहुत

(श्री शांतिलाल चपलोत)

स्वागत करता हूं। गत वर्ष इसको पारित कराये जाने के बाद राष्ट्रपति महोदय को अनुमोदन के लिए भेजा था। राष्ट्रपति महोदय से वापिस

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बोलो, अभी तक यह लागू नहीं था।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं सब बोल दूंगा, ज्यादा शिक्षक नहीं बनें तो ठीक होगा। मैंने 22-25 साल तक वकालत की है, ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इसको राष्ट्रपति महोदय को भेजा गया। राष्ट्रपति महोदय ने वहां पर सारी जांच करने के पश्चात्, सारी बात तय हो जाने के पश्चात् यह 2-3 अमेण्डमेण्ट के साथ वापस भिजवाया है और उन तीन अमेण्डमेण्ट की वजह से हमको यह विधेयक वापस लाना पड़ा। उसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिस एण्टीना और केबल वायर से फिल्म दिखाने का कोई प्रावधान नहीं था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय मंत्री जी। व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जहां तक मुझे जानकारी है, राष्ट्रपति महोदय अपनी तरफ से, सुओ मोटो कोई अमेण्डमेण्ट कर ही नहीं सकते इसके अन्दर। सुझाव दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अमेण्डमेण्ट नहीं दिये हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : He has used the Word 'amendment.' आप रिकार्ड देख लीजिए See the record just now.

श्री शान्तिलाल चपलोत : सॉरी। मैं निवेदन कर दूं, उस बात में यदि मेरी बात स्वीकार नहीं की गयी है... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप सुन लें पहले।

श्री शांतिलाल चपलोत : यदि किसी बात को एड किया जाता है तो that is amendment. यह अमेण्डमेण्ट इस बात का है... (व्यवधान) मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एक्ट में उन्होंने कोई अमेण्डमेण्ट किया है यदि किसी प्रकार का सुझाव है, अल्टरेशन है, तो वह अमेण्डमेण्ट कहलाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां ठीक है। आप बोलिये।

श्री शांतिलाल चपलोत : यह समझने की चेष्टा करें।

श्री उपाध्यक्ष : आपका भी सही था। ऐसा सुना आपने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने भी सुना है यह। रिकार्ड में है यह।

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह धारा 2 में अमैण्डमैण्ट कराया गया कि 100 सेण्टीमीटर और उससे ज्यादा है तो वह वीडियो सिनेमा कहलाएगा । 100 सेण्टीमीटर से कम है तो वीडियो कहलाएगा और उसके साथ ही 50 सेण्टीमीटर से कम का वीडियो पार्लर कहलाएगा । ये बातें हमने उसमें कही हैं मैं ऐसा समझता हूं कि यह सब इसलिए लाना पड़ा है...

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं क्लीयर करना चाहता था कि वीडियो हिन्दी में है कि अंग्रेजी में है ? क्या है यह ?

श्री शान्तिलाल चपलोत : यह इंगलिस में है ।

श्री रामसिंह विश्नोई : हां तो इसको हिन्दी में करो ।

श्री शान्तिलाल चपलोत : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ।

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्री महोदय, हिन्दी बता दीजिए, क्या है ? वीडियो का क्या मतलब होता है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : पंचायत समिति के बी. डी. ओ. ।

श्री उपाध्यक्ष : दृश्य प्रदर्शन कहते हैं ।

श्री शान्तिलाल चपलोत : जैसे टेलीविजन को आप टेलीविजन कहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन अब कामन नाम से ज्यादा फेमस हो गया, इसलिए वही बोल रहे हैं ।

श्री शान्तिलाल चपलोत : वीडियो ही लिखा है जो हमने मूव किया है उसमें तो ।

श्री रामसिंह विश्नोई : वह जनरल भाषा में लिखा हुआ है, हमें आपत्ति नहीं । आप उसको बोलें ।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हैं दृश्य प्रदर्शन है । उसका अर्थ दूसरा किया जाय तो...

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं कहता हूं लिखा हुआ है ..

श्री शान्तिलाल चपलोत : मैं नहीं समझ पा रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : यह तो भाषा विभाग का काम है माननीय रामसिंह जी, माननीय मंत्री जी का कहां काम है । हमारी हिन्दी में ऐसा शब्द लिया जाएगा तो बोला जाएगा । कामन शब्द बोला जा रहा है, वीडियो ।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : हिन्दी हमारी मातृ भाषा है, मंत्री जी को आती नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग करें ।

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां कोई एकेडेमिक बात रखी गयी है कि किस तरीके से इसको रैगुलेट किया जाना चाहिए । उस बात को साइडट्रैक किया जा रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इसलिए रैगुलेट

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

किया जा रहा है कि कई लोग उसमें ब्ल्यू फिल्म दिखाते हैं, कुछ बच्चों पर विपरीत असर डालने वाली चीजें दिखाते हैं कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जो देशद्रोह से सम्बन्धित है, कुछ ऐसी बातें भी दिखाते हैं जो सामुदायिक सद्भाव के लिए घातक हैं उन सब को रेगुलेट करने के लिए वीडियो यह फिल्म का रेगुलेशन यहां लाया गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन सबको रेगुलेट करेंगे ?

श्री शान्तिलाल चपलोत : इसके साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार यह देखा गया है, वहां पर ठीक ढंग से व्यवस्था न हो, बैठने की व्यवस्था न हो उसके लिए हम अग्निशमन की भी व्यवस्था करेंगे। जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने फर्माया था कि इस प्रकार की क्या व्यवस्था करेंगे, तो अग्निशमन का भी प्रोविज़न कर रहे हैं। जब एक्ट बन जाएगा उसके पश्चात् रूल्स अपने आप हम लाकर इसको रेगुलेट कराएंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : जब खुले में होगा तो अग्निशमन की जरूरत ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : खुले में रोक लगायेंगे, ऐसी व्यवस्था की है इन्होंने।

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से पधारने वाले माननीय सदस्य ने यह भी फर्माया था कि आप छूट किसको देंगे। कुछ लोग ऐसी अच्छी चीजें दिखाना चाहते हैं तो उनके लिए हमने धारा 13 में आलरेडी प्रोविजन कर रखा है। यदि आप चाहें तो उसको मैं पढ़कर सुना दूं कि सरकार जब चाहेगी, किसी भी प्रोविजन में किसी को छूट देना चाहेगी तो दे देगी। स्कूलों के लिए और इस तरीके से उन सबको एग्जम्प्ट करेंगे। उन लोगों से जो पैसा वसूल करके एण्टरटेनमैण्ट करना चाहते हैं, फिल्म बताना चाहते हैं, उन्हीं के ऊपर हमने यह लगाने का प्रोविजन किया है।

धारा 15 के लिये कहा है कि धारा 15 क्यों आप ला रहे हैं, तो इसमें असेसमैण्ट के लिए, अपील के लिए जो प्रोविजन है उसके लिए हमने यह धारा 15 लाना उचित समझा कि असेसमैण्ट कौन करेगा, रिटर्न भरवाने वाली बात, पुनर्निर्धारण कौन करेगा, संग्रहण कौन करेगा, परिवर्तन कौन करेगा। इसके लिए धारा 15 में यह लाया गया है। धारा 14 ही थी पहले, 15वीं यह लायी गयी है। मैं नहीं समझता कि इससे हमको कोई ज्यादा नुकसान होने वाला है। आज देश जिस संक्रमण काल से गुजर रहा है, चारित्रिक हनन से गुजर रहा है, उसके लिए इस प्रकार की चीजों को रेगुलेट करने के लिए ताकि ठीक ढंग से काम कर सकें। यदि किसी प्रकार यह पाया गया कि किसी ने ब्ल्यू फिल्म दिखायी है तो एस.एच.ओ. को अधिकार होगा कि वह प्रिमिसेज में एण्टर हो और उसको जब्त करे। सीजर का हमने बाकायदा प्रोविजन कर रखा है। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वे भी अन्दर घुसकर रोक सकते हैं, सीज कर सकते हैं।

Page No. 184

(184)

श्री रामसिंह विश्नोई : एक मिनट। मंत्री महोदय, इससे पहले जब यह ब्ल्यू फिल्म दिखाते थे उस समय अधिकार नहीं था थानेदार को ?

श्री शान्तिलाल चपलोत : मुझे तो पता नहीं, मैं तो अभी वीडियो फिल्म के बारे में कह रहा हूं। मुझे तो पता नहीं थानेदार क्या करते थे। आपके राज की आप जानें। सन् 1990 तक आप ही ने शासन किया है, आप क्या कर रहे थे वहां।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दो साल से तो आप राज में हैं।

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर हालत में स्ट्रिक्टनैस रखी जाएगी। छः महीने की सजा का हमने इसमें प्रोविजन रखा है, कि कोई भी इस प्रकार का कोण्ट्रोवेंशन करेगा तो उसको 6 महीने की सजा है। इसलिए मैं समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इसे विचारार्थ लिया जाए और इसे पारित फर्माया जाए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो हमें केवल इतना बता दें कि वीडियो फिल्म और वीडियो पार्लर में क्या अन्तर है ?

श्री शान्तिलाल चपलोत : मैं पहले ही बता चुका हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि वीडियो पार्लर वह है जहां 50 से कम लोग देखते हैं। वह वीडियो पार्लर में आएगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कितने से कम ?

श्री शान्तिलाल चपलोत : 50 लोग से कम।

श्री हेतराम बेनीवाल : और 51 हो जाएंगे तो ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सिनेमा।

श्री शान्तिलाल चपलोत : फिर वह वीडियो सिनेमा होगा। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

Page No. 185

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक, विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी वित्त राज्य मंत्री शान्तिलाल जी पारित करने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री शान्तीलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

विधेयक पर विचार

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले मैं खड़ी हुई हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं श्री प्रद्युम्नसिंहजी का नाम पुकार चुका हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : लेडिज फर्स्ट। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो महिलाओं के साथ अन्याय है बड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : समय देते हैं और देंगे। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह देख ही नहीं रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : ये तो खुद कन्या राशि हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : श्रीमन्, वीडियो एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आम तौर से देहात के और शहर के गरीब वर्ग के लोगों का मनोरंजन का एक नया साधन बना है। यह बात सही है कि जहां वीडियो फिल्म्स का प्रदर्शन होता था, कई जगह उनकी हालत बहुत खराब थी, छोटी छोटी जगहों में अंधाधुंध आदमियों को भर दिया जाता था वहां। तो रेगुलेट आप करें, वहां तक तो उचित है लेकिन आज

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जो सरकार की मंशा नजर आ रही है, जिस प्रकार कि सरकार कंडीशंस उनके ऊपर लगाने जा रही है, रेस्ट्रिक्ट्स लगाने जा रही है, उसमें सबसे पहला जो मुझे डर है, वह यह है कि जो गरीब वर्ग के लोगों का एक मनोरंजन का साधन मुहैया था उसके ऊपर अंकुश लगेगा और टिकट की कीमत भी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। आपके एन्टरटेन्मेंट टैक्स के नाम पर राजस्थान के अन्दर क्या हो रहा है, किसी से छिपा नहीं है। यह सरकार जो विधेयक यहां पर लाई वह बड़े सिनेमा वालों के हितों की रक्षा के लिए लाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो के इन्वेंशन के बाद सबसे ज्यादा जो अफक्टेड हुए हैं वे बड़े हैं सिनेमा मालिक। वे नहीं चाहते हैं, लेकिन समय का तकाजा है, यह चीज पिट नहीं सकती है, आगे बढ़ती जा रही है, घर-घर प्रचार होता चला जा रहा है। इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स पहले बाहर से आते थे लेकिन अब ज्यादातर हिन्दुस्तान में बनने लगे हैं, जैसे-जैसे देश में समृद्धि आयेगी आम आदमी के लिए भी उपयोगी चीज होगी। यह पहलू अलग है लेकिन वह अभी समय दूर है, तब तक यह मामला था।

मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा लूणी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, कि गांव के अन्दर गर्मी के दिनों में वीडियो फिल्म लगाई और दरी बिछाई और चौड़े में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। अब आप उन पर भी टैक्स लगाने जा रहे है, आप करना क्या चाहते हैं? देहात के अन्दर प्रचार हो गया इस चीज का, आपके रोके नहीं रूकेगा बल्कि मैं तो कहता हूं कि सरकार की नीति यह होनी चाहिए कि देहाती क्षेत्रों के अन्दर अधिक से अधिक वीडियो पार्लर खुलें। क्योंकि देहात के लोग शहरों में आते हैं तो उनका समय बर्बाद होता है क्योंकि देखने के लिए गांव के अन्दर यह मुहैया नहीं है। यह राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, सिनेमा मालिकों की लाबी बहुत दिनों से इस प्रयत्न के अन्दर थी कि इसको रोका तो जा नहीं सकता लेकिन इसके ऊपर हेवी टैक्सेशन कर दिया जाय, लोगों के ऊपर इतना अधिक कर लगा दिया जाय, जिससे इनकी अपने आप मौत हो जाय। इसके पीछे सारी मंशा यह है, यह विधेयक आया है।

पूर्व में आप लाइसेंस जारी करते थे। मेरा सुझाव है कि आप 100 की कैपेसिटी हो तो तय कर दीजिए कि 1 हजार रुपया साल का अथवा 100-200 रुपया महीना जो भी आप फीस तय करें, कर दीजिए। अब आप असेसमेंट के कागजात की बात कर रहे हैं, इस विधेयक के द्वारा जो अमैंडमैंट लाये हैं, अभी तो इसमें रूल्स बनेंगे, पूरा का पूरा प्रेशर है एन्टरटेन्मेंट एक्ट्स का वह इसके ऊपर आप लागू करने जा रहे हैं। यह आपकी मंशा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि—

"A licence to exhibit video

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

films shall be granted only for exhibition of those video films for which rights have been acquired from the genuine copyright holder.'"

अब देहात से एकाएक शहर में आया, पढ़ा लिखा है नहीं, और खटके से वीडियो दबा दिया और वीडियो चलाया। उसके पास आपके लोग कहेंगे कि कहां है तेरे पास सर्टीफिकेट हेरेसमेंट के लिए और रिश्वत के लिए एक जरिया आप खोल रहे हैं। कोई पुलिस का थानेदार जाय, आपकी जो लाइसेंसिंग आथोरिटी है, उसके कार्यालय के लोग जायं, उनके लिए आप एक रिश्वत का जरिया खोलने जा रहे है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह जो रूल्स फ्रेम करने जा रहे हैं, इसमें इन बातों का प्रकाशन लें। एक तरफ सरकार ओपन एअर थियेटर्स की बात करती है, सस्ते सिनेमा बनाने की बात करती है लेकिन वहां क्या स्थिति बनेगी गांव के अन्दर? किसी ने दरी बिछाई और वीडियो फिल्म चलाई और आप लाइसेंस मांगेंगे, तब स्थिति क्या बनेगी? इसके अन्दर आप रूल्स के अन्दर प्रोविजन्स करने जा रहे हैं, उन रूल्स में इस बात का प्रोविजन किया जाय, अन्यथा अपने अधिकारियों को एक तलवार दे देंगे, जिससे देहात में जो मनोरंजन के साधन हैं उनके ऊपर कुठाराघात होगा।

माननीय मंत्री महोदय कुछ पाइन्ट्स मैंने रखे हैं उन पाइन्ट्स में वजन हो तो उन पर कार्यवाही की जाय अन्यथा कह दीजिए। आपने जो भाषण दिया वह तो अफसरों ने रटा-रटाया, पिटा-पिटाया वाली बात है, तोते की तरफ उसको पढ़ते चले गए यहां बैठकर। इन पहलुओं पर आपने जांच की या नहीं की? आप गरीबों के हितों पर कुठाराघात मत कीजिए। जिन्होंने ढाई-ढाई करोड़ तीन-तीन करोड़ के सिनेमा बना रखे है उनके दिलों पर क्या बीत रही है। आज लोग एक रुपये में टिकेट लेकर फिल्म देख लेते हैं उन पर 100 पर्सेण्ट टैक्स लगाने जा रहे हैं आप करना क्या चाहते हैं? क्या आज कोई सिनेमा का 8 और 10 रुपये का टिकट लेकर फिल्म देख सकता है? घर में, मोहल्ले में देख लिया, किराया-भाड़ा लगा नहीं है। आप उनके हितों की अनदेखी मत कीजिए। आप रूल्स बनायेंगे, क्योंकि आपके पास मैजोरिटी है, आप यह करेंगे, लेकिन गरीबों के हितों का ध्यान रखेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यही सरकार से मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी मंत्री महोदय से कि यह अभी लागू नहीं हुआ है यह तो दूसरी बात है, लेकिन आप अनुज्ञप्ति के द्वारा इसको करेंगे। यह भी बिलकुल ठीक बात है कि

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बिना लाइसेंस के पहले कोई भी आदमी घरों में वाणिज्य परपज से चलाते थे यह उचित नहीं था। जो आप करने जा रहे हैं इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप यहां पर जो संशोधन के माध्यम से लाये हैं कि देखने वाले हैं उनके आराम का ख्याल रखा जाय उनकी सुविधा और सुख का ख्याल रखा जाय। लेकिन मैं चाहती हूं कि समाज की सुख-सुविधा का भी ध्यान रखें। जो यह वीडियो पार्लर और कैसिट प्लेयर चलाते हैं, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि वह दिन निकलते ही चलाना शुरू कर देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि नियमों में प्रावधान कर समय सीमा बांधे कि किस समय से किस समय तक लोग देख पायेंगे। दूसरा, स्कूलों के पास ये नहीं चलें, स्कूलों के टाइम में नहीं चलें। क्योंकि मैंने मेरे इलाके में देखा है, आमेर रोड पर 2-3 चलते है वह स्कूलों के पास चलते हैं। बच्चे स्कूल के लिए खाने के लिए एक रुपया लेकर आते हैं और उनमें बैठ जाते हैं और फिर घर बस्ता लेकर चले जाते हैं और स्कूल जाते नहीं है। मंत्री महोदय इन दो बातों का ध्यान रखें।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह बहुत अच्छा विधेयक लाये हैं लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि घरों में 50 आदमी, बड़ी फैमिली में होते हैं, उनको परेशानी नहीं हो। क्योंकि घरों में तो करीब-करीब 100 में से 25-30 घर में टीवी मिल जायेंगे, कैसिट प्लेयर मिल जायेंगे। इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से आदेश दें, चिन्हित करें कि वाणिज्यिक परपज से जिसने 100 सेंटीमीटर का पर्दा लगा रखा है वे ही लोग चलायें। इतना ही मेरा निवेदन है, ज्यादा मुझे बोलना नहीं है।

साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि अभी जो यहां पर खराब फिल्मों की बात कही जा रही थी, यह बहुत सच है कि बहुत से लोग बच्चों के दिमाग बिगाड़ने के लिए दरवाजा बन्द करके उनको गन्दी-गन्दी फिल्में दिखाते हैं, यह उचित नहीं है। इसको कैसे रेगुलेट करेंगे? अच्छी फिल्में दिखाई जायं यह तो आपके देखने वाली बात है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, आप कैसे करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो वीडियो फिल्म प्रदर्शन का संशोधन विधेयक लाया गया है। मैं इसका तो करता हूं स्वागत। क्योंकि अब तक ऐसा नहीं होने के कारण से लोगों को नाजायज तौर पर परेशान किया जाता था। अब कानून बन जायेगा। लेकिन मैं साथ ही यह चाहता हूं कि एक तरफ तो आपका टीवी का प्रोग्राम है और दूसरी तरफ शहरों में आ गया डिश एन्टीना, स्टार टी.वी. हांगकांग से, जो 24 घण्टे प्रोग्राम्स आते हैं। जो 24 घण्टे प्रोग्राम देता है, प्रतिदिन पिक्चरें दिखाई जाती हैं और लोगों ने उसके कनेक्शन लेकर, एक-एक आदमी ने उस के चार-चार सौ, पांच-पांच सौ कनेक्शन, करीब-करीब हर कालोनी में उस पर कोई टैक्स नहीं, उस

(श्री मोहम्मद माहिर आज़ाद)

पर आपकी कोई बंदिश नहीं। रात में इस तरीके की पिक्चरें उसके अन्दर दिखाते हैं, मिड नाइट की कि मैं आपको क्या बताऊं ब्लू फिल्म के बराबर जैसी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि शहर में तो मनोरंजन के पचासों साधन हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर गांव के लोग कहीं इकट्ठे होते हैं, जागरण होता है, और कुछ होता है। कहीं बाहर से वीडियो और एक कैसेट ले आए, गांव के ग्वाल में बैठकर देख लें, रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं उन पर आप अपने कानून की तलवार चलाएंगे, चाणक्य देखें, कोई भी प्रोग्राम देखें, कैसे चलेगा।

कापी राइट वाली जो बात आपने कही है या तो आप यह कानून बना दें कि कोई भी आदमी ओरीजनल कैसेट ही रखेगा, डुप्लीकेट नहीं रखेगा। कोई ले जाने वाला क्या जानता है गांव के आदमी में या अनपढ़ आदमी, शहर का भी है उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वह इस बात को समझ पाए कि कापी राइट क्या है, कौन इसको रखने के लिए कानूनी तौर पर एनटाइटिल है, यह क्या गैर कानूनी काम है और आप उसको ले जायेंगे और उसके बाद कह देंगे साहब यह तो डुप्लीकेट है और उसका चालान करेंगे, उसको जबरदस्ती लिटीगेशन के अन्दर फासेंगे। इसलिए मेरा आपके माध्यम से कहना यह है कि या तो आप यह बाइफरकेशन कर दें कि शहर में तो मनोरंजन के पचासों साधन हैं, शहर के लिए आप आपके इस कानून को एप्लाई कर दें। लेकिन ग्रामीण जनता को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आप इससे एग्जेम्पट करें। उनके पास कोई मनोरंजन का साधन ही नहीं है करेंगे क्या आखिर वह। आप उसको कानूनी रूप देकर के उनको इस तरह के जाल में फंसाना चाहते हैं। यह अच्छा नहीं है इसकी मेरिट्स और डी-मेरिट्स पर आप सोचें।

आप यह कह रहे हैं कि शहर के अन्दर भी दस, ग्यारह, पन्द्रह प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके घर पर कलर टी.वी. है और वीडियो भी है, उन पर टैक्स क्यों नहीं लगाते आप? उन पर भी लगाइए आप टैक्स, अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो घर के लोग देखें उसकी तो छूट और बाकी के लोग जो गरीब हैं, जो घर में नहीं ला सकते। आप तो यह कानून उनके लिए बना रहे हैं जो घर पर इस साधन को रख नहीं सकते और रुपया-दो रुपया खर्च करके कहीं जाकर देख लें वह इस कानून के शिकंजे में आएंगे। इसलिए आपकी यह जो मंशा है, यह गरीब को राहत देने की नहीं बल्कि आप पैसे वाले लोगों को राहत दे रहे हैं। इस मंशा को सुधारिए और इसमें यह संशोधन करिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदनलाल जी सैनी।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष जी, इसमें सुधार या संशोधन के लिए माननीय मन्त्री जी ने यह विषय रखा है। मैं इसमें चाहूंगा कि क्षेत्र के अनुसार किस क्षेत्र में कितने लाइसेंस दिए जाने चाहिए, यह व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे पहले सिनेमा होते थे, चाहे जितने अनाप-शनाप यह

(श्री मदनलाल सैनी)

वीडियो फिल्म चाहे जो दिखा सके, एक एरिया में चाहे जितने लोग दिखा सकें इसको नियन्त्रित करना चाहिए और इनके जो स्थान हैं वह निश्चित स्थान किए जाने चाहिए कि किन स्थानों पर यह वीडियो फिल्म दिखायेंगे और वहां पर जैसे सिनेमा में बोर्ड रहते हैं कि आज कौनसी फिल्म कितनी बजे होगी इस प्रकार की उनकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे दुकानदार अपनी दुकान के बाहर लाइसेन्स की कुछ शर्तें लिखी रखता है तो इस प्रकार से चार्ट रहना चाहिए कि अननोन आदमी भी वहां जाकर देख सके कि आज यह फिल्म यहां इतनी बजे दिखाई जानी है और समयबद्ध वह फिल्में होनी चाहिए। जैसा माननीय श्रीमती उजला जी ने कहा कि स्कूल के समय और अन्य समय को छोड़ना चाहिए।

मान्यवर, मेरा एक और कहना है कि गांवों में इसको पंचायत स्तर पर सरकार की ओर से या दूसरी किसी एजेन्सी की ओर से भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गांवों के लोगों के लिए साप्ताहिक वीडियो फिल्म दिखाई जा सके और उसके कारण से फिल्मों का चयन भी होगा और चाहे जैसी फिल्में दिखाने पर एक प्रकार से अंकुश भी लगेगा। मेरा इसमें यही सुझाव है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान वीडियो फिल्म प्रदर्शन और विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1992 के बारे में राज्य मन्त्रीजी ने जो उत्तर दिया उसमें कई बातें इन्होंने स्पष्ट नहीं की। इसमें इन्होंने इस बिल को लाने के पीछे उद्देश्य और कारणों में यह बताया कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कुछ सुझाव दिए उनके आधार पर तो इनको अपने उद्देश्य और कारणों में इस बात को इंगित करना चाहिए था वह क्या सुझाव थे, उन सुझावों के अलावा आप क्या-क्या चीजें लाए हैं या केवल उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसी के आधार पर आप अमेण्डमेंट लाए हैं। अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिन्ता प्रकट की यह बात निश्चित रूप से सही है कि हमारे प्रदेश में इन्सपेक्टर राज चल रहा है। न तो किसी अधिकारी का शासन है, न मन्त्री मण्डल का शासन है वर्तमान में इन्सपेक्टर ने जो कुछ काम कर दिया वह बिल्कुल सही हो गया। यह एन्टरटेनमेंट टैक्स वीडियो फिल्म, वीडियो पार्लर इनसे कौन वसूल करेगा और इनमें इन्सपेक्टर्स जो हैं उनकी क्या अकाउन्टेबिलिटी होगी। नहीं तो यह वास्तव में जहां कहीं दस बीस लोग कहीं कोई वीडियो कैसेट देख रहे होंगे उनसे पैसे वसूल कर लेंगे। आज छोटे-छोटे कस्बों में, गांवों में, शहरों में, मौहल्लों में लोग सामूहिक तौर पर फिल्म देखते है, लोग कहेंगे आप टैक्स दीजिए आपने दो-दो रुपये सारे घरों से चन्दा किया है तो ऐसी स्थितियों को आपको चैक कराना चाहिए।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

इसके साथ-साथ कुछ स्थानों को आपको बिल्कुल प्रतिबन्धित करना चाहिए। जैसे स्कूल, कालेज, धार्मिक स्थान, सार्वजनिक स्थान वहां पर कोई भी वीडियो फिल्म या वीडियो पार्लर चला रहा है तो उसको आपको प्रतिबन्धित करना चाहिए और ऐसे स्थानों पर कोई भी व्यक्ति सरकार की आज्ञा के विपरीत यदि कोई वीडियो पार्लर चला रहा है तो उसको अविलम्ब बन्द किया जाना चाहिए।

इसी तरह से टिकट की दरों का निर्धारण यदि सिनेमा के बराबर टिकिट दर निर्धारित करदी तो निश्चित रूप से लोगों के साथ बड़ा अन्याय होगा। इसकी दरें आपको फिक्स करनी चाहिए। जैसे आज सिनेमा की क्या स्थिति है, कोई एयर कंडीशन सिनेमा है तो एयर कंडीशन हाल की अलग दर है। जो एयर कूल सिनेमा है उनकी अलग दर है, जो सिनेमा ओपन एयर के सिनेमा हैं उनकी अलग दर है। इसी प्रकार से आपको वीडियो पार्लर वीडियो फिल्म दिखाने के स्थान को देखते हुए वहां की क्या-क्या सुविधाएं हैं उनके आधार पर उसकी दरें निर्धारित करनी चाहिए और इसकी अधिक से अधिक दर जो है वह एक रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

इसके कर की जो मात्रा है इसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। एक निश्चित फीस लेकर जैसे एक साल की आप दो हजार रुपये फीस ले लें, 500 रुपए फीस ले लें। आप एक निश्चित फीस वसूल करके इनको चलाने की इजाजत दे दें। वरना क्या होगा कि जितनी आप फीस लगाएगें उससे यह मनोरंजन का साधन उतना ही महंगा होगा। निश्चित रूप से यदि आपने इसकी दर सिनेमा के मुकाबले की तो यह सरकार के ऊपर चार्ज लगेगा। इन्होंने बड़े सिनेमा वालों की मदद की है और बड़े सिनेमा वालों के दबाव में आकर इस विधेयक को लाया गया है।

इसी के साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, एक उपभोक्ता संस्कृति इस वीडियो फिल्म के माध्यम से डवलप हो रही है। आप अमुक प्रकार का घी खाइए तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अमुमन प्रकार का पोस्ट करिए तो यह आपके दांतों के लिए अच्छा रहेगा। इस उपभोक्ता संस्कृति को संरक्षित करने के लिए आपने इसमें कोई प्रावधान नहीं किया। बहुत सारे विज्ञापन इसमें आते हैं। उनके ऊपर आपने कोई इस प्रकार का उपबन्ध वीडियो फिल्म से सम्बन्धित विधेयक में आपने लागू नहीं किया है। इसके बारे में आपको कोई उपबन्ध करना चाहिए।

इसी के साथ आप इस कर को किसके माध्यम से कलेक्ट करेंगे और इसमें आपका क्या खर्चा आएगा। इसके बारे में भी आपको स्पष्ट बताना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अन्त में अपनी इस बात को रिपीट करूंगा कि जो राजस्थान की संस्कृति विश्व विख्यात है और राजस्थान में बर्फ और समुन्द्र के अलावा सब कुछ है। इस राजस्थान में ऐतिहासिक स्मारक, किले, गढ़, गढ़इया और हमारी संस्कृति से सम्बन्धित जो गायन, वादन,

Page No. 192

(192)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

नृत्य कला यह संसार में प्रसिद्ध हैं और इसमें जो इस संस्कृति को मिलावट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है इसके ऊपर रोक लगाने के लिए इसमें क्या प्रावधान किया। आप इसका प्रत्युत्तर देते वक्त यह बताएं कि इस प्रकार की वीडियो फिल्म जो राजस्थान में बनाई जा रही है इसके बारे में आप क्या उपबन्ध करने जा रहे हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय कार्यक्रम जितने भी दिखाये जाते हैं उन राष्ट्रीय कार्यक्रमों के टाइम में ये जगह-जगह जो डिश लगा दिये गये हैं इनकी वजह से राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं दिखाये जाते क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ज्यादातर वह कार्यक्रम दिखाये जाते हैं, जो बच्चों के कार्यक्रम भी होते हैं, साथ में न्यूज वगैरह हैं और जितने भी हमारे देश के चरित्र को बनाने के लिये राष्ट्र के हित में जो कार्यक्रम आते हैं ऐसे समय में भी यह डिश वाले हैं, कनेक्शन्स को लगाये रखते हैं इससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे राष्ट्र को हो रहा है। क्या माननीय मंत्री महोदय, इस प्रकार से जो डिश लगे हुये हैं क्या ऐसा कोई समय निर्धारण आप करेंगे ताकि राष्ट्रीय कार्यक्रम के टाइम यह अपना कार्यक्रम नहीं दिखा सकें ऐसी पाबन्दी आप लगायेंगे ?

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो कर वसूल करने के लिये आपने जो नियुक्त किया है पुलिस विभाग को भी आपने एक प्रकार के अधिकार दे रखें हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग वाले खुद जाकर के इस प्रकार की ब्ल्यू फिल्मों को चालू करवाते हैं और देखते हैं उनसे आप रूकवाने की क्या उम्मीद रखते हैं ? यह मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर कम से कम विचार करें और सदन के सामने इस बात को रखें, क्या आप इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर रहे है, ताकि वह इस प्रकार से चैक करें जिससे इस प्रकार की फिल्मों को नहीं दिखाया जाये अच्छे चरित्र वाली फिल्में हैं उनके टैक्स के बारे में, ऐसी फिल्में जिनका गलत असर पड़ता है उनके टैक्स के बारे में आप कितना अन्तर डाल रहे हैं। ताकि हमारी जो शिक्षा है उसमें जो वीडियो काम में आते हैं उनमें कितने टैक्स की आप रियायत दे रहे हैं उसके बारे में आप कृपया बतलावे। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अर्जुनदास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक विधायक का सबसे बडा कर्तव्य मैं यह मानता हूं कि विधायिका में कितनी भूमिका का निर्वहन करना होता है ताकि जो भी कानून बने वह समाज के लोगों के ऊपर और सम्बन्धित व्यक्तियों के ऊपर वह कितना प्रभाव डालेगा उसके ऊपर पूरा मनन करें, मन्थन करें। मेरी ऐसी मान्यता है कि सदन आज जिस विषय के ऊपर विचार

(श्री अर्जुनदास मदान)

कर रहा है वह एक गम्भीर विषय है। सिनेमा देखने वालों में, मान्यवर, आप स्वीकार करेंगे कि सभी तो महात्मा बुद्ध होते नहीं जो काम पिपासा से अडिग रहे, सभी रामकृष्ण परमहंस नहीं होते जो देवी के शरीर से अपने पांव के स्पर्श हो जाने पर अपने मनोविकारों की सम्भावित आंधी से अपनी साधना की रक्षा के लिये घोर प्रायश्चित करते हों। सभी दयानन्द भी नहीं होते जो छल से एक वैश्या के घर पहुंचा दिये जाने पर उसको मां कह कर सम्बोधित करने लगें। मान्यवर, मैं ऐसा भी मानता हूं कि हम लोगों में सभी ऐसे भी नहीं होते हैं जो किसी सुन्दरी के रूप में परमात्मा की सुघड़ रचना के दर्शन कर सकें। हम सब इन्सान हैं, कमियां हैं हर व्यक्ति विशेष में। और मैं यह मानता हूं कि सिनेमा में या वीडियो फिल्म्स में इस प्रकार के संस्करण न आयें, इस प्रकार की मिलावट ना आये जो बाल बच्चों पर छोटी-छोटी उम्र के, जो टीन एज के बच्चे हैं जिनके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है उसको प्रभावित कर सके। मान्यवर, सम्भवतः आप मुझ से सहमत होंगे कि चूंकि वीडियो फिल्मों के ऊपर बहुत कम पैसा लगता है। यह बच्चे जो आप और मेरे से या अपने मां बाप से पैसा लेते हैं और स्कूल के बहाने जाते हैं और स्कूल में न जाकर के वीडियो के एक छोटे से कमरे में घुस जाते हैं जहां पर वीडियो फिल्म दिखाई जाती हैं और वह पैसा मां बाप से तो न जाने किस काम के लिये लाते हैं स्कूल में जाते नहीं, स्कूल के समय वीडियो हाल में घुस जाते हैं, पढ़ाई का अलग नुकसान होता है, उनके चरित्र का अलग हनन होता है। मेरा मननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब भी उसके ऊपर विधान के अन्तर्गत नियम बनें तो निश्चित रूप से इसका ध्यान रखा जाये कि जब भी इस प्रकार की वीडियो फिल्मों का प्रदर्शन किया जाये तो ऐसे समय में ना हो जो कि बच्चों के स्कूल जाने का समय हो या जो स्कूल के नजदीक हो। क्योंकि जितना नजदीक होगा निश्चित रूप से आप मानिये उसकी प्राथमिकता बढ़ जायेगी और जो बच्चों में जो रूझान आज की तारीख में पढ़ाई का कम होता है, अध्यापक ही उतना ध्यान नहीं देते जितना हमारे समय में, पुराने समय में देते थे। बच्चा बिलकुल उच्छृंखल हो जाता है उसके जंचती है जिधर चलता है और जब एक साधन उसको मिल जाता है तो बजाय पढ़ने के स्थान पर, स्कूल में जाने के स्थान पर वीडियो फिल्म देखने बैठ जाता है। मेरा माननीय अन्त में सुझाव यह भी आपसे है कि यह एक निर्धारित हो जाना चाहिए कि एक वीडियो फिल्म तीन बार दिखाई जायेगी चार बार दिखाई जायेगी क्योंकि मैंने कल्पना की और जहां का मैं रहना वाला हूं कोटा और मेरे पास रामगंज मण्डी गांव है, कस्बा है बहुत बड़ा, जहां से माननीय शिक्षा मंत्रीजी चुनकर आते हैं। आप विश्वास कीजिये, मान्यवर सवेरे से वीडियो फिल्म चलती है और रात तक चलती रहती है। बेरोक-टोक जैसे कोई अखण्ड रामायण का पाठ हो रहा है। ऐसा मन में लगता है कि इस प्रकार की फिल्में जिनके ऊपर कोई

(श्री अर्जुनदास मदान)

अंकुश नहीं, निर्धारण नहीं, जिसके ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं हमारा अगर उसको इसी प्रकार से स्वच्छन्द रूप से चलने दिया गया तो समाज को हम क्या दे पायेंगे, इसके ऊपर हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि फिल्मों के निर्धारण में, समय के निर्धारण में, उसके स्थान के निर्धारण में, उसकी संख्या के निर्धारण में और फिल्मों में भी कौनसी फिल्म दिखाई जायेगी जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि गरीब लोग देखते हैं और गरीबों के बच्चे ज्यादा देखते हैं। इसलिये उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव ना पड़े, वह अच्छे नागरिक बन करके तैयार हों, समाज में जहां पर भी जाये वहां उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखे जाय। उसके लिये बहुत आवश्यकता है कि नियम बनाते समय हम इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखें कि बच्चे का जीवन बन सके और उसमें यदि किसी प्रकार का आगे निखार न आवें तो उसमें किसी प्रकार दुराव न आवे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राज्य मंत्री जी।

विधेयक का पारण

श्री शान्तिलाल चपलोत (वित्त, राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, एन्टरटेनमेंट टैक्स और उसके तहत जो रूल्स बने हुये है 15 "क" 17-9-83 को लागू किया गया और वह वीडियो पर भी किया गया जो एक लाख से कम आबादी के स्थान थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें जहां पर सिनेमा नहीं हो, जिस गांव में सिनेमा नहीं हो, ऐसे गांव में उसको दिखाये जाने पर 250 रुपया प्रति माह का शुल्क लगता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक लाख के आस पास जिसकी आबादी हो उसमें साढ़े सात सौ रुपया लगता था और एक लाख से अधिक की आबादी है जहां वीडियो दिखाये जाते थे उसके तहत 15 क के तहत एक हजार रुपया प्रति माह का लगता था। उसके पश्चात् 1986 में इसको बदला गया और इसके स्थान पर 250 की जगह 500 किया गया, 15 सौ किया गया साढ़े सात सौ की जगह और एक हजार की जगह दो हजार रुपया जो बड़े शहर है एक लाख से ऊपर आबादी वाले उनमें किया गया और हम जो 15 फरवरी, 1992 से 15 "क" में जो हमने नोटिफिकेशन निकाला है उसमें ऐसे स्थानों पर जहां स्थाई सिनेमाघर नहीं हों, 250 रुपया यदि 50 सीटर से कम वाला है उसको 250 रुपया और पचास से 100 तक जो सीट है उस पर पांच सौ रुपया और सौ से अधिक डेढ़ सौ तक जो सीटें हैं उसमें साढ़े सात सौ रुपये का प्रोविजन रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : यह आपने प्रति माह किया है या प्रति सप्ताह ?

श्री शान्तिलाल चपलोत : यह हमने

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

प्रति सप्ताह किया है। मैं उसके कारण बता दूंगा। जो ऐसे स्थान जहां स्थाई सिनेमाघर हैं और एक लाख की आबादी है वहां पर पांच सौ और एक हजार रुपया, पन्द्रह सौ रुपया इस तरीके से किया गया। पहले महीने में था अब सप्ताह का किया। ऐसे स्थान पर जहां एक लाख से ज्यादा की आबादी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें साढ़े सात सौ, पन्द्रह सौ, दो हजार किया गया। वह इसलिये किया गया कि इस वीडियो फिल्म से और वीडियो के प्रचार-प्रसार से, जहां एक ओर एन्टरटेनमेंट टैक्स जो सरकार को मिलता था उसमें कुछ कमी आने लगी और लोग मर्जी आये इन फिल्मों का प्रदर्शन, ब्ल्यू फिल्मों का लाकर करने लगे इसलिये इसको रेगुलेट करना आवश्यक हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एन्टरटेनमेंट टैक्स गत वर्ष यानि कि इस साल जो अभी चल रहा है 31 मार्च जो 1991-92 का समाप्त होने वाला वर्ष है उनमें 15 करोड़ के आस पास आने की उम्मीद है। उसके पहले 13 करोड़, उसके पहले बारह करोड़ रुपया प्रति वर्ष आया। गत वर्ष इस वीडियो पर जो टैक्स लगाये थे हमने किस तरीके से होगा उसमें 10 लाख के आस-पास हमारे पास उसके शुल्क आये हैं।

यह लाइसेन्स की शुल्क नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाइसेन्स शुल्क तो अलग से होगी यह 15 क. में जो एन्टरटेनमेंट टैक्स है उसमें उसी के प्रावधान को लागू करके हमने किया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के गरीब व्यक्ति यदि वास्तव में एन्टरटेनमेंट ही करना चाहते हैं तो इससे ज्यादा लाभान्वित होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 50 सीटर और उसने दिन में तीन बार उसको चलाया तो डेढ़ सौ लोग हुये और दो-दो रुपया लिया तो तीन सौ रुपया हुआ। एक महीने के कोई 8400 रुपया इस तरीके से आ सकता है और उसमें गवर्नमेंट का जो टैक्स है वह 12 सौ के आस-पास बैठता है। मैं आक्युपेंसी के लिए नहीं कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : महोदय, इस सदन में ही पूरी अटेन्डेंस नहीं होती। यहां पर भी शत प्रतिशत उपस्थिति नहीं होती। उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में भी नहीं होती जहां आप भत्ता देते हैं। यहां पर भी 100 प्रतिशत हाजिरी नहीं होती, फिर वहां कैसे 100 प्रतिशत लोग आते होंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं नहीं, उन्होंने तो एक उदाहरण देकर बताया है। संख्या आती है या नहीं आती है। वह तो डिस्पुटेड है। .. (व्यवधान) गलत तो नहीं है, अगर संख्या आती है तो इतना बता रहे हैं। यह कह रहे हैं।

श्री शान्तिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पहले बात सुन लें। मैंने बहुत तसल्लीपूर्वक सबके कथन का, सबके सुझावों का बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनन किया है। मैं जो बात कह रहा हूं, वह आप सुन लें फिर किसी प्रकार से आप यह समझते

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

हैं कि मेरे कहने में कोई एम्जिग्यूटी है या मैं समझाने में असमर्थ रहा हूं तो आप मुझसे और प्रश्न कर लें, मैं अपनी योग्यता के अनुसार उसका जवाब देने की चेष्ठा करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्यों ने गरीब लोगों के लिए कहा कि गरीब देखते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं बता रहा था 3 बार दिखाना ही जरूरी नहीं हैं, 4 बार भी दिखा सकते है, दिन में 6 बार भी दिखा सकते हैं। इसमें यह नहीं है कि यहां कुछ माननीय विधायक ने यह सुझाव भी दिये हैं कि हो सकता है घर पर देखने वालों पर भी टैक्स लग जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने धारा में स्पष्ट किया है

"Nothing contained in sub-section (1)... shall apply to the exhibition of a video film in the residential premises of a family for the members of the house-hold, their relatives and personal friends."

उन सबको हमने छोड़ा है। पर्सनल फ्रेंड्स....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप गरीब लोगों के ऊपर भी टैक्स लगाओ।

श्री शान्तिलाल चपलोत : अब आपके घर में मेहमान आ जायं....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : गांव का आदमी देखें उस पर लगाओ आप। मतलब एक आदमी जो खरीद करके घर में रखता है, मतलब उसके पास तो 40 हजार रुपये होंगे तब वीडियो और कलर टी. वी. आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। घर के मेम्बर्स को ही बाहर निकाल दिया जायेगा क्या ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उस पर तो टैक्स नहीं और जो किराये पर लाकर देखें उस पर टैक्स लगा रहे हो आप।

श्री शांतिलाल चपलोत : झुन्झुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात रखी है कि... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कांत साहब बिराजिये। मेम्बर्स तो अपनी बात पूछेंगे, अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे। उनका राइट है।

श्री शांतिलाल चपलोत : राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रकार के सुझाव दिये हैं कि गांव के लोगों पर अनावश्यक टैक्स हो जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्ति यदि जयपुर में आता है एन्टरटेनमेंट के लिए और सिनेमा जाता है तो 10 रुपये से कम का टिकट नहीं मिलेगा उसको, 15 रुपये से कम का टिकट नहीं मिलता। गांव का व्यक्ति यदि पैसा लेकर और उसको एन्टरटेनमेंट कराता

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

है, दो-दो रुपये रखता है तो वह ज्यादा नहीं पड़ेगा और जो व्यक्ति एन्टरटेनमेंट के लिए अपने घर में हो दिखाना चाहते है उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स हम लेंवी नहीं कर रहे है, न किसी प्रकार से यह कर रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : डिफनिशएट नहीं करोगे आप। सबसे बड़ी प्रोब्लम यह है कि....

श्री शांतिलाल चपलोत : वह मैं बता रहा हूं। गांव में जो रूल्स बनाये हैं, हम ऐसे रूल्स बना रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें यह तय होगा कि उसमें सीढ़ियां होगी, उसका एक मकान होगा और निश्चित रूप से आप बता देंगे कि हम यह कर रहे हैं। यहां पर एक्जिबिशन करेंगे, कहां पर किस तरीके से एक्जिबिट करेंगे उसको। उसी को हम लाइसेंस देंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : इससे तो फिर यह हो जायेगा कि लोग इल्लीगल चलायेंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत : इल्लीगल नहीं चलायेंगे। यदि इसकी जांच...आप मेरी बात सुन लें।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय मंत्री जी, एक शब्द कहना चाहता हूं, यहां पर आपने स्पष्ट किया, थोड़ा सा उससे और चीजें चोड़ आ गई।

श्री शान्तिलाल चपलोत : मैं निवेदन कर देता हूं, उसका इसलिए रखी है कि एक तो फायर एक्सटिंग्यूशर लगाने का उसमें प्रोविजन कर रहे हैं रूल्स में, वह फायर एक्सटिंग्यूशर लगायें क्योंकि 5-50 लोग बैठे हैं, किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाय, आगजनी हो जाय तो जन हानि हो सकती है इसलिए फायर एक्सटिंग्यूशर होगा। उसके साथ किसी प्रकार की सेक्सुअल डिजीज की बातें और फिल्म पर प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी। किसी प्रकार से ब्लू फिल्म का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। एग्जास्ट फैन भी उनको रखना पड़ेगा।

श्री कालीचरण सराफ : नहीं, उनको रोकोगे कैसे? यह तो बताइये।... (व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह तो उन्होंने कहा है।

श्री शान्तिलाल चपलोत : आप मेरी बात तो सुन लीजिये पहले।

श्री हेतराम बेनीवाल : हमारी प्रोब्लम बतायें नहीं (व्यवधान) आप कैसे रोकोगे?

श्री उपाध्यक्ष : कानून में प्रोवीजन किया है, ऐसा प्रोविजन किया गया है। और अपराध कैसे रोके जा सकते हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : जितना पैसा इकट्ठा करेंगे, उससे ज्यादा रोकने में खर्च होंगे। (व्यवधान) जितना पैसा

(श्री हेतराम बेनीवाल)

इकट्ठा करेंगे उससे दुगुना खर्च होगा रोकने में।

श्री शान्तिलाल चपलोत : मुझे नहीं लगता, उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह भी तय किया है कि पीकदान अलग होगा, सारी की सारी व्यवस्थाएं होंगी। लेट्रीन बाथ-रूम की अलग से व्यवस्था करनी होगी। सुबह 9 बजे से रात्रि 12.30 बजे के पश्चात् कोई भी वीडियो फिल्म नहीं चलेगी, उपाध्यक्ष महोदय,।

श्री बुलाकीदास कल्ला : फिर 6 फिल्मे कैसे दिखायेंगे? आपने अभी कहा कि 6 फिल्में दिखा सकेंगे। 9 बजे से 12 बजे तक 6 फिल्में कैसे दिखायेंगे। अभी आपने कहा 6 फिल्में दिखा सकते हैं।

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2-2 घंटे की भी हो सकती है, एक एक घंटे की भी हो सकती है। मुझे पता नहीं कि 3 घंटे की होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारी रात ये नहीं चलायेंगे, लोगों की शांति भंग नहीं हो ....

श्री उपाध्यक्ष : तो क्या आप 12 बजे बाद भी देखना चाह रहे हैं क्या?

श्री शान्तिलाल चपलोत : इसलिए इसको रैगुलेट कीजिये और मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार से स्कूलों के साथ, कालेज के साथ लगे हुए स्थान उस पर किसी भी प्रकार से इस प्रकार के वीडियो प्रदर्शन को हम अलाऊ नहीं करेंगे (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जयपुर में कम से कम 200 स्थानों पर अवैध वीडियो चल रहे हैं और उनको पकड़ने के लिए क्या उपाय है? बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : कालीचरण जी, यह कोई सवाल है क्या आपका। ये तो कर रहे हैं कार्यवाही, लिखित में दे दो.... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : नहीं, नहीं उनको पकड़ने का क्या उपाय है? वह बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप लिखकर क्यों नहीं देते इसको, ये तो कार्यवाही कर रहे हैं ...

श्री कालीचरण सराफ : नहीं नहीं रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : ये तो बिल्कुल लेट-नाइट के पूछ लेना 2 शो चल रहे हैं। कहां चल रहे हैं दो शो। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : स्कूलों के पास चल रहे हैं। कलक्टर के नोटिस में है।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सराफ साहब बता रहे है कि आप (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : जब जयपुर के प्रतिनिधि बता रहे हैं कि 200 स्थानों पर अवैध वीडियो चल रहे हैं, इनको रोकने के लिए माननीय मंत्रीजी क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी का जवाब सुनिये आप (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : हां, गम्भीरता से ले रहे हैं। कल्ला साहब आप तो खूब बोल चुके हैं।

काफी सुझाव दिये हैं। आपको सारी चीजों का उत्तर दिया जा रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ...हर जिले का जिलाधीश इस कमेटी में है। मंत्री जी क्या कह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामसिंह आप पूछ रहे हैं ?

श्री कालीचरण सर्राफ : मैं इतना पूछ रहा हूं कि जो नियम बनाये हैं, बहुत बढ़िया नियम होने चाहिये। जो वीडियो फिल्म चल रहे हैं उनको रोकने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठाने जा रही है ? इसके बारे में भी आप जानकारी दे दें तो बढ़िया रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है, विराजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इतना है कि इस वीडियो फिल्म में आपने एक्जास्ट फैन के बारे में कोई व्यवस्था नहीं रखी, इसलिए जो भी वीडियो फिल्म हैं, जो वीडियो चल रहे हैं, उनमें एक्जास्ट फैन लगवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : वह सारे लगेंगे। माननीय रामसिंहजी। प्लीज... (व्यवधान) सराफ साहब। एक-एक बात का टुकड़ों में उत्तर दें क्या ?

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में वीडियो फिल्म दिखाई जाती हैं आप उन पर गरीब से टैक्स

श्री उपाध्यक्ष : यह सब्जैक्ट ऐसा है इस पर थोड़ा वाद विवाद भी होना चाहिये। इसलिए करा रहे हैं। लोगों की रूचि हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : ग्रामीण क्षेत्रों में वहां के लोगों के मनोरंजन के लिए जो दिखाते हैं, मेरे ख्याल में उनको अगर टैक्स से माफ कर दें तो गांव के लोगों को काफी राहत मिलेगी। एक तो यह है। दूसरा, अगर आप करते हैं और आप मान लो, मजबूरी में नहीं कर सकते, तो यह 7 दिन में टैक्स भरने की व्यवस्था है, उसको एक महिने की कर दें ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो तीसरा, मेरा यह निवेदन है माननीय मंत्रीजी से, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अपनी सरकार में शराब, आपको मालूम है, खराब है लेकिन आमदनी के लिए शराब को खुला किया

(श्री रामसिंह विश्नोई)

हुआ है विद्याजी ने किया है, वैसे ही ब्लू फिल्म को खुला कर दें तो कितनी आमदनी आपकी हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। ऐसे तो पूछते जायेंगे। माननीय माहिर आजाद जी, नहीं, कल्ला साहब there is no end to it at all. You have asked every possible question.

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं नहीं मेरा तो राइट है।

श्री उपाध्यक्ष : If I allow from time to time, तो टाइम ही नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है आप जल्दी में कानून बना देंगे पहले।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं जल्दी में नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा प्रश्न पूछने का राइट है। मैं प्रश्न पूछ सकता हूं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्रीजी ने यह कहा कि अगर मेरे उत्तर के बाद आपको कोई शंका हो तो पूछ लें। मैं केवल एक बात पूछ रहा हूं। आपने यह कहा कि सीढ़ी की व्यवस्था होगी, एक टीन शैड होगा, जो दर्शक आएगें, उनके लिए लेट्रीन और बाथरूम की व्यवस्था होगी, इसका मतलब वह ही आदमी लगा सकता है जो कम से कम एक लाख रुपये खर्च करे (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था सारी करनी पड़ेगी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : तो गांव के लोग तो खरीदे ही नहीं पायेंगे। (व्यवधान) सुविधा तो पिक्चर हाल वालों को ही है।

श्री उपाध्यक्ष : लोग सारी सुविधाएं चाहते हैं, लोगों में किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैले, ऐसी व्यवस्था हो।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जो लोग पिक्चर हालों में नहीं जाते, उनके लिए यह व्यवस्था है। यह तो आपने इसलिए कर दी कि जो पिक्चर हाल वाले हैं, उनके कहने से यह कानून बना रहे हैं ताकि छोटे लोग तो देख ही नहीं पायें और ऐसा कानून बना दो. जटिलताएं ऐसी कर दो, उसकी औपचारिकता ही पूरी नहीं हो पायें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जो

(श्री हेतराम बेनीवाल)

इन्होंने आवश्यकताएं बताई हैं गांवों में या छोटे कस्बों में कोई इनको पूरा नहीं करेगा और चलायेंगे। नम्बर एक। जो उसको बिना दोस्तों के बुलाकर चलायेंगे, सबसे पहले यह समस्या पैदा होगी इस कानून से, कि बुलाकर चलायेंगे 50-60 आदमी इकट्ठे करके, उसमें न बड़ा हाल होगा, न उसमें बाथरूम-लेट्रीन होगी, इसलिए निश्चित रूप से जो इन्होंने नियम बताये हैं, मैं समझता हूं इस तरह के नियम नहीं है कि ये उन लोगों को छुटकारा दिला सकें, वे इसमें फंस जायेंगे और आजकल गांवों में यही चल रहा है कि 50 आदमी इकठ्ठे करके और वीडियो ले आए किराये पर। वे लोग फंस जायेंगे। उनके लिए क्या व्यवस्था की है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए यह विचार है कि 10 हजार तक की आबादी के गांव या कस्बों को वहां पर इस प्रकार के टैक्स नहीं लगे उसके लिए विधेयक की परिधि से बाहर करने का आप विचार रखते हैं?

दुसरा, एन्टरटेनमेंट टैक्स से जो पहले आय प्राप्त होती थी वह उसी स्थान के डवलपमेंट के लिए सम्बन्धित नगरपालिका या नगर परिषद् को दी जाती थी। आजकल एन्टरटेनमेंट टैक्स पूरा का पूरा विक्रय कर विभाग ले लेता है और उस म्यूनिसिपैलिटी अथवा नगर परिषद् को कस्बों के विकास के लिए कोई राशि नहीं दी जाती। क्या आप इस राशि का कोई निश्चित हिस्सा उस सम्बन्धित नगरपालिका या नगर परिषद् को देने का विचार रखते हैं? तीसरा, एक तरफ मनोरंजन के पाश्चात्य साधन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे यहां ओपन एयर थियेटर जहां हमारे रंगकर्मी, आर्टिस्ट आ सकते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप कह चुके हैं पहले।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस पर नहीं बोला हूं, उपाध्यक्ष महोदय। क्या आप हर पंचायत हैडक्वार्टर पर एक लाख रुपये की लागत से रंगमंच का निर्माण, ओपन एयर थियेटर का निर्माण कर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाने का विचार रखते हैं और इस एन्टरटेनमेंट टैक्स का उपयोग इस प्रकार के मंच को बनाने में करने का विचार रखते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।... (व्यवधान)... आपको उत्तर देंगे। (व्यवधान) मैं अलाउ नहीं करूंगा किसी को। (व्यवधान) आपका उत्तर आ रहा है।

श्री शांतिलाल चपलोत : जयपुर से आने वाले माननीय विधायक ने यह कहा कि कुछ जगह वीडियो चलते हैं। अवैध रूप से जो चल रहे हैं उनको नियमित करने के लिए यह लाया गया है, जिससे टैक्स की चोरी भी नहीं हो और उन पर सिकंजा भी कसा जा सके। किसी भी प्रकार से वे कॉन्ट्रोवेंशन न करें, रूल्स व

(श्री शांतिलाल चपलोत)

रेगुलेशन के हिसाब से चलायें, किसी तरह की ब्ल्यू फिल्म का प्रदर्शन न कर सकें उसके लिए यथाशीघ्र जितने लोग यहां हैं उनके खिलाफ यदि कोई अवैध तरीके से चलाते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ इसमें धारा 11 में भी यह स्पष्ट लिखा है और आप कह रहे हैं कि क्या आपके पास प्रोवीजन है। धारा 11 में भी यह स्पष्ट लिखा है कि हम उसका सीज करेंगे, उसको जब्त करेंगे। यह हमारे पास पावर है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि क्या गांवों में 10 हजार तक की आबादी के गांव को छूट देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनके सुझाव का स्वागत करता हूं। धारा 13 में हमने यह लिख रखा है कि किसी भी प्रकार की छूट हम देना चाहेंगे तो उसमें दे सकेंगे, सरकार उसके लिए इम्पावर्ड है। मैं समझता हूं इसमें ऐसे कोई 2-3 छोटे-छोटे अमेण्डमेंट लाये हैं और छोटे-छोटे। हमने पेश किया है। मैं समझता हूं कि इसको पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : नोज हैव इट।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अगेन रिपीट कर लेता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : नोज हैव इट।

(मत विभाजन घण्टी)

(5.40 **सायं**)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)
(मत विभाजन घण्टी के पश्चात्)

श्री रामसिंह विश्नोई : मामला छोटा सा है। जो ब्ल्यू फिल्म देखते हैं उसका टैक्स माफ किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : नोज हैव इट।

श्री अध्यक्ष : मैं एक बार और पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

आधे घंटे की चर्चा

जिला परिषद, जालौर द्वारा शिक्षकों की उपाधियों की जांच विषयक

श्री अध्यक्ष : श्री जोगेश्वर गर्ग ।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी बहुत बड़ा अभिशाप है । कोई युवक पढ़ाई करता है, बी. ए. करता है, एम. ए. करता है, डिग्री लेता है, बी. एड. करता है और उसके बाद भी जब उसको नौकरी नहीं मिल पाती तब उसको जो निराशा होती है उसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है । लेकिन इससे भी बड़ी निराशा उसको उस समय होती है जब वह यह देखता है कि जिस व्यक्ति ने बी. ए. किया ही नहीं, पढ़ाई की ही नहीं, स्कूल-कॉलेज देखा ही नहीं और किसी तरह से व्यवस्था करके फर्जी डिग्री ले आया और उसके आधार पर उसको नौकरी मिल गई यह देखकर वास्तविक पढ़ाई करने वाले को सबसे ज्यादा कष्ट होता है और उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, उससे नई समस्या पैदा होती है । इस प्रकार के लोग भी ऐसे धन्धे करने के लिए प्रेरित होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इस समस्या को सदन के ध्यान में लाने के लिए मैंने एक प्रश्न लगाया था । दिनांक 28 फरवरी, 1992 को उस प्रश्न पर इस सदन में उत्तर दिया गया । प्रश्न संख्या 86 के उत्तर में माननीय पंचायत राज मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया वह इस प्रकार था कि जांच विचाराधीन है और जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न 28 फरवरी को दिया । जबकि हकीकत यह है कि इस मामले की जांच जालौर जिला परिषद् में सम्पन्न हो चुकी थी और जांच रिपोर्ट दिनांक 9 फरवरी को प्रस्तुत की जा चुकी थी । 9 फरवरी और 28 फरवरी में बहुत अन्तर होता है अध्यक्ष महोदय । उसके बावजूद जब उस प्रश्न का उत्तर जिला परिषद, जालौर से भेजा गया दिनांक 24-2-92 को पत्र क्रमांक 8356 द्वारा, उस उत्तर में यह कहा गया कि जांच रिपोर्ट विचाराधीन है, जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं, इस प्रकार से जिला परिषद, जालौर ने सरकार को और इस सदन को गुमराह करने की कोशिश की है गलत जानकारी देकर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले को दबाने की कोशिश की है, लिगर ओन करने की कोशिश की है । उस दिन 24 फरवरी को जब इसका जवाब भेजा गया, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भरतलाल परमार अवकाश पर थे, अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्यामलाल माथुर, जो इससे पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार देख रहे थे, परमार साहब से पहले, वह लम्बे समय से बीमार हैं इसलिए अवकाश पर थे । उस दिन जिले के वरिष्ठ अधिकारियों में से केवल मात्र जिला कलक्टर मौजूद थे ।

अध्यक्ष महोदय, उल्लेखनीय है कि

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

जिला कलक्टर, जालौर ही जिला परिषद के प्रशासक भी हैं। उनके हैड क्वार्टर पर होते हुए उनके प्रशासकत्व में जिला परिषद से जो जवाब भेजा गया, वह एक गलत जवाब विधान सभा को भेजा गया। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही चिन्तनीय विषय है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्रकार के अधिकारियों के विरूद्ध, जिन्होंने विधान सभा जैसी सर्वोच्च संस्था को भी गलत सूचना दी, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाय। उसके साथ ही जिन लोगों ने उस प्रश्न का उत्तर तैयार किया।

श्री अध्यक्ष : आप हाफ एन आवर डिस्कशन कर रहे हैं। आपका कहना यह है कि जांच हो चुकी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : हां, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : तो आप यह बताइये कि जांच कब हुई, किसने की, आ चुकी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप उसी पर आइये, वही जवाब देंगे वह, और बाकी बातों का तो जवाब आ चुका। आप यह बताइये-आपकी सूचना के अनुसार जांच कब हुई, किसने जांच की, उसकी रिपोर्ट कब आई। यह बतायें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : बता रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, उसी पर आ रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, इस मामले की शुरूआत नवम्बर, 1991 से होती है। नवम्बर, 1991 में जिला परिषद, जालौर में इन्टरव्यू हुए। उस इन्टरव्यू के बाद सूची जारी हुई। उस सूची में 254 लोगों को नियुक्ति दी गई, 1991-92 में कुल मिलाकर, उनमें से कुछ लोगों की डिग्रियां फर्जी हैं, इस प्रकार की शिकायत हुई....

श्री अध्यक्ष : नाम बोलिये, उनमें से किस-किस की फर्जी है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, उदाहरण दे रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : वही बोलिये नाम।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उनमें से जिनकी डिग्रियां फर्जी हैं, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई। उसके बाद जिला परिषद, जालौर ने उप-जिला शिक्षाधिकारी महेशचन्द्र पन्त को इसकी जांच के लिए नियुक्त किया। महेशचन्द्र पन्त प्रान्त से बाहर उत्तर प्रदेश और बिहार में गये। उन विश्वविद्यालयों से सम्पर्क किया। वहां से उन्होंने जानकारियां प्राप्त की और जानकारी प्राप्त करने के बाद दिनांक 9 फरवरी को अपनी रिपोर्ट जिला परिषद को पेश कर दी। 9 फरवरी को रिपोर्ट पेश होने के बाद इसमें और भी कार्यवाही हुई और उसमें बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य सामने आये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जिला परिषद, जालौर ने अवध विश्वविद्यालय से सम्बद्ध

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद के प्राचार्य को पत्रांक 112 द्वारा जो पत्र लिखा, उसके उत्तर में वहां के प्राचार्य ने अपने पत्रांक अवध विश्वविद्यालय/112/बी एड परीक्षाफल सत्यापन दिनांक 27-12-91 के द्वारा जिला परिषद, जालौर को उत्तर दिया कि जिन 28 लोगों की सूची आपने सत्यापन के लिए भेजी है उन 28 लोगों ने नियमित छात्र के रूप में यहां प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया और उनको बी. एड. का प्रमाण-पत्र इस महाविद्यालय से जारी नहीं किया गया। यह एक सूचना थी। किंतु इस सूचना की प्राप्ति के बाद भी जिला शिक्षाधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), जालौर ने नियुक्ति आदेश जारी किये जिसका नम्बर है- जिला शिक्षाधिकारी/प्रारम्भिक शिक्षा/जालौर/सस्था/अ/1991-92/595 दिनांक 3-2-92।

अध्यक्ष महोदय, 27-12-91 के पत्र के द्वारा अवध विश्वविद्यालय की जानकारी आ गई थी उसके बावजूद 3-2-92 को नियुक्ति पत्र जारी किये गये और उस नियुक्ति पत्र में चार लोग ऐसे थे उस सूची में, जो उन 28 में शामिल थे जिनकी डिग्री फर्जी होने की पुष्टि हो चुकी थी। उसके बावजूद भी उन लोगों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है। जिला परिषद, जालौर ने अपने पत्र क्रमांक 7082 दिनांक 6-12-92 द्वारा उप कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय का 12 लोगों की सूची भेजी। इसमें से आठ लोगों की डिग्रियां, जो 17-9-89 को जारी हुई-ऐसा उन्होंने बताया था, उन लोगों के बारे से जो जवाब मिला उस विश्वविद्यालय से, पत्र क्रमांक 8034-35 दिनांक 27-12-91 द्वारा, उसमें उन्होंने जवाब दिया कि इन 12 लोगों की सूची में जो नाम शामिल हैं इन्होंने हमारे यहां से कोई डिग्री प्राप्त नहीं की। यहां तक कि जिन लोगों ने 17-9-89 को डिग्री जारी होना दर्शाया है उनके बारे में उन्होंने लिखा कि 1989 का तो अभी तक रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हुआ है। उन लोगों ने डिग्रियां प्राप्त कर लीं और यहां नियुक्ति प्राप्त की। इसके बाद कानपुर विश्वविद्यालय को भी एक सूची भेजी गई जिसमें 21 नाम थे। इन 21 में से 11 ने हण्डिया डिग्री कॉलेज, हण्डिया (इलाहाबाद) से डिग्री प्राप्त की थी।

अध्यक्ष महोदय, हण्डिया डिग्री कॉलेज, हण्डिया के प्राचार्य ने जो उत्तर दिया है पत्र क्रमांक 970 दिनांक 7-2-92 द्वारा, उसमें लिखा है कि इन 11 लोगों का हमारे कॉलेज में, हमारे विश्वविद्यालय में कभी नामांकन ही नहीं हुआ है, एनरोलमेंट ही नहीं हुआ, उनको डिग्रियां मिल गई। इसी प्रकार से कानपुर विश्वविद्यालय को 33 लोगों की सूची भेजी गई, उसमें भी विश्वविद्यालय के अनुसार सारी डिग्रियां फर्जी थीं। उनमें से एक विलयनकृष्ण व्यास को नौकरी मिल गई। अध्यक्ष महोदय, जिला परिषद को यह बीमारी उत्तर प्रदेश और भरतपुर, अलवर और सवाई माधोपुर, तीन जिलों से आने वाले लोगों ने लगाई है।

श्री सम्पत सिंह : आपका इशारा अयोध्या की तरफ है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सबसे पहले इन लोगों ने फर्जी डिग्रियों के आधार पर वहां नौकरियां ली। डिग्री फर्जी, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फर्जी, आदमी फर्जी, उन लोगों ने नौकरियां लीं। उनकी- देखा-देखी और उन लोगों की जानकारी के आधार पर स्थानीय लोगों को भी उससे प्रोत्साहन मिला, प्रेरणा मिली और उन लोगों ने भी ऐसा गलत काम किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को चार लोगों की सूची भेजी गई थी और उन चार लोगों ने वहां से शिक्षा शास्त्री की डिग्री प्राप्त की है, ऐसा दावा किया था।

अध्यक्ष महोदय, आश्चर्यजनक तथ्य यह है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्पष्ट उत्तर दिया है कि हमारे विश्वविद्यालय से बी. एड. या शिक्षा शास्त्री नाम की कोई उपाधि दी ही नहीं जाती। वहां की डिग्री आ गई। ऐसा ही पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जोनपुर ने जिला परिषद, जालौर को बताया। उनका पत्र क्रमांक है 1013/गोपनीय/92 दिनांक 3-1-92 उसके द्वारा जो विस्तृत उत्तर दिया, उसमें उन्होंने लिखा कि जिन 24 लोगों की आपने सूची भेजी है उनमें से 4 ऐसे लोग हैं जिनके नाम कभी इस विश्वविद्यालय में एनरोल नहीं हुए, यह सारी जानकारियां, अध्यक्ष महोदय, फरवरी, प्रथम सप्ताह तक जिला परिषद, जालौर को मिल चुकी थी। यह सारी रिपोर्ट वहां पेश हो चुकी थी।

श्री अध्यक्ष : फरवरी प्रथम सप्ताह, कौन सी सन् ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : फरवरी प्रथम सप्ताह, 1992 का। अलग-अलग तिथियां मैंने जैसी बताई हैं, कुछ जनवरी की है, कुछ दिसम्बर की है, कुछ फरवरी की है। कुल मिला कर जो अन्तिम रिपोर्ट जांच की पेश हुई, वह 9 फरवरी को पेश हुई जिसमें यह सारी जानकारियां शामिल थीं। महेशचन्द्र पन्त ने यह रिपोर्ट पेश की और उसके बाद जो जवाब दिया गया उसमें इस जानकारी को बिल्कुल छिपा दिया गया, बिल्कुल एक तरफ रख दिया गया और यह जवाब दिया गया कि जांच अभी विचाराधीन है और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय, इसका कारण सीधे सीधे समझ में आ सकता है। कई सारे शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ऐसे है कि जिनके रिश्तेदार इस तरह की फर्जी डिग्रियां लेकर आये हैं। किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, किसी की बेटी है और किसी की भानजी है। इस तरह के सारे लोग वहां नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : किस की है यह बता दो।

श्री जोगेश्वर गर्ग : बता रहा हूं। यह सही है कि आपकी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब तथ्य आ गये सारे या कुछ बाकी हैं ? तथ्य आ गये सारे ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

बाकी हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मामला सिर्फ 1991-92 का ही नहीं है। पिछले पांच-सात साल से लगातार इस प्रकार के लोग नियुक्तियां प्राप्त कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उल्लेख करना चाहता हूं एक व्यक्ति जो जालोर जिले की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ऊण में अध्यापकों के पद पर नियुक्ति प्राप्त कर चुका है, उसने भी ऐसी फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की। जब विधान सभा में यह मामला उठा, इसकी चर्चा हुई और वापिस जांच शुरू हुई तब उसने घबराकर अपनी असलियत उगली और लिख कर दिया है। उसका लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं।

"मैं बग्गाराम पुत्र गोपाजी जाति कुम्हार उम्र 25 वर्ष निवास स्थान नया-बसन रोड कृषि कार्यालय के पास, जालोर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ऊण (जालोर) में अध्यापक के पद पर आज कार्यरत हूं। मुझे अवध विश्वविद्यालय की एक डिग्री जिसमें मेरा और मेरे पिता का नाम लिखा हुआ था जिसका रोल नं 50110 था जो वर्ष 1989 की थी। मोहनलाल पुत्र चमेलाराम जी माली निवानी जालोर ने 12000 में लाकर दी थी। मोहनलाल भी जालोर में माखरी स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्यरत है। नीचे उसके हस्ताक्षर हैं बग्गाराम 14-3-1992"

अध्यक्ष महोदय, इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण और क्या चाहिए ? जब वह व्यक्ति स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मेरी डिग्री फर्जी है और उस व्यक्ति का नाम भी वह इंगित कर रहा है जिसने उसको लाकर दी। अध्यक्ष, महोदय, ऐसे कुछ गिरोह हैं, एक व्यक्ति नहीं है यहां पूरा गिरोह जालोर में सक्रिय है। उसमें कई लोग शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष : यह मोहनलाल अध्यापक प्राइमरी स्कूल का ही है ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : जी हां मोहनलाल, अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, माखरी, जिला जालोर में कार्यरत है और उसकी डिग्री पटना विश्वविद्यालय की है। उसने इस प्रकार से और भी कई लोगों को इस तरह की डिग्रियां सप्लाई की हैं, लाकर दी हैं और उसके बदले में उसने हजारों रुपये डकारे हैं। इस प्रकार के और भी कई लोग हैं जिनके नाम अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाये हैं इसलिए मैं उल्लेख करना उचित नहीं समझूंगा पर अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से इस गिरोह का पर्दाफाश किया जाये। मुख्य अभियुक्त वह नहीं है जिन्होंने डिग्रियों के आधार पर नौकरियां प्राप्त कर लीं, वह तो मजबूर लोग थे, वह तो भोले-भाले लोग थे जो उनकी बातों में आ गये। उससे भी बड़ा अपराध उनका है जिन्होंने इनको इस गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। उस गिरोह का पर्दाफाश किया जाना ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ जिन अधिकारियों ने इस प्रकार है गिरोह की मदद दी वह भी इसके लिए उत्तरदायी हैं, उनको भी इस विस्तृत जांच

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

की परिधि में लाया जाना चाहिए और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

अध्यक्ष महोदय, अब तक की जानकारी के अनुसार 88 डिग्रियां फर्जी पाई जा चुकी हैं, प्रमाणित हो चुकी हैं जिला परिषद जालोर में और 69 डिग्रियां ऐसी हैं जो कि सन्देह के घेरे में हैं जिनकी जांच चल रही है। यह 88 डिग्रियां है जिसमें से 254 लोग इस साल 91-92 में नियुक्त हुए हैं। अध्यक्ष महोदय यह प्रतिशत बैठता है 48 प्रतिशत लगभग। याने 48 प्रतिशत डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं इस साल की नियुक्तियों में यदि पिछले 5-7-10 साल की जांच की जाय तो कितने लोग फर्जी निकलेंगे इसकी कल्पना की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पिछले 8-10 साल में हुई नियुक्तियों की जांच की जाये और भविष्य के लिए व्यवस्था की जाये कि जिस किसी व्यक्ति का मेरिट में नाम आता है उसकी डिग्री की सत्यता की जांच किये बिना उसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाये। ऐसी व्यवस्था उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा आयुर्वेद विभाग ने की है। नर्सिंग प्रशिक्षण कालेज, अजमेर में भर्ती के दौरान कुछ लोगों की मार्क्सशीट फर्जी है ऐसी शिकायत हुई जांच हुई बोर्ड से और फर्जी पाई गई और उसके बाद से नियम बना लिया आयुर्वेद विभाग ने कि प्रत्येक छात्र जो मेरिट में आ जाता है उसकी जांच किये बिना, उसकी डिग्री का सत्यापन किये बिना उसको भर्ती नहीं किया जाएगा। ऐसा नियम उन्होंने बना लिया है। वैसे नियम शिक्षा विभाग भी बनाये और जिला परिषद भी अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि सिर्फ यह जालोर तक सीमित नहीं है यह मामला। अन्य जिलों में भी ऐसा है। यहां तक कि क्योंकि अब जालोर का मामला उठा है और अब यह तलवार दूसरे जिलों में जाने वाली है इसलिए दूसरों जिलों में अफरा-तफरी में नियुक्तियां दी जा रही हैं। इससे पहले कि वह चैलेन्ज हों।

श्री अध्यक्ष : आप डाइल्यूट मत करिये। आप इसका जवाब आने दीजिए और दूसरे बाद में हो जायेंगे। आपका हो गया मेरे ख्याल से? आप अपने तक ही सीमित रहिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : एक उदाहरण दे रहा हूं सिरोही जिले का। सिरोही जिले की जिला परिषद ने....

श्री अध्यक्ष : जो तथ्य आये हैं मेरे ख्याल से मैं इन्टरेस्टेड हूं कि इनका सरकार ठीक से रिप्लाई दे। मैं इसको हश-अप नहीं करूंगा। आधा घंटा चलेगी, चिन्ता मत कीजिए। पहले जो मुख्य तथ्य आये हैं पहले उनका जवाब तो आ जाये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने रविवार दिनांक 29-3-92 को वायरलैस मैसेज भेजा रेवदर के बी. डी. ओ. को कि आप तुरन्त आइयें। वह जिला हैड क्वार्टर पर आये और आते ही उनको कहा कि जो नियुक्तियों के मामले आपके यहां पेन्डिंग पड़े हैं अध्यापकों के....

श्री अध्यक्ष : यह कौन सी तारीख है ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : 29-3-92 अभी इसी रविवार को जो अपना क्रिकेट का मेच था। अध्यक्ष महोदय, उस दिन 4 बजे वायरलैस मैसेज करके रेवदर बी.डी.ओ. को काल किया और उन्होंने कहा कि जो नियुक्तियां देनी हैं फटाफट दे दो नहीं तो यह फर्जी डिग्रियों की जांच हो रही है यह सारी रुक जायेंगी और अधर में लटक जायेंगी। उसके आधार पर 30-3-92 को नियुक्तियां जारी कर दी गयीं 24 घण्टे के अन्दर-अन्दर। इस प्रकार की अफरातफरी बाकी जिलों में भी मची है। वह 90 लोगों की सूची है, अध्यक्ष महोदय, और उसमें जो नाम शामिल हैं वह नारायण लाल सुथार, चन्दनसिंह, शौकतअली, ईश्वरसिंह इस प्रकार के नाम उसमें शामिल हैं जिनकी डिग्रियां फर्जी होने का पूरा सन्देह है। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी सिरोही जिले में ओमप्रकाश, अमृतलाल और निरंजनसिंह जैसे लोग फर्जी डिग्री वाले लग चुके हैं। उनकी शिकायत हो चुकी है लेकिन अभी तक उनको हटाया भी नहीं गया है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जालोर जिला परिषद में फर्जी डिग्री के मामले को लेकर इतना हंगामा होने के बाद भी इस प्रकार के लोगों को वहां पर नियुक्तियां दी जा रही हैं शिक्षा विभाग में। जिला परिषद् में जांच चल रही है और शिक्षा विभाग में नियुक्तियां दी जा रही हैं। जिस व्यक्ति का जिला परिषद् में फर्जी डिग्री का प्रमाणित होना मान लिया गया, पाया गया उसी व्यक्ति को जिला परिषद् ने नियुक्ति दे दी। ऐसे भी उदाहरण सामने आये हैं।

अध्यक्ष महोदय, उन सब के खिलाफ शिक्षा विभाग और जिला परिषद् दोनों मिलकर कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय, लोगों ने ऐसी-ऐसी कलाकारियां की हैं मैं एक उदाहरण और पेश करके कहना चाहता हूं कि एक माखराराम विश्नोई है जो कि जालोर जिले में अध्यापक के पद पर कार्यरत है 2-2-90 से पोस्टेड है, उसका जो रेकार्ड है वह मैं पेश करूं। बड़ा आश्चर्यजनक और मनोरंजक तथ्य है। उसने बी.एस.सी. याने साइन्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उसने बी.एड. संस्कृत में किया। शिक्षा विभाग के नियमानुसार साइन्स में ग्रेजुएशन करने वाला संस्कृत में बी.एड. अलाऊ नहीं है। उसके बावजूद उसने बी.एड. की डिग्री संस्कृत की है उसकी जो बी.एड. की मार्क्स शीट है वह बनारस यूनिवर्सिटी की है। बी.एड. का जो उसने करैक्टर सर्टिफिकेट पेश किया है वह जालंधर यूनिवर्सिटी का है और जो बी.एड. की डिग्री पेश की है वह दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। अध्यक्ष महोदय, वह जालोर जिले में शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहा है दो साल से।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उसको तो वाइस चान्सलर बना दो आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग : वह बीकानेर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाने लायक है।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से मांग करता हूं और एक तथ्य और ध्यान में लाना चाहता हूं कि जयपुर जो राजधानी है और राजस्थान की विधान सभा की नाक के नीचे महाराजा संस्कृत कालेज में एक व्यक्ति जो लगा हुआ है, प्रिन्सिपल के पद पर अभी कार्य कर रहा है और जिसके लिए मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगा रखा है राधाकृष्ण शास्त्री, चूंकि प्रसंग है इसलिए उसका उल्लेख कर रहा हूं, उसकी डिग्री फर्जी है, मार्क्सशीट फर्जी है, उस व्यक्ति ने लिख कर मुझे दिया है कि मैंने यहां केन्द्र जयपुर में परीक्षा दी थी और उस परीक्षा के बाद मेरे को मार्क्स शीट रामजी लाल, जो वहां के केन्द्र अधीक्षक थे उस समय उस परीक्षा के, आज कल जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग के डीन हैं उन्होंने मुझे तो मार्क्सशीट लाकर दी थी। वह फर्जी है या सही है, भगवान जाने। ऐसा उन्होंने मुझे लिखकर दिया है। रामजी लाल ने इस प्रकार की 200 डिग्रियां सप्लाई की हैं। उन सब की जांच हो। इतना महत्वपूर्ण मामला, 26 फरवरी को मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के लिए लगाया था वह अब तक आया नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इन फर्जी डिग्रियों की जांच की जाये। पिछले सालों की भी जांच की जाय, जो नौकरियों में लग चुके हैं, उनकी भी जांच की जाय, ऐसे सब लोगों को नौकरियों से हटाया जाय, उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाय और साथ ही साथ उनके खिलाफ इससे भी कठोर कार्यवाही की जाय जिन्होंने डिग्रियां सप्लाई की हैं। एक निवेदन और है कि जो जालोर जिले में शिक्षा विभाग में जो मैरिट सूची बनी थी, वरीयता सूची बनी थी उसकी अंतिम तिथि 31 मार्च, 1992 थी....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इनके लिए टाडा कानून में प्रावधान कर दो। सब को टाडा में बंद कर दो।

श्री जोगेश्वर गर्ग : चूंकि 31 मार्च, 1992 जा चुकी है। वह वरीयता सूची लैप्स हो जायेगी, निरस्त हो जाएगी जबकि उस सूची में से कई लोग फर्जी पाये गये हैं इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि 31-3-92 को समाप्त होने वाली उस वरीयता सूची को आगे बढ़ाया जाय और उसमें जो अवैध डिग्री वाले पाये गये हैं उनको उन लोगों को निकालने के बाद जिन लोगों की वास्तव में सही डिग्रियां हैं उनको ही नियुक्ति दी जाय। इससे मेहनत कर के पास होने वाले, पढ़ कर पास होने वाले युवकों को प्रोत्साहन मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में जांच होनी चाहिए। इस प्रकार के मामले पहले भी विधान सभा में उठे हैं। जांच भी हुई है और वह जांच रफा-दफा हो गयी ...

श्री अध्यक्ष : अब आप ज्यादा कर रहे हैं। अब हो गयी आपकी बात....

श्री जोगेश्वर गर्ग : यह जांच रफा-दफा नहीं हो, यह पुख्ता व्यवस्था करें।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (पंचायत राज मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस तरह के एक घपले का भण्डाफोड़ किया । मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यापकों के रिक्त पदों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में जो प्रार्थना पत्र जालोर में आये थे और उनके साथ डिग्रियों की प्रतियां लगाई गई थीं, उन पर जिला परिषद् जालोर में ही यह संदेह उत्पन्न हुआ था कि यह डिग्रियां नकली लगती हैं इसलिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जालोर ने यह उचित समझा कि इन डिग्रियों की जांच करा ली जाय । करीब 9 विश्वविद्यालयों की डिग्रियों के बारे में संदेह था और उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों के बारे में लिखा और उत्तर प्राप्त नहीं होने पर कई स्थानों पर अपने आदमी भी भेजे । यह जांच जारी थी जब यह प्रश्न पूछा गया था ।

यहां मैं बताना उचित समझूंगा कि यह जांच न तो राज्य सरकार के आदेश से प्रारम्भ की गयी थी और न ही इस जांच के बारे में राज्य सरकार को कोई सूचना प्रश्न पूछने की तिथि तक थी । प्रश्न का उत्तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जालोर से प्राप्त होने पर पता चला कि वहां इस तरह की फर्जी डिग्रियों की जांच जारी है अतः उनसे पूर्ण सूचना मंगाई गयी । इस सूचना के आधार पर पता चला कि माह अक्टूबर, 1991 में अध्यापकों के रिक्त पदों की भर्ती हेतु जिला परिषद जालोर द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें 1248 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे । उक्त प्रार्थना पत्रों में से 254 पुरुषों के और 247 महिला प्रत्याशियों के मूल प्रार्थना पत्रों के सत्यापन हेतु माह दिसम्बर, 1991 में बुलाया गया था । मैरिट सूची 52 पुरुष एवं 81 महिला प्रत्याशियों की दिनांक 28-12-91 को जारी की गयी लेकिन उसमें से 18 पुरुष और 4 महिला प्रत्याशियों के नाम विचाराधीन रखे गये और उनको नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये गये, क्योंकि डिग्रियां राजस्थान से बाहर के विश्वविद्यालयों की थीं और जिला स्तर पर यह उचित समझा गया कि इनकी नियुक्ति से पूर्व इनकी सत्यता की जांच करा ली जाय ।

इस प्रकार कुल 104 ऐसे व्यक्तियों की डिग्रियों की जांच, जिनकी डिग्रियां राजस्थान के बाहर के विश्वविद्यालयों की थीं, पत्राचार एवं अधिकारी भेजकर कराई गयी । जिनमें से अवध विश्वविद्यालय की 28 डिग्रियों का मामला था, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जोनपुर की 23 डिग्रियों का मामला था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 4 डिग्रियों का मामला था जिनके पूर्ण उत्तर मिल गये । यह सभी डिग्रियां, यानि 55 डिग्रियां फर्जी थीं ।

इसी प्रकार कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर के 21 डिग्रियों के मामले में 11 के उत्तर 19 फरवरी तक प्राप्त हो गये थे जिनमें फर्जी डिग्रियां बताई गयी थीं और

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

10 के उत्तर आने शेष थे। केवल महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक की सातों डिग्रियां सही पायी गयीं। अन्य 4 विश्वविद्यालयों यानि रानि दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर की 17, सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी की 2 डिग्रियां, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवां की एक डिग्री और गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद की एक डिग्री के सम्बन्ध में अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार 104 में से 66 मामलों में उत्तर प्राप्त हुए हैं कि वह डिग्रियां फर्जी थीं, केवल 7 मामलों में डिग्रियां सही पायी गयीं एवं 31 मामलों में जांच अभी भी विचाराधीन है।

इस प्रकार विस्तृत सूचना राज्य सरकार द्वारा मांगे जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जालोर ने दिनांक 1 मार्च, 1992 को पहली बार रिपोर्ट दी और यह रिपोर्ट भी जांच की अंतरिम रिपोर्ट है इसलिए यह कहना गलत है कि इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व कोई जांच राज्य सरकार के पास आ गयी थी और उस पर कार्यवाही नहीं कर उसको दबाने का प्रयास किसी भी रूप में किया गया। मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि 28-2-92 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी की मौखिक रिपोर्ट एवं दिनांक 1 मार्च, 1992 को जालोर की प्राप्त....

श्री अध्यक्ष : ... 1-5 या 1 मार्च....

श्री हरलाल सिंह खर्रा : मार्च है, 1 मार्च।

श्री अध्यक्ष : 1 मार्च।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : अंतरिम जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं और इसके बारे में परिपत्र जारी किये हैं मैं जिनका उल्लेख करना चाहूंगा।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21-3-92 को सभी जिला कलक्टरों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला परिषदों को यह निर्देश प्रसारित किये हैं कि राजस्थान के बाहर के विश्वविद्यालयों, बोर्डों की सभी डिग्रियों की जांच कराये और जांच के परिणामस्वरूप जिनकी डिग्री फर्जी पाई गयी है एवं पाई जाय, ऐसे व्यक्तियों को नियमानुसार नौकरी से अलग करने के नोटिस देकर कार्यवाही करें एवं उनके खिलाफ फर्जी डिग्री देने के लिए पुलिस में अभियोग भी दर्ज कराये। इस परिपत्र की प्रति शिक्षा सचिव को भी भेज दी गयी है कि वे भी शिक्षा विभाग में नियुक्ति पाने वाले ऐसे अध्यापकों की डिग्रियों की जांच करायें जिन्होंने राजस्थान से बाहर के विश्वविद्यालयों की डिग्री अपनी योग्यता के सन्दर्भ में प्रस्तुत की हैं। सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रदत्त आश्वासन के अनुरूप दिनांक 16-3-92 को ही शिक्षा सचिव को उनके विभाग में ऐसे नियुक्त अभ्यर्थियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिये लिख दिया गया था तथा दोषियों के विरुद्ध जांच कर आरोप पत्र भेजने हेतु भी उक्त तिथि को जिला कलक्टर, जालोर को लिख दिया

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

गया था। जारी प्रपत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

माननीय अध्यक्षजी, जालोर में पुलिस केस भी 21 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज करा दिये गये हैं और मैं यह चाहता हूं कि जो इस तरह के फर्जी डिग्रियों वाले लोग हैं उनके खिलाफ पुलिस केस बनाये जायं जिससे आगे इस तरह का एक भय पैदा हो कि लोग नाजायज फायदा नहीं उठा सकें और इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के फर्जी डिग्रियों के पहले के भी जितने भी मामले हैं उनके लिये भी हमने आदेश दिये हैं और उनकी भी जल्दी से जल्दी जांच कराई जाकर के यदि वे फर्जी पाई गयी, जिस तरह से माननीय सदस्य ने बताया कि 10-12 साल से इस तरह के जाल चल रहे हैं, तो उनका भी पर्दाफाश कर के, उनको भी कानून के शिकंजे में कसा जाय, यह मैं आश्वासन देना चाहूंगा। यह कार्यवाही हमने शुरू कर दी है। और सारे जिला कलक्टर्स को, सी. ओज. को यह आदेश दे दिये हैं और आगे भी यह आदेश दिये हैं, जो भी बाहर के विश्वविद्यालयों के छात्र मेरिट में आते हैं, जब तक उनकी जांच नहीं हो जाय तब तक उनको अपाइन्टमेंट लैटर नहीं दिये जायं, चाहे महीना लगे, चाहे दो महीना लगे, उनको अपाइन्टमेंट लैटर नहीं दिये जायं। जो पुराने भी इस तरह के कोई मामले खुले, तो उनको भी खोलें। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहां विकास विभाग में मानिटरिंग के लिये एक अधिकारी, जो ईमानदार होगा, इसके लिये स्पेशल लगाकर महीने दो महीने के अन्दर इन सारे मामलों की जांच करवा कर सही स्थिति पैदा करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ...

श्री अध्यक्ष : माननीय गोपाल सिंह जी।

श्री गोपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं नाम बोल रहा हूं। माननीय गोपालसिंहजी। आप सुनते रहिये। मुझे सब आपके हाथ दिख रहे हैं। देखिये, इस मामले का अब आपको मजा लेना है तो लेते रहिये। मगर इसको आप गंभीरता से लीजिये, पाइन्टेड क्वेश्चन करिये। गवर्नमेंट ने अपनी पोजिशन बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब आप पूछिये।....(व्यवधान) मैं जरूरत समझूंगा, पूछूंगा। पहले मुझे पूछना है?

श्री गोपाल सिंह (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्रीजी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा और चाहूंगा कि वह इसके ऊपर खास तौर से ध्यान दें। जब यह मेरिट बनी, यह मेरिट बनने के साथ में फर्जी डिग्री वालों को मेरिट में ले लिया गया और लेने के बाद वह जो चार-चार साल तक, छह-छह साल तक पढ़ाई करके बी.ए., बी.ऐड. की डिग्री लेकर पीछे छोड़ दिये गये इस वजह से कि दस हजार रुपये दे करके मैं फर्जी डिग्री लेकर के आ गया और दो साल तक मास्टर बन कर

(श्री गोपाल सिंह)

बैठ गया और जो छह साल से पढ़ाई करने के बाद आज उस मेरिट से बाहर रह गये हैं उनकी वरीयता वैसी की वैसी बनी रहे। जब यह प्रूव हो जाय फाइनली कि इतनी डिग्रियां फर्जी हैं तो उनको आप ऊपर खिसका दें जिससे कि वह हताश न हो और अगर इस देरी की वजह से उनकी ऐज लिमिट निकल रही है सर्विस में आने की तो कम से कम उससे वह महरूम नहीं रहें। मैं चाहूंगा कि इसी तरह से जितनी बाहरी डिग्री लिये हुए आगे भी कोई नौकरियां ली हैं, दस साल तक की, पन्द्रह साल तक की, तो उसका भी पता लगायें। मुझे लगता है जो राजस्थान मे ज्यादातर बाहर की डिग्रियां आई हैं उनमें शंका पैदा करने वाली बात ज्यादातर हो ही जाती है, लिहाजा इसके ऊपर खास तौर से मंत्री महोदय ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकम चन्दकांत।

श्री टीकमचंद कांत : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न के पूरक प्रश्न के अन्दर मैंने पूछा भी था, सिरोही में ऐसी शिकायतें आपको प्राप्त हुई हैं लेकिन लगता ऐसा है, शायद सिरोही में इनके आदेश, वह फर्जी डिग्रियों की या बाहर की डिग्रियों की पहले जांच करलें उनके बाद उनको अपाइन्टमेंट देने की बात है, शायद नहीं पहुंचे हैं इसी कारण से जैसा कि अभी मालूम हुआ 29 तारीख को वायरलैस से बी. डी. ओ. को बुलाकर उनके सी. ओ. ने 90 लोगों को जो नियुक्तियां दी हैं, तो क्या मतलब 90 लोगों को नियुक्तियां दी हैं उनको भी रद्द करके वापस पूर्णतया उनकी जांच करके उसके बाद वह करेंगे ? इसी सी. ओ. के विरुद्ध मुंसिफ मजिस्ट्रेट, सिरोही ने एक निर्णय दिया है जिसके अन्दर उन्होंने यह बताया है, इस सी. ओ. ने एक फर्स्ट डिवीजन लड़की विमला कुमारी की मार्क शीट प्रार्थना पत्र के अन्दर से निकाल कर अलग रख दी और अपनी लड़की को उसके अन्दर अपाइन्टमेंट दिला दिया, मतलब इस प्रकार के भी काण्ड हुए हैं। छोगाराम नाम का एक मेघवाल था जिसका चयन शिक्षा विभाग ने तो कर दिया....

श्री अध्यक्ष : अब आप यह नयी बात मत पूछिये। प्रश्न रेस्ट्रिक्टेड है उनका। सारे राजस्थान में रह तो स्पेशल सैल करने जा रहे हैं, स्पेशल आफिसर नियुक्त कर रहे हैं पूरे राजस्थान के लिये। उन्होंने सारे कलक्टर्स को भेज दिया है।

श्री टीकमचंद कांत : 90 लोग, जो परसों इन्होंने नियुक्तियां दी हैं और जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने बताया....

श्री अध्यक्ष : बस यही रेलेवेन्ट है। आप बैठिये।

श्री टीकमचंद कांत : बिना जांच के नियुक्तियां दी हैं तो यह आदेश पहुंचे कि नहीं पहुंचे ?

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। आप दवे साहब, कुछ पूछ रहे हैं ? इसी पर जो आपको जवाब में उन्होंने कहा है उसमें कोई नयी चीज पूछनी है तो पूछिये। अपने यहां की रिपीट मत करिये कि आपके यहां क्या हुआ। यदि आपको यह करना है कि

(श्री अध्यक्ष)

सोजत में क्या क्या हुआ, पाली में क्या क्या हुआ तो तो बैठ जाइये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो फर्जी डिग्रियों की बात चल रही है....

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, यह प्रश्न है जालोर का और उसमें स्पेसिफिक बातें आई हैं। आप यदि उन स्पेसिफिक बातों पर मंत्रीजी से कुछ पूछना चाहें तो पूछिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मैं मंत्रीजी को जो जानकारी है, साहब, जो स्पेसिफिक वहां से वाइस चांसलर ने लिखकर भेजा है कि यह इन-इन नामों की....

श्री अध्यक्ष : वह छोड़िये। वह तो सब आ गया। वह तो इन्होंने मान लिया।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : पाली से संबंधित बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पाली की नहीं। बैठिये आप। आपको अमृतजी किसके बारे में पूछना है? पाली के बारे में? हां, पूछिये, चलिये।

श्री अमृतलाल परमार : जो फर्जी सी. ओ. था, जो पाली में रहा हुआ है, अभी सिरोही में है, जिनका नाम करीब-करीब आ चुका है यहां पर, उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे?, क्यों, नहीं? मैं चाहता हूं कि अविलम्ब उनको हटाया जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। रघुवीरसिंह जी पूछ रहे हैं। रघुवीरसिंह जी पूछ रहे हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि यह आदेश भेज दिये हैं कि बाहर की डिग्रियों वालों को फिलहाल अपाइन्टमेंट नहीं दिये जायं। किन्तु यह आदेश अभी कहीं पहुंचे नहीं हैं। बल्कि आपका यह आदेश वहां पहुंच चुका है कि 31 मार्च तक सबको अपाइन्टमेंट दे दिये जाये। उस आदेश के अन्तर्गत हड़बड़ी मची हुई है और अपाइन्टमेंट दिये जा रहे हैं और मैरिट लिस्ट में सबसे ऊपर फर्स्ट, सैकिण्ड, थर्ड, फोर्थ बाहर की यूनिवर्सिटी के लोग आ रहे हैं, यहां की यूनिवर्सिटी के लोग नहीं आ रहे। आपने जो जांच के लिये कहा है, जो पत्र दिये जाते हैं वह यूनिवर्सिटी जवाब नहीं देती। आप बाहर की यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, सैकण्डरी बोर्ड की तीन डिग्रियां वहां से जब हमने आग्रह करके एक व्यक्ति को भेजा, तीनों फर्जी पायी गयीं।

श्री अध्यक्ष : यह तो अब आदमी भेज रहे हैं ना। अभी तक जो आती रही हैं, पकड़ में आयी नहीं....(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह जब तक नहीं हो, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, वायरलैस से यह सूचना जानी चाहिये कि उनको अपाइन्टमेंट नहीं दिया जाय वरना कोर्ट वगैरह से स्टे इसमें भी हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : विश्नोई जी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन तो सुनिये।

Page No. 216

(216)

श्री अध्यक्ष : आप, देखिये, इसमें पाइन्टेड क्वेश्चन हो तो करिये। आप सलाह दे रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं पाइन्टेड क्वेश्चन एक यह कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, वही करिये आप।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यदि सब जगह कुछ केसेज पुलिस में दर्ज करा दिये जायं....

श्री अध्यक्ष : यह कोई पाइन्टेड क्वेश्चन नहीं है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : तो फर्जी डिग्री वाले नहीं आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, मैं आपको बताता हूं, पाइन्टेड क्वेश्चन कैसे होते हैं।....(व्यवधान) आप बैठिये पहले, आप बैठिये। आप कोई पाइन्टेड क्वेश्चन नहीं करेंगे, भाषण झाड़ेंगे। मुझे यह बताइये कि इन्होंने कहा कि 9.2 को आपके पास में इन्टरिम रिपोर्ट आ गयी, 9.2 को। आप कह रहे हैं कि 1-3-92 को आई। एक बार सुन लीजिये। इस स्थिति को स्पष्ट करिये, उनका कहना है कि इन्टरिम रिपोर्ट 9.2 को आ गयी, यदि 9.2 को आपके पास इन्टरिम रिपोर्ट आयी तो आपने जो जवाब दिया है उस जवाब में उसका उल्लेख नहीं किया।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : नहीं, मैंने कर दिया ना, अध्यक्ष महोदय। मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह 9.2 को आयी कि 1.3 को ?

श्री हरलाल सिंह खर्रा : नहीं, हमारे को 1 मार्च को आयी। 9.2 को उन्होंने जिला परिषद में दे दी।

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : जो पंच था उसने जिला परिषद में दे दी, राज्य सरकार के पास तो 1 मार्च को आई है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है बस। ऐसी कोई बात हो तो पूछिये, विश्नोईजी।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : जब क्वेश्चन आने के बाद ही मालूम पड़ा है राज्य सरकार को।

श्री अध्यक्ष : अब मैं पूछवा रहा हूं। विश्नोईजी, पूछिये। मैंने आपको केवल उदाहरण के लिए पूछा है इस सम्बन्ध में केवल यही सवाल पूछिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उदाहरण के लिये मैं पूछ रहा हूं, क्या डिग्रीयों की जांच किये बिना शिक्षा विभाग में नियुक्तियां नहीं दे दी गयीं ? सबको अपाइन्टमेंट दे दिये गये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये, वह सवाल टीकमचन्द कांत पूछ चुके हैं, वह सवाल सारे पूछ चुके हैं कि भाई, 29 तारीख को आपने फिर यह वायरलैस मैसेज देकर यह सारा प्रकरण जांच के अधीन होते हुए भी 30 तारीख को अपाइन्टमेंट की लिस्ट जारी हुई है। यह तो आ चुके सवाल। आप पूछिये, कोई पाइन्टेड ऐसी कोई बात करिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी खुद को मालूम है कि अपने प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद जब सलेक्सन कर रही थी, वह चाहते थे हमारे लोकल आदमी, जिले के आदमी, ज्यादा से ज्यादा एडजेस्ट हों। उस समय आपके यहां से आदेश दिये थे कि आप नम्बर से लेंगे। जिसके ज्यादा नम्बर हैं, चाहे बी. एड. एस.टी सी. किये हुए, उनको आप लेंगे। एक तो वह सी. ओ. थे जिलों के अन्दर, उनको मौका मिल गया पैसे लेने का और खाने का और बाहर से जो फर्जी डिग्रियां, जो अच्छे नम्बर लाने वाले थे उनको मौका मिल गया। वैसा जालोर में ही नहीं हुआ है, बाड़मेर में चार सौ अध्यापकों का सलेक्सन हुआ है।

श्री अध्यक्ष : वह तो अब सरकार स्पेशल सैल बना रही है इसके लिए स्पेशल आफिसर डेपूट कर रही है। सारे राजस्थान के लिये कर रही है। देखिये, इतने साफ शब्दों में इस बात को मान ली कि पूरे राजस्थान के पैमाने पर हुआ है तो स्पेशल सैल बना रहे हैं, स्पेशल आफिसर लगा रहे हैं जो इस काम में लगा रहेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अपने प्रदेश के अन्दर बेरोजगारी इतनी बड़ी है।

श्री अध्यक्ष : हां, है बिल्कुल। तो वह भी कंसीडर हो जाएगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : सैंकड़ों लोग काल से ग्रसित हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : महावीर जी, आप क्या पूछ रहे हैं... (व्यवधान) एक साथ बोलेंगे, क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं जब 9-2-92 को प्रारम्भिक रिपोर्ट मिल गयी...

श्री अध्यक्ष : जिला परिषद में, इनके पास नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिला परिषद में। जिला परिषद में जब यह रिपोर्ट आ गयी कि यह लोग फर्जी हैं उसके बाद जब तय हो गया, उसके बाद जो अपाइंटमेंट दिये गये, उसके लिए कोई रेसपोंसिबिलिटी फिक्स करके आप उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जाने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री माहिर आजाद क्या पूछ रहे हैं ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि मेरिट लिस्ट बनी और जो उसके फर्स्ट नम्बर पर आये, मेरिट में आये, उनको आपने अपाइंटमेंट दे दिया। बाद में उनकी डिग्री तो फर्जी पायी गई लेकिन जो उसके बाद लिस्ट में थे प्रायोरिटी लिस्ट में या रिजर्व लिस्ट में, उनमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ओवर एज हो गये। क्या आप उसी योग्यता सूची को मानते हुए, उनको लाभ देकर नियुक्ति देंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। कल्ला जी आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जालोर में निश्चित रूप से फर्जी डिग्री ....

श्री अध्यक्ष : देखिये, हाफ एन ग्रावर डिसक्शन पर यह इस तरह का नहीं है, मगर चूंकि इसको आपने राजस्थान का बना दिया है। बाकी तो हाफ एन ग्रावर डिसक्शन में तो जो चाहता है उसी को सवाल ग्रौर जवाब का है, लेकिन अब आपने बना दिया है इसको।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं जालोर के बारे में ही पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने....

श्री अध्यक्ष : इसलिए ग्रौर किसी हाफ एन ग्रावर डिसक्शन पर कृपया प्रयास नहीं करें, इसको उदाहरण न समझें।

श्री चन्नीलाल खण्डार : अध्यक्ष महोदय, चाहे शिक्षा विभाग हो ग्रौर चाहे पंचायत विभाग हो....

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। आप कहां से खड़े हो गये।

श्री चन्नीलाल खण्डार : पूरे राजस्थान के अन्दर नियुक्तियों में धांधली हुई है....

श्री अध्यक्ष : हां कल्ला जी पूछिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जालोर के इस उद्धरण को ध्यान में रखते हुए क्या राज्य सरकार भविष्य में राजस्थान के मूल निवासियों को पंचायत या जिला परिषद के माध्यम से रखे जाने वाले अध्यापकों को प्राथमिकता देगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री मदान साहब, क्या पूछ रहे हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : बहुत छोटा ग्रौर साधारण सा प्रश्न है कि जब एक तरफ मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि ऐसी डिग्रियां जो गलत पायी गई....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं आप सवाल पूछिये।

श्री अर्जुनदास मदान : नहीं, सवाल ही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब मैं देखिये, भूमिका बंद कर दूंगा, भूमिका बांधने लगे तो आप।

श्री अर्जुनदास मदान : उनके निवेदन को स्थगित कर दिया गया था।

श्री अध्यक्ष : You ask pointed question if you have to say.

श्री अर्जुनदास मदान : केवल मात्र मेरा यह निवेदन है कि जब यह अपाइंटमेंट स्थगित होंगे तो बच्चों की परीक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं पड़े, इसकी कोई व्यवस्था राज्य सरकार के पास है क्या ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आप पूछिये, क्या पूछ रहे हैं सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब इनको पता है कि राजस्थान के बाहर की सभी डिग्रियां करीब-करीब

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

50 प्रतिशत फर्जी हैं, तो क्या राजस्थान के बाहर की डिग्रियों पर पाबंदी लगायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : ऐसे होता है क्या ? आप बैठिये। सारे राजस्थान की यूनिवर्सिटीज को बेन कर सकती है क्या गवर्नमेंट बिना सोचे समझे। क्या बात कर रहे हैं ? हां, पूछिये रमाकांत जी। यह कोई जनरल आर्डर होता है क्या ?

श्री रमाकांत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो प्रश्न यह है कि जब 9/2 को वहां पर पंथ की रिपोर्ट आ गई थी और 28.2 को जब यह प्रश्न था तो चीफ एकज्यूकेटिव आफिसर ने और कलेक्टर ने यहां सूचना नहीं दी, इसके लिए उनके अगेनस्ट में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अध्यक्ष : बिलकुल ठीक है। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) अब आपका क्या रह गया ? जांच में काम आयेगी आपके लिए तारीख। यह जांच में काम आयेगी। अब इनका जवाब सुन लीजिए आप। (व्यवधान) जवाब तो आ जाने दीजिए।

श्री हरलालसिंह खर्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने प्रश्न रखा कि जो बाहर की डिग्रियों के लोग हैं, जिनकी सही डिग्रियां हैं, उनके लिए जगह खाली रखी जाये। मैंने यह पहले ही निवेदन कर दिया कि हमने यह किया है कि जो भी बाहर की डिग्रियां हैं, मैरिट में जो लड़के आते हैं, उनको अपाइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाये जब तक उनकी जांच होकर नहीं आ जाये और उनके लिए मैरिट में जगह रखी जाये। यदि 30 तारीख बढ़ने की शंका है, वह तो बढ़ने की चल रही है लेकिन वह वायरलैस से कल और इत्तला दिलवा देंगे। सारे राजस्थान में जो ऐसे लोगों को....

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह एक रमाकांत जी का जवाब दे दीजिए।

श्री हरलालसिंह खर्रा : 9-2-92 को वहां जो रिपोर्ट दी....

श्री अध्यक्ष : तो उन्होंने आपको सूचना नहीं दी।

श्री हरलालसिंह खर्रा : हमें यहां गलत जवाब दिया, उसके बारे में उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उसी रोज, 29 तारीख को ही लिख दिया गया था और उनसे जवाब मांग लिया गया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं... अब आपका क्या रह गया ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो सेल बना रहे हैं और जांच अधिकारी उसके लिए नियुक्त कर रहे हैं, वह किस स्तर का होगा ? दूसरे....

श्री हरलालसिंह खर्रा : जांच तो वहीं होगी लेकिन मोनेटरिंग के लिए हम यहां एक व्यवस्था कर रहे हैं जो सारे राजस्थान में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करवा दे।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं राजस्थान के संदर्भ में ही बात कर रहा हूं। जब राजस्थान भर के लिए आप सेल बनाने जा रहे हैं तो किस स्तर का अधिकारी उसका इंचार्ज होगा। दूसरा, उस सेल को, रेट्रोसपेक्टिव इफैक्ट से काम करने का अधिकार होगा क्या? जो पहले फर्जी डिग्रियों से नौकरियां पा गये। तीसरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, कि जिला परिषद जालौर को जो 9/2 को रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी, उसके बावजूद उन्होंने गलत जवाब दिया है विधान सभा को। चपरासी से लेकर कलक्टर तक को मालूम था कि जांच रिपोर्ट आ चुकी है, उसके बावजूद विधान सभा को जो गलत जवाब दिया, उसके लिए क्या कार्यवाही होगी? अन्तिम प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, फर्जी डिग्री की तरह, बी.एड. की तरह ही फर्जी बोनाफाइड सर्टिफिकेट से भी यह लोग नौकरियों में लगे हैं। बाहर के लोग जालौर के मूल निवासी बनकर लगे हैं। स्थानीय अधिकारियों की मार्फत केयर आफ एड्रेस देकर उन्होंने, पिछले पांच सालों में हजारों लोग ऐसे बोनाफाइड बनकर लगे हैं, उनकी भी जांच करवायी जावे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। दो बात पूछ रहे हैं। एक तो इसका स्कोप कि जो पहले से लोग लगे हुए हैं फर्जी डिग्री वाले, वह भी इस जांच में शामिल होंगे।

श्री हरलालसिंह खर्रा : हां, जांच में आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : हां, दूसरा वह पूछ रहे हैं कि 9 तारीख को जिला कलक्टर और उनको जब मालूम था तो उन्होंने आपको इनफोर्म नहीं किया। आपको 28 को जवाब देना था, तो उनसे पूछा कि नहीं या पूछा ही नहीं?

श्री हरलालसिंह खर्रा : नहीं हमने तो अधिकारी, जिसका दोष है उसके लिए लिखा है कलक्टर को, जांच करके ..

श्री जोगेश्वर गर्ग : कलक्टर खुद दोषी है।

श्री अध्यक्ष : उनका पूछना यह है कि 9 तारीख को इंटरिम रिपोर्ट वहां जिला परिषद में आ गई तो जब आपको 28 को जवाब देना था, तो उसके पहले आपने उनसे पूछा क्या कि इस सबंध में क्या स्थिति है? या उन्होंने कोई रिपोर्ट दी क्या आपको?

श्री हरलालसिंह खर्रा : नहीं। जो 9 तारीख को जो आ गई थी उससे पहले जब प्रश्न आया, तब हमने उनसे टेलीफोन पर बात करवाई थी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो 28 को आया है और वहां रिपोर्ट हो गई 9/2 को। इस बीच में उन्होंने आपको इनफोर्मेशन भेजी क्या?

श्री हरलालसिंह खर्रा : नहीं, कोई इनफोर्मेशन नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष : आपने मंगवाई भी नहीं ?

श्री हरलालसिंह खर्रा : प्रश्न आने के बाद ही....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता जब सारी चीजों पर स्पष्ट रूप से कह दिया कि हर चीज पर एक्शन लेंगे, जिन्होंने फर्जी डिग्रियां दी है, उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, जिन आफिसरों ने फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्तियां दी हैं, उन पर एक्शन ले रहे हैं, जो फर्जी डिग्री से भर्ती हो गये, उनको निकाल रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता किस बात की सूचना चाही जा रही है।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 2-4-92 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही आज दिनांक 1-4-92 को सायं 6 बजकर 28 मिनट पर कल दिनांक 2-4-92 को 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Page No. 222

(222)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 728 का ब्यौरा

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न एजेन्सियों की मार्फत संचालित होने वाले स्टेडियमों की सूची

क्र.सं.	स्थान	जिला	प्रायोजित संस्था का नाम
1	2	3	4
1.	अजमेर	अजमेर	नगर परिषद्, अजमेर
2.	अलवर	अलवर	नगर विकास न्यास, अलवर
3.	परतापुर	बांसवाड़ा	रा.उ.मा.वि, परतापुर
4.	बांसवाड़ा	,,	जिला क्रीड़ा परिषद्, बांसवाड़ा
5.	भरतपुर	भरतपुर	नगर विकास न्यास, भरतपुर
6.	बीकानेर	बीकानेर	नगर विकास न्यास, बीकानेर
7.	कालू	,,	ग्राम पंचायत, कालू
8.	बूंदी	बूंदी	नगर पालिका, बूंदी
9.	प्रतापगढ़	चित्तौड़	नगर पालिका, प्रतापगढ़
10.	चूरू	चूरू	नगर परिषद्, चूरू
11.	धौलपुर	धौलपुर	जिला क्रीड़ा परिषद्, धौलपुर
12.	ठाकरडा	डूंगरपुर	ग्राम पंचायत, ठाकरडा
13.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	जिला क्रीड़ा, परिषद्, डूंगरपुर
14.	गंगानगर	गंगानगर	जिला क्रीड़ा परिषद्, गंगानगर
15.	हनुमानगढ़	,,	नगर परिषद्, हनुमानगढ़
16.	जयपुर (चौगान)	जयपुर	नगर परिषद्, जयपुर
17.	जयपुर (एस.एम.एस.)	,,	रा.रा.क्री.प., जयपुर
18.	दौसा	दौसा	नगर पालिका, दौसा
19.	जैसलमेर	जैसलमेर	नगर पालिका, जैसलमेर
20.	जालौर	जालौर	जिला क्रीड़ा परिषद्, जालौर
21.	झुन्झुनूं	झुन्झुनूं	जिला क्रीड़ा परिषद्, झुन्झुनूं
22.	उदयपुरवाटी	,,	रा.उ.मा.वि., उदयपुरवाटी

1	2	3	4
23.	जोधपुर	जोधपुर	नगर विकास न्यास, जोधपुर
24.	तिलवासनी	,,	ग्राम पंचायत, तिलवासनी
25.	बिलाड़ा	,,	नगर पालिका, बिलाड़ा
26.	फलौदी	,,	नगर पालिका, फलौदी
27.	नावां	नागौर	नगर पालिका, नावां
28.	मकराना	,,	नगर पालिका, मकराना
29.	नागौर	,,	जिला क्रीड़ा परिषद्, नागौर
30.	पाली	पाली	नगर परिषद्, पाली
31.	करौली	सवाईमाधोपुर	जिला शिक्षाधिकारी, सवाईमाधोपुर
32.	सवाईमाधोपुर	,,	नगर परिषद्, सवाईमाधोपुर
33.	सीकर	सीकर	जिला क्रीड़ा परिषद्, सीकर
34.	आबू पर्वत	सिरोही	नगर पालिका, आबू पर्वत
35.	टौंक	टौंक	जिला क्रीड़ा परिषद्, टौंक
36.	राजसमन्द	राजसमन्द	नगर पालिका, राजसमन्द
37.	कांकरोली	,,	रा.उ.मा.वि., कांकरोली
38.	खैरवाड़ा	उदयपुर	रा.उ.मा.वि., खैरवाड़ा
39.	उदयपुर	,,	विद्या प्रचारिणी सभा, उदयपुर
40.	भिण्डर	,,	राज. भैरव उ.मा.वि., भिण्डर
41.	बनेड़िया	,,	रा.उ.मा.वि., बनेड़िया
42.	भीलवाड़ा		सुखाड़िया स्मृति समिति, भीलवाड़ा
43.	चित्तौड़		चित्तौड़ विकास समिति, चित्तौड़
44.	कोटा		जे.के. सिंथेटिक, कोटा
45.	सिरोही		नगर पालिका मण्डल, आबू पर्वत
46.	बाड़मेर		नगर परिषद्, बाड़मेर

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 729 की सूचियां

जवाहर रोजगार योजना मद में विधान सभा क्षेत्र—श्रीडूंगरगढ़ में करवाये गये सड़क निर्माण की सूची—"अ"

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृति का संदर्भ	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3	4
जिलाधीश, चूरू द्वारा स्वीकृत सड़कें :			
1.	मोमासार से लाछड़सर सड़क कि.मी. 14.500 से 19.500 (5 कि.मी.)	अतिरिक्त कलक्टर, विकास/पनि/ चूरू क्र. एफ. 14/25/जरोयो/90-91/ 6911-17 दिनांक 20-11-90	5.00
2.	सालासर-पुन्दलसर सड़क कि.मी. 0/0 से 3.700 (3.70 कि.मी.)	– ,, –	3.75
3.	गुसाईसर से डेलवा सड़क कि.मी. 0/0 से 5/0 (5 कि.मी.)	– ,, –	5.00

1	2	3	4
4.	सम्पर्क सड़क इयारा कि.मी. 0/0 से 5/0 (5 कि.मी.)	एफ. 14/(ख) जरोयो/90-91 दिनांक 30-1-91	4.00
5.	सड़ू से कल्याणसर कि.मी. 0/0 से 6/500 (6.500)	-,,-	4.00
6.	बाना बस स्टेण्ड से बाना गांव कि.मी. 0/0 से 0/500 (0.5 कि.मी.)	-,,-	1.10
7.	बाना से उपनी कि.मी. 0/500 से 7/500 (7 कि.मी.)	-,,-	4.00
8.	सम्पर्क सड़क कल्याणसर कि.मी. 7/500 से 12/500 (5 कि.मी.)	दिनांक 20-12-91	5.00
9.	सम्पर्क सड़क घनेरू कि.मी. 0/0 से 9/500 (9.500 कि.मी.)	-,,-	8.00

क्र.सं.	सड़क का नाम	निरीक्षण की दिनांक		निरीक्षण की रिपोर्ट
		अधीक्षण अभि.	अधिशाषी अभि.	
1.	सालासर पुण्डलसर सड़क	28-3-91	23-1, 9-2, 20-2 27-2, 28-3-91	कार्य सन्तोषप्रद
2.	लाहड़सर-भोमासर		23-1, 20-2, 27-2 6-4, 18-4, 30-4	"
3.	गोसाईसर डेलवा		23-1, 27-2, 30-4 28-5-91, 31-5	"
4.	इन्यारा		9-2-91, 24-4-91	"
5.	बाना बस स्टैण्ड से बाना गांव	28-3-91	8-2, 27-2, 28-3 11-4, 28-5-91 21-6-91	"
6.	बाना गांव से उपनी	28-3-91	8-2, 27-2, 28-3 11-4, 28-5, 21-6-91	"
7.	उपनी से कल्याणसर (सम्पर्क सड़क कल्याणसर)	28-3-91	8-2, 27-2, 28-3 11-4, 28-5, 21-6-91	"
8.	सम्पर्क सड़क धनेरू		8-2-91, 30-4-91 2-5-91, 28-5-91	"
9.	सडू से कल्याणसर (वाया इन्दिरा कोलोनी)		9-2-91	"

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 730 की सूचियां एवं विवरण

पाली जिले के जैतारण विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत आयुर्वेदिक औषधालय एवं इनमें स्वीकृत पदों व कार्यरत स्टाफ का विवरण

क्र. सं.	नाम औषधालय	स्टाफ का विवरण		
		चिकित्सक	नर्स/कम्पाउन्डर	चतुर्थ–श्रेणी
1.	जैतारण	श्री सुरेशचन्द गुप्ता	श्री कृष्णबल्लभ शर्मा	श्री भंवरसिंह
2.	आनन्दपुरकालू	श्री मोहनदास कौशिक	पद सृजित नहीं	श्री रामेश्वर
3.	रानीवाल	श्री हरिशचन्द्र मोघा	श्री लालचन्द	श्री जगदीश
4.	लाम्बिया	श्री रामसिंह शेखावत	श्री मसरुराम खैर	श्री आसूसिंह
5.	रास	श्री सुरेन्द्रप्रकाश निर्मल	पद सृजित नहीं	श्री लक्ष्मणसिंह
6.	चावण्डिया	श्री रविन्द्रकुमार शर्मा	श्री बालूराम शर्मा	श्री गुजराज सैन
7.	देवरिया	पद रिक्त	पद रिक्त	पद रिक्त
8.	घनेरिया	श्री राकेश शर्मा	श्री भंवरलाल मीणा	श्री गणपतलाल
9.	बेडकलाँ	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	श्री गिरधारी लाल	श्री नाथूदास

227

1	2	3	4	5
10.	निमेड़ाखुर्द	पद रिक्त	श्री कानाराम	श्री बाबूलाल
11.	कावंलियाखुर्द	श्री अब्दुलमुक्तदीन	श्री आवड़दान	श्री श्यामसिंह
12.	बीरोल	श्री दाऊदयाल	श्री राजकुमार	श्री अम्बालाल
13.	लोटोती	श्री योगेन्द्रकुमार उपाध्याय	श्री मल्लाराम	श्री मांगीलाल
14.	कंकीन्दड़ा	श्री सत्यनारायण शर्मा	पद रिक्त	श्री नन्दूसिंह
15.	मोहराई	पद रिक्त	श्री अनुपसिंह	श्री भंवरसिंह

जैतारण विधान सभा क्षेत्र में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों की वर्ष 1990-91 व 1991-92 में निर्धारित अधिकतम औषध सप्लाई सीमा का विवरण--

क्र. सं.	नाम औषधालय	1990-91	1991-92
1.	जैतारण	13100	12310
2.	आनन्दपुरकालू	11000	10490
3.	लाम्बिया	2000	4000
4.	रास	2000	4910
5.	रानीवाल	10800	10180
6.	चावण्डिया	10300	4000
7.	देवरिया	8600	5870
8.	बनेरिया	7700	4000
9.	बेडकला	2000	12040
10.	निम्बेड़ाखुर्द	4000	4000
11.	कावंलियाखुर्द	2000	4000
12.	बिरोल	7100	6680
13.	लोटोती	8200	9680
14.	कंकीन्दड़ा	2000	4000
15.	मोहराई	2000	4000

230

पाली जिले के जैतारण विधान सभा क्षेत्र में संचालित आयुर्वेद औषधालयों की दैनिक औसत रोगी संख्या का विवरण :—

क्र. सं.	नाम औषधालय	वर्ष 1991 की आउटडोर रोगी संख्या	
		वार्षिक	दैनिक औसत
1.	जैतारण	11,333	31
2.	आनन्दपुरकालू	8,804	24
3.	रानीवाल	9,738	27
4.	लाम्बिया	5,985	16
5.	रास	9,669	26
6.	चावण्डिया	8,476	23
7.	देवरिया	6,059	17
8.	घनेरिया	9,557	26
9.	बेडकलाँ	13,446	37
10.	निमेड़ा खुर्द	3,528	10
11.	कांवलिया खुर्द	4,482	12
12.	बीरोल	6,858	19
13.	लोटोती	10,957	30
14.	केकीन्दड़ा	5,835	16
15.	मोहराई	6,755	19

परिशिष्ट-4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

स्थगित प्रश्न

(बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 1992)

कब्रिस्तान हेतु आवंटित भूमि पर निर्माण/कब्जे

293. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वक्फ बोर्ड द्वारा वर्तमान में जोधपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा जिले के नगर परिषद क्षेत्र में कहां- कहां कितनी भूमि कब्रिस्तानों हेतु आवंटित की है ?

(2) उपरोक्त क्षेत्रों में कब्रिस्तानों हेतु आवंटित भूमि में कहां- कहां, कितना-कितना, किस-किस ने आवासीय या व्यवसायिक दृष्टि से निर्माण/कब्जा किया हुआ है ?

(3) क्या कब्रिस्तान हेतु आवंटित भूमि पर आवासीय या व्यावसायिक निर्माण नियमानुसार किया जा सकता है ? यदि नहीं तो अवैध निर्माण के क्या कारण हैं ? इस संबंध में किस-किस के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वक्फ बोर्ड द्वारा जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा नगर परिषद के क्षेत्र में कब्रिस्तान हेतु भूमि का कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(2) उपरोक्त नगर परिषद् क्षेत्रों में कोई कब्रिस्तान स्थित नहीं है, उस पर कब्जों का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) कब्रिस्तान की खाली भूमि को कल्याणकारी कार्य हेतु आय के स्त्रोत पैदा करने के लिए काम में लिया जा सकता है ? अतः वक्फ बोर्ड की अनुमति से आवासीय एवं व्यावसायिक निर्माण किया जा सकता है।

ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लि., महुवा के कार्यों का हस्तान्तरण

741. श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गत विधान सभा सत्र में महुआ ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड, महुआ को बन्द कर इसका कार्य राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को सुपुर्द करने का वायदा किया था ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई ?

उत्तर

जी हां इस संबंध में एक समिति का गठन कर महुआ ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड, महुआ के कार्यकलापों की समीक्षा की गई। जांच रिपोर्ट एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही की जाकर इस

(ऊर्जा मंत्री)

समिति का लाइसेन्स निरस्त करने की प्रक्रिया अब अन्तिम स्टेज में है शीघ्र ही इस संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा।

खादी संस्थानों में कार्यरत महिलाओं की मजदूरी

742. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस समय प्रदेश की विभिन्न खादी संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं को जो मजदूरी मिलती है वह कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार कतवारी की दर बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या उक्त संस्थाओं में कारीगर कल्याण कोष के प्रावधान हैं ? यदि हां, तो कारीगर की मृत्यु होने पर मृतक की लड़की/लड़के की शादी पर कितनी राशि देने का प्रावधान है ? 1989 से 31-12-1991 तक कितनी राशि, किस मृतक को दी गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में किस-किस सदस्य को मनोनीत किया है ? मनोनीत सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें। यदि बोर्ड का गठन नहीं हुआ तो क्यों ? क्या सरकार का बोर्ड को गठित करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) खादी की संस्थाओं में कार्यरत कतवारियों को भारत सरकार के खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्धारित रेट चार्ट के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है। अतः राज्य सरकार द्वारा दर बढ़ाये जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

(2) जी हां। कारीगर की मृत्यु हो जाने पर उसकी लड़की की शादी में 100/- (सौ रुपये मात्र) रूपये मात्र तक आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है। राशि का भुगतान संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिसकी सूचना बोर्ड कार्यालय को प्रेषित किये जाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। अतः भुगतान की गई राशि का विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) वर्तमान में राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में किसी गैर सरकारी सदस्य को मनोनीत नहीं किया हुआ है। बोर्ड के गठन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

झुन्झुनू की लूटू जलदाय योजना

743. **डा. चन्द्रभान** (मण्डावा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या झुन्झुनू जिले के मंडावा विधान सभा क्षेत्र में अलसीसर पंचायत समिति के खारे पानी के 54 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाली लूटू जलदाय

(डा. चन्द्रभान)

परियोजना का सरकार विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना से लाभान्वित टमकोर, रूयाली, बोडेट एवं खोरी जैसे दूरस्थ गांवों में गर्मी के मौसम में एक-एक सप्ताह तक पानी की सप्लाई नहीं होती है ? क्या सरकार इन दूरस्थ गांवों को सीधी पाइप लाइन से जोड़ने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार पानी की सप्लाई व्यवस्था में सुधार करने तथा पाईप लाइनों की चैकिंग हेतु कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने व कनिष्ठ अभियंता को जीप उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) संदर्भित योजना से 43 ग्राम लाभान्वित हैं। वर्तमान में 10 लाख रु. की अनुमानित राशि की योजना से इसका संवर्धन किया जा रहा है। योजना से लाभान्वित 6 ग्रामों में डीसेलीनेशन संयंत्र भी कार्यरत हैं।

(2) संदर्भित ग्रामों को 48 घण्टे में एक बार जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम बाडेट व रूयाली हेतु सीधी पाइप लाइन चालू की जा चुकी है तथा ग्राम टमकोर हेतु कार्य प्रगति में है।

(3) योजना पर आवश्यकतानुसार कर्मचारी नियुक्त हैं एवं उपखण्ड में उपलब्ध वाहन कनिष्ठ अभियंता मलसीसर को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाता है।

रेवदर (पाली) में बाढ़ से क्षति

744. श्री टीकम चन्द कान्त (रेवदर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछली बाढ़ के समय रेवदर विधान सभा क्षेत्र में अनुमानतः कितनी सड़कें, पुलियां एवं बड़ी नदियों के पुल क्षतिग्रस्त हुए, कितनों की मरम्मत हुई, कितना पुनर्निर्माण अभी शेष है एवं शेष को पूरा कब तक किया जाना है ? अनुमानित लागत सहित विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या करेली नदी पुल, वरमाण नाला, करौंटी पुल की कोई योजना सम्भावित है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) उक्त सड़कों की मरम्मत के अन्तर्गत किन-किन सड़कों का प्रस्ताव हुआ एवं बजट कितनी मांग के एवज में उपलब्ध करवाया गया ?

(4) क्या क्षेत्र की जिला सीमाओं को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण रास्ते एवं प्रदेश सीमाओं को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण रास्तों को सड़क से जोड़ने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कौनसा एवं उसे पूर्ण करने की योजना का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री टीकम चन्द कांत)

(5) क्या क्षेत्र के महत्वपूर्ण धार्मिक एवं मेला स्थानों जैसे रामचन्द्र जी (मालीपुरा), ईशबोरजी (पोसीन्द्रा), जागेश्वरजी (दांतराई), पाटनारायण (गिरवर) आदि को सड़क से जोड़ने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या क्षेत्र के महत्वपूर्ण मार्ग दांतराई सिलदर, दांतराई अनादरा, भटाना मडार, डाक से बास, सिलदर, हालीवाड़ा, मडिया जेला मार्ग, डोडुआ मामावली, मामावली, सिलोइया, सरतरा, वलदरा कालंदी मार्ग के लिए सड़क निर्माण की कोई योजना है?

(7) गुलाबगंज आबू पर्वत मार्ग का महत्व क्या है? अब तक इस मार्ग के सड़क निर्माण पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है और क्या अधूरे कार्य को पूर्ण करने की योजना विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय मार्ग संख्या 14 सिरोही से गुजरात सीमा वाया पिण्डवाड़ा, आबू रोड की बजाय पूर्व में प्रस्तावित मार्ग सिरोही-रेवदर मंडार होकर गुजरात को जोड़ने वाले मार्ग पर ट्रेफिक अधिक है? यदि हां, तो इस मार्ग की विस्तार योजना क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 में आई बाढ़ से विधान सभा क्षेत्र रेवदर में क्षतिग्रस्त हुई सड़कें, पुलिया एवं पुल/रपटों की सूची "अ" में संलग्न है। 23 स्वीकृत कार्यों में से 21 का मरम्मत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 2 का कार्य पूर्ण होना शेष है। काकरेली पुल के अलावा शेष कार्य अप्रेल 1992 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। काकरेली पुल सन् 1995 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) सिरोही-रेवदर राज मार्ग संख्या 27 पर करेली नदी पर सबमर्सीबल पुल निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 25-4-1991 को रुपये 40.00 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। टेण्डर भी मंजूर किये जा चुके है। वरमाण नाले पर, करांटी नदी पर वेन्टेड-काजवे बने हुए है। फिलहाल पुल बनाने की कोई योजना नहीं है।

(3) उक्त सड़कों की मरम्मत के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई सड़कें, मांगा गया बजट एवं उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण सूची "ब" में संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(5) इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण धार्मिक एवं मेला स्थानों को सड़कों से जोड़ने की लागत निम्नप्रकार से होगी :—

1. श्री रामचन्द्रजी	5 कि. मी.	16.80 लाख
2. इशबोरजी	10 कि. मी.	38.00 ,,
3. जागेश्वरजी	3 कि. मी.	12.20 ,,
4. पाटनारायण	1 कि. मी.	6.00 ,,

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उक्त गांवों की सड़कों से जोड़ना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(6) जी नहीं।

(7) सिरोही जिला मुख्यालय से गुलाब गंज होते हुए आबू पर्वत के लिए अतिरिक्त मार्ग है। इस सड़क पर 83.86 लाख रुपये व्यय किये जा चुके है। अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

(8) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शेरगढ़ (जोधपुर) के आयुर्वेदिक चिकित्सालय

745. **श्री मनोहर सिंह इन्दा (शेरगढ़)** : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ (जोधपुर) में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं कम्पाउन्डर्स के पद कहां-कहां एवं कब-कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ (जोधपुर में 20 आयुर्वेदिक औषधालय हैं। सूची (परिशिष्ट-1) सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) विवरण परिशिष्ट-1 में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही जून, 1992 तक की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ जिला जोधपुर में स्वीकृत आयुर्वेद औषधालयों, इनमें चिकित्सकों व नर्स/कम्पाउन्डरों के सृजित पदों एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	स्थान औषधालय	सृजित व रिक्त पदों का विवरण	
		चिकित्सक	नर्स/कम्पाउण्डर
1.	बालेसर	एक पद–पदस्थापित है	एक पद–पदस्थापित है
2.	बारनाऊ	एक पद–पद रिक्त मार्च, 90 से	एक पद–पदस्थापित है
3.	मालूकलाँ	एक पद–पदस्थापित है	एक पद–पदस्थापित है
4.	खुड़ियाला	एक पद–पदस्थापित है	एक पद--पदस्थापित है
5.	देवातू	एक पद--पदस्थापित है	एक पद--पदस्थापित है
6.	सोंलकियातला	एक पद--पदस्थापित है	एक पद--पदस्थापित है
7.	सेतरावा	एक पद--पदस्थापित है	एक पद--पदस्थापित है
8.	चाबा	एक पद--पदस्थापित है	एक पद--पदस्थाफ्ति है
9.	दासानिया	एक पद--पदस्थापित है	एक पद--पदस्थापित है
10.	कनोडियामहासिंह	एक पद--पदस्थापित है	एक पद--पदस्थापित है
11.	बस्तवा	एक पद--पदस्थापित है	पद सृजित नहीं है

1	2	3	4
12.	नाथडाऊ	एक पद–पदस्थापित है	पद सृजित नहीं है
13.	खीरजा तिबना	एक पद–पदस्थापित है	पद सृजित नहीं है
14.	ऊंटवालिया	एक पद–पदस्थापित है	पद सृजित नहीं है
15.	देचू	एक पद–पदस्थापित है	पद सृजित नहीं है
16.	मूंगरा	एक पद–पदस्थापित है	पद सृजित नहीं है
17.	सुवालिया	एक पद–पद रिक्त अगस्त, 91 से	पद सृजित नहीं है
18.	खींयासरिया	एक पद–पद रिक्त फरवरी, 91 से	पद सृजित नहीं है
19.	गिलाकसेर	एक पद–पद रिक्त दिसम्बर, 88 से	एक पद–पदस्थापित है
20.	जूड़िया	एक पद–पद रिक्त मार्च, 1990 से	एक पद–पदस्थापित है

राज्य पथ परिवहन निगम की कार्यशालाओं में कार्यरत इंजीनियर तथा फोरमैन

746. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित कार्यशालाओं में कार्यरत इंजीनियर या फोरमैन लम्बे समय से उसी कार्यशाला में कार्यरत हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या इस प्रकार एक ही जगह कार्यरत रहने से कुछ गड़बड़ियों की आशंका नहीं रहती है ?

(3) यदि नहीं, तो विभिन्न कार्यशालाओं में विगत 10 वर्षों से एक ही जगह कार्यरत इन्जीनियर एवं फोरमैन की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। 401 कार्यरत इंजीनियर/फोरमैन में से मात्र 52 ही दस वर्ष से अधिक की अवधि से एक ही कार्यशाला में पदस्थापित हैं।

(2) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) वांछित सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

इंजीनियर व फोरमैन की सूची जो गत 10 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत है।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	कब से कार्यरत है।
1	2	3	4
1.	श्री रामदेव प्रजापति	ब्यावर आगार	24-12-76
2.	श्री विनोद कुमार शर्मा	,,	1-12-76
3.	श्री चेलाराम प्रजापति	,,	5-7-77
4.	श्री शांति प्रकाश	भीलवाड़ा आगार	20-1-80
5.	श्री जुगराज प्रजापति	,,	14-2-77
6.	श्री वाचस्पति त्रिपाठी	कोटा आगार	19-5-81
7.	श्री अनिल कुमार मांजू	बीकानेर आगार	17-11-78
8.	श्री लीला कृष्ण	,,	,,
9.	श्री पूना राम	सरदारशहर	24-11-78
10.	श्री हरी प्रसाद	,,	21-5-80

1	2	3	4
11.	श्री बलदेव सिंह	केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर	6-3-78
12.	श्री हितेष कुमार	,,	11-8-75
13.	श्री के.के. कौशिक	,,	15-11-77
14.	श्री महेश गर्ग	,,	24-2-79
15.	श्री निर्मल कुमार	,,	13-2-77
16.	श्री पी.एन. मेहरा	,,	8-11-77
17.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	,,	16-4-81
18.	श्री रामकुमार साहनी	,,	19-4-78
19.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	,,	20-3-79
20.	श्री शंकर तुलसियानी	,,	17-12-77
21.	श्री सुबोध गोयल	,,	28-12-76
22.	श्री टी.के. मिश्रा	,,	21-11-77
23.	श्री विजय कुमार माथुर	,,	16-4-81
24.	श्री यादराम शर्मा	,,	17-3-81
25.	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा	कोटपूतली	16-6-79
26.	श्री अरुण कुमार गुप्ता	टायर प्लांट जयपुर	12-12-79
27.	श्री राजेश लोहार	आबूरोड़ आगार	27-11-78
28.	श्री मुरली मनोहर जोशी	बाड़मेर	22-2-78
29.	श्री बालकसिंह कश्यप	झुन्झुनू आगार	6-11-78
30.	श्री राधाकृष्ण माथुर	सीकर आगार	8-1-78
31.	श्री अनिल कुमार लाहोटी	उदयपुर आगार	22-2-79
32.	श्री भगवत मेहता	,,	31-12-76
33.	श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़	बांसवाड़ा आगार	23-6-78
34.	श्री हरीश व्यास	केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर	9-10-78

1	2	3	4
35.	श्री घमंडा राम चौधरी	कोटा आगार	1-8-74
36.	श्री गोपाल सिंह	केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर	4-10-77
37.	श्री हनुमान सहाय शर्मा	,,	7-12-74
38.	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	,,	12-9-79
39.	श्री नबी बक्स	,,	31-1-81
40.	श्री प्रमोदसिंह बुन्देला	,,	12-9-79
41.	श्री रमेशचन्द शर्मा	,,	9-12-78
42.	श्री गोविन्द राम शर्मा	केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर	1-9-76
43.	श्री महीपत लाल	,,	7-2-79
44.	श्री मोहनसिंह कच्छावा	,,	22-9-77
45.	श्री हरीराम शर्मा	टायर प्लांट जयपुर	11-4-75
46.	श्री सीताराम पांचाल	,,	17-3-79
47.	श्री भगवानस्वरूप कुलश्रेष्ठ	,,	30-12-79
48.	श्री जेठाराम	,,	6-2-79
49.	श्री मन्नूराम मेहरा	केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर	7-4-79
50.	श्री कन्हैयालाल धाबाई	बांसवाड़ा आगार	8-1-79
51.	श्री मालीराम	केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर	20-10-88
52.	श्री पी.सी. यादव	केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर	19-3-79

तारांकित प्रश्न संख्या 747

(स्थगित)

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी उप-खण्ड मारवाड़ जंक्शन की यथास्थिति

748. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मारवाड़ जंक्शन उपखण्ड को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी खण्ड सोजत से हटा कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी खण्ड पाली के अधीन करने के आदेश सरकार ने प्रदान किये हैं ?

(2) क्या जन प्रतिनिधि द्वारा मारवाड़ जंक्शन उपखण्ड को जनहित में सोजत खण्ड में ही रखने हेतु सरकार से निवेदन किया गया ? क्या सरकार ने उक्त उप-खण्ड को सोजत खण्ड में ही रखने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विभाग में इस आशय का कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। मारवाड़ जंक्शन उपखण्ड को पाली खण्ड के अधीन उचित कार्यभार रखने की दृष्टि से जनहित में किया गया है। पाली जिले में दो खण्डों के स्थान पर तीन खण्ड किये गये हैं और प्रत्येक खण्ड में अब 3 उपखण्ड हैं।

जालौर जिले में चिकित्सकों तथा चिकित्सा विशेषज्ञों के स्वीकृत पद

749 **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले में चिकित्सकों एवं चिकित्सा विशेषज्ञों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) उनमें से कितने पद रिक्त हैं ?

(3) जिले में महिला चिकित्सकों के कुल कितने पद हैं और उनमें से कितने खाली हैं ?

(4) जिले की जनसंख्या को देखते हुये क्या महिला चिकित्सकों की यह संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो जिले में महिला चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(5) जिले में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की दृष्टि से सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जालौर जिले में चिकित्सकों के कुल पद निम्न प्रकार स्वीकृत हैं :—

1. वरिष्ठ विशेषज्ञ	6
2. कनिष्ठ विशेषज्ञ	28
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	17
4. चिकित्सा अधिकारी	65
5. दन्त चिकित्सक	2

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) चिकित्सकों के निम्न पद रिक्त हैं :—

1. वरिष्ठ विशेषज्ञ	1
2. कनिष्ठ विशेषज्ञ	7
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	4
4. चिकित्सा अधिकारी	14
5. दन्त चिकित्सक	1

(3) महिला चिकित्सकों के स्वीकृत व रिक्त पद निम्न प्रकार से हैं :—

	स्वीकृत	रिक्त
1. वरिष्ठ विशेषज्ञ	1	-
2. कनिष्ठ विशेषज्ञ	4	2
3. चिकित्सा अधिकारी	8	5

(4) जी हां।

(5) चिकित्सा अधिकारियों के 8 पद विभाग के आदेश क्रमांक स्था/चि. अ./एटी/नियुक्ति (1) 92/33 दिनांक 10-3-92 तथा 4 चि. अ. को क. वि. के पदों के विरुद्ध पदस्थापित किया गया है। शेष पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सवाई-माधोपुर में फर्जी मेडिकल बिलों का भुगतान

750. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस अधीक्षक कार्यालय सवाई माधोपुर में कार्यरत कितने कनिष्ट लिपिकों ने वर्ष 1985 से वर्ष 1992 तक कितने-कितने फर्जी मेडिकल बिलों का मुगतान उठाया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) फर्जी मेडिकल बिल बना कर सरकारी धन का गबन करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक कार्यवाही करली जावेगी ?

उत्तर

(1) पुलिस अधीक्षक कार्यालय सवाई-माधोपुर में कार्यरत कनिष्ठ लिपिपिकों द्वारा वर्ष 1985 से 1992 तक उठाये गये मेडिकल बिलों वेतन भत्ता आदि के बिलों एवं रिकार्ड में कांट छांट करने के बारे में विशेष जांच दल द्वारा आडिट करवाया जा रहा है। विशेष जांच (आडिट) की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही पता चल सकेगा कि फर्जी मेडिकल बिलों का भुगतान किस-किस कर्मचारी द्वारा कितना-कितना उठाया गया। जांच रिपोर्ट अभी अपेक्षित है।

(2) फर्जी मेडिकल बिल बनाकर गबन करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध विशेष जांच दल द्वारा की जा रही जांच में जिम्मेदारी निर्धारित करने पर ही दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना सम्भव होगा। इससे पूर्व प्राथमिक प्रशासनिक जांच से श्री किशोरी लाल एवं श्री पुष्पेन्द्र कुमार कनिष्ठ लिपिकों द्वारा फर्जी मेडिकल बिल बनाकर पास करवाने का प्रयास करना

(गृह मंत्री) :

पाये जाने पर इन दोनों कनिष्ठ लिपिकों के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1958 के नियम 16/18 के अन्तर्गत संयुक्त विभागीय जांच की जा रही है।

तारांकित प्रश्न संख्या 751

(स्थगित)

पीपल्दा के गांव व ढाणियों में पेयजल समस्या

752. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में करीब 50 से अधिक गांव एवं ढाणियां ऐसी हैं जिनमें पेयजल की भारी समस्या व्याप्त है एवं जिसकी सूची कई बार सरकार को दी गई है ?

(2) यदि हां, तो उक्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्प अभी तक नहीं लगाये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार उक्त समस्याग्रस्त गांवों में हैण्डपम्प लगवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) संदर्भित क्षेत्र के सभी राजस्व ग्रामों एवं 33 में से 13 ढाणियों को पेयजल योजनाओं द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है। अन्य 11 ढाणियों में हैण्डपम्प लगाये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं। शेष 9 ढाणियों को धन उपलब्धतानुसार लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) उपरोक्तानुसार समस्त राजस्व ग्राम पेयजल योजनाओं द्वार लाभान्वित हैं।

(3) सभी राजस्व ग्राम पूर्व में पेयजल योजनाओं द्वारा लाभान्वित है।

राज्य के स्वीकृत राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग

753. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने राष्ट्रीय मार्ग और राज्य मार्ग स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में राष्ट्रीय मार्गों व राज्य मार्गों व छोटी-छोटी पक्की सड़कों के ऊपर बस स्टैण्ड व गांव के पास जगह-जगह जनता ने बिना विभाग की अनुमति के अवरोध बना दिये हैं जिससे हल्के व भारी वाहनों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ?

(3) यदि हां, तो इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की क्या नीति है और ऐसे अवरोधों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) राज्य में (7) सात राष्ट्रीय राज

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

मार्ग और 31 प्रान्तीय राज मार्ग स्वीकृत है। सूची परिशिष्ट "क" पर एवं "ख" पर संलग्न है।

(2) जी हां, ग्रामवासियों द्वारा कहीं-कहीं पर सड़क के बीच स्पीड ब्रेकर बना दिये जाते हैं जो निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने के कारण वाहनों के लिये समस्या उत्पन्न करते हैं।

(3) राष्ट्रीय राज मार्गों के सम्बन्ध में भारत सरकार भूतल परिवहन मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप विभाग की नीति ऐसे अवरोधकों को हटाने की है इन्हें हटाने में विभाग द्वारा जिला प्रशासन/पुलिस स्थानीय जन-प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाता है। प्रान्तीय राज मार्गों एवं अन्य मार्गों पर जहां जनता के अत्यधिक विरोध के कारण गति अवरोधकों का हटाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वहां ऐसी परिस्थिति में अवरोधकों को आई. आर. सी. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सही किया जाता है।

राज्य में स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग

क्रमांक	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय मार्ग का नाम
1.	3	आगरा-धौलपुर-बम्बई
2.	8	दिल्ली--जयपुर--अजमेर-,उदयपुर--अहमदाबाद
3.	11	आगरा-भरतपुर-जयपुर-बीकानेर
4.	11ए	मनोहरपुर-दौसा
5.	12	जयपुर-कोटा-जबलपुर
6.	14	ब्यावर-पाली-सिरोही-कांडला
7.	15	पठानकोट--गंगानगर--बीकानेर--जैसलमेर-बाड़मेर-कांड़ला।

राज्य में स्वीकृत प्रान्तीय राजमार्ग

क्रमांक	राजमार्ग-संख्या	विवरण
1.	1 अ	झालावाड से रायपुर होकर इन्दौर मार्ग राज्य सीमा तक।
2.	2	राजाखेड़ा, सिरमथुरा, करौली, गंगापुर, लालसोट, चाकसू, फागी, दूदू, खाटू, नागौर फलौदी।
3.	3	गंगानगर, रायसिंहनगर, बीकानेर, नोखा, नागौर जोधपुर, पाली।
4.	4	अजमेर, नसीराबाद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा जालौर मार्ग राज्य सीमा तक।
5.	5	बर, जोधपुर, देश्यू, पोकरण।
6.	6	डूंगरगढ़, सरदारशहर, तारानगर, राजगढ़, हिसार मार्ग राज्य सीमा तक।
7.	7	सरवाड़, किशनगढ़, डीडवाना, रतनगढ़, सरदार-शहर, हनुमानगढ़, सादुलशहर, अबोहर मार्ग राज्य सीमा तक।
8.	7 अ	किशनगढ़ से नसीराबाद।
9.	8	सीकर, नवलगढ़, झुन्झुनू, सूरजगढ़, लोहारु मार्ग राज्य सीमा तक।
10.	9	उदयपुर, मावली, कपासन, चित्तौड़, लाडपुरा बूंदी।
11.	10	सिरोही, पिंडवारा, कोटरा, खैरवाड़ा, डूंगरपुर, सागवाड़ा, बांसवाड़ा, रतलाम मार्ग राज्य सीमा तक।
12.	11	रानीवाड़ा, मंडोर, आबू रोड़।
13.	12	जयपुर, डिग्गी, मालपुरा, केकड़ी, शाहपुरा, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, कांकरोली।
14.	13	अलवर, शाहपुरा, कांवट, नीम का थाना, खेतड़ी, पिलानी, राजगढ़।

1	2	3
15.	14	भरतपुर, नगर, डीग, अलवर, बहरोड़, नारनोल मार्ग राज्य सीमा तक।
16.	15	देबारी, डबोक, मंगलवार, बड़ी सादडी, छोटी सादडी, नीमच मार्ग राज्य सीमा तक।
17.	16.	बाड़मेर, सिदरी, जालोर, आहोर, साडेराव, देसूरी, अमेरितिया।
18.	17	कोटा, बांरा, शाहाबाद, शिवपुरी मार्ग राज्य सीमा तक।
19.	18	अजमेर, बड़ी घाटी, मरुंदा, डेगाना, डीडवाना।
20.	19	इन्द्रगढ़, इटावा, मांगरोल, बांरा, झालावाड़, भवानीमंडी, डग अगर मार्ग राज्य सीमा तक।
21.	20	सीकर सालासर, सूजानगढ, तालछापर, नोखा।
22.	21	दांतीवाड़ा, पीपाडसिटी, मेड़तासिटी पर्वतसर।
23.	22	मेड्रेल माडेल, करौली, हिण्डौन, महुआ, खेरली, नगर, पहाडी मार्ग राज्य सीमा तक।
24.	23.	भरतपुर, रूपबास, सैंपऊ, धौलपुर।
25.	25	गंगापुर, नादौती, बांदीकुई, राजगढ़, अलवर, किशनगढ, तिजारा, भिवानी मार्ग राज्य सीमा तक।
26.	26	नसीराबाद, सरवाड़, केवडी, देवली।
27.	27	सिरोही, मंडार, डीसा मार्ग राज्य सीमा तक।
28.	28	जोधपुर, बालोतरा, सिदरी, चितलवारा।
29.	29	बूंदी, लाखेरी, सवाई माधोपुर, लालसोट, दौसा, सरिस्का।
30.	30	टोंक, सवाई माधोपुर, पाली घाट, शिवपुर मार्ग राज्य सीमा तक।
31.	31	जालौर, भीनमाल, रानीवाड़ा, मार्ग राज्य सीमा तक।

आयुर्वेदिक औषधालय, गंगापुर

754. श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) एवं श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर आयुर्वेदिक औषधालय में चार वैद्य पदस्थापित हैं ? यदि हां, तो कितने अतिरिक्त वैद्य औषधालय में कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गंगापुर आयुर्वेदिक औषधालय के प्रभारी वैद्य गोविन्द प्रसाद को मात्र एक वर्ष हुआ था ? यदि हां, तो बगैर शिकायत के वैद्य का स्थानान्तरण किस कारण किया ?

(3) सवाई माधोपुर जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद पर कितने दिनों से कौन कार्यरत है ? अधिकारी वहां कितने दिन उपस्थित रहता है ?

(4) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर ने डायरेक्टर को शिकायत लिखी है कि जिला आयुर्वेद अधिकारी उपस्थित नहीं रहता है ? यदि हां, तो उसके उपस्थित न रहने के लिए विभाग ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो विभाग क्या कार्यवाही करने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राजकीय "अ" श्रेणी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गंगापुर-सिटी (सवाईमाधोपुर) में आयुर्वेदिक चिकित्सक के चार पद सृजित हैं।

इसके अतिरिक्त एक चिकित्सक स्थानान्तरण पर न्यायालय स्टे से एवं दो चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(2) आयुर्वेद चिकित्सक पद पर श्री गोविन्दप्रसाद ने दिनांक 7-7-90 को कार्य ग्रहण किया था। इनका स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से दिनांक 31-8-91 को किया गया था।

(3) जिला आयुर्वेद अधिकारी, सवाई-माधोपुर के पद पर वर्तमान में श्री जगदीश राम शर्मा दिनांक 16-4-91 से कार्यरत हैं। दिनांक 16-4-91 से माहवार उपस्थिति का विवरण (परिशिष्ट-क) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी नहीं। ऐसा एक पत्र जिला कलक्टर ने दिनांक 15-10-91 को पत्र द्वारा स्वास्थ्य सचिव को सूचित किया जिसका स्पष्टीकरण जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर को दे दिया गया।

श्री जगदीशराम शर्मा, जिला आयुर्वेद अधिकारी, सवाईमाधोपुर का माहवार उपस्थिति का विवरण—

माह व वर्ष	राजपत्रित अवकाश दिवस	मुख्यालय के कार्य दिवस	राजकीय कार्य से यात्रा की अवधि	अवकाश अवधि
अप्रैल, 1991 (16-4-91 से)	3	2	10	–
मई, 1991	6	3	21	1
जून, 1991	7	4	10	9
जुलाई, 1991	6	7	18	–
अगस्त, 1991	6	3	22	–
सितम्बर, 1991	7	7	16	–
अक्टूबर, 1991	10	4	17	–
नवम्बर, 1991	9	7	14	–
दिसम्बर, 1991	7	4	15	5
जनवरी, 1992	5	6	20	–
फरवरी, 1992	5	7	15	2
मार्च, 1992 (25-3-92 तक)	8	6	11	–

(२५९)

ग्राम बागावास (विराट नगर) में खान से विस्फोटक पदार्थों की बरामदगी

755. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बागावास तहसील विराट नगर की खान से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है ? इस मामले में किसे दोषी पाया गया तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या खान मालिक या उसके किसी कर्मचारी का किसी उग्रवादी संगठन से संबंध होने के संकेत मिले हैं ?

(3) राज्य में अन्य खान मालिक जो बिना लाइसेन्स विस्फोटक सामग्री रखते हैं, की रोकथाम के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम बागावास तहसील विराट नगर की खान से विस्फोट सामग्री 13 डेटोनेटर, 53 डेटोनेटर साधारण 90 जिलेटीन छड़, 23 किलो सफेद बारूद बरामद किया गया है। इस मामले में श्री सुमेर सिंह निवासी खोरा लाडखानी को दोषी पाये जाने पर मु. नं. 331/91 धारा 4-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 थाना शाहपुरा पर दर्ज किया गया। श्री सुमेरसिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है श्री सुशील कुमार अग्रवाल की उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा अग्रिम जमानत ली जा चुकी है। श्री सुमेर सिंह के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु जिला कलक्टर, जयपुर को लिखा जा चुका है। अनुसंधान जारी है।

(2) जी, नहीं।

(3) जब भी इस प्रकार की अनाधिकृत रूप से विस्फोटक सामग्री रखने की सूचना प्राप्त होती है, तुरन्त वैधानिक, कार्यवाही की जाती है।

खेतों में हाइटेन्शन लाइन डालने का मुआवजा

756. **श्री राजपालसिंह शेखावत** (बनी-पार्क) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि किसानों के खेतों में हाइटेन्शन लाइन डालने का कोई मुआवजा किसान को नहीं दिया जाता तथा केवल जनहित में ही किसान उक्त जमीन को सरकार को हाइटेन्शन लाइन डालने हेतु उपयोग की अनुमति देता है ?

(2) क्या जनहित के दृष्टिकोण में बिना मुआवजा अपनी जमीन का हाइटेन्शन लाइन डालने हेतु उपयोग करने देने में किसान के अपनी जमीन पर होने वाले मालिकाना हक एवं उक्त जमीन के उपयोग के हक के बारे में कोई पाबन्दी लग जाती है ?

उत्तर

(1) नियमानुसार किसानों के खेतों में हाइटेंशन लाइन डालने के समय खड़ी फसल की हानि का उचित मुआवजा दिया जाता है, परन्तु खेतों में होकर जनहित में लाइनें डालने का कानूनन अधिकार भारतीय

250

(ऊर्जा मंत्री)

विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 42 के अन्तर्गत विद्युत मण्डल को है ।

(2) हाइटेंशन लाइन के नीचे आने वाली जमीन पर मालिकाना हक जमीन के मालिक (किसान) का ही रहता है तथा उक्त जमीन पर मण्डल किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं लगाता है । किसान उक्त जमीन को निजि उपयोग में ले सकता है लेकिन लाइन के नीचे किसी तरह का निर्माण कार्य जो कि भारतीय विद्युत नियम 1956 की धारा 79 व 80 का उल्लंघन करता हो, करना नियमों के विरुद्ध है ।

स्थगित प्रश्न

(सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 1992)

अनुसूचित जाति/जनजाति विषयक प्रकरणों की सुनवाई के लिए न्यायाधीश

512. **श्री भरोसीलाल** (हिण्डोन) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति विषयक प्रकरणों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय में सेशन न्यायाधीश के बजाय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) यदि हां, तो अनुसूचित जाति व जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अधीन वरिष्ठतम अधिकारी को नियुक्त करके उक्त प्रावधान की पालना क्यों नहीं की जा रही है ?

(3) क्या राज्य के उक्त न्यायालयों में सरकार सेशन न्यायाधीश नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय प्रत्येक जिले में पृथकतः स्थापित किया जाना चाहिए था ? यदि हां, तो सरकार ने पहले से मुकदमों के भार से दबी सेशन अदालतों को ही यह कार्य अतिरिक्त रूप से देकर क्या धारा 14 की अवहेलना नहीं की है ?

(5) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति व जनजाति के मुकदमों के निपटारे में विलम्ब एवं निष्प्रभावशीलता नहीं आ रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, क्योंकि अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश भी सेशन न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं ।

(2) ऐसा कोई प्रावधान सम्बन्धित अधिनियम में नहीं हैं ।

(3) जी नहीं ।

(4) अगले वर्ष में चार स्थानों पर ऐसे विशेष न्यायालय स्थापित किये जाने का मामला विचाराधीन हैं ।

(5) जी नहीं ।

(251)

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 1163 का विवरण

पेयजल योजनाओं में लाभान्वित ग्रामों की वर्तमान पेयजल आपूर्ति की स्थिति।

जिला बाड़मेर :—

1. योजना का नाम :—गिराब खड़ीन व गिराब खड़ीन विस्तार

(1) ग्राम मजोली, चाडार-मदरूप, चाडर दखनाद व बकते की बेरी में पेयजल आपूर्ति सम्भव नहीं हो पा रही है।

(2) ग्राम चाडी, चोडान बाकलसर, लसवा सेतराऊ, खड़ीन व तामिलयार में स्थानीय स्रोतों से पेयजल वितरण किया जा रहा है।

(3) ग्राम सुजाविल का पार, खारिया कलां, खारची, बेतवा एवं पाबुसरिया में माह मार्च 92 में एक बार से 3 बार तक पेयजल आपूर्ति की गई।

2. योजना का नाम :—साउथ गिराब सालरिया, साऊथ गिराब बेतरोडी

(1) ग्राम सलारिया, हिडीया, सेलाऊ, केलन का पार, मेकरन वाला में पेयजल आपूर्ति सम्भव नहीं हो पा रही है।

(2) ग्राम सज्जन का पार, सुराली, मोहम्मद का पार में क्रमशः माह में 4, 2 व 8 बार पेयजल वितरण किया जा रहा है।

(3) ग्राम जालीला व लदे का पार में वर्तमान में सप्ताह में क्रमशः 5 व 4 बार पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(4) ग्राम नरो का पार, शेरे का तला व गरडिया में माह मार्च, 92 में 2 बार से 4 बार पेयजल आपूर्ति की गई।

जिला जैसलमेर :—

3. योजना का नाम :—सांगड-चेलक

ग्राम तोगा में पिछले एक माह से 5 या 6 दिन में एक बार जल आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न से सम्बन्धित योजनाओं के शेष ग्रामों में पेयजल आपूर्ति लगभग सामान्य है।

252

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 1164 की सूची

नगरपरिषद् हनुमानगढ़ द्वारा वर्ष 1991 में नियमित किये गये भूखण्डों की सूची

क.सं.	नाम मय वल्दियत	भूखण्ड साईज फुट
1.	महावीर/सुरजाराम	40 × 40
2.	अमीलाल/मानीराम	50 × 40
3.	अमरकुमार/पि.मु. हीरादेवी	35 × 35
4.	शिवचरण/उदयसिंह	60 × 38
5.	राकेशकुमार/हरिशचन्द्र	60 × 35
6.	श्रवण कुमार/मघाराम	35 × 32
7.	रामकरण/सुरजाराम	50 × 35
8.	रतनदीप/सुभाषचन्द्र	35 × 32
9.	महेन्द्र कुमार/हरीसिंह	40 × 50
10.	महावीर/हरीसिंह	50 × 40
11.	कुलवीर सिंह/जसवन्त सिंह	50 × 35
12.	गोपीराम/तेजाराम	40 × 40
13.	मनोज कुमार/रामप्रताप	38 × 60
14.	शंकर लाल/मनीराम	40 × 50
15.	हरमेन्द्र सिंह/रणजीतसिंह	35 × 60
16.	महेन्द्र सिंह/छोटूराम	60 × 35
17.	देशराज/मोहनलाल	60 × 38
18.	राजेन्द्र कुमार/पि.मु. हीरादेवी	40 × 35
19.	मनीराम/मानीराम	40 × 50
20.	वेदप्रकाश/मेहरचन्द	40 × 50
21.	मनोहरलाल/रामचन्द्र	40 × 40

(258)

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 1165 की प्रति

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज., जयपुर

क्रमांक :—प. 29 ( ) विविध/स्थानि/89/1910 दिनांक :—13-5-91

सचिव,
नगर विकास न्यास,
बीकानेर, राज.

विषय :—स्व. श्री गोकुल प्रसाद पुरोहित की प्रतिमा स्थापित किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार स्व. श्री गोकुल प्रसाद पुरोहित की प्रतिमा लोकसभा चुनाव 1991 के सम्पन्न होने के बाद स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रतिमा लगाने हेतु स्थान का चयन जिला कलक्टर, बीकानेर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जावेगा, जिसमें प्रशासक, नगरपरिषद, बीकानेर, सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर, उप नगर नियोजक, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा जिला पुलिस अधीक्षक, सदस्य होंगे।

ह.
निदेशक

क्रमांक :प. 29 ( ) विविध/स्थानि/91/ दिनांक :—

प्रतिलिपि जिला कलक्टर, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक

3544
———
23-5-91

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 1168 की सूची

नगर सुधार न्यास की स्थापना में अब तक निम्नलिखित आवासीय बस्तियों का निर्माण किया गया :—

1. मसुरिया-1 कमला नेहरू नगर
2. मसुरिया-2 बाबा रामदेव बस्ती
3. मसुरिया-3 बालाजी के मन्दिर के पीछे
4. कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार
5. कमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार
6. कमला नेहरू नगर तृतीय विस्तार
7. कीर्ती नगर
8. गांधी नगर मान् जी का हत्था
9. पश्चिम पटेल नगर
10. घंटाघर ओवरब्रिज
11. प्रताप नगर
12. सरदार क्लब
13. सैन्ट्रल स्कूल
14. गोल्फ कोर्स
15. लिंक पाल रोड
16. बालोतरा रोड एवं चोपसिनी रोड के मध्य
17. सुभाष नगर
18. स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर
19. मिल्कमैन कॉलोनी
20. शास्त्री नगर
21. मसुरिया सेक्शन-7
22. मसुरिया सेक्शन-7 विस्तार
23. सरस्वती नगर
24. नहर व पाली रोड के मध्य
25. चांदपोल से सिवांचीगेट
26. बखतसागर
27. सिवांचीगेट से स्टेडियम तक
28. गोविन्द तालाब
29. बरकतुल्ला खां स्टेडियम
30. राजबाग
31. कबीर नगर
32. पत्थर व लकड़ी मार्केट
33. ट्रक टर्मिनेशन बासनी
34. ट्रक टर्मिनेशन बिलाड़ा रोड
35. चौपासनी गांव योजना
36. पुरी पेट्रोल पम्प
37. हरीसिंह जी का बंगला व पोलटेक्नीक के मध्य स्थित योजना
38. बलदेव नगर
39. भगत की कोठी विस्तार
40. कागा क्षेत्र
41. झालामण्ड योजना
42. मीरा कालोनी
43. तुलशी कालोनी
44. प्रताप नगर सेक्टर (के)
45. प्रताप नगर सेक्टर (के) विस्तार

46. पाल रोड़ (पूर्वी व पश्चिम)
47. खतानाडी
48. मंगराज जी का टांका
49. जालिम विलास
50. किशोर बाग
51. सेन्ट्रल स्कूल विस्तार योजना
52. बाल समन्द योजना
53. ओवरब्रिज के पास व्यवसायिक
54. पुंजला गांव के उत्तर में स्थित योजना
55. भरुण होटल से स्टेशन रोड तक सड़क निर्माण
56. कायलाना सड़क योजना
57. महाराजा प्रताप नगर योजना
58. हिन्दुस्तान पैट्रोल पम्प बासनी
59. सरस्वती नगर विस्तार
60. मानजी का हत्था के पीछे
61. बलदेव नगर विस्तार

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 1171 का विवरण

जिला भीलवाड़ा में पंचायत समितियां नगरपालिका वार हैण्डपम्पों की सूची

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	कुल लगे हैण्डपम्पों की संख्या	कुल चालू हैण्डपम्पों की संख्या	कुल खराब हैण्डपम्पों की संख्या
1	2	3	4	5
	नगरपालिका क्षेत्र			
1.	भीलवाड़ा	480	429	51
2.	माण्डल	82	75	7
3.	आसीन्द	59	54	5
4.	मांडलगढ	88	83	5
5.	गंगापुर	50	43	7
6.	शाहपुरा	55	55	–

1	2	3	4	5
7.	गुलाबपुरा	87	85	2
8.	जहाजपुर	51	46	5
		952	870	82
	पंचायत समिति			
1.	जहाजपुर	680	664	16
2.	मांडलगढ	858	574	284
3.	कोटडी	583	423	160
4.	मांडल	713	488	225
5.	आसीन्द	895	660	235
6.	भीलवाडा	637	454	183
7.	बनेड़ा	469	304	165
8.	रायपुर	380	275	105
9.	सहाडा	416	361	55
10.	शाहपुरा	586	584	2
11.	हुरडा	362	347	15
	योग	6579	5134	1445

257

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 1174 की सूची

जिला चूरू के सब डिविजन सुजानगढ़ में चालू जल प्रदाय योजनाओं की सूची

क्र.सं. 1	योजना का नाम 2	लाभान्वित शहर/ग्राम 3
1.	नगरीय जल प्रदाय योजना सुजानगढ़	1. सुजानगढ़
2.	नगरीय जल प्रदाय योजना छापर	1. छापर
	ग्रामीण योजनाएं :—	
1.	जल प्रदाय योजना मंगलूना शोभासर	1. शोभासर
		2. गुडावड़ी
		3. मागीवाद
		4. कोलासर
		5. लालपुरा
		6. मुरडाकिया
		7. चारिया
		8. घोटड़ा
		9. बासी
		10. ग्रनखेली
		11. डूगरास अगुना
2.	जलप्रदाय योजना सेठों की ढाणी पार्ट-I	1. स्यामा
		2. खारिया
		3. खड़ी
		4. बामनिया
		5. श्यानण
		6. मालासी
		7. ढाकावली
		8. तोलियासर
3.	जल प्रदाय योजिना नोरगसर खारिया	1. नोरगसर
		2. खारिया बड़ा
		3. खारिया छोटा

1	2	3
4.	पम्प एवं टेंक जल प्रदाय योजना सालासर	1. सालासर
5.	जल प्रदाय योजना बोबासर मलसीसर	1. बोबासर चारनान
		2. बोबासर बिदावतान
		3. मोम बोबासर
		4. मलसीसर
		5. हेमासर
6.	जल प्रदाय योजना मंगलूना भाग-II	1. दलिया
		2. ठरड़ा
		3. मीगंना
		4. लोडसर
		5. भोजलाई
		6. जिन्द्रासर
		7. बिलासी
		8. टाडा
		9. लोला
		10. मानीसरिया तेजसिंहवतान
		11. मानीसरिया हिरावतान
		12. बिडास
7.	जल प्रदाय योजना पारवतीसर खोडा	1. पारबतीसर
		2. खोडा
8.	जल प्रदाय योजना भीमसर	1. भीमसर
9.	जल प्रदाय योजना मंगलूना भाग-I	1. खदाया
		2. घा चारनान
10.	जल प्रदाय योजना नीमड़ी, राजपुरा	1. नीमड़ी बिदावतान
		2. चूहास
		3. राजपुरा
		4. नीमड़ी चारनान
11.	जल प्रदाय योजना सेठों की ढाणी पार्ट-II	1. राजियासर मीठा
		2. राजियासर खारा
		3. चक राजियासर
		4. रूखासर

Page No. 259

1	2	3
12.	जल योजना आबसर हुरासर	1. आबसर 2. हुरासर
13.	जल योजना विस्तार रणधीसर	1. रणधीसर
14.	जल योजना विस्ताव खालिया	1. खालिया
15.	जल प्रदाय योजना धातरी	1. धातरी
16.	जल प्रदाय योजना जोगलिया जेतासर	1. जोगलिया 2. जेतासर 3. बीथियावास
17.	जल प्रदाय योजना छापर विस्तार	1. गुलेरिया 2. देवाणी 3. रामपुर 4. सूरवास 5. गनोडा 6. डूगरास आथूना 7. सुजानगढ़ ग्रामीण
18.	जल प्रदाय योजना मालासी मारोठिया	1. मारोठिया 2. खारा 3. मालकसर 4. बिलंगा 5. बाडा 6. सारोठिया
19.	जल प्रदाय योजना जिल्ली, मगलवासी	1. जिल्ली 2. मगलवासी
20.	जल प्रदाय योजना विस्तार, लिखमनसर	1. लिखमनसर
21.	जल प्रदाय योजना, मगरासर	1. मगरासर
22.	जल प्रदाय योजना मुन्दड़ा, मासीना	1. मुन्दड़ा 2. बासी आथुना 3. तेलाप 4. मासीना 5. बगसरा आथूना

1	2	3
		6. गेडाप 7. मोम तेलाप
23.	पम्प एवं टेंक जल प्रदाय योजना, चाडवास	1. चाडवास
24.	पम्प एवं टेंक जल प्रदाय योजना, गोपालपुरा	1. गोपालपुरा
25.	पम्प एवं टेंक जल प्रदाय योजना, कानूता	1. कानूता

जिला चूरू के सब डिविजन बीदासर में चालू जल प्रदाय योजनाओं की सूची :--

1.	विस्तार जल योजना कातर बड़ी कातर छोटी	1. कातर बड़ी 2. कातर छोटी
2.	क्षेत्रीय जल योजना साजनसर रेड़ा, गेवरसर	1. साजनसर 2. रेडा 3. गेवरसर
3.	क्षेत्रीय जल योजना तेहनदेसर, ईयारा	1. तेहनदेसर 2. ईयारा 3. आसरासर 4. उटालड 5. सडू बड़ी 6. सडू छोटी 7. नोडिया 8. कल्याणसर 9. ज्याक 10. मोम ईयारा
4.	पनघट जल योजना, अमरसर	1. अमरसर
5.	पनघट जल योजना, मालासर	1. मालासर
6.	पनघट जल योजना, काथलसर	1. कांथलसर
7.	पनघट जल योजना, बाढसर	1. बाढसर
8.	पाईप्ड जल योजना, लालगढ़	1. लालगढ़

1	2	3
9.	टी.एस.एस., जोगलसर	1. जोगलसर
10.	क्षेत्रीय जल योजना बम्बू बेरासर पैलास	1. बम्बू 2. बेरासर 3. पैलास 4. बीरला 5. लुहारा 6. सारंगसर 7. घटियाल बड़ी 8. घटियाल छोटी 9. बिगारिया
11.	पाइप्ड जल योजना, साण्डवा	1. साण्डवा
12.	क्षेत्रीय जल योजना हेमासर, म्राथूना	1. हेमासर म्राथूना
13.	क्षेत्रीय जल योजना डूंकर, सूरवास	1. डूंकर 2. रूपेली 3. बालेरा 4. सूरवास
14.	क्षेत्रीय जल योजना, बैनाथा	1. बैनाथा जोगलिसा 2. बैनाथा उमजी 3. उपाधिया
15.	क्षेत्रीय जल योजना चक, घटियाल	1. चक घटियाल
16.	क्षेत्रीय जल योजना जोगलिया, जैतासर पार्ट-II	1. ढढेरू मामूवान 2. ढढेर गोदारान
17.	क्षेत्रीय जल योजना, कोडासर	1. कोडासर बिदावतान 2. कोडासर जाटान
18.	पी. एण्ड टी., उडवाला	1. उडवाला
19.	क्षेत्रीय जलयोजना, पारेवड़ा गोन्दूसर	1. पारेवड़ा 2. मोम पारेवड़ा 3. गोन्दूसर 4. मोम गोन्दूसर 5. गोन्दूसर नरोतान

1	2	3
20.	क्षेत्रीय जलयोजना मुदडा; मसीना पार्ट-II	1. नब्वासर 2. भोम नब्वासर 3. करजेड़ा
21.	क्षेत्रीय जल योजना पारेवड़ा, परावा	1. परावा
22.	पी. एण्ड टी. ढाणी, कुम्हारान	1. ढाणी कुम्हारान
23.	पी. एण्ड टी. ढाणी कालेरान,	1. ढाणी कालेरान
24.	पी. एण्ड टी. ढाणी, शिवरान	1. ढाणी शिवरान
25.	क्षेत्रीय जल योजना, जैतासर	1. ढाणी रावली 2. ढाणी घोरा
26.	पाईप्ड जल योजना, दड़िबा	1. दड़िबा
27.	शहरी जल योजना, बीदासर	1. बीदासर

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 1175 का विवरण

नागौर जिले में दो वर्षों में प्राप्त विभिन्न पाइपों का विवरण

वर्ष 1990-91 सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	उप खण्ड का नाम	प्राप्त पाइपों की लम्बाई (मीटर में)	
	पी. वी. सी. पाइप	63 मिलीमीटर क्लास-2	75 मिलीमीटर क्लास-2
1.	खण्ड नागौर	8004	8304
2.	खण्ड मेड़ता	—	15100

क्र. सं.	ए. सी. पाइप	80 मि.मी.	100 मि.मी.	125 मि.मी.	150 मि.मी.	200 मि.मी.	250 मि.मी.	300 मि.मी.
3.	खण्ड नागौर	2000	11976	20602	28600	20000	22000	1550
4.	खण्ड डिडवाना	2000	—	—	—	—	—	—
5.	खण्ड मेड़ता	78940	14900	7500	—	—	—	—

	जी. आई. पाइप	32 मि.मी.	50 मि.मी.	65 मि.मी.	80 मि.मी.
6.	खण्ड नागौर	4945	2447	2780	—
7.	खण्ड डीडवाना	600	1020	1270	400

वर्ष 1991-92 सम्बन्धी विवरण

	पी. वी. सी. पाइप	63 मि.मी. क्लास-2	63 मि.मी. क्लास-3	75 मि.मी. क्लास-2	75 मि.मी. क्लास-3	90 मि.मी. क्लास-2	90 मि.मी. क्लास-3	110 मि.मी. क्लास-3	80 मि.मी. क्लास-2
8.	खण्ड नागौर	15904	10662	1896	12000	4000	2000	8000	—
9.	खण्ड डीडवाना	4000	—	—	—	26784	—	—	4700
10.	खण्ड मेड़ता	—	—	—	—	17000	—	—	—

	ए. सी. पाइप	80 मि.मी.	100 मि.मी.	125 मि.मी.	150 मि.मी.
11.	खण्ड नागौर	15400	9224	100	—
12.	खण्ड डीडवाना	—	—	4301	—
13.	खण्ड मेड़ता	6700	14000	10400	4000

	जी. आई. पाइप	100 मि.मी.	150 मि.मी.
14.	खण्ड नागौर	118	333

Page No. 265

सहायक अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग उपखण्ड मकराना, को आवंटित एवं उपयोग में लिए जा रहे पाइपों की सूची :—

क्र.सं.	पाइपों का विवरण	आवंटित मात्रा/उपभोग की गई मात्रा	योजना का नाम
1.	80 एम. एम. ए. सी.	848 मीटर	कुकडोर
2.	,,	400 ,,	सिरतून लाडोली
3.	,,	280 ,,	घान्घवा
4.	,,	600 ,,	मानका गिगालिया
5.	,,	248 ,,	बांका पट्टी
6.	,,	300 ,,	मंगलाना सिनिया
7.	,,	500 ,,	चांवण्डिया
8.	,,	500 ,,	शिवरासी
9.	,,	750 ,,	अमरपुरा
10.	,,	450 ,,	अलत्वा कुचिपिला
11.	,,	800 ,,	बाजोली
12.	,,	300 ,,	मुण्डाखेड़ी
13.	,,	1800 ,,	थिजसर
14.	,,	1500 ,,	मंगलपुरा
15.	,,	1000 ,,	इंदोखा की ढाणी
15.	,,	1000 ,,	डाबडी
17.	,,	1000 ,,	देवरी डीडवाडी
योग :	14976 मीटर	14976 मीटर	
18.	100 एम.एम.ए.सी.	4532 मीटर	कोलाडगरी में खोदे गये नलकूपों को जोड़ने के लिए।
19.	,,	900 ,,	बाजोली

1	2	3	4
20.	100 एम.एम.ए.सी.	800 मीटर	विल्लू
21.	,,	400 ,,	भानिया कला
22.	,,	1110 ,,	छपरा
योग :	6732 मीटर	6642 मीटर	
23.	125 एम.एम.ए.सी.	2500 मीटर	मकराना कांलाटगरी में खोदे गये नलकूप को जोड़ने के लिए
24.	,,	1000 ,,	मकराना में खुले कुए को जोड़ने के लिए।
योग :	4100 मीटर	3500 मीटर	
25.	150 एम.एम.ए.सी. 2500 मीटर	2500 मीटर	मकराना कोलाडूंगरी नलकूपों को जोड़ने हेतु।
26.	200 एम.एम.ए.सी. 800 मीटर	800 मीटर	मकराना बोरावड़ छपरा हैड वर्क्स के लिए

(267)

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 1177 की सूची

देवली, जिला टोंक के विभिन्न रैफरल अस्पताल, पी. एच. सी. डिस्पेन्सरी में डाक्टरों व नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों की सूची :—

केन्द्र का नाम	पद	रिक्त पद	विवरण
उ. प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, दूनी	1. लैब टैक्नी.	1	
	2. सैक्टर सुप.	1	
	3. प्रसाविका	5	(उपकेन्द्र, टोडा का गोठडा, चारनेट, बदबोडा सवातरा, टोकराबास)
प्रा. स्वा. केन्द्र, नासीरदा	1. स्वा. निरी.	1	
	2. लैब टैक्नी.	1	
प्रा. स्वा. केन्द्र. आँवा	1. महिला स्वा. द.	1	
	2. स्वा. निरी.	1	
	3. लैब टैक्नी	1	
प्रा. स्वा. केन्द्र, नगरफोर्ट	1. लैब टैक्नी.	1	
	2. स्वा. निरी.	1	
	3. सैक्टर सुप.	1	
प्रा. स्वा. केन्द्र, धुम्रांकला	1. लैब टैक्नी.	1	
	2. स्वा. निरी.	1	
	3. सैक्टर सुप.	1	

टोडारायसिंह, जिला टोंक के विभिन्न रैफरल अस्पताल, पी. एच. सी. डिस्पेन्सरी में डाक्टरों व नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों की सूची :—

ब्लॉक प्रा. स्वा. केन्द्र, मान्दोलाई

1. वरि. चिकि. अधिकारी	1
2. चिकि. अधिकारी	1
3. लैब टैक्नीशियन	1

4. ब्लॉक हैल्थ सुप. (फिमेल)	1	
5. महिला स्वा. द.	1	
6. संगणक	1	
7. प्रसाविका	5	(उपकेन्द्र कंवरावास, अलियारी, ककड, पन्द्राहेडा और कुहाड़ाबुजुर्ग)

प्रा. स्वा केन्द्र..बरवास :—

1. स्वास्थ्य निरीक्षक	1
2. लैब टैक्नीशियन	1

प्रा. स्वा. केन्द्र, खरेडा :—

1. महिला स्वा. द.	1
2. लैब टैक्नीशियन	1

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 1190 की सूची

क्र.सं.	वर्ष	प्रथम सूचना रिपोर्ट जो दर्ज हुई	एफ. आर. अदम वकू	एफ. आर. अदम पता/ अदम सबूत	चालान	पैंडिंग पुलिस
1	2	3	4	5	6	7
1.	1990	225	61	24	138	2
2.	1991	264	79	21	161	3
3.	1992	55	8	3	19	25
	योग :—	544	148	48	318	30

पुलिस थाना नीम का थाना में वर्ष 1990-91-92 में 544 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई जिनमें से अब तक 148 मुकदमात् में एफ. आर. अदम वकू, 48 में एफ. आर. अदम पता व अदम सबूत, 318 में चालान व 30 मुकदमात् अभी जैर तफतीश पुलिस है।

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 1191 की प्रतियां

नकल एफ. आई. आर. मुकदमा नं. 570/90 धारा 418, 420, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता थाना गुमानपुरा, कोटा।

न्यायालय ए. एम. जे. एम. कोर्ट नं. 1 दक्षिण कोटा : मोहम्मद असलम आ. फरियाद हुसैन निवासी किशोर पुरा कोटा फरियादी : बनाम 1- रमेश त्रिवेदी आत्मज श्री शिवनारायण निवासी आशापाला कालोनी किशोर पुरा कोटा 2- निर्मल कुमार उर्फ निर्मल दास राजपाल आत्मज श्री शोभराज धर्म ट्रेडिंग कम्पनी शास्त्री मार्केट कोटा 3- ओम प्रकाश आत्मज श्री श्री बल्लभ निवासी आर्य विद्यालय रेतवाली कोटा 4- अब्दुल सलाम अन्सारी आत्मज स्व. श्री अब्दुल गनी निवासी कल्याण भवन श्रीपुरा कोटा 5- अब्दुल रहीम आ. स्व. श्री अब्दुल गनी निवासी कल्याण भवन, श्रीपुरा कोटा 6- द्रोपदी पत्नि निर्मल कुमार निवासी, 95 सूरजपोल डिस्पेन्सरी के पास श्रीपुरा कोटा 7- कुमारी शमा पुत्री अब्दुल सलाम अंसारी निवासी 86, कल्याण भवन श्रीपुरा 8- मदन लाल वर्मा आ. जेठीराम निवासी मोहन टाकीज रोड श्रीपुरा कोटा 9- के. ए. अलमास आ. श्री अ. रजाक 287 तमकीन मंजिल श्रीपुरा, कोटा 10- आशा शर्मा श्री लक्ष्मण प्रसाद निवासी गोविन्द देवजी का मंदिर टिपटा कोटा 11- उषा ओझा प्रधानाध्यापिका गोल्डी चाईल्ड स्कूल शक्ति नगर कोटा-अभियुक्तगण इस्तगासा अंतर्गत धारा 418, 420, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता, मान्यवर, प्रार्थी निम्न निवेदन करता है :—

(1) यह कि प्रार्थी कोटा का निवासी भारतीय नागरिक है तथा प्रार्थी को परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। (2) यह की अभियुक्त क्रम 1 लगायत

7 ने गोल्डी चाइल्ड स्कूल समिति बना रखी है, जिसके अभियुक्त क्रम 1 लगायत 7 पदाधिकारी व सदस्यगण है। अभियुक्तगण ने एक अन्य समिति रुबी कल्चर सोसायटी भी बना रखी है, जिसके अभियुक्त क्रम 1 लगायत 4 व क्रम 8 लगायत 10 पदाधिकारी व सदस्यगण है तथा अभियुक्तगण ने आपराधिक षड़यन्त्र रचा हुआ है। (3) यह कि अभियुक्तगण द्वारा गोल्डी चाइल्ड स्कूल 14 विश्वास विला शक्ति नगर कोटा में चलाया जा रहा है जिसकी प्रधानाध्यापिका अभियुक्त क्रम 11 है। उक्त गोल्डी चाइल्ड स्कूल 14 विश्वास विला शक्ति नगर कोटा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं तथा गत वर्ष भी मान्यता प्राप्त नहीं था 4- यह कि जिन छात्र छात्राओं ने ऐसे विद्यालय में अध्ययन किया है जो शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है उन छात्र छात्राओं को आगे अध्ययन हेतु किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है जिससे छात्र छात्राओं का भविष्य अन्धकारमय है। (5) यह कि अभियुक्तगण यह जानते हुए भी कि उक्त विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है तथा उसमें अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं को किसी भी विद्यालय में अग्रिम कक्षा में अध्ययन हेतु प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जानबूझकर नागरिकों से बच्चों की शुल्क के नाम पर धन प्राप्त करने के उद्देश्य से नागरिकों को धोखा देकर व गुमराह करने छात्र छात्राओं को उक्त स्कूल में प्रवेश हेतु प्रोत्साहन करने के लिए उक्त स्कूल का "झूठा प्रदर्शन" राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त" का कर रखा है तथा कोटा शहर के कई भागों में नरेश आर्ट द्वारा अभियुक्तगण के निर्देशन पर जानबूझकर असत्य तथ्य का प्रदर्शन अथवा विज्ञापन दीवारों पर कर रखा है। नरेश आर्ट द्वारा अभियुक्तगण के निर्देशन पर कोटा शहर के कई भागों में निम्न प्रकार का झूठा विज्ञापन नागरिकों को धोखा देकर धन प्राप्त करने के उद्देश्य से दीवारों पर लिखवा रखा है। प्रवेश प्रारम्भ–प्रवेश प्रारम्भ गोल्डी चाइल्ड मिडिल स्कूल, सरकार द्वारा पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त कक्षा एल. के. जी. से कक्षा 8 तक (हिन्दी-इंगलिश मीडियम) पता 14 विश्वास विला शक्ति नगर कोटा (6) यह कि कोटा शहर के नागरिकों ने उक्त झूठे विज्ञापन से प्रेरित होकर अपने बच्चों को अभियुक्तगण के उक्त विद्यालय में प्रवेश दिला दिया। प्रवेश के समय अभियुक्त क्रमं 11 ने अन्य अभियुक्तगण को लाभ पहुंचाने हेतु अवैध रूप से फीस जमा कर ली। परिवादी को अभियुक्तगण द्वारा नागरिकों को दिये गये धोखे की जानकारी दिनांक 7-9-90 को शिक्षा विभाग से होने पर अभियुक्तगण से कहा तो परिवादी को भगा दिया और कहा कि तुम्हारी मरजी आये जो करो। इस प्रकार नागरिकों को गलत तथ्य प्रकट

271

कर धोखा देकर फीस की राशि का नुकसान पहुंचाकर तथा छात्र छात्राओं को भविष्य अंधकारमय बताते हुए अभियुक्तगण ने अवैध व अनुचित लाभ प्राप्त किया है (7) यह कि परिवादी को यह भी ज्ञात हुआ है कि गत वर्ष सत्र 89-90 में उक्त स्कूल में कक्षा 8 में उत्तीर्ण छात्रों को आगे की कक्षा में अध्ययन हेतु किसी भी विद्यालय में उक्त स्कूल द्वारा जारी किये गये टी. सी. के आधार पर प्रवेश नहीं दिया है। (8) यह कि अभियुक्तगण का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 418, 420 व 120 बी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है (9) यह कि उक्त अपराध अभियुक्तगण द्वारा थाना गुमानपुरा के क्षेत्राधिकार में किया गया है तथा किया जा रहा है। इस कारण माननीय न्यायालय को परिवाद श्रवणाधिकारी प्राप्त है। अतः प्रार्थना है कि अभियुक्तगण को उक्त आपराधिक कृत्य के लिए दण्डित किया जावे। फरियादी एस.डी. मोह- असलेम आ. फरियाद हुसैन निवासी किशोरपुरा कोटा दिनांक 17-9-90

कार्यवाही पुलिस :—

थाना गुमानपुरा

इस्तगासा

जर्ये डाक प्राप्त हुआ, इस्तगासे अनुसार जुर्म धारा 418,420, 120 बी दण्ड संहिता का गठित होता है। अतः एफ आई. आर. नं. 570/90 दर्ज कर तफ्तीश ए. एस. आई. रूपसिंह के जिम्मे की गई है। नकल एफ. आई. आर. दी जावेगी।

एसडी/—
अर्जुनसिंह, एस. एच. ओ.,
थाना गुमानपुरा
2-11-90

नकल अन्तिम परिणाम

मु. नं. 570/90 दिनांक 2-11-90 धारा 418/420/120 बी ता. हि. एफ. आर. नं. 197/90 (अदम वकू) झूठी दिनांक 29-11-90

वाकियत मामला संक्षिप्त इस प्रकार है कि इस्तगासा द्वारा मो. असलम पुत्र श्री फरियाद हुसैन मुसलमान निवासी किशोरपुरा विरुद्ध रुबी कल्चर सोसाइटी गोल्डी मिडिल स्कूल, शक्तिनगर व सदस्य पदाधिकारी रमेश त्रिवेदी (2) निर्मल कुमार उर्फ

निर्मल दास, ओम प्रकाश, अब्दुल सलाम नफर। मुलजिम अन्तर्गत धारा 420/418 120 बी ता. हि. का इस्तगासा न्यायालय ए. एम. जे. एम. नं. 1 दक्षिण कोटा का 156 (3) जा. फो. का जरिये डाक दिनांक 2-11-90 को इस आशय का प्राप्त हुआ कि 1 से लगायत 11 मुलजिमान द्वारा अपराधिक षड़यन्त्र रचकर धोखा देने की नियत से मान्यता प्राप्त स्कूल बताकर स्वयं के फायदे के लिए धन एकत्रित कर छात्र एवं छात्राओं को किया गया है। जबकि स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इस्तगासे में अंकित आरोपों के आधार पर मुकदमा इल्जाम नं, 570/90 धारा 420/418/120 बी ता. हि. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान बयान मोहम्मद असलम, अब्दुल सलाम असारी के लिए गए तथा रिकार्ड व वांछित रिकार्ड जिला शिक्षा विभाग कोटा से प्राप्त किया। बयानात व रिकार्ड से पाया गया कि गोल्डी चाइल्ड स्कूल शक्तिनगर जिला शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1982 से मान्यता शुदा है, परिवादी मोहम्मद असलम ने जानबूझकर मिथ्या एवं बनावटी आरोप रुबी सोसाइटी कल्चर पर लगाया गया है, क्योंकि असलम के परिवार का कोई भी छात्र व छात्रा इस स्कूल में अध्ययन नहीं करता और कोई ऐसा छात्र छात्रा नहीं है जिसने इस स्कूल में अध्ययन किया और राजकीय स्कूल में प्रवेश नहीं हुआ हो। अन्वेषण से मामला अदमवकुवा (इरादतन झूंठ) पाया जाने से एफ. आर. नं. 197/90 कता की जाकर वास्ते मंजूरी श्रीमान् ए. एम. जे. एम. कोर्ट नं. 1 कोटा दक्षिण कोटा (नगर) मारफत श्रीमान् ए. एस. पी साहब कार्यालय वृत्त प्रथम कोटा नगर की सेवामें पेश है। मुस्तगीस अस्लम के विरुद्ध 211 ता. हि. का इस्तगासा पृथक से मुर्तिब किया जाकर वास्ते समाऊत एवं कानूनी सलूक फरमाने हेतु एफ. आर. के साथ पेश है।

एस. डी./अर्जुन सिंह, थानाधिकारी
गुमानपुरा कोटा।

तफसील कागजात

नतीजा एफ. आर. 197/90
अदम वकुआ (इरादतन झूंठ)

2

इस्तगासा 211 ता. हि.

2

ए. डी./–अर्जुन सिंह थानाधिकारी
गुमानपुरा कोटा।

273

परिशिष्ट--15

अतारांकित प्रश्न संख्या 1196 की सूची

पंचायत समिति लालसोट के जिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को परिवहन सुविधा से जोड़ा गया है, उनका विवरण :—

1. डीडवाना
2. ललेनपुरा
3. डूंगरपुरा
4. कल्लावास
5. कालूवास
6. सोनड़
7. बोछा
8. रामगढपचवारा
9. चांदसेन
10. श्रीमा
11. निरझरना
12. सवासा
13. तलावगांव
14. चौंडियावास
15. शिवसिंहपुरा
16. दौलतपुरा
17. होदाली
18. झापड़ा
19. श्यामपुरा कल्ला
20. राजोली
21. खटुम्बर
22. लालपुरा
23. टोडाढेकला
24. मण्डावरी
25. खेड़ल्याखुर्द
26. बिलोनाकला
27. बगड़ी
28. महारिया

पंचायत समिति लालसोट के उन गांवों की सूची जिन्हें बस सेवा से जोड़ा जाना शेष है :—

1. निजामपुरा
2. राहूवास
3. डोब
4. पालून्दा
5. हेमल्यावाला
6. बिदारखा
7. गोगिलियावास
8. अमरावाद
9. मिर्जापुर
10. देवली
11. खटवा
12. सूरतपुरा
13. किशोरपुर
14. काकरिया।

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 1198 की सूची

गंगनगर विधान सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों (89-90 एवं 90-91) में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये गये एवं उनमें से विद्युतीकृत किये गये ग्रामों की सूची।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतीकृत दिनांक
वर्ष 1989-90			
1.	ग्रडाना	21/1/69	30-7-89
2.	मालोता खेड़ा	20	31-5-89
3.	परमेश्वरपुरा	61	31-7-89
4.	करीण्डा	76	31-7-89
5.	नवलपुरा	60	30-7-89
6.	गोकलपुरा	42	30-3-90
7.	जालमपुरा	44	30-1-90
8.	छतावली	75	30-3-90
9.	नारायणपुरा	80	31-1-90
10.	पहूनी	30	28-2-90
11.	मिरचन खेडी	23	28-2-90
12.	गुडलिया	29	30-3-90
13.	मण्डिपिया	16	30-1-90
14.	डारबा	21	30-3-90
15.	खातों का खेड़ा	21/2/50	30-4-89
16.	सूरतसिहजी का खेड़ा	38	30-4-89
17.	कारेडिया	141	30-1-90
18.	हमीरपुरा	49	30-9-89
19.	सुरजनियास	29	31-12-89

1	2	3	4	
20.	मानसिंह जी का खेड़ा	68	30-12-89	
21.	लाखा का खेड़ा	70	30-12-89	
22.	लाला का खेड़ा	70	30-12-89	
23.	बन्दनवाडा	23	31-10-89	
24.	जवालिया का खेड़ा	26	31-10-89	
25.	लक्ष्मीपुरा	100	30-12-89	
26.	छापिया खेडी	97	30-12-89	
27.	गनेशपुरा	18	–	
28.	जवानपुरा	74	–	
29.	दुवावा	87	–	
वर्ष 1990-1991				
1.	जवानपुरा	21/1/74	नवम्बर, 90	
2.	गणेशपुरा	18	31-1-91	
3.	दुवावा	21/2/87	मार्च, 91	
4.	लूकडी	21/1/17	दिसम्बर 91	
5.	चतरा का खेड़ा	85	नवम्बर, 91	वर्ष 1991-92 में प्रस्तावित
6.	घोली	84	नवम्बर, 91	
7.	सुवाना	21/2/90	मार्च, 91	
8.	मोटलियास	21/1/18	–	

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 1207 की सूची

वर्ष 1991-92 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा खुदरा के लोकेशन में शिथिलता प्रदान की दुकानात की सूची :—

आबकारी आयुक्त के पत्र क्रमांक प. 32 (बी) 46/आब/ /90/845 दिनांक 18-5-91 से शिथिलता प्रदत्त विदेशी मदिरा दुकानात की सूची :—

1. भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकान नं. 37 आदर्श नगर
2. भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकान नं. 23 मोहन वाइन
3. भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकान नं. 13 नागपाल वाइन

वर्ष 1992-93 में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 4(8) वित्त/आब/91 दिनांक 16-9-92 के अनुसार विदेशी मदिरा दुकानात जिन पर शिथिलता प्रदान की गई :—

1. भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकान नं. 23 मोहन वाइन
2. भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकान नं. 13 नागपाल वाइन
3. भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकान नं. 37 आदर्श नगर

(277)

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1209 की सूची)

मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर चिकित्सालय में वार्ड एवं शैय्याओं का विवरण

क्र. सं.	वार्ड का नाम	मोतीचोहट्टा चिकित्सालय स्वीकृत शैय्याएं	कालेज परिसर स्थित चिकित्सालय स्वीकृत शैय्याएं	अनुसंधान केन्द्र वार्ड	अनुसंधान केन्द्र स्वीकृत शैय्याएं
1.	काय चिकित्सालय	14	20	गृध्रसी व कृमि	10
2.	शल्य	14	20	बालपक्षाघात व आंत्रिक ज्वर	10
3.	स्त्री रोग व प्रसूति	13	10		
4.	कौमारभृत्य	13	10	—	
5.	पंचकर्म	12	20		
6.	नाक, कान, आँख	9	20		
	योग	75	100		20

परिशिष्ट-II

मदन मोहन मालवीय रजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर के अंतरंग रोगी संख्या विवरण (मासिक)

वर्ष 1991--92 दिनांक 26-3-1992 तक

माह	मोती चोहट्टा चिकित्सालय	कालेज परिसर स्थित चिकित्सालय	अनुसंधान केन्द्र
अप्रैल, 91	809	260	16
मई, 91	745	93	16

1	2	3	4
जून, 91	590	173	11
जुलाई, 91	719	401	7
अगस्त, 91	990	494	10
सितम्बर, 91	988	400	12
अक्टूबर, 91	576	283	16
नवम्बर, 91	545	262	14
दिसम्बर, 91	829	306	8
जनवरी, 92	967	177	16
फरवरी, 92	411	327	18
26 मार्च, 92 तक	268	250	13
योग :	8237	3434	157

मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में चिकित्सालयों की व्यवस्था एवं स्टाफ के वेतनादि पर व्यय का विवरण

रुपये हजारों में

वर्ष 1991-92 में व्यय	स्टाफ के वेतनादि पर व्यय	अनुपात प्रतिशत	चिकित्सालय व्यवस्था पर व्यय	अनुपात प्रतिशत	रोगियों पर व्यय	अनुपात प्रतिशत	महायोग
1. आयुर्वेद महाविद्यालय							
आयोजना भिन्न	4295	82/	504	13/	215	5/	
आयोजना	734		301		80		
	5029		805		295		6129
2. "अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय मोती चोहट्टा	1326	88/	69	5/	111	7/	1506
3. राज. आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र	816	92/	43	5/	27	3/	886
योग :	7171	87/	917	8/	433	5/	

नोट : उक्त व्ययों में महाविद्यालय के अध्यापक एवं कर्मचारी वर्ग के वेतनादि भी सम्मिलित किया गया है।

279

परिशिष्ट--19

अतारांकित प्रश्न संख्या 1210 की सूची

जयपुर जिले की सांगानेर व चाकसू तहसील में वर्ष 1977-78 से 1991-92 तक स्वीकृत आयुर्वेद औषधालयों की सूची

क्र. सं.	स्थान औषधालय	औषधालय स्वीकृत वर्ष
सांगानेर तहसील		
1.	मम्भोरिया	1977–78
2.	अनोनपुरा उर्फ नैनपुरा	1977–78
3.	अचानिया	1977--78
4.	मोहहपुरा उर्फ महाराजपुरा	1977--78
5.	शिकारपुरा	1977--78
6.	दहमीकलां	1938--84
7.	ठीकरिया	1984--85
चाकसू तहसील		
1.	टूटोली	1977--78
2.	चाकसू	1983--84
3.	महादेवपुरा	1984--85
4.	देहलाला	1984--85

परिशिष्ट–20

अतारांकित प्रश्न संख्या 1211 का विवरण

भीलवाड़ा जिले के आयुर्वेद चिकित्सकों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों एवं उन पर विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	नाम चिकित्सक मय पदस्थापन स्थान	शिकायतकर्त्ता का नाम	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायत का विवरण	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जनार्दन त्रिपाठी राज. आयु. अ श्रेणी चिकित्सालय भीलवाड़ा	1. जिला आयुर्वेद अधिकारी भीलवाड़ा	1-10-90	महिला के साथ बलात्कार करने पर गिरफ्तार होने पर सूचना ।	आदेश क्रमांक 24205-6 दिनांक 6-10-90 द्वारा निलम्बित किया गया ।
		2. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा	4-10-90	जिला आयुर्वेद अधिकारी के पत्र की प्रति भेज निलम्बित करने हेतु लिखा	पुलिस द्वारा प्रकरण की तफसीस की गई तथा पुलिस द्वारा एफ.आर. लगा दी गई । इस पर प्रकरण राज्य सरकार को भेजा गया । राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक प. 10 (165) आयु/90 दिनांक 7-3-91 द्वारा सभी लाभ देने हेतु लिखा । इस पर पत्र

1	2	3	4	5	6
					क्रमांक 11452–56 दिनांक 20-3-91 द्वारा आदेश जारी किये गये तथा चिकित्सक को दिनांक 20-3-91 को बहाल किया गया।
2.	श्री श्याम मनोहर शर्मा खामोर (भीलवाड़ा)	जिला आयुर्वेद अधिकारी, भीलवाड़ा	1-12-90	1. दिनांक 3-7-90 से निरन्तर अनुपस्थित	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 1(59) (कार्मिक) क-3/91 दिनांक 19-4-91 द्वारा नियम 16 में आरोप पत्र जारी। कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ–1 (59) का. (क-3)91/दिनांक 13-12-91 द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया।
				2. फर्जी रोग प्रमाण पत्र देना	राज्य सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक 30-5-91 द्वारा सी.सी.ए. नियम 17 में आरोप पत्र जारी किया हुआ है। कार्यवाही कार्मिक विभाग स्तर पर चल रही है। प्रकरण अभी अनिर्णित है।

1	2	3	4	5	6
3.	श्री श्याम मनोहर शर्मा मंगरोप (भीलवाड़ा)	जिला आयुर्वेद अधि., भीलवाड़ा)	31-5-90	श्री निरंजन राजस्थला, वरिष्ठ लिपिक के साथ मारपीट करने सम्बन्धी	सहायक निदेशक (मुख्यालय) को निदेशालय के पत्रांक 15460 दिनांक 11-6-90 से प्रकरण की जांच करने हेतु लिखा हुआ है। जांच रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है।
4.	श्री हरिराम, कांगडी (भीलवाड़ा)	जिला आयुर्वेद अधि., भीलवाड़ा	22-2-91	रोगियों के साथ व्यवहार ठीक नहीं रखने एवं मुख्यालयों पर नहीं रहने सम्बन्धी	जिला आयुर्वेद अधिकारी भीलवाड़ा को क्रमांक 22850 दिनांक 19-6-91 द्वारा विस्तृत जांच के आदेश दिये हुये हैं। रिपोर्ट अप्राप्त है।
5.	श्री कमलकान्त शर्मा आम्बा (भीलवाड़ा)	जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	—	फर्नीचर मरम्मत का बिल प्रस्तुत कर राज्य कोष से रुपया प्राप्त करना।	प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, भीलवाड़ा के अधीन कार्यवाही हेतु विचाराधीन।
6.	श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा तस्वारिया (भीलवाड़ा)	1. जिला आयुर्वेद अधि., भीलवाड़ा	17-9-88	दिनांक 18-6-88 से स्वेच्छिक रूप से अनुपस्थित रहने सम्बन्धी	सी.सी.ए. नियमों के नियम 16 में कार्मिक विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ. 1 (85) का/क-3/90 दिनांक 5-11-90 से आरोप पत्र जारी किया गया। कार्मिक विभाग द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

Page No. 284

1	2	3	4	5	6
		2. जिला आयुर्वेद अधि. भीलवाड़ा	5-4-88	स्वेच्छिक रूप से अनुपस्थित रहने एवं समय पर वेतन नहीं उठाने सम्बन्धी	सी.सी.ए. नियमों के नियम 17 में निदेशालय के पत्रांक 26191-92 दिनांक 30-8-88 द्वारा आरोप पत्र दिया हुआ है। कर्मचारी का उत्तर अप्राप्त है।

परिशिष्ट-21

अतारांकित प्रश्न संख्या 1212 का विवरण

राजस्थान से बाहर स्थापित सूचना केन्द्रों पर दो वर्षों में किया गया व्यय की सूचना

मद संख्या	सूचना केन्द्र दिल्ली		कलकत्ता		बम्बई	
	वर्ष 89-90	90-91	वर्ष 89-90	90-91	वर्ष 89-90	90-91
2220–सूचना एवं प्रचार						
60–अन्य						
102–सूचना केन्द्र						
1. संवेतन	332216	373726	157448	128865	219838	140007
2. यात्रा	2930	4015	6043	854	2876	–
3. चिकित्सा	1454	1359	3443	12437	422	84
4. कार्यालय व्यय	87251	92564	37805	31553	16451	28559
5. भवन किराया	4868	40000	49222	40585	19755	78695

285

1	2	3	4	5	6	7
6. सत्कार व्यय	12408	10124	1493	1278	824	–
7. अनुरक्षण	360	1716	–	–	–	–
8. वाहन संधारण	26419	28982	–	–	832	322
	467906	516486	255454	215572	260998	247667
103-पत्र सूचना सेवायें						
1. संवेतन	20374	27601				
2. यात्रा व्यय	380	–				
3. चिकित्सा व्यय	100	156				
4. कार्यालय व्यय	1517	1513				
	22371	29270				

1	2	3	4	5	6	7
106--क्षेत्र प्रचार						
1. संवेतन	57399	69029				
2. यात्रा	926	1121				
3. चिकित्सा	400	156				
4. कार्यालय व्यय	484	800				
5. सत्कार	1201	1940				
6. अनुरक्षण	150	-				
	60560	73046				
109--फोटो सेवायें						
1. कार्यालय व्यय	6186	6500				
कुल व्यय —	557023	625302	255454	215572	260998	247667

288

शुद्धि–पत्र

क्र सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	23	फोलियो	1 अप्रेल, 1192	1 अप्रेल, 1992
2.	41	24	खेरयल	खेरथल
3.	221	3	श्री मोहन लाल बरूपाल	श्री मोहनलाल बारूपाल